40TH

वार्षिक प्रतिवेदन
ANNUAL REPORT
2022-23

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)

National Handloom Development Corporation Limited
(A Government of India Undertaking)

निदेशक मंडल
Board of Directors

श्रीमती शुभ्रा
Ms. Shubhra
अध्यक्ष
Chairperson
विकास आयुक्त (हथकरघा) – अतिरिक्त प्रभार
Development Commissioner
(Handlooms) - Additional Charge

श्रीमती रीता प्रेम हेमराजानी
Ms. Rita Prem Hemrajani
प्रबन्ध निदेशक
Managing Director

श्री रवीन्द्रनाथ मोहंती
Shri Rabindranath Mohanty
सरकारी निदेशक
Government Director
उपसचिव (सामेकित वित्त प्रभाग)
Dy. Secretary (IFW)

40वीं वार्षिक प्रतिवेदन 2022-2023

40th Annual Report 2022-2023

रा ह वि नि
NHDC

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)

National Handloom Development Corporation Limited
(A Government of India Undertaking)

विषय सूची

लक्ष्य एवं नैगमिक उद्देश्य	4
कॉर्पोरेट सूचना	6
चालीसवीं (40वीं) वार्षिक साधारण सभा की सूचना	8
अध्यक्ष का भाषण	12
निदेशकों की रिपोर्ट	14
निदेशकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक	32
नैगमिक अभिशासन का प्रमाण–पत्र	46
सचिवीय लेखा परीक्षक की रिपोर्ट	78
लेखा परीक्षक की रिपोर्ट	90
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां	152
वार्षिक लेखे	
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	156
तुलन–पत्र	162
लाभ एवं हानि का विवरण	164
नकदी प्रवाह विवरण	166
लेखों पर टिप्पणियाँ	168
इक्विटी परिवर्तन पर विवरण	220
अनुदान संबंधी विवरण	222

CONTENTS

Mission & Corporate Objectives	5
Corporate Information	7
Notice for Fortieth Annual General Meeting	9
Chairman's Speech	13
Director's Report	15
Annexure to Director's Report	33
Corporate Governance Certificate	47
Secretarial Auditor's Report	79
Statutory Auditor's Report	91
Comment of The Comptroller & Auditor General of India under section 143(6) of the Companies Act, 2013	153
Annual Accounts	
Significant Accounting Policies	157
Balance Sheet	163
Statement of Profit & Loss	165
Cash Flow Statement	167
Notes on Accounts	169
Statement of Change in Equity	221
Grants Related Information	223

लक्ष्य व नैगमिक उद्देश्य

लक्ष्य

हथकरघा की उन्नति एवम् विकास के लिये राष्ट्रीय संस्था के रूप में अपनी सेवायें उपलब्ध कराना।

नैगमिक उद्देश्य

1. आपूर्ति श्रृंखला की बेहतर प्रबंधन (सप्लाई चेन मैनेजमेट) प्रणाली द्वारा अच्छी गुणवत्ता का कच्चा माल जैसे कि सूत, रग व रसायन आदि उपलब्ध कराकर अपनी प्रतियोगी क्षमता को बढ़ाना।

2. उपलब्ध संसाधनों के समुचित उपयोग द्वारा अपने कार्य संचालन को औचित्यपूर्ण बनाए रखना।

3. विकास कार्यक्रमों का संचालन इस प्रकार करना कि योजनाओं/उत्पादों तथा विपणन माध्यमों आदि विषय में बुनकरों की जानकारी बढ़ाने में सहायता मिलें।

4. हथकरघा क्षेत्र के विकास हेतु कार्यक्रमों के त्वरित क्रियान्वयन के लिये केन्द्र सरकार की निधियां, ऋण तथा अनुदान आदि का हथकरघा संस्थाओं तक पहुँचाने का माध्यम बने रहना।

5. प्रशिक्षण तथा परामर्श के माध्यम से कार्मिकों के योगदान में वृद्धि करना तथा उनकी जीविकावृति मे प्रगति के सुअवसरों को सुनिश्चित करना।

Mission & Corporate Objectives

MISSION

To serve as a National Agency for the promotion and development of the Handloom sector.

CORPORATE OBJECTIVE

1. To enhance its competitive edge in providing quality raw material i.e. yarn, dyes & chemicals through improved supply chain management.

2. To maintain viability of operations through effective utilization of available resources.

3. To take up the development programmes so as to contribute to increasing the awareness of schemes/products and marketing avenues etc.

4. To continue to act as a channel for routing Central Government funds, loans & grants to handloom agencies to aid in speedy implementation of programmes for development of the sector.

5. To ensure increasing contribution from personnel through training/counselling and to ensure career progression opportunities.

कॉर्पोरेट सूचना (वार्षिक आम बैठक की तिथि के अनुसार)

श्रीमती बीना महादेवन **(अध्यक्ष)**
विकास आयुक्त (हथकरघा)
वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार

श्रीमती रीता प्रेम हेमराजानी **(प्रबंध निदेशक)**

श्री धीरेन्द्र कुमार **(निदेशक)**
निदेशक, आईएफडब्लू
वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार

श्री जितेंद्र पुरोहित **(मुख्य वित्तीय अधिकारी)**

सांविधिक लेखा परीक्षक
मेसेर्स वेद एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

सचिवीय लेखा परीक्षक
मेसेर्स नवनीत के. अरोड़ा एंड कंपनी एलएलपी
प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, नई दिल्ली

शाखा लेखा परीक्षक
मेसेर्स उदय शंकर एंड कंपनी, बेंगलुरु
मेसेर्स के एंड के एसोसिएट, कोलकाता
मेसर्स एस.एन. सिंह एंड कंपनी, वाराणसी
मेसेर्स राकेश नीरज एंड कंपनी, पानीपत
मेसर्स आरबी एसोसिएट, हैदराबाद
मेसर्स शानमुगवादीवेल एंड कंपनी, कोयंबटूर
मेसेर्स खेतान अग्रवाल एंड कंपनी, गुवाहाटी

प्रमुख बैंकर्स
इंडियन बैंक
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
ऐक्सिस बैंक
पंजाब नेशनल बैंक
युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
इंडियन ओवरसीज बैंक
एच.डी.एफ.सी. बैंक
केनरा बैंक

पंजीकृत कार्यालय
4वीं मंजिल, वेगमेन्स बिजनेस पार्क, टावर–1,
प्लॉट नंबर–3, सेक्टर नॉलेज पार्क–III,
सूरजपुर–कासना मेन रोड, ग्रेटर नोएडा,
गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश–201 306

Corporate Information (As on the date of AGM)

Smt. Beena Mahadevan **(Chairperson)**
Development Commissioner (Handlooms)
Ministry of Textiles, Govt. of India

Smt. Rita Prem Hemrajani **(Managing Director)**

Shri Dhirendra Kumar **(Government Director)**
Director, IFW
Ministry of Textiles, Govt. of India

Shri Jitendra Purohit **(Chief Financial Officer)**

Statutory Auditors
M/s. Ved and Company
Chartered Accountants

Secretarial Auditors
M/s. Navneet K Arora & Co. LLP,
Practising Company Secretary, New Delhi

Branch Statutory Auditors
M/s. Udaya Shankar & Co., Bengaluru
M/s. Kay & Kay Associates, Kolkata
M/s. S N Singh & Co., Varanasi
M/s. Rakesh Neeraj & Co., Panipat
M/s. R B Associates, Hyderabad
M/s. Shanmugavadivel & Co, Coimbatore
M/s. Khaitan Agarwal & Co., Guwahati

Principal Bankers
Indian Bank
Union Bank of India
Axis Bank
Punjab National Bank
United Bank of India
Indian Overseas Bank
HDFC Bank
Canara Bank

Registered Office
4th Floor, Wegmans Business Park, Tower - 1,
Plot No. 03, Sector Knowledge Park - III,
Surajpur - Kasna Main Road, Greater Noida
Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh -201306

40वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

एतदद्वारा सूचना (अल्प सूचना) दी जाती है कि राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड की 40वीं वार्षिक आम बैठक शुक्रवार, 22 दिसंबर, 2023 को सायंकाल 5:00 बजे वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से निम्नलिखित कार्य निष्पादित करने के लिए आयोजित की जाएगीः

साधारण कार्य

1. वर्ष 2022–23 को समाप्त वर्ष के लिए निदेशकों की रिपोर्टों, सीएण्डएजी की टिप्पणियों, सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट और सचिवीय लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के साथ 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों को प्राप्त करना, उन पर विचार करना और स्वीकार करना।
2. वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए लाभांश घोषित करना।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

Jitendra Vajesing Purohit
Digitally signed by Jitendra Vajesing Purohit
Date: 2023.12.20 19:09:49 +05'30'

(जितेंद्र वी. पुरोहित)
डीजीएम (एफ एंड ए)/सीएफओ

स्थानः ग्रेटर नोएडा
दिनांकः 22 दिसंबर, 2023

टिप्पणीः–

क) कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने अपने परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 05 मई, 2020 और सामान्य परिपत्र संख्या 02/2022 दिनांक 05.05.2022 और सामान्य परिपत्र संख्या 02/2022 दिनांक 28.12.2022 के क्रम में फाइल संख्या नीति 17/57/2021–सीएल–एमसीए, दिनांक 25 सितंबर, 2023 (सामूहिक रूप से 'एमसीए परिपत्र' के रूप में संदर्भित) से एक सामान्य स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, वीसी या ओएवीएम के माध्यम से एजीएम बुलाने की अनुमति प्रदान की है।

ख) **एजीएम के लिए निर्धारित स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय होगा।** वीसी के माध्यम से बैठक में भाग लेने के लिए नीचे दिए गए गूगल मीट लिंक पर क्लिक करके बैठक में शामिल हो सकते हैं। चूंकि एजीएम वीसी मोड के माध्यम से है, इसलिए कोई रूट मैप नहीं दिया गया है।

https://meet.google.com/faw-kxyq-oqo

ग) बैठक में शामिल होने की सुविधा एजीएम के निर्धारित समय से 15 मिनट पहले खोली जाएगी और एजीएम की पूरी कार्यवाही के दौरान खुली रखी जाएगी। सदस्य उपरोक्त गूगल मीट लिंक के माध्यम से एजीएम में भाग लेने में सक्षम होंगे और इसे उनके पंजीकृत ईमेल आईडी पर भी साझा किया जा रहा है।

घ) सामान्यतया, बैठक में भाग लेने और मतदान करने का हकदार सदस्य स्वयं के बजाय मतदान में भाग लेने और मतदान करने के लिए एक प्रोक्सी नियुक्त करने का हकदार होता है और प्रॉक्सी को कंपनी का सदस्य होना जरूरी नहीं है। चूंकि यह एजीएम वीसी मोड के माध्यम से आयोजित की जा रही है, एमसीए परिपत्रों के अनुसरण में, सदस्यों की भौतिक उपस्थिति को समाप्त कर दिया गया है। तदनुसार, सदस्यों द्वारा प्रोक्सी की नियुक्ति की सुविधा एजीएम के लिए उपलब्ध नहीं होगी और इसलिए प्रोक्सी फॉर्म और उपस्थिति पर्ची इसके साथ संलग्न नहीं है।

NOTICE for 40th ANNUAL GENERAL MEETING

Notice (Shorter Notice) is hereby given that the 40th Annual General Meeting of the National Handloom Development Corporation Limited will be held on Friday, the 22nd December, 2023 at 5:00 pm through Video Conferencing mode to transact the following business:-

Ordinary Business

1. To receive, consider, approve and adopt the Audited Financial Statements for the year ended 31st March, 2023 together with the Report of the Directors, C&AG comments, Statutory Auditor's Report and Secretarial Auditor's Report thereon for the year financial year 2022-23.

2. To declare dividend for the Financial Year 2022-23.

By order of the Board of Directors

Jitendra Vajesing Purohit
Digitally signed by Jitendra Vajesing Purohit
Date: 2023.12.20 19:09:49 +05'30'

(Jitendra V Purohit)
DGM (F&A)/CFO

Place : Greater Noida
Date : 22nd December, 2023

Notes:-

a) Ministry of Corporate Affairs (MCA) in continuation to its Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 and General Circular No. 02/2022 dated 05.05.2022 and General Circular No. 02/2022 dated 28.12.2022 vide File no. Policy 17/57/2021-CL-MCA dated 25th September, 2023 (collectively referred to as "MCA Circulars") has permitted convening the AGM through VC or OAVM, without the physical presence of the members at a common venue.

b) **The deemed venue for the AGM shall be the Registered Office of the Company.** The participation in the meeting through VC can be done through clicking on the below Google meet link and joining the meeting. Since the AGM is through VC mode, no route map is given.

https://meet.google.com/faw-kxyq-oqo

c) The Facility to join the meeting shall be opened 15 minutes before the scheduled time of the AGM and shall be kept open throughout the proceedings of the AGM. Members will be able to attend the AGM through the aforementioned Google meet link and the same is also being shared on their registered email ids.

d) Generally, a member entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint a proxy to attend and vote on a poll instead of himself and the proxy need not be a member of the Company. Since this AGM is being held through VC mode, pursuant to the MCA Circulars, physical attendance of members has been dispensed with. Accordingly, the facility for appointment of proxies by the members will not be available for the AGM and hence the Proxy Form and Attendance Slip are not annexed hereto.

ङ) वीसी के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों की उपस्थिति की गणना अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के लिए की जाएगी।

च) वित्त वर्ष 2022–23 में, निगम ने 5.21 करोड़. रुपये का लाभ दर्ज किया है। इसलिए वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए निदेशक मंडल द्वारा 156.45 लाख रुपये के लाभांश की अनुशंसा की गई है।

छ) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) के अनुसरण में, एक सरकारी कंपनी के लेखा परीक्षकों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) द्वारा नियुक्त/पुनर्नियुक्त किया जाता है। सदस्यों ने दिनांक 10.04.2002 को आयोजित आम सभा की अपनी बैठक में निदेशक मंडल को भविष्य में सांविधिक लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक को अनुमोदित करने के लिए प्राधिकृत किया है।

ज) एनएचडीसी के एओए के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान – कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV के कुछ प्रावधानों से सरकारी कंपनियों को धारा 196 (4), (5) से छूट के तहत निगम के निदेशकों की नियुक्ति भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

झ) निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) और उनकी शेयरधारिता के रजिस्टर का रखरखाव कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 170 के तहत किया जाता है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के तहत बनाए गए अनुबंधों एवं व्यवस्थाओं जिसमें निदेशकों की रुचि है, के रजिस्टर का रखरखाव किया जाता है और सूचना में उल्लिखित अन्य सभी दस्तावेज सभी कार्य दिवसों में, व्यावसायिक कार्य समय के दौरान कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में और बैठक के स्थान पर कंपनी की एजीएम के समय सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।

e) The attendance of the Members attending the AGM through VC mode will be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act.

f) Corporation has recorded a profit of Rs. 5.21 Cr. in FY 2022-23, hence a dividend of Rs. 156.45 Lakh has been recommended by the Board of Directors for the financial year 2022-23.

g) Pursuant to Section 139(5) of the Companies Act, 2013, the Auditors of a Government Company are appointed/re-appointed by the Comptroller and Auditor General (C&AG) of India. Members in their general body meeting held on 10.04.2002, authorized the Board of Directors to approve the remuneration of Statutory Auditors in future.

h) As per the AOA of NHDC, Provisions of Companies Act, 2013- exemption to section 196 (4), (5), exemption to Government Cos. from certain provisions of schedule IV of the Companies Act, 2013, appointment of the Directors of the Corporation is done by Hon'ble President of India.

i) The Register of Directors and Key Managerial Personnel (KMP) and their Shareholding maintained under Section 170 of the Companies Act, 2013, Register of contracts and arrangements in which Directors are interested maintained under Section 189 of the Companies Act, 2013 and all other documents referred to in the Notice, will be available for inspection by the Members at the Registered Office of the Company on all working days during business hours and at the time of AGM of the Company at the venue of the Meeting.

अध्यक्ष का भाषण

प्रिय शेयरधारकों,

निगम की 40वीं वार्षिक आम बैठक में आपका स्वागत करते हुए और लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों के साथ वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए लेखापरीक्षक और निदेशक की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आपकी अनुमति से, मैं उन्हें पढ़ा हुआ मान लेना चाहूंगी। निगम कोविड–19 महामारी के हमारी अर्थव्यवस्था, समाज और मानव जीवन के सभी पहलुओं पर हुए प्रतिकूल प्रभाव के कठिन दौर से काफी हद तक उबर चुका का है।

पिछले वर्ष की समीक्षा

वित्तीय वर्ष 2022–23, कोविड–19 व्यवधानों के बाद स्थिर कारोबारी माहौल के साथ पहला वर्ष रहा। वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान रु.798.56 करोड़ रुपये की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022–23 में 46% की वृद्धि दर्ज कराते हुए आपके निगम ने रु.1169.48 करोड़ का कारोबार दर्ज किया है। निगम ने वित्त वर्ष 2022–23 में रु.5.21 करोड़ का शुद्ध–लाभ (कर पश्चात) अर्जित किया है। परिणामस्वरूप निगम का निवल–मूल्य 31 मार्च, 2022 के रु.76.76 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च, 2023 को रु.81.63 करोड़ रहा। निगम कपड़ा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित कच्चा माल आपूर्ति योजना (आरएमएसएस) के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है। निगम कच्चा माल आपूर्ति योजना (आरएमएसएस) के अनुरूप अपने संसाधनों को संरेखित कर रहा है और अपने घाटे को कम करने की प्रक्रिया में है।

इसके अलावा, वित्त वर्ष 2022–23 में, निगम ने दूर–दराज के क्षेत्रों विशेषकर पूर्वोत्तर में अपनी पहुंच बढ़ाई है। 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार, निगम लगभग 5.31 लाख हथकरघा बुनकरों तक पहुँच बनाने में सक्षम रहा है।

निगम ऋण मुक्त है और इसका कोषागार कार्यचालन में है और संपूर्ण कार्यशील पूंजी को इसके आंतरिक संसाधनों से पूरा किया जाता है और निगम पर ब्याज लागत का कोई बोझ नहीं है।

भावी परिदृश्य

निगम कपड़ा मंत्रालय के दायरे में एक पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कंपनी है। मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार, निगम उत्पाद विकास और विपणन की संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इसके अलावा, निगम अपने व्यवसाय को विविधता प्रदान करने और हथकरघा उत्पादों की बिक्री में उद्यम करने सहित व्यवसाय के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए अन्य अवसरों की तलाश कर रहा है ताकि बुनाई समुदाय को अधिकतम लाभ सुनिश्चित किया जा सके। हम इस संबंध में आपके सहयोग की उम्मीद करते हैं।

निगम की शासन प्रणाली (कॉर्पोरेट गवर्नेंस)

निगम का मानना है कि दीर्घावधि में अच्छी कॉरपोरेट गवर्नेंस पद्धति से सभी हितधारकों के लिए धन–संपत्ति का सृजन होता है। निगम द्वारा अनुपालन की जा रही कॉरपोरेट गवर्नेंस पद्धति से सम्बंधित रिपोर्ट, और प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण की रिपोर्ट आपके समक्ष निदेशक की रिपोर्ट में अनुबंध के रूप में प्रस्तुत की गई है।

अभिस्वीकृति

किसी भी उपलब्धि के लिए मानवीय योगदान की आवश्यकता होती है और एनएचडीसी के विकास की कोई अलग कहानी नहीं है। मैं, बोर्ड की ओर से हमारे प्रतिबद्ध और सक्षम कर्मचारियों की कड़ी मेहनत की सराहना करती हूं, जिनके निष्ठा और निरंतर प्रयासों के परिणाम सामने आए हैं। मैं बोर्ड के सदस्यों, शेयरधारकों, वस्त्र मंत्रालय, अन्य सरकारी विभागों, सीएंडएजी और लेखा परीक्षकों के निरंतर मार्गदर्शन और सहायता के लिए आभारी हूं। मैं विभिन्न बैंकरों, उपयोगकर्ता एजेंसियों, कताई मिलों, रंगों और रसायनों के निर्माताओं और व्यावसायिक सहयोगियों के प्रति भी आभार व्यक्त करती हूं, जिन्होंने अपने निगम में विश्वास जताया है ।

मैं भविष्य में निगम के विकास के लिए आपके निरंतर सहयोग की आशा करती हूं ।

हस्ता/–
बीना महादेवन
अध्यक्ष
डीआईएनः 03483417

CHAIRMAN'S SPEECH

Dear Shareholders,

It gives me immense pleasure to welcome you to the 40th Annual General Meeting of your Corporation and to present the Auditor's & Director's Report for the Financial year 2022-23 along with the Audited Annual Accounts. With your kind permission, I would like to take them as read. Corporation has significantly revived from the difficult phase of the Covid-19 pandemic which has adversely impacted the economy, our society and human life in all aspects at large.

Past year Review

Financial Year 2022-23 was the first year post COVID-19 disruptions with a stable business environment. Your Corporation has recorded a turnover of Rs. 1169.48 crore during the F.Y. 2022-23 as compared to Rs 798.56 crore during FY 2021-22 registering an increase of 46%. Corporation has earned a net profit after tax (PAT) of Rs. 5.21 crore in the FY 2022-23. Consequently the net worth of the corporation has increased from Rs. 76.76 crore as on 31st March, 2022 to Rs. 81.63 crore as on 31st March, 2023. Corporation is the nodal agency for implementation of the Raw Material Supply Scheme (RMSS) of the Ministry of Textiles, Govt of India. The Corporation is channelizing its resources to align with the Raw Material Supply Scheme (RMSS) and is in the process of reducing its losses.

In the FY 2022-23, the Corporation has enhanced its reach to the far-flung areas especially in North-east. As on 31st March, 2023, the Corporation has been able to reach out to approx. 5.31 Lacs handloom weavers.

Your Corporation is debt free Corporation and the treasury functions and the entire working capital is met out from its internal resources and there is no burden of interest cost on the Corporation.

Future Scenario

The Corporation is a wholly owned Government Company under the ambit of Ministry of Textiles. As per the directions of the Ministry, the Corporation is focusing on product developments and possibilities of marketing. Further, Corporation is exploring other avenues to increase its scope of business including diversifying its business and venture in sale of handloom products so as to ensure maximum benefits to the weaving community. We look forward to your co-operation in this regard.

Corporate Governance

Your Corporation believes that good Corporate Governance practices in the long term leads to creation of Wealth to all the stakeholders. A report on Corporate Governance Practices, being followed by the Corporation and Management Discussion and Analysis Report are placed before you as Annexure to the Director's Report.

Acknowledgement

Any accomplishment requires human contribution and the growth of NHDC has no different story. I, on behalf of the Board place on record appreciation for hard work of our committed and competent employees, whose sincere and continuous efforts have yielded results. I am grateful to the members of the Board, shareholders, Ministry of Textiles, other government departments, C&AG and the Auditors for their continuous guidance and support. I also express sincere gratitude to various bankers, user agencies, spinning mills, manufacturers of dyes & chemicals and business associates, who have reposed confidence in your corporation.

I look forward to your continued support for corporation's growth in the future.

Sd/-
Beena Mahadevan
Chairperson
DIN: 03483417

निदेशकों की रिपोर्ट

सेवा में,

सदस्य,

वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए लेखा परीक्षित लेखाओं के साथ निगम के कामकाज संबंधी 40वीं (चालीसवीं) वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए हमें प्रसन्न्ता हो रही है।

1. वित्तीय परिणामः

(करोड़ रुपए में)

	2022-23	2021-22
बिक्री कारोबार	1169.48	798.56
कर–पश्चात लाभ	5.21	-1.57
विनियोजनः		
· प्रस्तावित लाभांश*	–	–
· लाभांश पर कॉर्पोरेट कर	–	–
· विकासात्मक गतिविधियों के लिए आरक्षित	–	–
· सेवानिवृत्ति–पश्चात चिकित्सा निधि संग्रह (कॉर्पस) में अंतरण	0.50	-
· कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार अनुपयोगी परिसंपत्ति पर मूल्यह्रास	–	–
निःशुल्क आरक्षित और अधिशेष*	61.93	57.21
कुल आरक्षित	62.63	57.76

**निगम ने वित्त वर्ष 2022–23 के लिए 5.21 करोड़ रुपये का लाभ हुआ। कंपनी के निदेशक मंडल ने समीक्षाधीन वर्ष के लिए पोस्ट–रिटायरमेंट मेडिकल कॉर्पस में 50 लाख रुपये स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा, निदेशक मंडल द्वारा 156.45 लाख रुपये के लाभांश की सिफारिश की गई है*

1. कंपनी का कार्यनिष्पादन और भावी परिदृश्यः

समीक्षाधीन वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय निष्पादन और प्रचालन संबंधी एक विस्तृत विश्लेषण एवं अंतर्दृष्टि और भावी परिदृश्य प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण में दिया गया है, जो वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है।

2. निगम के कार्यनिष्पादन की समीक्षा तथा कार्य स्थितिः

वित्तीय वर्ष 2022–23, स्थिर व्यापार परिस्थिति के साथ कोविड–19 व्यवधानों के बाद पहला वर्ष था। इस वित्तीय वर्ष में अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण पुनरुद्धार देखा गया जिससे निगम वर्ष के दौरान बिना किसी प्रतिबंध के काम कर सका। निगम ने वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान 1169.48 करोड़ रुपये का कारोबार दर्ज किया, जबकि वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान 798.56 करोड़ रुपये की तुलना में 46% की वृद्धि दर्ज की गई। वित्त वर्ष 2022–23 के लिए असाधारण वस्तुओं और कर से पहले 6.51 करोड़ रुपये का लाभ दर्ज किया गया है, जबकि वित्त वर्ष 2021–22 में 2.64 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था। निगम द्वारा वित्त वर्ष 2021–22 में 1.57 करोड़ रुपये के घाटे की तुलना में वित्त वर्ष 2022–23 में 5.21 करोड़ रुपये का कर पश्चात शुद्ध लाभ (पीएटी) अर्जित किया। निगम की निवल संपत्ति 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार 76.76 करोड़ रुपये से बढ़कर 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार 81.63 करोड़ रुपये हो गई है।

DIRECTORS' REPORT

To,
The Members,

Your Directors have pleasure in presenting the 40th (Fortieth) Annual Report on the working of the Corporation together with the audited accounts for the financial year 2022-23.

1. FINANCIAL RESULTS:

(Rs. in Crore)

	2022-23	2021-22
Sales Turnover	1169.48	798.56
Profit after tax	5.21	-1.57
Appropriations:		
· Dividend*	–	–
· Corporate tax on dividend	–	–
· Reserve for Developmental Activities	–	–
· Transfer to Post-Retirement Medical Corpus	0.50	-
· Depreciation on asset not having remaining useful life as per provisions of Companies Act, 2013	–	–
Free reserve & surplus*	61.93	57.21
Total reserve	62.63	57.76

**Corporation has earned a profit of Rs. 5.21 Crore for the FY 2022-23. The Board of Directors of your company, have decided to transfer Rs. 50 Lakh to Post-Retirement Medical Corpus for the year under review. Further, dividend of Rs. 156.45 Lakh has been recommended by the Board of Directors.*

1. COMPANY PERFORMANCE AND FUTURE OUTLOOK:

A detailed analysis and insight into the financial performance and operations of your Company for the year under review and future outlook, is appearing in Management Discussion and Analysis, which forms part of the Annual Report.

2. PERFORMANCE REVIEW AND STATE OF AFFAIRS OF THE CORPORATION:

Financial Year 2022-23 was the first year post COVID-19 disruptions with a stable business environment. This financial year witnessed a significant revival of the economy enabling the Corporation to operate without any restrictions during the year. Corporation recorded a turnover of Rs. 1169.48 crore during the F.Y. 2022-23 as compared to Rs 798.56 crore during FY 2021-22 registering an increase of 46%. A profit before extraordinary items and tax amounting to Rs. 6.51 Crore has been recorded for the F.Y. 2022-23 as compared to a loss of Rs. 2.64 crore in the FY 2021-22. Corporation earned a net profit after tax (PAT) of Rs. 5.21 crore in the FY 2022-23 in comparison to a loss of Rs. 1.57 crore in the FY 2021-22. The net worth of the corporation has increased from Rs. 76.76 crore as on 31st March, 2022 to Rs. 81.63 crore as on 31st March, 2023.

निगम वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान ऋण मुक्त रहा और अपनी संपूर्ण कार्यशील पूंजी की आवश्यकता का अपने आंतरिक संसाधनों से प्रबंधन किया।

भारत सरकार, हमारे निगम के माध्यम से दिनांक 25 अक्तूबर, 2021 से 'कच्चा माल आपूर्ति योजना'(आरएमएसएस) का कार्यान्वयन कर रही है, जिससे उचित मूल्य पर यार्न की निर्बाध और आसान उपलब्धता की सुविधा उपलब्ध हो सके ताकि बुनाई समुदाय की आर्थिक व्यवहार्यता को बनाए रखा जा सके। कॉटन हैंक यार्न, हथकरघा क्षेत्र में प्रमुख रूप से खपत होने वाली किस्म है। यार्न की अन्य किस्मों का उपयोग हथकरघा बुनकरों द्वारा बाजार की प्रतिक्रिया के माध्यम से प्राप्त मांग और वरीयताओं के आधार पर भी किया गया है।

आसान और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, हथकरघा एजेंसियों के माध्यम से डिपो भी स्थापित किए गए हैं। 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार, परिचालन डिपो की संख्या 511 है। (31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार 511)।

हथकरघा क्षेत्र की लागत की कमी को दूर करने के लिए भारत सरकार ने दिनांक 25 अक्टूबर, 2021 से आरएमएसएस के तहत हथकरघा क्षेत्र में संवितरित किए जाने वाले कॉटन हैंक, घरेलू रेशम, ऊनी, लिनन तथा प्राकृतिक फाइबरों के मिश्रित यार्न पर 15% मूल्य सब्सिडी की अनुमति दी है। यह सब्सिडी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से प्रतिपूर्ति आधार पर उपलब्ध होगी। निगम, योजना के 15% मूल्य सब्सिडी घटक के तहत हथकरघा बुनकरों को यार्न की आपूर्ति कर रहा है।

वर्ष 2022–23 के दौरान यार्न की आपूर्ति 1103.75 करोड़ रुपए मूल्य के साथ 307.60 लाख किलोग्राम थी जिसमें 1090.65 करोड़ रूपए मूल्य के साथ 304.72 किलोग्राम आपूर्ति की तुलना में यार्न आपूर्ति योजना/कच्चा माल आपूर्ति योजना के तहत 740.44 करोड़ रुपए मूल्य के साथ 245.11 लाख किलोग्राम यार्न शामिल है इसमें पिछले वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान 731.47 करोड़ रुपए मूल्य के साथ 235.81 लाख किलोग्राम यार्न शामिल है। कच्चे माल की आपूर्ति योजना के 15% मूल्य सब्सिडी घटक के तहत यार्न की आपूर्ति (उपर्युक्त उल्लिखित यार्न की आपूर्ति में शामिल) पिछले वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान 479.76 करोड़ रुपये मूल्य के साथ 98.60 लाख किलोग्राम की तुलना में वर्ष 2022–23 के दौरान 766.98 करोड़ रुपये मूल्य के साथ 125.41 लाख किलोग्राम थी।

निगम, हथकरघा बुनकरों के लाभ के लिए गुणवत्ता वाले रंगों की व्यवस्था कर रहा है और पिछले वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान यह 58.12 करोड़ रुपए मूल्य के साथ 38.50 लाख किलोग्राम की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान यह आपूर्ति 65.73 करोड़ रुपए मूल्य के साथ 41.91 लाख किलोग्राम थी।

निगम, प्रतिस्पर्धी/निम्नतम दरों पर हथकरघा बुनकरों को यार्न मुहैया कराने के उद्देश्य से थोक (बल्क) मात्रा में छूट प्राप्त करने के लिए थोक मात्रा में खरीद हेतु आपूर्तिकर्ताओं के साथ यार्न दरों पर मोल–भाव कर रहा है। बुनकर एजेंसियों की सुविधा के लिए दरों को मासिक आधार पर निगम की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाता है, जिससे बेहतर पारदर्शिता आती है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार देनदारों से बकाया के प्रतिशत के रूप में (31 मार्च, 2022 तक बकाया में से) देनदारों से 19.76% (पिछले वर्ष – 12.34%) वसूल किया गया।

लखनऊ मामले की अद्यतन स्थिति

वित्त वर्ष 2018–19 में यह रिपोर्ट दी गई है कि वित्त वर्ष 2018–19 में वाईएसएस से संबंधित 190.82 करोड़ रुपए की खरीद/बिक्री चालान की राशि लखनऊ कार्यालय में रद्द कर दी गई थी और निगम ने इस मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई)/मुख्य सतर्कता आयोग (सीवीसी) को भेज दिया था। इस संबंध में, सीबीआई ने एक विज्ञप्ति जारी की, जिसमें लिखा था, ''प्रथम दृष्टया, यह प्रतीत होता है कि आपूर्तिकर्ता मिलों द्वारा रद्द की गई बिक्री पर जीएसटी के भुगतान को छोड़कर, प्रश्नांकित बिक्री को रद्द करने के कारण एनएचडीसी को कोई वित्तीय नुकसान नहीं हुआ है। उपरोक्त के मद्देनजर, संबंधित अधिकारियों की दोषीता का पता लगाने के लिए मामले में पूरी तरह से सतर्कता जांच करने की सलाह दी जाती है, साथ ही यदि सरकारी खजाने को किसी गैर–कानूनी नुकसान की मात्रा का पता लगाने के लिए आवश्यक हो, तो फोरेंसिक ऑडिट कराने और तदनुसार, मामले का निपटान करने की सलाह दी जाती है।'' तथापि, अधिकारियों की दोषीता का पता लगने और घाटा साबित होने पर एनएचडीसी मामले को वापिस सीबीआई को भेज सकता है।

The corporation remains debt free during the FY 2022-23 and managed its entire working capital requirements from its internal resources.

The Government of India is implementing the 'Raw Material Supply Scheme (RMSS) w.e.f.25th October, 2021, through our corporation, facilitating the uninterrupted and easy availability of yarn at reasonable prices so as to maintain the economic viability of the weaving community. Cotton hank yarn is the major consumed variety in the handloom sector. Other varieties of yarn have also been provided based on the demand and preferences received through market feedback by the handloom weavers.

Depots are also set up through handloom agencies for ensuring easy and uninterrupted supplies. Uptill 31st March, 2023, the number of operational depots is 511 nos. (511 nos. as on 31st March, 2022).

To mitigate the cost disadvantage of Handloom sector, the Government of India has allowed 15% price subsidy on Cotton hank, domestic Silk, Woolen, Linen, Blended yarn of natural fibres to be distributed in the handloom sector under RMSS w.e.f. 25th Oct, 2021. The subsidy shall be available on reimbursement basis through Direct Benefit Transfer (DBT) mode. Corporation is supplying the yarn to the handloom weavers under the 15% Price Subsidy component of the scheme.

The yarn supplies during the year 2022-23 were 307.60 Lakh kg. valuing Rs. 1103.75 Crore which include 304.72 Lakh kg. valuing Rs. 1090.65 Crore under Yarn Supply Scheme/Raw Material Supply Scheme as compared to supplies of 245.11 Lakh kg. valuing Rs. 740.44 Crore which include 235.81 Lakh kg. valuing Rs. 731.47 Crore during the last financial year 2021-22. The yarn supplies under the 15% Price Subsidy Component of Raw Material Supply Scheme (included in the yarn supplies mentioned above) during the year 2022-23 were 125.41 Lakh kg. valuing Rs. 766.98 Crore Lakh as compared to 98.60 Lakh kg. valuing Rs. 479.76 Crore during the last financial year 2021-22.

Corporation is arranging quality dyes for the benefit of handloom weavers and the supplies during the financial year 2022-23 were 41.91 Lakh kg. valuing Rs. 65.73 Crore as compared to supplies of 38.50 Lakh kg. valuing Rs. 58.12 Crore during the last financial year 2021-22.

Corporation is negotiating the yarn rates with the suppliers for purchase of bulk quantities to obtain bulk quantity discounts with a view to provide the yarn to Handloom weavers at competitive/ lowest rates. Rates are placed on corporation's website as well, on monthly basis for access by the weaver agencies, resulting in better transparency.

The debtors recovered (out of outstanding as on 31st March, 2022) during the FY 2022-23 as % age of debtors outstanding as on 31st March, 2022 is 19.46% (Previous year – 12.34%).

Update on Lucknow matter

It had been reported in FY 2018-19, that purchase/sales invoices amounting to Rs.190.82 Crore pertaining to YSS were cancelled in Lucknow Office in FY 2018-19 and the Corporation had referred the matter to Central Bureau of Investigation (CBI) / Chief Vigilance Commission (CVC). In this regard, CBI issued a communication as per which, "*prima facie, it appears that there is no financial loss to NHDC incurred on account of cancellation of the questioned sale, except the payment of GST on the cancelled sale done by the supplier mills. In view of the above, it is advised to conduct a thorough vigilance probe in the matter to ascertain the culpability of the concerned officials as well as to conduct the forensic audit, if required in order to ascertain the quantum of unlawful loss caused, if any to the Government Exchequer and dispose of the matter accordingly. However, NHDC may revert back to CBI once culpability of officials is ascertained and the loss is established."*

सीबीआई विज्ञप्ति के अनुसार, प्रबंधन और सीवीओ द्वारा फोरेंसिक ऑडिट और सतर्कता जांच की गई थी। मामले पर फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट और सतर्कता जांच रिपोर्ट क्रमशः फोरेंसिक ऑडिटर और सीवीओ टीम द्वारा निदेशक मंडल के समक्ष 05.10.2021 को प्रस्तुत की गई थी। निदेशक मंडल के निर्देशानुसार तथा उपर्युक्त सीबीआई के पत्र के अनुसार इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई के लिए सीबीआई को फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट और सतर्कता जांच रिपोर्ट प्रदान की गई है।

सीबीआई ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17ए के तहत पूर्व अनुमति मांगी है और संबंधित अधिकारियों से फिर से पूछताछ/जांच के लिए नई शिकायत की मांग की है, इस पर निगम ने सीबीआई को एक नई शिकायत के साथ अनुमति देते हुए जवाब दिया है। इस संबंध में, बोर्ड के निदेशक के अनुसार, समितियों/उपयोगकर्ता एजेंसियों और आपूर्तिकर्ताओं से बकाया राशि का पता लगाने के लिए, 1 अप्रैल 2017 से लेन–देन ऑडिट शुरू किया गया है। लेन–देन ऑडिट प्रक्रियाधीन है। लगभग 7000 प्रविष्टियों की जांच/सत्यापन की आवश्यकता है इसलिए लेनदेन ऑडिट पूरा करने में समय लगेगा। पूरा होने पर, रिपोर्ट को आगामी आवश्यक निर्देशों के लिए बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा।

विकासात्मक कार्यकलाप और विपणन सहायताः

निगम ने विशेष प्रदर्शनियों के आयोजन के माध्यम से हथकरघा बुनकरों को विपणन सहायता प्रदान की है, जिसमें वे अपने उत्पादों को सीधे उपभोक्ताओं को बेहतर कीमत पर बेच सकते हैं। इस संबंध में 21 'सिल्कफैब' प्रदर्शनियाँ (पिछले वर्ष – 03) आयोजित की गईं। 15 एक्सक्लूसिव हैंडलूम एक्सपो/विविध एक्सपो (पिछले वर्ष – 04)।

वर्ष के दौरान प्रदर्शनियों में कुल बिक्री 17.46 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष – 4.41 करोड़ रुपये) रही थी।

3. कम्प्यूटरीकरणः

डिजिटल इंडिया अभियान समावेश के तहत, निगम ने विभिन्न डिजिटल पहल शुरू की है जैसे कि ऑनलाइन ईआरपी, ई–धागा मोबाइल ऐप, सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार बुनकरों के लिए ऑनलाइन प्रत्यक्ष लाभ अंतरण आदि का कार्यान्वयन। डिजिटल प्रौद्योगिकियों के उपयोग के जरिए, जिसमें क्लाउड कंप्यूटिंग, वर्चूअल (आभासी) बैठकें, आभासी प्रदर्शनियां और मोबाइल एप्लिकेशन शामिल हैं, बुनकर समुदाय को एनएचडीसी तक आसान पहुंच उपलब्ध हो गई है। डिजिटलीकरण का उद्देश्य उपयोगकर्ताओं द्वारा अपेक्षित किसी भी सेवा/सूचना के लिए समय को कम करना है।

इसके अलावा, एनएचडीसी उन्नत ऑनलाइन इन्फ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से और संपूर्ण एनएचडीसी कार्यालयों में इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ाकर आईटी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रहा है।

4. निगम से संबंधित शासन प्रणालीः

निगम, अपने संचालन के सभी पहलुओं में नैतिक व्यावसायिक आचरण, पारदर्शिता, जवाबदेही और इक्विटी में दृढ़ता से विश्वास करता है और उसे सबसे अधिक महत्व देता है, जिससे इसके हितधारकों के लिए धन सृजन में वृद्धि होती है। निगम द्वारा पालन की जा रही 'निगम शासन प्रणाली' (कॉरपोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेज) संबंधी रिपोर्ट और 'प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट' (मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस रिपोर्ट) क्रमशः अनुबंध क और ख के रूप में संलग्न हैं।

वर्ष 2022–23 के लिए लोक उद्यम सर्वेक्षण के आंकड़े 29 नवम्बर, 2022 (अंतिम आंकड़े) को सार्वजनिक उद्यम विभाग को प्रस्तुत किए गए थे और वर्ष 2021–22 के लिए निगम की वार्षिक रिपोर्ट वार्षिक सामान्य बैठक में शेयरधारकों द्वारा अपनाए जाने के तुरंत बाद निगम की वेबसाइट www.nhdc.org.in पर रखी गई। इसके अलावा, वर्ष 2022–23 के दौरान सभी तिमाहियों के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट लोक उद्यम विभाग को प्रस्तुत की गई है।

वर्ष 2022–23 के लिए लोक उद्यम विभाग को प्रस्तुत की गई कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट में वार्षिक स्कोर (त्रैमासिक रिपोर्टों के औसत के आधार पर) 91.61% यानी **'उत्कृष्ट'** रहा है।

As per CBI communication, the Forensic Audit and Vigilance probe were conducted by the management and the CVO. The Forensic Audit Report and the Vigilance Probe report on the matter was presented by the Forensic Auditor and the CVO team respectively, before the Board of Directors on 05.10.2021. As per the directions of the Board of Directors and the above-mentioned CBI letter, the Forensic Audit Report and the Vigilance Probe Report has been provided to CBI for further necessary action in this regard.

CBI has sought prior permission u/s 17A of the Prevention of Corruption Act, 1988 & fresh complaint for further enquiry / investigation again the concerned officials, Corporation has replied giving permission along with a fresh complaint to CBI. As per the director of the Board, to ascertain amount outstanding from the societies/user agencies and the suppliers, transaction audit from 1st April 2017 onwards has been initiated. Transaction audit is under process. There being approximately 7000 entries need to be checked/ verified hence it will take time to complete the transactions audit. Upon completion, report shall be placed before the Board for further necessary instruction.

DEVELOPMENTAL ACTIVITIES AND MARKETING SUPPORT:

Corporation has provided marketing support to the handloom weavers through organization of exclusive exhibitions, wherein, they can sell their products directly to the consumers at better price. In this regard 21 nos. 'SILKFAB' exhibitions (Previous year - 03 nos.) were organized. 15 nos. 'Exclusive Handloom Expo/ Misc. Expos (Previous year – 04 nos.) . The total sale in the Exhibitions during the year was Rs. 17.46 Crore (Previous year - Rs. 4.41 Crore).

3. COMPUTERISATION:

Under the umbrella of Digital India Campaign, the Corporation has taken various digital initiatives viz. implementation of online ERP, eDhaga Mobile App, Online Direct Benefit Transfer for weavers as per Government guidelines. Using digital technologies, which includes Cloud computing, Virtual meetings, Virtual exhibitions and Mobile applications, NHDC is easily reachable to weaver community. The objective of digitization is to minimize time for any services/information required by users.

Further, NHDC is continuously working to improve IT services through improved online infrastructure and by increasing internet connectivity throughout NHDC offices

4. CORPORATE GOVERNANCE:

Your corporation firmly believes and accords highest importance to ethical business conduct, transparency, accountability and equity in all facets of its operations, which leads to creation of wealth for its stakeholders. Report on 'Corporate Governance Practices' being followed by the corporation and 'Management Discussion and Analysis Report' are annexed herewith as **Annexure A & B** respectively.

The Public Enterprises Survey data for the year 2022-23 was submitted to the department of Public Enterprises on 29th November, 2022 (provisional figures) and the Annual Report of the corporation for the year 2021-22 was placed on the website of the corporation www.nhdc.org.in immediately upon adoption by shareholders in Annual General Meeting. Further, the quarterly progress reports on Corporate Governance for all the quarters during the year 2022-23 have been submitted to Department of Public Enterprises.

The annual score (Based on the average of quarterly reports) in the annual evaluation report on Corporate Governance submitted to the Department of Public Enterprises for the year 2022-23 comes to 91.61% i.e. **'Excellent'.**

5. व्यक्तिगत विकास और औद्योगिक संबंधः

मानव संसाधन योजना (एचआरपी) किसी संगठन की सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति–गुणवत्ता वाले कर्मचारियों का सर्वोत्तम उपयोग प्राप्त करने के लिए व्यवस्थित योजना की निरंतर प्रक्रिया है। मानव संसाधन योजना जनशक्ति (मैनपावर) की कमी या अधिशेष (सरप्लस) से बचते हुए कर्मचारियों और नौकरियों के बीच सबसे अच्छा फिट सुनिश्चित करता है। एनएचडीसी मानव संसाधन के विकास पर बहुत जोर दे रहा है और इस संदर्भ में, यह अग्रणी संस्थानों के सहयोग से विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों/कार्यशालाओं के माध्यम से कौशल के उन्नयन हेतु समर्थन प्रदान कर रहा है।

31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार, निगम के कार्मिकों की कुल संख्या 116 (पिछले वर्ष 126) है, जिसमें 11 (9.48%) अनुसूचित जाति (एससी) श्रेणी के कार्मिक, 06 (5.17%) अनुसूचित जनजाति (एसटी) से संबंधित कार्मिक, 19 (16.38%) अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी से संबंधित और 03 (2.59%) दिव्यांग (पीडब्ल्यूडी) श्रेणी से संबंधित कार्मिक शामिल हैं।

प्रति कार्मिक कारोबार 10.08 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 6.34 करोड़ रुपए) है और प्रति कार्मिक कर–पश्चात लाभ/(हानि) (पीएटी) 4.49 लाख रुपए (पिछले वर्ष –1.24 लाख रुपए) है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण रहे हैं।

6. हिंदी का प्रायोगिक उपयोगः

निगम अपने दिन–प्रतिदिन के कामकाज में हिंदी के प्रगतिशील उपयोग के लिए प्रतिबद्ध है। कार्मिकों के बीच हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए नियमित हिंदी कार्यशालाओं के साथ–साथ हिंदी दिवस और हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया गया।

7. निदेशक एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकः

निदेशक

वित्तीय वर्ष के दौरान 2022–23, निगम के पास निदेशक मंडल का सर्वोत्तम संयोजन था। निदेशक मंडल की बेहतर संरचना की गई है। निगम के निदेशक मंडल में 05 सदस्य शामिल हैं, जिनमें से दो भारत सरकार के नामिती (अध्यक्ष सहित), 01 एक प्रबंध निदेशक और 02 गैर सरकारी स्वतंत्र निदेशक हैं। हालाँकि, वर्ष के दौरान, स्वतंत्र निदेशक श्री अनिल सूद का कार्यकाल पूरा हो गया, जबकि श्रीमती योगिता सिंह, स्वतंत्र निदेशक द्वारा कुछ अन्य व्यस्तताओं के कारण निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया गया। बोर्ड के निदेशकों को संस्था के अंतर्नियम के अनुच्छेद 94 के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। निगम द्वारा प्रशासनिक मंत्रालय को बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की आवश्यकता के बारे में सूचित कर दिया गया है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित के लिए अनुमोदन दिया गयाः–

- सुश्री शुभ्रा, विकास आयुक्त (हथकरघा)–अतिरिक्त प्रभार, 07 दिसंबर, 2022 से एनएचडीसी के अध्यक्ष श्री संजय रस्तोगी के स्थान पर निगम के पदेन अध्यक्ष का कार्यभार संभाला। उन्होंने 28.04.2023 तक अध्यक्ष–एनएचडीसी के रूप में कार्य किया।
- एनएचडीसी लिमिटेड के बोर्ड में सरकारी निदेशक श्री रवीन्द्रनाथ मोहंती सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर 30 अप्रैल, 2023 से सरकारी सेवाओं से सेवानिवृत्त हो गए। परिणामस्वरूप, उन्होंने एनएचडीसी के बोर्ड में सरकारी निदेशक का पद रिक्त कर दिया है।
- सुश्री अमृत राज, विकास आयुक्त (हथकरघा)–अतिरिक्त प्रभार ने विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या 10(4)/93–डीसीएच/एनएचडीसी दिनांक 05.06.2023 के अनुसार दिनांक

5. PERSONNEL DEVELOPMENT & INDUSTRIAL RELATIONS:

Human resource planning (HRP) is the continuous process of systematic planning to achieve optimum use of an organization's most valuable asset—quality employees. Human resources planning ensures the best fit between employees and jobs while avoiding manpower shortages or surpluses. NHDC has been laying a lot of emphasis on development of Human Resource and in this context, it has been extending support for up-gradation of the skill through various training programmes/workshops in collaboration with leading Institutes.

Total number of employees of the Corporation as on 31st March, 2023 stands at 116 (Previous year 126) which include 11 (9.48%) employees belonging to Scheduled Castes (SC) category, 06 (5.17%) employees belonging to Scheduled Tribes (ST) category, 19 (16.38%) employees belonging to Other Backward Classes (OBC) category and 03 (2.59) employees belonging to Persons with Disabilities (PWD) category.

The turnover per employees is Rs.10.08 Crore (Previous year 6.34 crore) and the Profit/(Loss) after Tax (PAT) per employee is Rs. 4.49 Lakhs (previous year -1.24 Lakhs).

The Industrial relations have been observed cordial and peaceful during the year under review.

6. PROGRESSIVE USE OF HINDI:

Corporation is committed to the progressive use of Hindi in its day to day working. Hindi Diwas & Hindi Pakhwada along with regular Hindi Karyashala was organized to promote the use of Hindi amongst the employees.

7. DIRECTORS & KEY MANAGERIAL PERSONNEL:

Directors

During the F.Y. 2022-23, Corporation had an optimum combination of Board of Directors. Board of Directors of the Corporation consisted of 5 members, of whom, two are the nominee of the government of India (including Chairman), one is the Managing Director and 02 numbers of Non-Official Independent Directors. However, during the year, tenure of Sh. Anil Sood, Independent Director was completed while Smt. Yogita Singh, Independent Director, resigned from the directorship due to some other occupancies. The Directors on the Board are appointed by the Government of India in terms of Article 94 of the Articles of Association of the corporation. Corporation has communicated the requirement of Independent Directors on the Board to the administrative ministry.

During the year under review, Government of India, Ministry of Textiles accorded its approval to the following:

- Ms. Shubhra, Development Commissioner (Handloom)-Additional Charge the Charge of Ex-Officio Chairperson of the Corporation w.e.f. 07th December, 2022 in place of Sh. Sanjay Rastogi, Chairman-NHDC. She served as Chairperson-NHDC till 28.04.2023.

- Shri Rabindranath Mohanty, Government Director on the Board of NHDC Ltd. has retired from the government services w.e.f. 30th April, 2023 on attaining the age of superannuation. Consequently he has vacated the office of Government Director on the Board of NHDC.

- Ms. Amrit Raj, Development Commissioner (Handloom)-Additional Charge has assumed the Charge of Chairperson of the Corporation w.e.f. 28.04.2023 pursuant to an order of the Office of DC

28.04.2023 से निगम के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया।

- श्री धीरेंद्र कुमार, निदेशक–आईएफडब्ल्यू को विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या 11/26/82–डीसीएच/एनएचडीसी/वॉल्यूम–I दिनांक 16.06.2023 के अनुसार एनएचडीसी के बोर्ड में सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

निगम के गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक ने पुष्टि की कि वे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स द्वारा बनाए गए स्वतंत्र निदेशकों के डेटा बैंक में उनके पंजीकरण के संबंध में कंपनी (निदेशक की नियुक्ति और योग्यता) नियमावली, 2014 के नियम 6(1) और 6(2) के अनुपालन की घोषणा के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं। स्वतंत्र निदेशक ने यह भी पुष्टि की कि वे कंपनी की 'आचार संहिता' का पालन करते हैं।

उपरोक्त निदेशकों की अन्य कंपनियों में उनकी कंपनी में हिस्सेदारी के साथ धारित निदेशक पद का ब्यौरा संक्षिप्त विवरण, विशेषज्ञता की प्रकृति, जैसा कि सचिवीय मानक–2 के तहत निर्धारित किया गया है, वार्षिक रिपोर्ट के कॉर्पोरेट प्रशासन खंड की रिपोर्ट में दिया गया है।

निगम के बोर्ड ने वर्ष 2022–23 (22 जून, 2022, 29 जून, 2022, 07 अक्तूबर, 2022, 12 दिसम्बर, 2022, और 16 मार्च, 2023) के दौरान 05 बार बैठक की और डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार अपेक्षित सभी जानकारी बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की।

8. लेखा परीक्षा समितिः

कंपनी अधिनियम 2013 और डीपीई दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार निगम के बोर्ड की एक कार्यात्मक लेखा परीक्षा समिति है। समिति की संरचना, संदर्भ शर्तें, वर्ष के दौरान बैठकों के विवरण वार्षिक रिपोर्ट के कॉर्पोरेट प्रशासन खंड की रिपोर्ट में उपलब्ध कराए जाते हैं।

9. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उसकी उपयोगिताः

निगम के पास आंतरिक नियंत्रण की एक व्यवस्था है, जो लगातार विकसित हो रही है। आंतरिक नियंत्रण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए, व्यापक आंतरिक लेखा परीक्षा मैनुअल के अलावा, समय–समय पर आवश्यकता के आधार पर आंतरिक लेखा परीक्षकों को नए चेक पॉइंट की भी सलाह दी जाती है। बोर्ड की मंजूरी के अनुसार, वित्त वर्ष 2022–23 के लिए, निगम की आंतरिक लेखा परीक्षा बाहरी स्वतंत्र चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा की गई थी। आंतरिक नियंत्रण और लेखा परीक्षा व्यवस्था की लेखा परीक्षा समिति द्वारा सावधिक समीक्षा की जाती है और निरंतर सुधार के लिए, जहां भी आवश्यक हो, सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं।

10. सतर्कताः

वित्त वर्ष 2022–2023 के दौरान एनएचडीसी के सतर्कता विभाग का नेतृत्व प्रबंध निदेशक, एनएचडीसी द्वारा किया जाता है। सतर्कता विभाग केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों का पालन करता है। निगम निवारक सतर्कता अपना रहा है।

अपने दैनिक कार्यों में सुरक्षित व्यवसाय प्रथाओं के बारे में शिक्षित करने के लिए हर साल सतर्कता सप्ताह मनाया जाता है। वर्ष के दौरान, 31 अक्टूबर, 2022 से 06 नवंबर, 2022 तक "भ्रष्टाचार मुक्त भारत–विकसित भारत" विषय के साथ 'सतर्कता जागरूकता सप्ताह' मनाया गया था। निगम के सतर्कता अधिकारी के संचालन में कार्मिकों द्वारा शपथ के साथ सप्ताह की शुरूआत की गई थी। सप्ताह के दौरान, सतर्कता से संबंधित विषयों पर निबंध लेखन प्रतियोगिता और स्लोगन प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न कर्मचारियों ने भाग लिया। सतर्कता जागरूकता सप्ताह–2022 के दौरान, दो कार्यशाला/संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किए गए और दोनों कार्यशालाएं मुख्यालय, ग्रेटर नोएडा में भौतिक रूप में आयोजित की गईं और पूरे एनएचडीसी कार्यालय में वीसी लिंक के माध्यम से प्रसारित की गईं।

(Handlooms), Ministry of Textiles, Govt. of India bearing no. 10(4)/93-DCH/NHDC dated 05.06.2023.

- Shri Dhirendra Kumar, Director-IFW, has been appointed as Government Director on the Board of NHDC pursuant to an order of the Office of DC (Handlooms), Ministry of Textiles, Govt. of India bearing no. 11/26/82-DCH/NHDC/Vol.I dated 16.06.2023

The Non-Official Independent Directors of the Corporation confirmed that they meet the criteria of independence as prescribed under the Companies Act, 2013 along with declaration of compliance of Rules 6(1) and 6(2) of the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014 with respect to his registration on the data bank of Independent Directors maintained by Indian Institute of Corporate Affairs. The Independent Director has also confirmed that they have complied with the 'Code of Conduct' of the Company.

Brief resume, nature of expertise, details of directorship held in other companies of the above Directors along with their shareholding in the Company as stipulated under Secretarial Standard-2 is provided in the Report on Corporate Governance section of the Annual Report.

The Board of the corporation met 05 times during the year 2022-23 (22nd June, 2022, 29th June, 2022, 7th Oct, 2022, 12th Dec, 2022 and 16th Mar, 2023) and all the information required in accordance with DPE guidelines was placed before the Board.

8. AUDIT COMMITTEE:

The Corporation has a functional Audit Committee of the Board in accordance with the provisions of the Companies Act 2013 and DPE guidelines. Details regarding the composition of the Committee, terms of reference, meetings during the year are provided in the Report of Corporate Governance section of the Annual Report.

9. INTERNAL CONTROL SYSTEM AND THEIR ADEQUACY:

The corporation has a system of internal control, which is continuously evolving to. In order to make the internal control more effective, besides comprehensive Internal Audit Manual, the new check points are also advised to the internal auditors from time to time on need basis. As per the approval of the Board, for FY 2022-23, the Internal Audit of the corporation was conducted by outside independent Chartered Accountants. The internal control and audit systems are being reviewed periodically by the Audit Committee and corrective measures are taken, wherever necessary, for continuous improvement.

10. VIGILANCE:

The Vigilance Department of the NHDC is headed by MD, NHDC during F.Y.2022 to 2023. The Vigilance Department follows the guidelines issued by the Central Vigilance Commission from time to time. Corporation is adopting preventive vigilance.

Vigilance week is observed every year to educate the employees about safe business practices in their day to day working. During the year, 'Vigilance Awareness Week' with the theme "Corruption free India for a developed Nation" (भ्रष्टाचार मुक्त भारत-विकसित भारत)" was observed from 31st October to 6th November 2022. The week was started with taking the pledge (vigilance), by the employees, administered by the Vigilance Officer of the Corporation. During the week, essay writing competition and slogan competition on topics relating the vigilance were conducted, wherein, various employees participated. During Vigilance Awareness Week-2022, Two workshop/Sensitization program conducted and both Workshop organized at Head Office Greater Noida physical mode and broad casted through VC link to entire NHDC Office.

1. दिनांक 31.10.2022 को निवारक सतर्कता और थीम ''भ्रष्टाचार मुक्त भारत–विकसित भारत'' विषय पर अतिथि श्री मुकेश चतुर्वेदी (सेवानिवृत्त निदेशक – कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) द्वारा कार्यशाला।

2. श्री मुदित आनंद (टीई, केंद्रीय सर्तकता आयोग, नई दिल्ली) द्वारा दिनांक 04.11.2022 को 'सार्वजनिक खरीद में निवारक सतर्कता, जीईएम के माध्यम से खरीद एवं परम्परागत खरीद प्रक्रिया की तुलना में इसकी सीमाएं' संबंधी विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया था। निगम के पंजीकृत कार्यालय तथा निगम के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में सतर्कता सप्ताह मनाया गया था।

   वस्त्र मंत्रालय, सतर्कता के पत्र संख्या सी–13011/34/2017–विज., दिनांक 10.02.2022 के माध्यम से, देवब्रत मामले पर एक निर्णायक रिपोर्ट मांगी गई थी और पत्र संख्या एनएचडीसी/विज./एफएन 28/22/1009 दिनांक 17.11.2022 के माध्यम से सीवीओ – वस्त्र मंत्रालय को जवाब प्रस्तुत किया गया था।

क्षेत्रीय कार्यालय गुवाहाटी के लिए दिनांक 20.07.2022 से 22.07.2022 के दौरान निवारक सतर्कता गतिविधि पूरी की गई।

11. सांविधिक लेखा परीक्षक एवं सी एंड एजी टिप्पणियों के जवाबः

सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट में रखी जाती है। वैधानिक लेखा परीक्षक रिपोर्ट की टिप्पणियों का उत्तर इस रिपोर्ट के अनुबंध ग के रूप में रखा गया है। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2022–23 के लिए, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) से प्राप्त टिप्पणियों की प्रति संलग्न है।

12. सचिवीय लेखा परीक्षक की टिप्पण्यिों के जवाबः

कंपनी, अधिनियम, 2013 की धारा 201(1) के तहत सचिवीय लेखा परीक्षक की रिपोर्ट को वार्षिक रिपोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा। सचिवीय लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की टिप्पणियों के जवाब को इस रिपोर्ट के अनुबंध घ के रूप में रखा जाएगा।

13. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशः

निगम, कोई विनिर्माण गतिविधि नहीं कर रहा है। तदनुसार, प्रौद्योगिकी समावेश से संबंधित मामला निगम पर लागू नहीं होता है।

14. विदेशी मुद्रा आय और खर्चः

निगम, विदेशी मुद्रा में कार्य नहीं करता है, क्योंकि यह कोई भी आयातधनिर्यात गतिविधि पर नहीं चल रहा है।

15. जोखिम प्रबंधन नीतिः

निगम, विदेशी मुद्रा में कार्य नहीं करता है। इसके अलावा, अधिशेष निधियां, यदि कोई हो, तो उसे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में अल्पावधि जमा में निवेश किया जाता है। इस प्रकार, कोई वित्तीय जोखिम नहीं है।

16. महिलाओं को कार्यस्थल के यौन उत्पीड़न के अंतर्गत सूचना (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013:

पिछले वित्तीय वर्ष में कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न का कोई मामला सामने नहीं आया था। कंपनी की एक आंतरिक शिकायत समिति है, जहां महिला कर्मचारी यौन उत्पीड़न के खिलाफ अपनी शिकायतें दर्ज करा सकती हैं।

1. Workshop On date: 31/10/2022 On Topic : Preventive Vigilance and on Theme " Corruption free India for a developed Nation" By guest Shri Mukesh Chaturvedi (Retired Director - Department of Personal & Training)

2. Workshop On date: 04/11/2022 On Topic : "Preventive Vigilance in Public Procurement, Procurement through GEM ,its limitations vis. A vis. Conventional practices of procurement. By guest Sh. Mudit Anand (TE ,Central Vigilance Commission, New Delhi) Vigilance week was observed at Registered Office as well as at all Regional Offices of the Corporation.

   Vide letter no.C-13011/34/2017 -Vig, dated 10.02.2022 from MoT Vigilance, a conclusive report was desired on the matter of Devbrat Case and reply was submitted to CVO-MOT vide letter No. NHDC/Vig./FN28/22/1009 dated.17.11.2022.

Preventive vigilance activity completed for regional office Guwahati during 20.07.2022 to 22.07.2022.

11. REPLY TO STATUTORY AUDITOR'S & C&AG'S COMMENTS:

The report of the Statutory Auditor's is placed in the Annual Report. The reply to the comments of the Statutory Auditor Report is placed as **Annexure C** to this Report. Further, for FY 2022-23, copy of comments received from the Comptroller and Auditor General of India (C&AG) under section 143 (6) of the Companies Act, 2013 is enclosed.

12. REPLY TO SECRETARIAL AUDITOR'S COMMENTS:

The report of the Secretarial Auditor's u/s 201(1) of the Companies Act, 2013 is placed in the Annual Report. The reply to the comments of the Secretarial Auditor's report is placed as **Annexure D** to this Report.

13. CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY ABSORPTION:

Corporation is not carrying on any manufacturing activity. Accordingly, the issue pertaining to Technology absorption does not apply to corporation.

14. FOREIGN EXCHANGE EARNING AND OUTGO:

Corporation is not dealing in foreign exchange, as it is not carrying on any import/ export activity.

15. RISK MANAGEMENT POLICY:

Corporation is not dealing in foreign exchange. Further, the surplus funds, if any, are invested in short term deposits with the bank, with schedule commercial banks. Thus, there is no financial risk.

16. INFORMATION UNDER SEXUAL HARASSMENT OF WOMEN AT WORKPLACE (PREVENTION, PROHIBITION & REDRESSAL) ACT, 2013.

No case of Sexual Harassment at work place was reported in the last financial year. The company has an Internal Complaint Committee where women employees can register their complaints against sexual harassment.

17. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

कंपनी सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुसरण में जारी सरकारी निर्देशों का पालन करती है और इस अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी को नामित किया गया है। सभी संबंधित जानकारी को कंपनी की वेबसाइट पर भी डाला जाता है।

18. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर):

एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट के रूप में, कंपनी हथकरघा बुनकरों के समुदाय पर प्रमुख ध्यान देने के साथ समुदाय के कल्याण और सतत विकास के लिए सामाजिक रूप से उपयोगी कार्यक्रम शुरू करने के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और संशोधित डीपीई दिशानिर्देशों के संदर्भ में निदेशकों की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति की व्यवस्था की है। सीएसआर समिति की संरचना और संदर्भ शर्तें कॉर्पोरेट प्रशासन संबंधी रिपोर्ट में प्रदान की जाती हैं, जो वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा होती हैं। निदेशक मंडल ने नोट किया कि वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए, निगम कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 (1) के मानदंडों के अंतर्गत नहीं आता है, जो कंपनियों के लिए एक विशेष वित्तीय वर्ष में सीएसआर गतिविधियों को करने के लिए थ्रेसहोल्ड सीमा को अनिवार्य करता है। हालाँकि, निगम ने वित्त वर्ष 2022–23 में 5.20 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया है और स्वेच्छा से सीएसआर गतिविधि शुरू करने पर विचार कर रहा है।

19. धारा 92(3) और धारा 134(3)(ए) के प्रावधानों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए वार्षिक रिटर्न वार्षिक सामान्य बैठक में अपनाए जाने के बाद निगम की वेबसाइट यानी www.nhdc.org.in पर उपलब्ध कराया जाएगा।

20. निदेशक की जिम्मेदारी संबंधी वक्तव्य:

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के मद्देनजर, निदेशकों ने कहा है कि :–

(i) वित्त वर्ष 2022–23 के वार्षिक लेखाओं को तैयार करने में, सामग्री निर्गम से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ–साथ लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया था।

(ii) ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया गया जो कि उचित और विवेकपूर्ण हैं और उन्हें सतत रूप से लागू किया है तथा उसके अनुसार निर्णय लिए गए हैं एवं अनुमान लगाए गए हैं, ताकि 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों की स्थिति और उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ और हानि के बारे में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दिया जा सकेय

(iii) कंपनी की परिसंपत्ति की सुरक्षा और धोखाधड़ी का पता लगाने तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसरण में पर्याप्त लेखा अभिलेखों के रखरखाव के लिए उचित एवं पर्याप्त देखभाल की गई है

(iv) वार्षिक खाते चालू कारोबार के आधार पर तैयार किए गए हैं और

(v) सभी लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उचित व्यवस्था तैयार की गई है और यह व्यवस्था पर्याप्त और प्रभावी ढंग से संचालित हो रही है।

21. प्रकटीकरण

निदेशकों का कहना है कि निम्नलिखित मामलों के संबंध में किसी प्रकार का खुलासा आवश्यक नहीं है, क्योंकि समीक्षाधीन वर्ष के दौरान इस संबंध में कोई लेनदेन/आयोजन नहीं हुए:

(i) जमा से संबंधित विवरण को कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय V के तहत कवर किया गया है।

(ii) डिविडेंड, वोटिंग या अन्य रूप में विशेषक अधिकारों (डिफरेन्शल राइट) के साथ इक्विटी शेयर जारी करना।

17. RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005

The Company follows Government instruction issued in pursuance of Right to Information Act, 2005, and has designated Public Information Officer and Appellate Authority under the Act. All relevant information has been hosted on the Company's website also.

18. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR):

As a responsible corporate citizen, your Company is committed to undertake socially useful programmes for welfare and sustainable development of the community with its major focus on the community of handloom weavers. The Company has in place the Corporate Social Responsibility (CSR) Committee of Directors in terms of Section 135 of the Companies Act, 2013 and revised DPE guidelines. The composition and terms of reference of the CSR Committee are provided in the Report on Corporate Governance, which forms part of the Annual Report. Board of Directors noted that for Financial Year 2022-23, the Corporation doesn't fall under the criteria of Section 135 (1) of the Companies Act, 2013, which mandates thresholds limits for Companies to do CSR activities in a particular financial year. However, Corporation has earned a net profit of Rs. 5.20 Crore in FY 2022-23 and voluntarily considering to undertake CSR activity.

19. In accordance with the provisions of Section 92(3) & Section 134(3)(a), the annual return for FY 2022-23 shall be available on the website of the Corporation i.e. www.nhdc.org.in once adopted in Annual General Meeting.

20. DIRECTOR'S RESPONSIBILITY STATEMENT:

In view of provisions of the Companies Act, 2013, your Directors state that: -

(i) in the preparation of the annual accounts of FY 2022-23, the applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures;

(ii) such accounting policies have been selected and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the company at the end of the financial year ended 31st March, 2023 and of the profit and loss of the company for that period;

(iii) proper and sufficient care has been taken for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013 for safeguarding the assets of the company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;

(iv) the annual accounts have been prepared on a going concern basis and

(v) proper systems have been devised to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

21. DISCLOSURES

Your Directors state that no disclosure is required in respect of the following matters, as there were no transactions/ events in relation thereto, during the year under review:

(i) Details relating to deposits covered under Chapter V of the Companies Act, 2013.

(ii) Issue of equity shares with differential rights as to dividend, voting or otherwise.

(iii) कंपनी की किसी भी योजना के तहत कंपनी के कार्मिकों को शेयर जारी करना (स्वेट इक्विटी शेयर सहित)।

(iv) समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी की शेयर पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

(v) समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने सामान्य आरक्षित (रिजर्व) की कोई राशि हस्तांतरित नहीं की है।

(vi) निगम ने एमओयू पर हस्ताक्षर करने के लिए आगे की आवश्यक कार्रवाई हेतु एमओयू डिजिटल डैशबोर्ड का उपयोग करने के लिए आईडी पासवर्ड जारी करने का अनुरोध किया है।

(vii) वित्तीय वर्ष 2022–23 की समाप्ति के बाद और इस रिपोर्ट की तारीख तक कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव/प्रतिबद्धता नहीं की गई है, जो कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करेगी (इस वार्षिक रिपोर्ट में यथासूचित को छोड़कर) ।

(viii) नियामक या न्यायालयों अथवा न्यायाधिकरणों द्वारा कोई महत्वपूर्ण या आवश्यक आदेश पारित नहीं किए गए जो भविष्य में ''चालू कारोबार'' और कंपनी के भावी प्रचालन को प्रभावित करते हैं।

(ix) कंपनी के पास वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्त व्यवस्था है। वर्ष के दौरान इसके प्रभावी क्रियान्वयन में विशेष सावधानी बरती जा रही है।

(x) चूंकि निगम की कोई होल्डिंग या सहायक कंपनी नहीं है, इसलिए होल्डिंग/सहायक कंपनी से प्रबंध निदेशक का पारिश्रमिक लागू नहीं है।

(xi) चूंकि निगम की कोई होल्डिंग/सहायक कंपनी नहीं है, इसलिए लेखाओं के समेकन के बारे में प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

(xii) वित्त वर्ष 2018–19 में वाईएसएस के कार्यान्वयन में अनियमितताओं को छोड़कर, लेखा परीक्षकों द्वारा उनकी रिपोर्ट में किसी प्रकार की धोखाधड़ी की रिपोर्ट नहीं की गई थी, जिसकी स्थिति ऊपर उल्लिखित कार्य स्थिति में दी गई है।

(xiii) निगम को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप–धारा (1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट लागत रिकॉर्ड के अनुरक्षण की आवश्यकता नहीं है।

(xiv) निगम ने कोई ऋण या गारंटी नहीं दी है।

(xv) निगम ने कोई संबंधित पार्टी लेन–देन नहीं किया है।

(xvi) वित्तीय विवरणों और इस रिपोर्ट की तारीख के बीच कोई भी महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धता नहीं है।

(xvii) निगम के चालू कारोबार की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

(xviii) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना एफ.सं.1/2/2014–सीएल.V के जरिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(ई) तथा (पी) के तहत सूचना के प्रकटीकरण से सरकारी कंपनियों को छूट दी है।

22. अभिस्वीकृतिः

बोर्ड, निगम की गतिविधियों और कार्यों को पूरा करने के लिए वस्त्र मंत्रालय, विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय, भारत सरकार और केंद्र तथा राज्य सरकारों के अन्य मंत्रालयों और विभागों द्वारा उनकी सहायता और मार्गदर्शन के लिए आभारी है।

(iii) Issue of shares (including sweat equity shares) to employees of the Company under any scheme of the Company.

(iv) There was no change in the share capital of the Company during the year under review.

(v) The Company has not transferred any amount to the General Reserve during the year under review.

(vi) The Corporation has requested to issue ID password to use MOU digital dashboard for further necessary action for signing MOU.

(vii) No material changes/commitments have occurred (except as reported in this annual report) after the end of the financial year 2022-23 and till the date of this report which would affect the financial position of your Company.

(viii) No significant or material orders were passed by the Regulators or Courts or Tribunals which impact the 'going concern status' and Company's operations in future.

(ix) Your Company has in place, adequate internal financial controls with reference to the financial statements. During the year, special care is being taken in its effective implementation.

(x) Corporation has no Holding or Subsidiary Company hence remuneration to Managing Director from Holding/Subsidiary Company is not applicable.

(xi) Corporation has no Holding/subsidiary Company hence provisions regarding consolidation of accounts are not applicable.

(xii) No frauds were reported by the Auditors in their report, except for the irregularities in implementation of YSS in FY 2018-19, status of which has been provided in the state of affairs mentioned above.

(xiii) Corporation is not required to maintain cost records as specified by the Central Government under sub-section (1) of section 148 of the Companies Act, 2013.

(xiv) Corporation has not given any loans or Guarantee.

(xv) Corporation has not undertaken any Related party Transaction.

(xvi) No material changes and commitments between the date of financial statements and the date of this report.

(xvii) There is no change in going concern status of the corporation.

(xviii) Vide notification F.No.1/2/2014-CL.V dated 05th June, 2015, Ministry of Corporate Affairs, Government of India, has exempted Government companies from disclosure of information under section 134(3)(e) and (p) of the Companies Act, 2013.

22. ACKNOWLEDGMENT:

Your Board is thankful to the Ministry of Textiles, Office of Development Commissioner for Handlooms, Government of India and other Ministries and departments in Central and State governments for their support and guidance given to the corporation in carrying out its activities and operations.

निदेशक, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, लेखा परीक्षा और सीएसआर समितियों के सदस्यों, बोर्ड, सांविधिक और शाखा लेखा परीक्षकों और बैंकर्स की मदद, सहयोग और मार्गदर्शन के लिए आभारी हैं। बोर्ड विभिन्न उपयोगकर्ता एजेंसियों/अन्य संबंधित एजेंसियों को उनके समर्थन और संगठन में रखें गए विश्वास के लिए आभार व्यक्त करता है और भविष्य में पारस्परिक संबंधों के लिए तत्पर हैं।

निदेशक, सभी कताई मिलों और रंगों तथा रसायनों के विनिर्माताओं से प्राप्त निरंतर सहयोग और साथ ही उनकी संगठित व्यवस्था की सराहना करते हैं। बोर्ड, एनएचडीसी परिवार के सभी सदस्यों को उनके उत्साह, समर्पित कार्य और सहयोग के लिए बहुत आभार प्रकट करता है और उनकी निरंतर भागीदारी की आशा रखता है।

निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता/–
बीना महादेवन
अध्यक्ष
डीआईएनः 03483417

दिनांकः 22 दिसंबर, 2023
स्थानः नई दिल्ली

Your Directors are grateful to the Comptroller & Auditor General of India, Members of Audit & CSR Committees, Board, Auditors and Bankers for their help, cooperation and guidance. Your Board expresses sincere gratitude to the various user agencies/ other concerned agencies for their support and confidence reposed in the organization and looks forward to mutually rewarding relationship in future.

Your Directors wish to place on record their appreciation for the continued co-operation received from all the Spinning Mills and Manufacturers of dyes & chemicals and fabrics directly as also through their organized set-ups. Your Board also wishes to record its deep gratitude to all the members of NHDC family for their enthusiasm, dedicated work and cooperation and look for their continuous involvement.

For and on behalf of Board of Directors

Sd/-
Beena Mahadevan
Chairperson
DIN: 03483417

Date: 22 December, 2023
Place: New Delhi

निदेशकों की रिपोर्ट संबंधी अनुबंध–क

निगम शासन प्रणाली संबंधी रिपोर्ट

(क) कारपोरेट शासन प्रणाली के संबंध में कंपनी का सिद्धांतः

कारपोरेट शासन प्रणाली के संबंध में एनएचडीसी के सिद्धांत में, नैतिक व्यापार आचरण और संचालन के सभी पहलुओं और शेयरधारकों, कर्मचारियों, बैंकरों, लेखा परीक्षकों एवं सरकार सहित इसके सभी हितधारकों के साथ बातचीत में पारदर्शिता, जवाबदेही और इक्विटी के उच्चतम स्तर को प्राप्त करने की परिकल्पना की गई है। यह निगम निरंतर रूप से कॉरपोरेट गवर्नेंस के उच्चतम स्तर को प्राप्त करने के प्रयास करता है ताकि लॉन्ग टर्म स्टेकहोल्डर्स मूल्य को बढ़ाया जा सके और कॉरपोरेट गवर्नेंस के अच्छे मानकों को बनाए रखा जा सके। निगम में व्यावसायिकता और जवाबदेही का प्रावधान करने के लिए सुव्यवस्थित, पारदर्शी तथा निष्पक्ष प्रशासनिक व्यवस्था है।

(ख) निदेशक मंडलः

वित्त वर्ष 2022–23, 17 अक्टूबर, 2022 तक निदेशक मंडल में 5 सदस्य शामिल हैं, जिनमें से दो भारत सरकार के नामिती (अध्यक्ष सहित), 01 एक प्रबंध निदेशक और 02 गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक हैं। हालाँकि 17 अक्टूबर 2022 को श्री अनिल सूद का कार्यकाल पूरा होने और बाद में कंपनी के निदेशक पद से श्रीमती योगिता सिंह के इस्तीफे के कारण, वित्तीय वर्ष के अंत में बोर्ड में निदेशकों की संख्या 3 (तीन) रह गई है। बोर्ड के निदेशकों को संस्था के अंतर्नियम के अनुच्छेद 94 के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। निगम ने प्रशासनिक मंत्रालय से बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति का अनुरोध किया है।

दिनांक 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार निदेशक मंडल की संरचना तथा संबंधित सूचना इस प्रकार हैः

निदेशक का नाम एवं श्रेणी	उपस्थिति सहित बोर्ड बैठकों की संख्या	पिछली एजीएम में उपस्थिति	31.03.2023 की स्थिति के अनुसार बाहरी निदेशकों की संख्या
सरकारी निदेशकः			
क) श्री संजय रस्तोगी, अध्यक्ष–एनएचडीसी / विकासआयुक्त (हथकरघा), वस्त्र मंत्रालय डीआईएन नं. 07722405 (दिनांक 28.11.2022 तक)	2/3	नहीं	शून्य
ख) सुश्री शुभ्रा,* अध्यक्ष–एनएचडीसीधविकास आयुक्त (हथकरघा) – अतिरिक्त प्रभार, वस्त्र मंत्रालय डीआईएन नं. 10041823 (दिनांक 07.12.2022 से 28.04.2023 तक)	2/2	हां	शून्य
ग) श्री रबिन्द्रनाथ मोहंती,** उप सचिव एकीकृत वित्त विंग, वस्त्र मंत्रालय डीआईएन नं. 09508736 (दिनांक 30.04.2023 तक)	5/5	हां	शून्य

ANNEXURE A TO DIRECTORS' REPORT

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

(a) COMPANY'S PHILOSOPHY ON CORPORATE GOVERNANCE:

NHDC's philosophy on Corporate Governance envisages ethical business conduct and attainment of highest level of transparency, accountability and equity in all facets of operations and all its interactions with its stakeholders including shareholders, employees, bankers, auditors and the Government. The corporation constantly endeavors to achieve the highest levels of standards of corporate governance in order to enhance the long-term stakeholders' value and maintain good standards of Corporate Governance. Corporation has well established, transparent and fair administrative set up to provide for professionalism and accountability.

(b) BOARD OF DIRECTORS:

During the F.Y. 2022-23, till 17th October, 2022 the Board of Directors consisted of 5 members, of whom, two are the nominee of the government of India (including Chairman) and one is the Managing Director and 02 are Non-Official Independent Director. However due to completion of tenure of Sh. Anil Sood on 17th October. 2022 and subsequently resignation of Smt. Yogita Singh from the directorship of the Company, number of directors on the Board at the end of the Financial Year remain 3 (Three). The Directors on the Board are appointed by the Government of India in terms of Article 94 of the Articles of Association of the corporation. Corporation has requested the administrative ministry to appoint independent directors on the Board.

Constitution of Board of Directors and the related information during the F.Y. 2022-23, is as follows:

Name & category of the Director	No. of Board meetings with attendance	Attendance in last AGM	No. of outside Directorships as on 31.03.2023
Government Director(s):			
a) Shri Sanjay Rastogi, Chairperson-NHDC / DC(Handlooms), Ministry of Textiles DIN No. 07722405 (till 28.11.2022)	2/3	No	Nil
b) Ms. Shubhra*, Chairperson-NHDC / DC(Handlooms)- Additional Charge, Ministry of Textiles DIN No. 10041823 (From 07.12.2022 to 28.04.2023)	2/2	Yes	NIL
c) Shri Rabindranath Mohanty**, Dy. Secretary,Integrated Finance Wing, Ministry of Textiles DIN No. 09508736 (till 30.04.2023)	5/5	Yes	NIL

प्रबंध निदेशकः			
घ) श्रीमती रीता प्रेम हेमरजानी, डीआईएन नं. 09478824 (दिनांक 18 जनवरी, 2022 से)	5/5	हां	शून्य
गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशकः			
च) श्री अनिल कुमार सूद गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक, डीआईएन नं. 01376251 (दिनांक 17.10.2022 तक)	3/3	नहीं	01
छ) श्रीमती योगिता सिंह, गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक, डीआईएन नं. 07559311 (दिनांक 11.11.2022 तक)	3/3	नहीं	लागू नहीं होता

निगम के बोर्ड ने वर्ष 2022–23 (22 जून, 2022, 29 जून, 2022, 07 अक्टूबर, 2022, 12 दिसम्बर, 2022 तथा 16 मार्च 2023) के दौरान 05 बार बैठकें की और डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार अपेक्षित सभी जानकारी बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की।

*श्रीमती अमृत राज, विकास आयुक्त हथकरघा (अतिरिक्त प्रभार), ने सुश्री शुभ्रा के स्थान पर 28.04.2023 से निगम के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। श्रीमती अमृत राज – (52 वर्ष) 1994 बैच की आईपीओएस हैं। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से सामाजिक कार्य में मास्टर के साथ कानून की डिग्री हासिल की है। इससे पहले, उन्होंने संचार और आईटी मंत्रालय के डाक विभाग में महाप्रबंधक – डाक निदेशालय के रूप में कार्य किया। वह सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआईसी) के निदेशक मंडल में सरकारी निदेशक के रूप में भी कार्यरत हैं।

**श्री रवीन्द्रनाथ मोहंती के स्थान पर दिनांक 16.06.2023 से श्री धीरेंद्र कुमार, निदेशक–आईएफडब्ल्यू, को निगम के बोर्ड में सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

बोर्ड में निदेशकों का संक्षिप्त विवरण (31 मार्च, 2023 तक):

i) **सुश्री शुभ्रा** (57 वर्ष) 1989 बैच की आईटीएस हैं। उन्होंने कृषि और किसान कल्याण विभाग, कृषि मंत्रालय में व्यापार सलाहकार के रूप में कार्य किया है। 2021 से वह वस्त्र मंत्रालय में सेवारत हैं। उन्होंने 07 दिसंबर, 2022 से वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार में हथकरघा विकास आयुक्त (अतिरिक्त प्रभार) और राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड में पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला और 28 अप्रैल, 2023 तक सेवा की।

ii) **श्रीमती रीता प्रेम हेमराजानी** (57 वर्ष) 1990 बैच की आईआरपीएस अधिकारी हैं। वह तीन दशकों से अधिक समय से भारतीय रेलवे से जुड़ी हुई हैं और रेलवे के विभिन्न क्षेत्रों जैसे उत्तर पूर्व रेलवे, पश्चिम रेलवे, मध्य रेलवे में मानव संसाधन और प्रशासन में विभिन्न प्रमुख पदों पर कार्य कर चुकी हैं और भारतीय रेलवे में दूसरे सबसे बड़े मंडल (लगभग 35000 कर्मचारी) के लिए मानव संसाधन प्रमुख थीं। उनके पास क्षेत्रीय कार्यालयों, मुख्यालय में नीति कार्यक्रमों, आईटी और श्रम प्रधान कार्यशाला का व्यापक अनुभव है। फिल्म डिवीजन में निदेशक (प्रशासन) के रूप में इन्होंने दो अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया तथा भारतीय सिनेमा राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना सहित असंरचना उन्नयन कार्य किए हैं। श्रीमती रीता प्रेम हेमरजानी ने दिनांक 18 जनवरी, 2022 को निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य ग्रहण किया।

iii) **श्री रवींद्रनाथ मोहंती** (60 वर्ष) भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय में आईएफडब्ल्यू के उप सचिव रहे। उन्हें एनएचडीसी लिमिटेड के बोर्ड में सरकारी निदेशक के रूप में दिनांक 23 दिसंबर, 2021 से नियुक्त किया गया था और 30.04.2023 तक उन्होंने अपनी सेवाएं दी।

Managing Director:			
d) Smt. Rita Prem Hemrajani, DIN No. 09478824 (From 18th January, 2022)	5/5	Yes	NIL
Non-Official Independent Director:			
a) Shri Anil Kumar Sood Non-official Independent Director, DIN No. 01376251 (till 17.10.2022)	3/3	No	01
b) Smt. Yogita Singh Non-official Independent Director, DIN No. 07559311 (till 11.11.2022)	3/3	No	N/A

The Board of the corporation met 05 times during the year 2022-23 (22nd June, 2022, 29th June, 2022, 07th October, 2022, 12th December, 2022 & 16th March, 2023) and all the information required in accordance with DPE guidelines was placed before the Board.

*Mrs. Amrit Raj, DC Handlooms (Additional Charge), has joined as Chairperson of the Corporation w.e.f. 28.04.2023 in place of Ms. Shubhra. Mrs. Amrit Raj - (52 years) is an IPoS of 1994 batch. She has a Law Degree along with a Master in Social Work from Delhi University. Prior to this, she served as GM – Postal Directorate in Department of Posts, Ministry of Communication & IT. She is also serving as Government Director on the Board of Directors of Central Cottage Industries Corporation of India Ltd. (CCIC).

**Shri Dhirendra Kumar, Director-IFW, has been appointed as Government Director on the Board of the Corporation w.e.f. 16.06.2023 in place of Shri Rabindranath Mohanty.

Brief resume of Directors on the Board (as on March, 31, 2023):

i) **Ms. Shubhra** (57 Years) is an ITS of 1989 batch. She has, as a Trade Advisor, served in Department of Agriculture & Farmers Welfae, Ministry of Agriculture. Since 2021 she is serving in Ministry of Textiles. She had joined as Development Commissioner for Handlooms (Additional Charge) in Ministry of Textiles, Government of India and as ex-officio Chairman in National Handloom Development Corporation Ltd., w.e.f. 07th Dec., 2012 and served till 28th April, 2023.

ii) **Smt. Rita Prem Hemrajani** (57 Years) is an IRPS officer of 1990 batch. She has been associated with Indian Railways for more than three decades and has held various key positions in HR & administration in different zones of railways viz Northern Eastern Railway, Western Railway, Central Railway and was HR Head for second largest division in Indian Railways (approx. 35000 employees). She has vast experience of field offices, policy programmes in Headquarters, IT and labour-intensive workshop. As Director (Admin) in Films Division, she conducted two international film festivals & undertook infrastructure upgradation including setting up of National Museum of Indian Cinema. Smt. Rita Prem Hemrajani joined as MD of the Corporation w.e.f. 18th January, 2022.

iii) **Shri Rabindranath Mohanty** (60 years) was a Deputy Secretary, IFW, Ministry of Textile, Government of India, He was appointed as a Government Director on the Board of NHDC Ltd. w.e.f. 23rd December, 2021 and served till 30.04.203.

ग. लेखा परीक्षा समितिः

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 के प्रावधानों के अनुसरण में, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा समिति की बैठकें आयोजित की गईं। सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस के संबंध में डीपीई दिशानिर्देशों में प्रस्तावित अनुसार लेखापरीक्षा समिति की संदर्भ शर्तों को लेखापरीक्षा समिति द्वारा उसकी 08 दिसंबर, 2010 को आयोजित 23वीं बैठक में नोट किया गया। इसके अलावा, बोर्ड ने दिनांक 26 मार्च, 2019 को आयोजित अपनी 157वीं बैठक में कंपनी अधिनियम, 2013 और डीपीई के दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुरूप लेखापरीक्षा समिति की संदर्भ शर्तों को संशोधित किया।

लेखापरीक्षा समिति की संरचना और संबंधित जानकारी नीचे दी गई है:

नाम / श्रेणी	लेखापरीक्षा समिति में स्थिति	वर्ष के दौरान उपस्थिति सहित बैठकों की संख्या
श्री अनिल कुमार सूद गैर सरकारी स्वतंत्र निदेशक (17.10.2022 तक)	अध्यक्ष	2/2
श्रीमती रीटा प्रेम हेमरजानी प्रबंध निदेशक	सदस्य	4/4
श्रीमती योगिता सिंह गैर सरकारी स्वतंत्र निदेशक (11.11.2022 तक)	सदस्य	2/2
श्री रवींद्रनाथ मोहंती नामित निदेशक	सदस्य	2/2

बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्री अनिल कुमार सूद का कार्यकाल दिनांक 17.10.2022 को पूरा हो गया।

**श्रीमती योगिता सिंह ने कुछ व्यस्तता के कारण दिनांक 11.11.2022 कंपनी के निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है।

वर्ष 2022–23 (22 जून 2022, 07 अक्टूबर 2022, 12 दिसम्बर 2022 और 16 मार्च 2023) के दौरान, लेखा परीक्षा समिति की 04 बार बैठकें हुई, ऊपर दिए गए पैरा में उल्लेख किए अनुसार, बैठक में सभी सदस्य उपस्थित थे।

घ. पारिश्रमिक समितिः

कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 05 जून, 2015 की अधिसूचना सं. 1/2/2014–सीएल.V के तहत, वरिष्ठ प्रबंधन और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति से संबंधित मामले को छोड़कर, पारिश्रमिक समिति से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के उप–धाराओं (2), (3) और (4) के प्रावधानों से सरकारी कंपनियों को छूट दी है।

निगम ने 5.21 करोड़ रुपये का लाभ कमाया है, इसलिए यह अपने कर्मचारियों को कार्य प्रदर्शन संबंधी भुगतान (पीआरपी) करने का प्रबंधन कर सकता है। साथ ही, निगम में कर्मचारियों की संख्या भी कम है (अर्थात 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार 116)।

उपरोक्त के मद्देनजर, किसी अलग पारिश्रमिक समिति की आवश्यकता महसूस नहीं की गई है और पारिश्रमिक से संबंधित अन्य मामलों, यदि कोई हो, को सीधे निदेशक मंडल में रखा गया है।

c. AUDIT COMMITTEE:

In accordance with the provisions of section 177 of the Companies Act 2013, the meetings of Audit Committee were held during the year under review. The terms of reference of the Audit Committee, as proposed in the DPE guidelines on Corporate Governance for CPSEs were noted by the Audit Committee in its 23rd meeting held on 08th Dec., 2010. Further the Board in its 157th meeting held on 26th March, 2019 revised the terms of reference of the Audit Committee in line with the provisions of the Companies Act, 2013 and DPE guidelines.

The composition of Audit Committee and the related information is placed herein below:

Name/ category	Position in Audit Committee	No. of meetings with attendance during the year
Shri Anil Kumar Sood Non official Independent Director (till 17.10.2022)	Chairman	2/2
Smt. Rita Prem Hemrajani Managing Director	Member	4/4
Smt. Yogita Singh Non official Independent Director (till 11.11.2022)	Member	2/2
Shri Rabindranath Mohanty Nominee Director	Member	2/2

Tenure of Shri Anil Kumar Sood as an Independent Director on the Board was completed on 17.10.2022.

** Smt. Yogita Singh has resigned form the Directorship of the Company w.e.f. 11.11.2022 due to some preoccupancy.

The Audit Committee met 4 times during the year 2022-23 (22nd June, 2022, 07th October, 2022, 12th December, 2022 and 16th March, 2023), all the members were present except as explained in the para above.

d. REMUNERATION COMMITTEE:

Vide notification no.1/2/2014-CL.V dated 05th June, 2015, Ministry of Corporate Affairs, Government of India, has exempted Government Companies from provisions of sub-sections (2), (3) and (4) of Section 178 of the Companies Act, 2013 pertaining to Remuneration Committee, except with regard to appointment of senior management and other employees.

The corporation has earned a profit of Rs. 5.21 Crore, hence it can manage to pay the Performance Related Payment (PRP) to its employees. Also, the number of employees in the corporation is also small (i.e., 116 as on 31st March, 2023).

In view of above, no need has been felt to have a separate remuneration committee and the other matters relating to remuneration, if any, are placed directly to the Board of Directors.

ङ. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समितिः

निदेशक मंडल की सीएसआर समिति का गठन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और डीपीई दिशानिर्देशों की अपेक्षाओं के अनुसार किया गया है। सीएसआर समिति के संदर्भ शर्तों में अन्य बातों के साथ–साथ कंपनी द्वारा की जाने वाली गतिविधियों, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के तहत कवर की गई है, को दर्शाते हुए सीएसआर नीति तैयार करनाय बोर्ड को अनुशंसा, सीएसआर नीति और सीएसआर गतिविधियों पर व्यय की राशिय और समय–समय पर कंपनी की सीएसआर नीति की निगरानी करना शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए, निगम कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 (1) के मानदंडों के तहत नहीं आता है, जो कंपनियों के लिए एक विशेष वित्तीय वर्ष में सीएसआर गतिविधियों को करने के लिए थ्रेसोल्ड सीमा को अनिवार्य बनाता है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में कोई सीएसआर गतिविधि आयोजित नहीं की गई थी। सीएसआर समिति की संरचना और उक्त बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति इस प्रकार थीः

नाम / श्रेणी	सीएसआर समिति में स्थिति
श्रीमती रीता प्रेम हेमराजानी प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष
श्री रवींद्रनाथ मोहंती सरकारी निदेशक	सदस्य
श्री अनिल कुमार सूद गैर सरकारी स्वतंत्र निदेशक (दिनांक 17.10.2022 तक)	सदस्य

च. आम सभा की बैठकः

अंतिम 03 वार्षिक आम सभा की बैठकें (एजीएम) निम्नानुसार आयोजित की गईंः

एजीएम	एजीएम की तारीख तथा समय	एजीएम का स्थान
2021-22	12 दिसम्बर, 2022, 03.30 बजे अपराह्न	उद्योग भवन, नई दिल्ली
2020-21	*30 दिसम्बर, 2021, 04.45 बजे अपराह्न*	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से
2019-20	30 जून, 2021, दोपहर 3.30 बजे	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से
2019-20	31 दिसंबर, 2020–11.30 बजे (वित्तीय वर्ष 2019–20 के वार्षिक खातों पर सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और उस पर सीएजी की रिपोर्ट प्राप्त न होने के कारण शेयरधारकों द्वारा स्थगित)	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से

छ. प्रकटीकरणः

i. कार्यकारी निदेशक को दिए गए पारिश्रमिक का विवरण :– वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान श्रीमती रीता प्रेम हेमराजानी को 51.76 लाख रुपये वेतन और 20.05 लाख रुपये अन्य लाभ का भुगतान किया गया।

ii. वर्ष के दौरान श्री अनिल कुमार सूद को बोर्ड और समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए क्रमशः 40,000/– रुपए एवं योगिता सिंह को 45,000/– रुपये का बैठक शुल्क भुगतान किया गया था।

iii. वर्ष के दौरान, कोई संबंधित पार्टी लेनदेन नहीं था।

iv. वर्ष के दौरान किसी भी प्राधिकारी द्वारा कोई अर्थदंड/जुर्माना नहीं लगाया गया है

e. Corporate Social Responsibility (CSR) Committee:

CSR Committee of the Board of Directors has been constituted in accordance with the requirements of Section 135 of Companies Act, 2013 and the DPE guidelines. The terms of reference of the CSR Committee, inter-alia, include formulation of CSR Policy indicating the activities to be undertaken by the Company covered under Schedule VII of the Companies Act, 2013; recommending to the Board, the CSR Policy & amount of expenditure on CSR activities; and to monitor the CSR Policy of the Company from time to time. For Financial Year 2022-23, the Corporation doesn't fall under the criteria of section 135 (1) of the Companies Act, 2013, which mandates thresholds limits for Companies to do CSR activities in a particular financial year. No CSR activity was conducted in financial year FY 2022-23. The composition of CSR Committee and attendance of the Directors at the said meetings was as follows:

Name/ category	Position in CSR Committee
Smt. Rita Prem Hemrajani Managing Director	Chairperson
Shri Rabindranath Mohanty Government Director	Member
Shri Anil Kumar Sood Non official Independent Director (till 17.10.2022)	Member

f. GENERAL BODY MEETING:

The last 03 Annual General Meeting (AGMs) was held as under:

AGM	Date & time of AGM	Venue of the AGM
2021-22	12th December, 2022 03.30 pm	Udyog Bhawan, New Delhi
2020-21	30th December, 2021 04.45 pm.	Through video conferencing mode
2019-20	30th June, 2021, 3.30 pm	Through Video Conferencing mode
2019-20	31st December, 2020-11.30 am (*Adjourned by the shareholders because of non-receipt of Statutory Auditors Report on Annual Accounts of FY 2019-20 and C&AG report thereon)*	Through Video Conferencing mode

g. DISCLOSURES:

(i) Details of remuneration paid to the Functional Director: Salary of Rs. 51.76 Lakhs and other benefit Rs. 20.05 Lakhs is paid to Smt. Rita Prem Hemrajani during the F.Y. 2022-23.

(ii) During the year, Shri Anil Kumar Sood were paid sitting fees amounting to Rs. 40,000/- and Smt. Yogita Singh were paid sitting fees amounting to Rs. 45000/- respectively for attending Board and Committee meetings.

(iii) During the year, there was no related party transaction

(iv) During the year, no penalty/fine has been imposed by any authority.

v. निगम में बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक व्हिसल ब्लोअर नीति है, जिसे निगम के सभी कार्मिकों को परिचालित किया गया है और इसे वेबसाइट www.nhdc.org.in पर भी रखा गया है। इसके अलावा, यह पुष्टि की जाती है कि निगम के किसी भी कार्मिक को लेखा परीक्षा समिति तक पहुँचने से वंचित नहीं किया गया है।

vi. निगम, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति, जिसके लिए आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रशासनिक मंत्रालय को अनुरोध भेजा गया है, को छोड़कर सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन संबंधी दिशानिर्देशों की सभी अपेक्षाओं का अनुपालन कर रहा है। जहां तक पारिश्रमिक समिति का संबंध है, इसका उल्लेख ऊपर किया गया है।

vii. निगम द्वारा भारत सरकार द्वारा जारी किए गए राष्ट्रपति के निर्देशों का अनुपालन वर्ष के दौरान और पिछले 3 वर्षों के दौरान भी किया गया है।

viii. वर्ष के दौरान, ऐसा कोई खर्च लेखा बही के खाते नामें नहीं लिखा गया है, जो व्यवसाय के प्रयोजनों के लिए नहीं हैं।

ix. वर्ष के दौरान, कोई व्यक्तिगत प्रकृति का खर्च नहीं है जो निदेशक मंडल और शीर्ष प्रबंधन के लिए किया गया हो।

x. कार्मिक, प्रशासनिक और व्यापार व्यय सहित उपरिव्यय व्यय 4.07 करोड़ रुपये कम हो गए हैं। इसके अलावा, वित्तीय व्यय नगण्य हैं, क्योंकि निगम एक ऋण मुक्त निगम है।

ज. संप्रेषण माध्यमः

निगम की संपूर्ण प्रदत्त शेयर पूंजी भारत सरकार द्वारा धारित है। निगम के वार्षिक लेखों सहित वार्षिक रिपोर्ट भारत सरकार को भेजी जाती है और इसे निगम की वेबसाइट www.nhdc.org.in पर भी रखा जाता है। वार्षिक लेखाओं को भारत सरकार के कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में भी दायर किया जाता है।

झ. लेखापरीक्षा योग्यताएं

कंपनी का सांविधिक लेखा परीक्षक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त किया जाता है। वित्त वर्ष 2022–23 के लिए सचिवीय लेखा परीक्षक और सांविधिक लेखा परीक्षक की टिप्पणियों का विधिवत उत्तर दिया निदेशक मंडल द्वारा दिया गया है और बोर्ड की रिपोर्ट के रूप में संलग्न किया गया है।

ञ. निदेशक मंडल के प्रशिक्षणः

निगम, निदेशकों को उनकी बोर्ड में नियुक्ति पर फोल्डर के रूप में दस्तावेजों का एक सेट प्रस्तुत करता है। इसमें निगम के कामकाज और कार्य निष्पादन, बोर्ड के सदस्यों के लिए व्यावसायिक नीति एवं आचार संहिता, कॉर्पोरेट शासन प्रणाली संबंधी दिशानिर्देश आदि के बारे में महत्वपूर्ण डेटा शामिल हैं।

ट. व्हिसल ब्लोअर नीतिः

निगम में बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित एक व्हिसल ब्लोअर नीति की व्यवस्था की गई है। इस नीति को निगम के सभी कार्मिकों को परिचालित किया गया है और निगम की वेबसाइट www.nhdc.org.in पर भी रखा गया है।

ठ. आचार संहिताः

निगम ने बोर्ड के सदस्यों और निगम के वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता और व्यावसायिक नीति निर्धारित की है। संहिता की एक प्रति निगम की वेबसाइट www.nhdc.org.in पर प्रदर्शित की गई है। सभी बोर्ड सदस्यों और प्रमुख अधिकारियों ने संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है। इस आशय की एक घोषणा इस रिपोर्ट में संलग्न की गई है।

(v) The corporation has a Whistle Blower Policy duly approved by the Board, which has been circulated to all the employees of the corporation and also placed on the website www.nhdc. org.in of the corporation. Further, it is affirmed that no personnel has been denied access to the Audit Committee.

(vi) The corporation is complying with all the requirements of the Guidelines on Corporate Governance for CPSEs except the appointment of independent Directors, for which a request has been sent to the Administrative Ministry for the needful. As regards, the Remuneration Committee, the same has been explained above.

(vii) The Presidential directives issued by the Government of India has been complied by the corporation during the year and also during the last 3 years.

(viii) During the year, no expenditure has been debited in the books of accounts which are not for the purposes of business.

(ix) During the year, no expenses which are of personal nature have been incurred for the Board of Directors and top management.

(x) Overhead expenses comprising of Personnel, Administrative and Trade Expenses have increased by Rs. 4.07 Crore. Further, the Financial Expenses are nil, since corporation is a debt free corporation.

h. MEANS OF COMMUNICATION:

The entire paid up share capital of the corporation is held by the Government of India. The Annual report including annual accounts of the corporation are sent to the Government of India and also placed on the website www.nhdc.org.in of the corporation. The annual accounts are also filed with the Ministry of Corporate Affairs, Government of India.

i. AUDIT QUALIFICATIONS:

The Statutory Auditor of the Company is appointed by the Comptroller & Auditor General of India u/s 139 of the Companies Act, 2013. The Comments of the Secretarial Auditor and Statutory Auditor for FY 2022-23 have been duly replied by the Board of Directors and form annexure to the Board's Report.

j. TRAINING OF BOARD OF DIRECTORS:

The corporation furnishes a set of documents in a folder form to the directors on their joining the Board. This includes important data about the functioning and performance of the corporation, Code of Business Conduct & Ethics for the Board members, Corporate Governance Guidelines etc.

k. WHISTLE BLOWER POLICY:

The corporation has laid down a Whistle Blower Policy duly approved by the Board. The policy has been circulated to all the employees of the corporation and also placed on the website www.nhdc.org.in of the corporation.

l. CODE OF CONDUCT:

The corporation has laid down the Code of Conduct & Business Ethics for the Board members and senior management of the corporation. A copy of the Code is displayed on the website www.nhdc.org.in of the corporation. All the Board members and key officers have affirmed their compliance to the code. A declaration to this effect is annexed to this report.

ड. अनुपालना प्रमाण पत्रः

इस रिपोर्ट में सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी डीपीई दिशानिर्देशों की अपेक्षाओं का विधिवत रूप से अनुपालन किया गया है और दिशानिर्देशों के अनुबंध–VII में उल्लिखित सुझाई गई सभी मदों को शामिल किया गया है। डीपीई द्वारा निर्धारित कॉर्पोरेट शासन प्रणाली की अपेक्षाओं के अनुपालन संबंधी त्रैमासिक/वार्षिक रिपोर्ट भी नियमित और समय पर प्रशासनिक मंत्रालय को भेजी जाती है। सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट शासन प्रणाली संबंधी दिशानिर्देशों की शर्तों के अनुपालन के बारे में पेशेवर कंपनी सचिव से प्राप्त प्रमाण–पत्र को रिपोर्ट में संलग्न कर दिया गया है।

निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता./–
बीना महादेवन
अध्यक्ष
डीआईएनः 03483417

दिनांकः 22 दिसंबर, 2023
स्थानः नई दिल्ली

m. COMPLIANCE CERTIFICATE:

This report duly complies with the requirements of DPE Guidelines on Corporate Governance for CPSEs and covers all the suggested items mentioned in the Annexure - VII of the Guidelines. The quarterly/ annual reports on the compliance with the Corporate Governance requirements prescribed by the DPE are also sent to the Administrative Ministry regularly and timely. The certificate obtained from the Practicing Company Secretary regarding compliance to the conditions of guidelines on Corporate Governance for CPSEs has been annexed to the report.

For and on behalf of Board of Directors

Sd/-
Beena Mahadevan
Chairperson
DIN: 03483417

Date: 22 December, 2023
Place: New Delhi

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा आचार संहिता के अनुपालन के संबंध में प्रबंध निदेशक द्वारा घोषणा

मैं, रीता प्रेम हेमराजानी, प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, यह घोषणा करती हूं कि 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार निदेशक मंडल के सभी सदस्यों और निगम के वरिष्ठ प्रबंधन दल ने वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान निगम की व्यावसायिक आचार एवं संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

हस्ता. / –
(रीता प्रेम हेमराजानी)
प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 09478824

दिनांकः 15 सितंबर, 2023
स्थानः ग्रेटर नोएडा

Declaration by the Managing Director regarding Compliance with the Code of Conduct by the Board Members and Senior Management during the Financial Year 2022-23.

I, Rita Prem Hemrajani, Managing Director, National Handloom Development Corporation Limited, do hereby declare that all the Members of the Board of Directors and the Senior Management Team of the Corporation as on 31st March, 2023, have affirmed their compliance to the Code of Business Conduct and Ethics of the Corporation during the FY 2022-23.

Sd/-
(Rita Prem Hemrajani)
Managing Director
DIN: 09478824

Dated: 15th September, 2023
Place: Greater Noida

नैगमिक शासन प्रमाण पत्र

सेवा में,
सदस्य
राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालयः चौथी मंजिल, वेगमेंस बिजनेस पार्क,
टावर–1, प्लॉट नं. 03, सेक्टर नॉलेज पार्क–III,
सूरजपुर– कासना मेन रोड, ग्रेटर नोएडा,
गौतम बुद्ध नगर, उ.प्र.– 201306

हमने दिनांक **31 मार्च, 2023** को समाप्त वर्ष के लिए **राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड** (जिसे इसके पश्चात 'निगम' के रूप में संदर्भित किया गया है) के नैगमिक शासन की शर्तों के अनुपालना की जांच की है, जिसका उल्लेख लोक उद्यम विभाग, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार के केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए नैगमिक शासन, 2010 के दिशानिर्देशों और उसके अंतर्गत उल्लिखित अनुबंध (जिसे इसके पश्चात 'दिशानिर्देश' के रूप में संदर्भित किया गया है) में किया गया है।

नैगमिक शासन की शर्तों के अनुपालन का दायित्व प्रबंधन का होता है। हमारी जॉच उपर्युक्त दिशानिर्देशों में उल्लिखित नैगमिक शासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निगम द्वारा अपनाई गई क्रियाविधि और उसके क्रियान्वयन तक सीमित थी। यह न तो निगम की लेखा परीक्षा है और न ही उसके वित्तीय विवरणों पर राय की अभिव्यक्ति है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि निगम ने निम्नलिखित को छोड़कर, उपर्युक्त दिशानिर्देशों में उल्लिखित नैगमिक शासन की शर्तों का पालन किया हैः–

1) संबंधित मंत्रालय और जोखिम प्रबंधन नीति द्वारा पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति न करने के कारण बोर्ड, लेखा परीक्षा समिति और नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की संरचना से संबंधित 16 जनवरी 2023 से 31 मार्च 2023 के बीच की अवधि के लिए प्रावधान। प्रबंधन ने सूचित किया है कि एक पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कंपनी होने के कारण, कंपनी को अपने प्रशासनिक मंत्रालय से निगम के बोर्ड में गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक (एनओडी) की आवश्यक नियुक्ति करने का अनुरोध किया गया।

2) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 204(4) के अनुपालन के संबंध में प्रावधान 25 जनवरी 2023 से 31 मार्च 2023 की अवधि के लिए प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (कंपनी सचिव) की नियुक्ति की आकस्मिक रिक्ति को न भरने से संबंधित।

हम आगे रिपोर्ट करते है कि

1) पिछले वर्ष की हमारी सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट के संदर्भ में, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि लखनऊ शाखा कार्यालय में सूत आपूर्ति योजना के कार्यान्वयन में अनियमितताओं के मामले में प्रबंधन ने सूचित किया है कि अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने मामले पर, 3 (तीन) अधिकारियों – श्री रवीश टंडन, प्रबंधक (वाणिज्य), श्री हसन अब्बास, अधिकारी (एफएंडए) और श्री बी.के. महापात्रा, वरिष्ठ अधिकारी (वाणिज्य) को दोषी पाया है और 11 मार्च 2022 को 'बर्खास्तगी' लागू करते हुए, सेवा से निष्कासन, और 11 मार्च 2022 को 'बर्खास्तगी', सेवा से निष्कासन, जो सरकार या सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले सीपीएसई के तहत भविष्य के रोजगार के लिए अयोग्यता नहीं होगी और 23 मार्च 2022 को उनके खिलाफ क्रमशः 'अनिवार्य सेवानिवृत्ति' जुर्माना लगाया।

CORPORATE GOVERNANCE CERTIFICATE

To,
The Members,
National Handloom Development Corporation Limited
Regd. Office: 4th Floor, Wegmans Business Park,
Tower-1, Plot No. 03, Sector Knowledge Park-III,
Surajpur- Kansa Main Road, Greater Noida,
Gautam Buddha Nagar, UP- 201306

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance of **National Handloom Development Corporation Limited** (hereinafter referred as "Corporation") for the year ended **31st March, 2023** as stipulated in the guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises, 2010 of Department of Public Enterprises, Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises, Government of India and annexure mentioned there under (hereinafter referred as "Guidelines").

The compliance to the conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to procedure and implementation thereof, adopted by the corporation for ensuring the compliance of the conditions of Corporate Governance as stipulated in above mentioned guidelines. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Corporation.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanation given to us, we certify that the Corporation has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above mentioned guidelines except as under:

1) *Provisions regarding composition of Board, Audit Committee and Nomination & Remuneration Committee due to non-appointment of adequate number of Independent Directors by the concerned Ministry & risk management policy provisions for the period between 16th January 2023 to 31st March, 2023. The Management has informed that the Company being a wholly-owned Government Company has requested its administrative ministry for making necessary appointment of Non-Official Independent Director (NOD) on the Board of the Corporation.*

2) *Provisions regarding compliance of Section 204(4) of the Companies Act 2013 relating to non-filling of casual vacancy of appointment of Key Managerial Personnel (Company Secretary) for the period from 25th January 2023 to 31st March 2023*

We further report that:

1) With reference to our Corporate Governance Certificate of previous year and the matter of irregularities in the implementation of Yarn Supply Scheme in Lucknow Branch Office, the Disciplinary Authority found 3 (three) officials namely- Shri Ravish Tandon, Manager (Comm), Shri B.K. Mahapatra, Sr. Officer (Comm) and Shri Hasan Abbas, Officer (F&A) guilty and imposed the 'Dismissal' on 11th March 2022, Removal from Service, which shall not be a disqualification for future employment under the Government or the CPSE owned or controlled by the Government' and 'Compulsory retirement' penalty on 23rd March 2022, against them respectively.

इसके अलावा, जैसा कि प्रबंधन द्वारा हमें सूचित किया गया है, निदेशक मंडल ने 15 जून, 2022 के परिपत्र द्वारा पारित संकल्प के तहत 1 अप्रैल, 2017 से लखनऊ शाखा कार्यालय की लेनदेन लेखा परीक्षा करने का निर्देश दिया है ताकि उपयोगकर्ता एजेंसियों से प्राप्त शेष राशि तथा आपूर्तिकर्ता एजेंसियों को देय राशि और संबंधित अवधि के लिए एनएचडीसी को प्रतिपूर्ति/भुगतान की जाने वाली सब्सिडी की सही और वास्तविक राशि का पता लगाया जा सके। लेन–देन लेखा परीक्षा अभी प्रक्रियाधीन है। लगभग 7000 प्रविष्टियों की जांच/सत्यापन करने की आवश्यकता है इसलिए लेनदेन लेखा परीक्षा को पूरा करने में समय लगेगा। इसके पूरा होने पर, रिपोर्ट को आगे के आवश्यक निर्देश के लिए बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

2) निगम को सीपीएसई 2010 के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस के दिशानिर्देशों के अनुपालन में प्रशासनिक मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन में शामिल होने की आवश्यकता थी, लेकिन वित्तीय वर्ष 2017–18 के बाद से समझौता ज्ञापन नहीं किया गया है। प्रबंधन द्वारा सूचित किया गया है, निगम ने प्रशासनिक मंत्रालय को पत्र भेजा है, जिसमें उन कारणों को स्पष्ट किया गया है जिनकी वजह से निगम मापदंडों/लक्ष्यों को अंतिम रूप देने में असमर्थ रहने के कारण समझौता ज्ञापन में प्रवेश करने से छूट की मांग की है। इसके अलावा, जैसा कि प्रबंधन द्वारा सूचित किया गया है कि सरकारी योजना, जिसके लिए एनएचडीसी कार्यान्वयन एजेंसी है, को 25 अक्टूबर 2021 को संशोधित किया गया था।

आगे हम उल्लेख करते हैं कि इस तरह का अनुपालन न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही दक्षता या प्रभावशीलता है जिसके साथ प्रबंधन ने निगम के मामलों का संचालन किया है।

कृते नवनीत के. अरोड़ा एंड कंपनी एलएलपी
कंपनी सचिव

हस्ता./–
कंपनी सचिव, नवनीत अरोड़ा
प्रबंध साझेदार
एफसीएस:3214, सीओपी: 3005
[आईसीएसआई फर्म विशिष्ट पहचान कोड: P2009DE061500]
यूडीआईएन: F003214E000637311

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 19 जुलाई 2023

Further as informed by the management to us, Board of Directors has directed vide resolution passed by circulation on 15th June, 2022 to conduct transaction audit of Lucknow branch office from 1st April, 2017 onwards so as to find out the true and actual amount of balance receivables from user agencies and corresponding amount payable to supplier agencies and subsidy due to be reimbursed / paid to NHDC for the related period. Transaction audit was still under process. There being approximately 7000 entries need to be checked/verified hence it will take time to complete the transactions audit. Upon completion, report shall be placed before the Board for further necessary instruction.

2) Corporation was required to enter MOU with the administrative ministry in compliance of Corporate Governance Guidelines for CPSE 2010 but has not entered after financial year 2017-18 onwards. As informed by the management the Corporation has sent communications to the administrative Ministry, explaining the reasons due to which Corporation was unable to finalize the parameters/ targets and seeking exemption from entering MOU. Further, as informed by the management, the Government scheme, for which NHDC is the implementing agency was revised on 25th October, 2021.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the company nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Corporation.

For Navneet K Arora & Co LLP
Company Secretaries

Sd/-
CS Navneet Arora
Managing Partner
CS: 3214, COP: 3005
[ICSI Firm Unique Identification Code: P2009DE061500]
UDIN: F003214E000637311

Place: New Delhi
Date: 19th July 2023

निदेशकों की रिपोर्ट संबंधी अनुबंध–ख

प्रबंधन विचार–विमर्श और विश्लेषण

1. हथकरघा परिदृष्यः

हथकरघा क्षेत्र कृषि के बाद आर्थिक गतिविधियों वाला सबसे बड़ा असंगठित क्षेत्र है और ग्रामीण तथा अर्ध–ग्रामीण आजीविका का एक अभिन्न हिस्सा है जो 35 लाख से अधिक बुनकरों और संबद्ध कामगारों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है।

07 अगस्त, 2019 को वस्त्र मंत्रालय द्वारा चौथी हथकरघा संगणना रिपोर्ट जारी की गई थी जिसमें 31 राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल किया गया जहां हथकरघा बुनाई की कला का कार्य किया जाता है।

हथकरघा क्षेत्र के सुव्यवस्थित एवं सतत विकास और हथकरघा बुनकरों के कल्याण के लिए भारत सरकार निम्नलिखित योजनाएं एवं कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही हैः–

क. राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी)

वर्ष 2021–22 से 2025–26 के दौरान कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) तैयार किया गया है। योजना में हथकरघों के एकीकृत एवं सुव्यवस्थित विकास और हथकरघा बुनकरों के कल्याण के लिए आवश्यकता आधारित दृष्टिकोण अपनाया गया है। यह योजना बुनकरों को स्वयं सहायता समूहों, गैर–सरकारी संगठनों आदि सहित सहकारी समूह के भीतर और बाहर कच्चे माल, डिजाइन इनपुट, प्रौद्योगिकी उन्नयन, प्रदर्शनियों के माध्यम से विपणन सहायता, शहरी हाट, विपणन परिसरों के रूप में स्थायी बुनियादी ढांचे का निर्माण करने आदि में सहयोग करती है।

एनएचडीपी के संघटक–

क) क्लस्टर विकास कार्यक्रम (सीडीपी) (पहले ब्लॉक स्तरीय क्लस्टर के रूप में जाना जाता था)

ख) हथकरघा विपणन सहायता जिसमें कवर नहीं किए गए और प्रतिभाशाली बुनकरों पर विशेष बल दिया गया है। भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईएचटी) से संबंधित परियोजनाओं सहित अवसंरचना और विशेष परियोजनाएं

ग) मेगा हथकरघा क्लस्टर खपहले व्यापक हथकरघा क्लस्टर विकास योजना (सीएचसीडीएस) के रूप में जाना जाता था,

घ) रियायती ऋण/बुनकर मुद्रा ऋण

ङ) हथकरघा बुनकर कल्याण {पहले हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना (एचडब्ल्यूसीडब्ल्यूएस) के रूप में जाना जाता था}

च) विविध घटक–

I. अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं

II. हथकरघा संगणना

III. प्रचार, विज्ञापन, निगरानी, प्रशिक्षण और योजना का मूल्यांकन

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS REPORT

1. HANDLOOM SCENARIO:

The handloom sector is one of the largest unorganized economic activities and constitutes an integral part of the rural and semi- rural livelihood which provides direct and indirect employment to more than 35 Lakh weavers and allied workers.

On August 07, 2019, 4th Handloom Census report was released by the Ministry of Textiles, involving 31 States and Union Territories which have the practice of art of Handloom weaving.

For holistic and sustainable development of handloom sector and welfare of handloom weavers, the Government of India is implementing following schemes and programmes :-

A. National Handloom Development Programme (NHDP)

National Handloom Development Programme (NHDP) has been formulated for its implementation during financial year 2021-22 to 2025-26. The scheme will follow need-based approach for integrated and holistic development of handlooms and welfare of handloom weavers. The scheme will support weavers, both within and outside the cooperative fold including Self Help Groups etc. towards raw material, design inputs, technology up-gradation, marketing support through exhibitions, create permanent infrastructure in the form of Urban Haats, marketing complexes etc.

Components of NHDP –

a) Cluster Development Programme (CDP) (earlier known as Block Level cluster)

b) Handloom Marketing Assistance with special emphasis on uncovered & talented weavers. Infrastructure & Special Projects including Indian Institutes of Handloom Technology (IIHT)-related projects

c) Mega Handloom Cluster [earlier known as Comprehensive Handloom Cluster Development Scheme (CHCDS)]

d) Concessional Credit/Weavers‟ MUDRA Loan

e) Handloom Weavers‟ Welfare {earlier known as Handloom Weavers Comprehensive Welfare Scheme (HWCWS)}

f) Miscellaneous Components-

I. Research & Development projects

II. Handloom Census

III. Publicity, Advertisement, Monitoring, Training & Evaluation of Scheme

IV. Education of weavers/their wards through National Institutes of Open Schooling (NIOS)/ IGNOU

IV. बुनकरों/उनके बच्चों को राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस)/इग्नू के माध्यम से शिक्षा

V. परियोजना निगरानी प्रकोष्ठ,

VI. हथकरघा हेल्पलाइन केंद्र

VII. एनएचडीपी, एचडब्ल्यूसीडब्ल्यूएस, सीएचसीडीएस, एनईआरटीपीएस आदि की पूर्व में प्रतिबद्ध देनदारियां।

छ) कोई अन्य घटक

ख. कच्चा माल आपूर्ति योजना (आरएमएसएस)

हथकरघा क्षेत्र को कच्चे माल की आपूर्ति के लिए भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021–22 से 2025–26 के दौरान 25 अक्टूबर 2021 से कच्चा माल आपूर्ति योजना (आरएमएसएस) के कार्यान्वयन हेतु इसके दिशानिर्देशों को संशोधित किया है।

यह योजना पात्र हथकरधा एजेंसियों के लिए मिल गेट मूल्य पर सभी प्रकार के यार्न के लिए उपलब्ध है। इस योजना के तहत, भारत सरकार द्वारा डिपो प्रचालन व्यय तथा परिवहन व्यय की प्रतिपूर्ति की जा रही है। इसके अलावा, हथकरघा बुनकरों को विद्युतकरघा तथा मिल क्षेत्र के साथ प्रतिस्पर्धा करने के उद्देश्य से सब्सिडीयुक्त यार्न मुहैया कराया जाता है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से प्रतिपूर्ति आधार पर मात्रात्मक प्रतिबंधों के साथ सूती हैंक यार्न, घरेलू रेशम यार्न, ऊनी यार्न, लिनन तथा प्राकृतिक फाइबरों के मिश्रित यार्न पर 15% मूल्य सब्सिडी उपलब्ध है।

2. ताकत एवं कमजोरीः

निगम का 07 क्षेत्रीय कार्यालयों और 29 शाखा कार्यालयों के माध्यम से 29 राज्योंध्संघ राज्य क्षेत्रों में एक राष्ट्रीय नेटवर्क है। निगम की मौजूदगी बाजार में हस्तक्षेप के एक प्रभावी उपकरण के रूप में कार्य करती है ताकि निजी व्यापारियों के एकाधिकार स्वरूप को प्रतिबंधित किया जा सके, जिससे कि हैंक यार्न दरों को उचित स्तर के भीतर रखा जा सके। निगम, क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए सामाजिक जिम्मेदारी का एक उत्तम कार्य करता है, जिसमें असंगठित क्षेत्र में गरीब कारीगर/हथकरघा बुनकर शामिल हैं, जो उच्च सांस्कृतिक विरासत और भारतीय संस्कृति के पारंपरिक गुणों वाली मदों के उत्पादन में लगे हुए हैं।

अगले कुछ वर्षों में विभिन्न स्तरों पर कुछ कार्मिक सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। विभिन्न स्तरों पर कार्मिकों की सेवा निवृत्ति से हुई रिक्तियों को भरने के लिए, निगम ने अपने मध्यम स्तर के अधिकारियों को आवश्यकताओं के आधार पर उच्च जिम्मेदारियों को लेने के लिए प्रशिक्षित/तैयार करने की योजना बनाई है। पिछले तीन वर्षों से वाईएसएस/आरएमएसएस के कार्यान्वयन के एनएचडीसी के मौजूदा व्यवसाय में विभिन्न कारणों से और प्रमुख रूप से विगत में कोविड–19 महामारी की वजह से कमी रही है, इसके अलावा निगम को अनिश्चित मांग का सामना करना पड़ रहा है और राज्य के शीर्ष निकायों से भुगतान में देरी हो रही है।

3. अवसर एवं आशंकाः

हैंक यार्न उत्पादन का उपभोग करने वाले ऐसे हथकरघा क्षेत्र, जिनमें अभी पहुंच नहीं हुई है, उनमें पहुंच बनाकर व्यापार का विस्तार करने और विविधता लाने की एक बड़ी गुंजाइश है। एनएचडीसी सभी हथकरघा क्षेत्र से संबंधित विकास और हथकरघा बुनकर की उद्योग संबंधी आवश्यकताओं के लिए एक स्थान पर समाधान सुविधाप्रदाता बनने की आकांक्षा रखता है। इस संबंध में मौजूदा एनएचडीसी ढांचे का पुनर्गठन करके मौजूदा संसाधनों और प्रचालन दक्षता को अनुकूलतम बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

यार्न बाजार अच्छी तरह से विकसित है और निजी व्यापारियों के साथ प्रतिस्पर्धा है जो पहले से ही अच्छी तरह से

V. Project Monitoring Cell,

VI. Handloom Helpline Centre

VII. Earlier committed liabilities of NHDP, HWCWS, CHCDS, NERTPS etc.

g) Any other component

B. Raw Material Supply Scheme (RMSS)

Government of India has revised the guidelines for raw material supply to Handloom sector namely Raw Material Supply Scheme (RMSS) w.e.f. from 25th October 2021, for its implementation during financial year 2021-22 to 2025-26.

This scheme makes available all types of yarn at Mill Gate Price to the eligible handloom agencies. Under this scheme, depot operating expenses and transportation expenses are being reimbursed by Government of India. Further, to provide the subsidized yarn to handloom weavers in order to compete with power loom and mill sector, 15% price subsidy on cotton hank yarn, domestic silk yarn, woolen yarn, linen yarn and blended yarn of natural fibre is available with quantity restrictions on reimbursement basis through Direct Benefit Transfer (DBT).

2. STRENGTH AND WEAKNESSES:

Corporation has a national network having presence in 29 States/Union Territories through 7 Regional Offices, and 29 Branch Offices. The presence of the Corporation serves as an effective tool to intervene the market so as to restrict the monopolistic character of the private traders, in order to keep the hank yarn rates within a reasonable level. Corporation serves a noble cause of social responsibility by catering to a sector, which consists of poor artisans/ handloom weavers in unorganized sector, engaged in the production of items of high cultural heritage and traditional value of Indian culture.

Few employees are going to superannuate at various levels in the next few years. To fill the vacuum that may be created by the superannuation of the employees at various levels, corporation has planned to train/ gear up its middle level executives to take up the higher responsibilities depending upon the requirements. For the last three years the existing business of NHDC of implementation of YSS/RMSS has taken a hit because of various reasons and of late majorly because of Covid 19 pandemic besides corporation is facing uncertain demand and delayed payments from state apex bodies.

3. OPPORTUNITIES AND THREATS:

There is a large scope to expand and diversify the business by reaching the untapped handloom sector consuming the hank yarn production. NHDC aspires to become a one stop solution for all handloom sector related development and industry related requirements of handloom weaver. In this regard the efforts are being made to optimize the existing resources and operational efficiency by restructuring the existing NHDC framework.

The yarn market is well developed and there is a competition with the private traders which are already well established and offer comparatively better credit and other facilities to the weavers. To combat the same, the corporation is obtaining and negotiating the yarn rates for bulk quantity discounts with a view to provide yarn to the handloom weavers at competitive/ lowest rates. Rates are placed on

स्थापित हैं और बुनकरों को तुलनात्मक रूप से बेहतर क्रेडिट और अन्य सुविधाएं प्रदान करते हैं। उसी से निपटने के लिए, निगम प्रतिस्पर्धी/सबसे कम दरों पर हथकरघा बुनकरों को यार्न प्रदान करने की दृष्टि से भारी मात्रा के लिए यार्न दरों में छूट प्राप्त कर रहा है और बातचीत कर रहा है। हथकरघा बुनकर एजेंसियों द्वारा पहुंच के लिए दरों को निगम की वेबसाइट पर मासिक आधार पर रखा जाता है, जिससे बेहतर पारदर्शिता आती है।

4. संभावनाः

निगम का मानना है कि यह साल दर साल नई ऊंचाइयों को हासिल करने के अपने विकास के प्लेटफार्म पर बना रहेगा। निगम अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए अपनी ताकत और कमजोरियों का फिर से आकलन करता है और उसी के अनुसार अपनी व्यावसायिक योजना तैयार करता है, जो निगम को अपने नए विकास क्षेत्र की पहचान करने में सक्षम करेगा।

5. संघटक–वार तथा उत्पाद–वार कार्य निष्पादनरू

यार्न, हथकरघा क्षेत्र को आपूर्ति की जाने वाली मुख्य कच्चा माल है, जो निगम के कारोबार में सबसे अधिक योगदान देती है। इसका योगदान वर्ष 2022–23 के दौरान निगम के वर्ष 2021–22 के दौरान कुल कारोबार 92.72% से बढ़कर 94.38% हो गया है। रंग और रसायनों का प्रतिशत हिस्सा वर्ष 2021–22 के दौरान 7.28% से घटकर वर्ष 2022–23 के दौरान 5.62% रह गया है।

निगम के कार्यों का खंड–वार विश्लेषण नीचे दिया गया हैः

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	खंड/उत्पाद	2022-23		2021-22	
		कारोबार	प्रतिशत	कारोबार	प्रतिशत
1	यार्न	1103.75	94.38%	740.44	92.72%
2	रंग और रसायन	65.73	5.62%	58.12	7.28%
कुल		**1169.48**	**100.00%**	**798.56**	**100.00%**

6. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उनकी उपयुक्तताः

निगम के पास आंतरिक नियंत्रण की एक प्रणाली है, जो लगातार विकसित हो रही है। आंतरिक नियंत्रण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए, व्यापक आंतरिक लेखा परीक्षा नियमावली के अलावा, आंतरिक लेखा परीक्षकों को समय–समय पर आवश्यकता के आधार पर नए चेक पॉइंट की भी सलाह दी जाती है। बोर्ड की मंजूरी के अनुसार, वित्त वर्ष 2022–23 के लिए, निगम के आंतरिक लेखा परीक्षा स्वतंत्र चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा की गई थी। आंतरिक नियंत्रण और लेखा परीक्षा प्रणालियों की लेखापरीक्षा समिति द्वारा सावधिक समीक्षा की जाती है और निरंतर सुधार के लिए जहां भी आवश्यक हो, सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं।

7. प्रचालनात्मक निष्पादन के संबंध में वित्तीय निष्पादन पर विचार–विमर्शः

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान निगम का कारोबार वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान 798.56 करोड़ रुपए की तुलना में 1169.48 करोड़ रुपए हुआ है। वित्त वर्ष 2021–22 में 2.64 करोड़ रुपये की हानि की तुलना में वित्त वर्ष 2022–23 के लिए 6.51 करोड़ रुपये का असाधारण मदों और कर पूर्व लाभ दर्ज किया गया है। निगम ने वित्त वर्ष 2021–22 में 1.57 करोड़ रुपये की हानि की तुलना में वित्त वर्ष 2022–23 में 5.21 करोड़ रुपये का निवल कर पश्चात लाभ (पीएटी) अर्जित किया। निगम का निवल मूल्य 31 मार्च, 2022 को 76.76 करोड़ रुपये से बढ़कर 31 मार्च, 2023 को

the corporation's website as well on monthly basis for access by the handloom weavers' agencies, resulting in better transparency.

4. OUTLOOK:

The corporation believes that it will continue to be on its growth platform achieving new heights year by year. To further strengthen its position the corporation keep re-assessing its strengths and weaknesses and preparing its business plan accordingly which shall enable the corporation to identify its new growth area.

5. SEGMENT-WISE AND PRODUCT WISE PERFORMANCE:

Yarn, being the main raw material supplied to the handloom sector, continues to be the highest contributor to the turnover of the corporation. Its contribution has increased from 92.72% of the total turnover of the corporation during the year 2021-22 to 94.38% during the year 2022-23. The percentage share of the dyes and chemicals has decreased from 7.28% during the year 2021-22 to 5.62% during the year 2022-23.

The segment wise analysis of the operations of the corporation is placed herein below:

(Rs. in crore)

S. No.	Segment/ product	2022-23		2021-22	
		Turnover	Percentage	Turnover	Percentage
1	Yarn	1103.75	94.38%	740.44	92.72%
2	Dyes & chemicals	65.73	5.62%	58.12	7.28%
	Total	**1169.48**	**100.00%**	**798.56**	**100.00%**

6. INTERNAL CONTROL SYSTEM AND THEIR ADEQUACY:

The corporation has a system of internal control, which is continuously evolving to. In order to make the internal control more effective, besides comprehensive Internal Audit Manual, the new check points are also advised to the internal auditors from time to time on need basis. As per the approval of the Board, for FY 2022-23, the Internal Audit of the corporation was conducted by outside independent Chartered Accountants. The internal control and audit systems are being reviewed periodically by the Audit Committee and corrective measures are taken, wherever necessary, for continuous improvement.

7. DISCUSSION ON FINANCIAL PERFORMANCE WITH RESPECT TO OPERATIONAL PERFORMANCE:

The turnover of the corporation during the FY 2022-23 is Rs. 1169.48 crore as compared to Rs 798.56 crore during FY 2021-22. A profit before extraordinary items and tax amounting to Rs. 6.51 Crore has been recorded for the F.Y. 2022-23 as compared to a loss of Rs. 2.64 crore in the FY 2021-22. Corporation earned a net profit after tax (PAT) of Rs. 5.21 crore in the FY 2022-23 in comparison to a loss of Rs. 1.57 crore in the FY 2021-22. The net worth of the corporation has increased from Rs. 76.76 crore as on 31st March, 2022 to Rs. 81.63 crore as on 31st March, 2023.

81.63 करोड़ रुपये हो गया है।

निगम का पुंजीगत ढांचा वित्त वर्ष 2022–23 में 100/– रुपए प्रत्येक के 19 लाख इक्विटी शेयर में विभाजित 19 करोड़ रुपए की प्रदत पूंजी के साथ अपरिवर्तित रहा। वित्त वर्ष 2022–23 में निगम को 5.21 करोड़ रूपये का लाभ हुआ। कंपनी के निदेशक मंडल ने समीक्षाधीन वर्ष के लिए सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा कोष में 50 लाख रुपये हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा, निदेशक मंडल द्वारा 156.45 लाख रुपये का लाभांश (पीएटी का 30%) की सिफारिश की गई है।

8. नियोजित कार्मिकों की संख्या सहित मानव संसाधन में विकासरू

कार्मिकों की दक्षता निगम का मुख्य केंद्र बिंदु रही है। निगम के कार्मिकों के कौशल उन्नयन के लिए तकनीकी, प्रबंधकीय और आईटी क्षेत्रों में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार, निगम के कार्मिकों की कुल संख्या 116 (पिछले वर्ष 126) है, जिसमें 11 (9.48%) अनुसूचित जाति (एससी) श्रेणी के कार्मिक, 06 (5.17%) अनुसूचित जनजाति (एसटी) से संबंधित कार्मिक, 19 (16.38%) अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी से संबंधित और 03 (2.59%) दिव्यांग (पीडब्ल्यूडी) श्रेणी से संबंधित कार्मिक शामिल हैं।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण रहे हैं।

9. निगम का सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर):

निगम ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के प्रावधानों और संशोधित डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार अपनी सीएसआर नीति को संशोधित किया है। संशोधित नीति नामतः 'एनएचडीसी सीएसआर एवं स्थिरता नीति 2014' को दिनांक 24 नवंबर, 2014 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल द्वारा मंजूरी के बाद इसे निगम की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया।

सीएसआर समिति की संरचना और अन्य संबंधित सूचना बोर्ड की रिपोर्ट के अनुबंध के अनुसार, निगम से संबंधित शासन प्रणाली की रिपोर्ट में दिया गया है, जो इस वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है।

10. अभिरक्षक वक्तव्य:

निगम के उद्देश्यों, अनुमानों और अपेक्षाओं का वर्णन करने वाली प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट में वक्तव्य लागू कानूनों और विनियमों के अर्थ में 'भावी वक्तव्य' हो सकते हैं। हालांकि, वास्तविक परिणाम व्यक्त या निहित से काफी हद तक भिन्न या भौतिक हो सकते हैं। निगम के प्रचालन को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण घटनाक्रमों में भारत में राजनीतिक और आर्थिक वातावरण में महत्वपूर्ण परिवर्तन शामिल हैं जिसमें देश में मुकदमेबाजी और हथकरघा गतिविधि शामिल है।

निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता/–
बीना महादेवन
अध्यक्ष
डीआईएन: 03483417

दिनांक: 22 दिसंबर, 2023

The capital structure of the corporation remained unchanged with the paid-up capital of Rs.19 crore divided into 19.00 Lakh equity share of Rs.100/- each in the FY 2022-23. Corporation has earned a profit of Rs. 5.21 Crore for the FY 2022-23. The Board of Directors of your company, has decided to transfer Rs. 50 Lakh to Post-retirement Medical Corpus for the year under review. Further, dividend of Rs. 156.45 Lakh (30% of PAT) has been recommended by the Board of Directors.

8. DEVELOPMENT IN HUMAN RESOURCE INCLUDING NUMBER OF PERSONS EMPLOYED:

Employees' efficiency has been the key focus of the corporation. Various training programmes in technical, managerial and IT areas are organized for upgrading the skills of the employees of the corporation.

Total number of employees of the Corporation as on 31st March, 2023 stands at 116 (Previous year 126) which include 11 (9.48%) employees belonging to Scheduled Castes (SC) category, 06 (5.17%) employees belonging to Scheduled Tribes (ST) category, 19 (16.38%) employees belonging to Other Backward Classes (OBC) category and 03 (2.59%) employees belonging to Persons with Disabilities (PWD) category.

The Industrial relations have been cordial and remained peaceful during the year under review.

9. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR):

Corporation has revised its CSR Policy in accordance with the provisions of Section 135 of the Companies Act 2013 and revised DPE guidelines. The revised policy named 'NHDC CSR & Sustainability Policy 2014' has been uploaded on corporation's website, after its approval by the Board of Directors in its meeting held on 24th November, 2014.

The Composition of the CSR Committee and other related information are provided in the Report of Corporate Governance, as annexures to the Board's Report, which forms part of this Annual report

10. CAUTIONARY STATEMENT:

Statements in the Management Discussion and Analysis Report describing the corporation's objectives, projections and expectations may be 'forward looking statements' within the meaning of applicable laws and regulations. The actual results may, however, differ substantially or materially from those expressed or implied. Important developments that could affect the corporation's operations include significant changes in the political and economic environment in India that involves litigations and handloom activity in the country.

For and on behalf of Board of Directors

Sd/-
Beena Mahadevan
Chairperson
DIN: 03483417

Date: 22nd December, 2023
Place: New Delhi

निदेशकों की रिपोर्ट संबंधी अनुबंध–ग

वित्तीय वर्ष 2021–22 के लेखाओं के संबंध में सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों पर निदेशक मंडल का उत्तर

क्र. सं.	सांविधिक लेखा परीक्षक की टिप्पणियां	निदेशक मंडल का उत्तर
1.	एनएचडीसी के ऊपर उल्लिखित "7" क्षेत्रीय कार्यालय हैं जहां से हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए हैंक यार्न की बिक्री/खरीद की जाती है जिस पर भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय, विकास आयुक्त कार्यालय, हथकरघा समय–समय पर घोषित योजना के अनुसार 15% सब्सिडी और अन्य दावे (जिसमें माल भाड़ा सब्सिडी और डिपो शुल्क शामिल हैं) प्रदान करता है। जैसा कि वित्तीय वर्ष 2018–19 और 2019–20 के वित्तीय खातों संबंधी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में बताया गया है, कंपनी के लखनऊ शाखा कार्यालय, जो वाराणसी क्षेत्रीय कार्यालय के अधीन था, ने शुरू में वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान वित्त वर्ष यानी 2018–19 की पहली तिमाही में क्रमशः 38504.00 लाख रुपये की कुल बिक्री और खरीद बुक की थी। इसमें से 19082.00 लाख रुपये की बिक्री और खरीद उक्त लखनऊ कार्यालय द्वारा ईआरपी लेखांकन प्रणाली में रद्द कर दी गई है। सीबीआई के पत्र के अनुसार, प्रबंधन और सीवीओ द्वारा फोरेंसिक लेखा परीक्षा और सतर्कता जांच की गई थी। इस मामले पर फोरेंसिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट और सतर्कता जांच रिपोर्ट क्रमशः फोरेंसिक लेखा परीक्षा और सीवीओ टीम द्वारा निदेशक मंडल के समक्ष 05.10.2021 को प्रस्तुत की गई थी। निदेशक मंडल के निर्देशों और सीबीआई के पत्र के अनुसार, इस संबंध में आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए फोरेंसिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट और सतर्कता जांच संबंधी रिपोर्ट सीबीआई को उपलब्ध करा दी गई है। कंपनी ने इस संबंध में सतर्कता रिपोर्ट और सीबीआई से प्राप्त आगे के पत्राचार/रिपोर्ट की प्रति हमें उपलब्ध नहीं कराई है। फोरेंसिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में किए गए अवलोकन के अनुसार बही–खातों में किसी प्रविष्टि के दर्ज नहीं किया गया है, न इसका हिसाब ही दिया गया है इसलिए हम कुल देनदारों (नोट संख्या 14(ii)) के साथ–साथ लेनदारों (संदर्भ संख्या 5(ii)) में दिखाए जा रहे 19422.00 लाख रुपये के क्रमशः उक्त देनदारों और लेनदारों पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।	2018–19 की पहली तिमाही के दौरान 190.82 करोड़ रुपये की बिक्री और खरीद रद्द कर दी गई है और उपरोक्त मामले को सीबीआई और सीवीसी को भेज दिया गया है। सीबीआई के पत्र के अनुसार, प्रबंधन और सीवीओ द्वारा फोरेंसिक ऑडिट और सतर्कता जांच की गई थी। इस मामले पर फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट और सतर्कता जांच रिपोर्ट क्रमशः फोरेंसिक ऑडिटर और सीवीओ टीम द्वारा 05.10.2021 को निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। निदेशक मंडल के निर्देशों और सीबीआई के पत्र के अनुसार, इस संबंध में आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट और सतर्कता जांच रिपोर्ट सीबीआई को प्रदान की गई है। सोसाइटियों/प्रयोक्ता एजेंसियों और आपूर्तिकर्ताओं से बकाया राशि का पता लगाने के लिए बोर्ड के अनुदेशों के अनुसार, 1 अप्रैल, 2017 से सेबी के पैनल में शामिल फोरेंसिक लेखा परीक्षक से लेन–देन लेखा परीक्षा शुरू कराई गई थी। लेन–देन लेखा परीक्षा अभी भी प्रक्रियाधीन है। लगभग 7000 प्रविष्टियों को एक दूसरे के साथ जांच/सत्यापित और मैप करने की आवश्यकता है। इसके पूरा होने पर, रिपोर्ट को आगे के आवश्यक निर्देश के लिए बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा। कंपनी ने सतर्कता रिपोर्ट की प्रति और सीबीआई से प्राप्त आगे के संप्रेषण/रिपोर्ट सांविधिक लेखा परीक्षक को प्रस्तुत कर दी है। हालांकि, दस्तावेज पूरी तरह से गोपनीय होने के कारण, इसकी प्रति सांविधिक लेखा परीक्षक को प्रदान नहीं की जा सकती थी क्योंकि उन्होंने दस्तावेजों/रिपोर्टों की गोपनीयता बनाए रखने का वचनबद्धता देने से इनकार कर दिया था।

ANNEXURE C TO THE DIRECTORS REPORT

REPLY OF THE BOARD OF DIRECTORS ON THE COMMENTS OF THE STATUTORY AUDITORS ON THE ACCOUNTS FOR THE FY 2022-23

S. N.	Comments of Statutory Auditors	Reply of the Board of Directors
1.	NHDC having "7" Regional offices as mentioned above from where sale/purchase of Hank Yarn is undertaken to promote the Handloom Sector on which Government of India, Ministry of Textile office of the Development Commissioner, Handloom provide 15 % Subsidy and other claims (which includes freight subsidy and depot charges) as per scheme announced time to time. As pointed in Audit report on the Financial Accounts of FY 2018-19 and 2019-20 the Company's Lucknow branch Office, which was under Varanasi Regional Office, had initially booked total Sales & Purchase during the Financial year 2018-19 amounting to Rs. 38504.00 lacs in the 1st Quarter of Financial year i.e. 2018-19 respectively. Out of this, Sales and Purchase to the tune of Rs. 19082.00 lacs have been cancelled by the said Lucknow Office in ERP accounting system. As per the CBI communication, the Forensic Audit and Vigilance probe were taken up by the management and the CVO. The Forensic Audit Report and the Vigilance Probe report on the matter were presented by the Forensic Auditor and the CVO team respectively, before the Board of Directors on 05.10.2021. As per the directions of the Board of Directors and the CBI letter, the Forensic Audit Report and the Vigilance Probe Report has been provided to CBI for further necessary action in this regard. The Company has not provided copy of Vigilance report and further communication/report received from CBI in this regard to us. No entries have been ascertained and accounted for in the books as per the observation made in Forensic Audit Report, hence we are unable to comment on the said debtors and creditors of Rs. 19422.00 lacs respectively being shown in total debtors (Refer Note No. 14(ii)) as well as Creditors (Refer Not No. 5 (ii)).	During the 1st Quarter of 2018-19 the sales and purchase to the tune of Rs. 190.82 Crores have been cancelled and the above matter has been referred to CBI and CVC. As per the CBI communication, the Forensic Audit and Vigilance probe were taken up by the management and the CVO. The Forensic Audit Report and the Vigilance Probe report on the matter were presented by the Forensic Auditor and the CVO team respectively, before the Board of Directors on 05.10.2021. As per the directions of the Board of Directors and the CBI letter, the Forensic Audit Report and the Vigilance Probe Report has been provided to CBI for further necessary action in this regard. As per instruction of the Board to ascertain the amount outstanding from the societies/user agencies and the suppliers, the transaction audit from a SEBI empanelled forensic auditor from 1st April, 2017 onwards was initiated. Transaction audit is still under process. There being approximately 7000 entries need to be checked / verified and mapped with each other. Upon completion, report shall be placed before the Board for further necessary instruction. The Company has presented the copy of Vigilance report and further communication/report received from CBI to the statutory auditor. However, documents being strictly confidential, copy of the same couldn't be provided to the statutory auditor as it denied to give undertaking of maintaining confidentiality of the documents/reports.

क्र. सं.	सांविधिक लेखा परीक्षक की टिप्पणियां	निदेशक मंडल का उत्तर
2.	जैसा कि नोट संख्या "4क" में बताया गया है कि 2356.55 लाख रुपये कॉर्पस फंड (मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स) में जमा है और तदनुसार तुलन पत्र की अनुसूची 11 के अनुसार सावधि जमा में निवेश किए गए हैं। 31 मार्च 2017 तक कॉर्पस फंड (मार्केट कॉम्प्लेक्स) की सावधि जमा पर अर्जित ब्याज को संबंधित कॉर्पस फंड में जमा किया गया था, लेकिन वित्तीय वर्ष 2017–18 और 2018–19 के दौरान क्रमशः 122.00 लाख रुपये और 120.00 लाख रुपये की सावधि जमा राशि पर ब्याज को कॉर्पस फंड (मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स) में जमा करने के बजाय निगम की ब्याज आय के रूप में लिया गया है। तथापि, वित्त वर्ष 2019–20 से कॉर्पस फंड (मार्केट कॉम्प्लेक्स) के एफडीआर पर अर्जित ब्याज आय कॉर्पस फंड्स (मार्केट कॉम्प्लेक्स) में जमा कराई जा रही है। कंपनी ने इस संबंध में कोई उत्तर नहीं दिया है; इसलिए हम ऊपर उल्लिखित कॉर्पस फंड में वापस की जाने वाली अतिरिक्त राशि पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।	इस संबंध में सुधारात्मक कार्रवाई के लिए पिछले ब्याज आय का विस्तृत विश्लेषण और मिलान करने की आवश्यकता है, ताकि कंपनी अधिनियम, 2013 और आयकर अधिनियम, 1961 के तहत सबसे उपयुक्त लेखा सुधार/सुधारात्मक कार्रवाई का आकलन किया जा सके। इस संबंध में, निदेशक मंडल द्वारा निर्देशित अनुसार, विशेषज्ञ की राय मांगी जा रही है और तदनुसार, सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।
3.	नोट सं "4(ख)" के अनुसार, 31–03–2023 की स्थिति के अनुसार, 1191.16 लाख रुपये कॉर्पस फंड (मेगा क्लस्टर) में जमा थे। 31 मार्च 2017 तक, वित्तीय वर्ष 2017–18 और 2018–19 के दौरान कॉर्पस फंड (मेगा क्लस्टर) में जमा करने के बजाय सावधि जमा पर ब्याज को निगम की ब्याज आय के रूप में लिया गया है, तथापि, वित्त वर्ष 2019–20 से, कॉर्पस फंड (मेगा क्लस्टर) के एफडीआर पर अर्जित ब्याज आय कॉर्पस फंड (मेगा क्लस्टर) में जमा की गई है। कंपनी ने इस संबंध में कोई उत्तर नहीं दिया है; इसलिए हम ऊपर उल्लिखित कॉर्पस फंड में वापस की जाने वाली अतिरिक्त राशि पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं। हमारी राय में, चूंकि यह राशि कंपनी के पास बेकार पड़ी है, इसलिए इसे मंत्रालय को वापस कर दिया जाना चाहिए।	जैसा कि उपर्युक्त बिंदु में बताया गया है, विशेषज्ञ की राय मांगी जा रही है और तदनुसार, सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।
4.	नोट संख्या 4(ग) के अनुसार, 31–03–2023 की स्थिति के अनुसार 96.94 लाख रुपये कॉर्पस फंड, (व्यापार सुविधा केंद्र) में जमा थे, कंपनी को वसूल किए गए किराए, उस पर खर्च/कर, कॉर्पस में जमा नहीं की गई निधियों पर अर्जित ब्याज, सुविधा के निर्माण के लिए देय राशि का मिलान उपलब्ध नहीं कराया गया है, इसलिए लेखाओं पर इसके प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सकता है।	टीएफसी और सीएफसी परियोजनाओं को विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) को सौंप दिया गया। एनएचडीसी को वि. आ. (हस्तशिल्प) से 1.82 करोड़ रुपये प्राप्त होने हैं, जिसमें अन्य खर्च अर्थात् रखरखाव और बिजली शुल्क आदि शामिल हैं। दोनों पक्षों से देय राशि के साथ–साथ प्राप्तियों का मिलान किया जा रहा है। एनएचडीसी न तो देय राशि पर कोई ब्याज लगाता है और न ही कोई ब्याज दिया जा रहा है। वसूली योग्य राशि देय राशि का लगभग दोगुना है। इसके बाद, मिलान पूरा होने पर, आवश्यक कार्रवाई शुरू की जाएगी।

S. N.	Comments of Statutory Auditors	Reply of the Board of Directors
2.	As stated in Note No. “4A” Rs. 2356.55 lacs is Standing to the Credit of Corpus Fund (Marketing Complex) and correspondingly invested in Fixed Deposits as Per Schedule 11 of the Balance Sheet. Interest earned on Fixed Deposits of Corpus Funds (Market Complexes) till 31st March 2017, was credited to respective Corpus Fund, but during the financial year 2017-18 and 2018-19 the interest on fixed deposit amounting to Rs. 122.00 lacs and Rs. 120.00 lacs respectively has been taken as interest income of the Corporation instead of crediting to the Corpus Fund (Marketing Complex). However, from financial year 2019-20 onwards, interest income earned on FDR of Corpus Funds (Market Complexes) has been credited to Corpus Funds (Market Complexes). The company has not provided any reply in this regard; hence we are unable to comment on excess amount refundable to the Corpus Fund referred above.	Corrective action in this regard requires a detailed analysis and reconciliation of past interest income, so as to assess the most appropriate accounting treatment/ corrective action under the Companies Act, 2013 and the Income Tax Act, 1961. In this regard, as directed by the Board of Directors, expert opinion is being sought and corrective action shall be taken accordingly.
3.	As Per Note No. “4(B)”, As on 31-03-2023 Rs, 1191.16 lacs was standing to the Credit of Corpus Fund (Mega Cluster), till 31st March 2017, the interest on fixed deposit has been taken as Interest income of the Corporation, instead of crediting to the Corpus Fund (Mega Cluster) during the financial year 2017-18 and 2018-19, However, from financial year 2019-20, interest income earned on FDR of Corpus Fund (Mega Cluster) has been credited to Corpus Funds (Mega Cluster). The company has not provided any reply in this regard; hence we are unable to comment on excess amount refundable to the Corpus Fund referred above.	As explained in above point, expert opinion is being sought and corrective action shall be taken accordingly.
4.	As Per Note No ‘4(C)’, As on 31-03-2023 Rs 96.94 lacs was standing to the Credit of Corpus Fund, (Trade Facilitation Centre), The Company has not been provided the reconciliation of rent recovered, expenses/ taxes thereon, interest earned on the funds not credited to Corpus, amount payable for the construction of facility, Hence the impact thereof on the accounts cannot be ascertained.	TFC & CFC projects were handed over to Development Commissioner (Handicraft). NHDC has to receive Rs. 1.82 Crores from the O/o DC (H/C), which includes other expenses i.e. maintenance and electricity charges etc. Reconciliation of payables as well as receivables from both sides is being carried out. NHDC neither levy any interest on the due amount nor any interest is being paid. Recoverable amount is almost twice of payable amount. Thereafter, on completion of reconciliation, necessary action shall be initiated.

क्र. सं.	सांविधिक लेखा परीक्षक की टिप्पणियां	निदेशक मंडल का उत्तर
5.	01.03.2018 से 31.03.2018 के दौरान की गई 21579.00 लाख रुपये की बिक्री के कारण 2266.00 लाख रुपये का सेवा शुल्क और सब्सिडी घटक कंपनी द्वारा वित्त वर्ष 2018–2019 के दौरान वापस ले लिया गया था क्योंकि वस्त्र मंत्रालय (एमओटी) ने कंपनी को सब्सिडी राशि की प्रतिपूर्ति नहीं की। इस तथ्य के परिणामस्वरूप कि वस्त्र मंत्रालय से 2158.00 लाख रुपये की सब्सिडी प्राप्त नहीं हुई थी, कंपनी ने भारत सरकार से देय प्राप्तियों में से 2158.00 लाख रुपये कम कर दिए और उसे आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम के रूप में बुक कर दिया। इसके अतिरिक्त, इसके संबंध में एनएचडीसी ने आपूर्तिकर्ताओं को 181500 लाख रुपए सब्सिडी के रूप में संवितरित किए हैं, यद्यपि यह भारत सरकार से प्राप्त नहीं हुई है। कंपनी ने इस संबंध में कोई उत्तर नहीं दिया हैय इसलिए हम वितरित 1815.00 लाख रुपये की वसूली पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।	एनएचडीसी यार्न आपूर्ति योजना (पूर्ववर्ती योजना) को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी है। वाईएसएस योजना के प्रावधानों के अनुसार, एनएचडीसी विभिन्न उपयोगकर्ता एजेंसियों द्वारा दिए गए मांग–पत्रों की ओर से आपूर्तिकर्ताओं को आदेश देता है। प्रयोक्ता एजेंसियां लेन–देन मूल्य का 90% भुगतान करती हैं और शेष 10% का भुगतान भारत सरकार द्वारा एनएचडीसी के माध्यम से सब्सिडी के रूप में किया जाता है और एनएचडीसी आपूर्तिकर्ता मिलों को लेनदेन मूल्य का 100% जारी किया गया है, लेकिन भारत सरकार द्वारा इसकी प्रतिपूर्ति नहीं की गई थी। इस मामले के लिए, एनएचडीसी ने उपयोगकर्ता एजेंसियों से केवल 90% हिस्सा प्राप्त किया और आपूर्तिकर्ता मिलों को 100% का भुगतान किया और 21.58 करोड़ रुपये की 10% सब्सिडी की राशि (यानी मार्च, 2018 की बिक्री के लिए 215.79 करोड़ रुपये का 10%) आपूर्तिकर्ताओं को डेबिट करके उनके खातों में समायोजित किया गया, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि भारत सरकार ने एनएचडीसी को सब्सिडी की उपरोक्त राशि की प्रतिपूर्ति नहीं की थी। 01.04.2018 से 30.06.2018 तक के लेनदेन को जांच एजेंसियों को भेज दिया गया है। सीबीआई के पत्र के अनुसार, प्रबंधन और सीवीओ द्वारा फोरेंसिक ऑडिट और सतर्कता जांच की गई थी। इस मामले पर फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट और सतर्कता जांच रिपोर्ट क्रमशः फोरेंसिक ऑडिटर और सीवीओ टीम द्वारा 05.10.2021 को निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। निदेशक मंडल के निर्देशों और सीबीआई के पत्र के अनुसार, इस संबंध में आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट और सतर्कता जांच रिपोर्ट सीबीआई को प्रदान की गई है। सोसाइटियों/प्रयोक्ता एजेंसियों और आपूर्तिकर्ताओं से बकाया राशि का पता लगाने के लिए बोर्ड के अनुदेशों के अनुसार, 1 अप्रैल, 2017 से सेबी के पैनल में शामिल फोरेंसिक लेखा परीक्षक से लेन–देन लेखा परीक्षा शुरू कराई गई थी। लेन–देन लेखा परीक्षा अभी भी प्रक्रियाधीन है। लगभग 7000 प्रविष्टियों को एक दूसरे के साथ जांच/सत्यापित और मैप करने की आवश्यकता है। इसके पूरा होने पर, रिपोर्ट को आगे के आवश्यक निर्देश के लिए बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा।

S. N.	Comments of Statutory Auditors	Reply of the Board of Directors
5.	Service charge and subsidy component of Rs 2266.00 lacs on account of sales of Rs 21579.00 lacs made during 01.03.2018 to 31.03.2018 was reversed by the Company during FY 2018-2019 as Ministry of Textiles (MOT) did not reimburse the subsidy amount to the company. Consequent to the fact that subsidy of Rs 2158.00 lacs was not received from the MOT, the company reduced Rs 2158.00 lacs from receivables due from Government of India and booked the same as advance to suppliers. Further in respect of same, NHDC has disbursed Rs 1815.00 lacs as subsidy to the suppliers, even though the same is not received from Government of India. The company has not provided any reply in this regard; hence we are unable to comment on the recoverability of Rs. 1815.00 lacs disbursed	NHDC is the nodal agency for implementing Yarn Supply Scheme (erstwhile scheme). As per the provisions of the YSS scheme, NHDC places the orders to the suppliers on behalf of the indents given by the various user agencies. The user agencies pay 90% of transaction value and rest of 10% is paid by Government of India in form of the subsidy through NHDC and NHDC releases 100% of transaction value to the Supplier Mills, but the same was not reimbursed by Government of India. For this case, NHDC received only 90% share from user agencies and paid 100% to the supplier mills, amount of 10% subsidy of Rs.21.58 crore (i.e.10% of Rs.215.79 crore for the sales of March,2018) adjusted in their book of accounts by debiting the suppliers considering the fact the Government of India didn't reimburse the aforesaid amount of subsidy to the NHDC. The transaction from 01.04.2018 to 30.06.2018 has been referred to investigating agencies. As per the CBI communication, the Forensic Audit and Vigilance probe were taken up by the management and the CVO. The Forensic Audit Report and the Vigilance Probe report on the matter were presented by the Forensic Auditor and the CVO team respectively, before the Board of Directors on 05.10.2021. As per the directions of the Board of Directors and the CBI letter, the Forensic Audit Report and the Vigilance Probe Report has been provided to CBI for further necessary action in this regard. As per instruction of the Board to ascertain the amount outstanding from the societies/user agencies and the suppliers, the transaction audit from a SEBI empanelled forensic auditor from 1st April, 2017 onwards was initiated. Transaction audit is still under process. There being approximately 7000 entries need to be checked / verified and mapped with each other. Upon completion, report shall be placed before the Board for further necessary instruction.

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>सांविधिक लेखा परीक्षक की टिप्पणियां</th><th>निदेशक मंडल का उत्तर</th></tr>
<tr><td>6.</td><td>कंपनी को हथकरघा विकास आयुक्त के कार्यालय से 7 जुलाई 2022 का एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें विभिन्न प्रदर्शनियों के संबंध में 311.36 लाख रुपये के दावे को खारिज कर दिया गया है। इसलिए, 311.36 लाख रुपये की सीमा तक वसूली योग्य दावों को बढ़ा–चढ़ाकर बताया गया है और नुकसान को कम बताया गया है।</td><td>कंपनी को हथकरघा विकास आयुक्त के कार्यालय से दिनांक 7 जुलाई 2022 को एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें विभिन्न प्रदर्शनियों के संबंध में 311.36 लाख रुपये के दावे को अस्वीकार कर दिया गया है। हालांकि, एनएचडीसी ने एमओटी से प्रतिपूर्ति के लिए अनुरोध किया है कि देश भर में कोविड–19 महामारी की स्थिति के कारण, बिल प्राप्त करने में देरी हो रही है। तदनुसार, इससे यूसी जमा करने में देरी हुई। दावों की वसूली के बाद आवश्यक समायोजन कर दिए जाएंगे।</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>कंपनी ने वित्त वर्ष 19–20 और 22–23 के दौरान आयोजित प्रदर्शनी पर किए गए खर्च के कारण वस्त्र मंत्रालय, केंद्र सरकार (जिसे बाद में 'एमओटी' कहा गया है) से क्रमशः 143.12 लाख रुपये और 10.51 लाख रुपये की वसूली दिखाई है। तथापि, वस्त्र मंत्रालय के दिशा–निर्देशों के अनुसार उक्त राशि की प्रतिपूर्ति नहीं की जा सकती है। कंपनी ने वस्त्र मंत्रालय द्वारा ऐसे दावों की स्वीकृति के समर्थन में कोई सबूत नहीं दिया है, इसलिए 153.64 लाख रुपये की सीमा तक एमओटी से वसूली योग्य दावों को बढ़ा–चढ़ाकर बताया गया है और नुकसान को कम बताया गया है।</td><td>शेष राशि की प्रतिपूर्ति के लिए एमओटी के साथ किए गए पत्राचार सांविधिक लेखा परीक्षकों को प्रस्तुत किए गए थे। सभी दावे एमओटी को प्रस्तुत किए गए हैं, एमओटी से भुगतान अभी भी प्राप्त नहीं हुआ है। एमओटी से भुगतान प्राप्त करने के बाद, आवश्यक समायोजन किया जाएगा।</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>कंपनी ने मंत्रालय को प्राप्य/देय निम्नलिखित शेष राशियां भी दर्शाई हैं लेकिन इसके संबंध में हमें कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण/दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसलिए हम इस पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।
<table>
<tr><th>विवरण</th><th>प्राप्य/देय शेष राशि</th></tr>
<tr><td>वाराणसी में 7 सीएफसी के लिए भवन का निर्माण</td><td>12496280.00 Dr</td></tr>
<tr><td>दयाल हस्तकला संकुल ट्रेड एंड मुसेम सेंटर (टीएफसी) से</td><td>2965263.20 Dr</td></tr>
<tr><td>प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन का खर्च</td><td>241005.00 Dr</td></tr>
<tr><td>फ्रांस के राष्ट्रपति की यात्रा</td><td>897474.00 Dr</td></tr>
<tr><td>सीएचडीएस–वाराणसी मेगा क्लस्टर</td><td>287474.00Cr</td></tr>
</table></td><td>टीएफसी और सीएफसी परियोजनाओं को विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) को सौंप दिया गया। एनएचडीसी को वि. आ. (हस्तशिल्प) से 1.82 करोड़ रुपये प्राप्त होने हैं, जिसमें अन्य खर्च यानी रखरखाव और बिजली शुल्क आदि शामिल हैं। दोनों पक्षों से देय राशि के साथ–साथ प्राप्तियों का मिलान किया जा रहा है। एनएचडीसी न तो देय राशि पर कोई ब्याज लगाता है और न ही कोई ब्याज दिया जा रहा है। वसूली योग्य राशि देय राशि का लगभग दोगुना है। इसके बाद, मिलान पूरा होने पर, आवश्यक कार्रवाई शुरू की जाएगी।

इसकी वसूली के लिए विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) को पत्राचार करने की प्रक्रिया चल रही है।</td></tr>
<tr><td>9.</td><td>कंपनी ने मंत्रालय से पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए बिना प्रदर्शनियों पर 7.91 लाख रुपये खर्च किए हैं। इसलिए, हम यह टिप्पणी करने में असमर्थ हैं कि यह वसूली योग्य है या नहीं।</td><td>एनसीएचटी, हथकरघा हाट, जनपथ नई दिल्ली में दिनांक 06–03–2023 से 12–03–2023 तक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस–2023 के अवसर पर एसएचई के आयोजन के लिए प्रशासनिक अनुमोदन लेखा परीक्षकों को दिखाया गया।</td></tr>
<tr><td>10.</td><td>नोट संख्या 19 में अन्य आय में बैंक/वाहन ऋण/अन्य से ब्याज से 456.68.00 लाख रुपये की आय शामिल है, हम इस पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं क्योंकि हमें कोई दस्तावेजी सबूत और स्पष्टीकरण प्रदान नहीं किया गया है।</td><td>ऑडिट टीम द्वारा सभी मिलान किए गए हैं और जहां भी आवश्यक हो, आवश्यक दस्तावेज साझा किए गए थे। लेखा परीक्षक द्वारा आय और व्यय की विधिवत पुष्टि की गई है। लेखा परीक्षकों की पुष्टि के बाद इसे ध्यान में रखा गया।</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>S. N.</th><th>Comments of Statutory Auditors</th><th>Reply of the Board of Directors</th></tr>
<tr><td>6.</td><td>The Company has received a letter from office of Development Commissioner of Handloom dated 7th July 2022 rejecting claim of Rs. 311.36 lacs in respect of various exhibitions Hence, to the extent of Rs 311.36 lacs the claims recoverable are over stated and loss is under stated.</td><td>The Company has received a letter from office of Development Commissioner of Handloom dated 7th July 2022 rejecting claim of Rs. 311.36 lacs in respect of various exhibitions citing its time barred. However, NHDC has requested the MOT for reimbursement citing that due to covid-19 pandemic situations across the country, there were delay in receiving of bills. Accordingly, it caused delay in submission of UC. Once the claims are recovered necessary adjustments shall be made.</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>The Company has shown Rs 143.12 lacs and Rs 10.51 lacs recoverable from Ministry of Textile, Central Government (here in after referred as “MOT”) on account of expenses incurred on ‘Exhibition organized during FY 19-20 & 22-23 respectively. However, as per guidelines of MOT, said amounts are not reimbursable. The Company has not provided any evidence in support of acceptance of such claims by MOT, hence to the extent of Rs 153.64 lacs the claims recoverable from MOT are over stated and loss is under stated.</td><td>Communications made with MOT for reimbursement of balance amount were presented to the Statutory Auditors. All the claims have been submitted to MOT, the payment still not received from the MOT. After receiving the payment from MOT, necessary adjustment will be made.</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>The Company has also shown following balances receivable/payable to/from the Ministry but no satisfactory explanation/ documentary evidence in respect of same has been provided to us.

Hence, we are unable to comment on same.

<table>
<tr><th>Particulars</th><th>Balance Receivable/ Payable</th></tr>
<tr><td>Construction of Building for 7CFC in Varanasi</td><td>12496280.00 Dr</td></tr>
<tr><td>Din Dayal Hastkala Sankul Trade & Museum Centre (TFC)</td><td>2965263.20 Dr</td></tr>
<tr><td>Inauguration Expenses by PM</td><td>241005.00 Dr</td></tr>
<tr><td>Visit of French President</td><td>897474.00 Dr</td></tr>
<tr><td>CHDS-Varanasi Mega Cluster</td><td>287474.00 Cr</td></tr>
</table></td><td>TFC & CFC projects were handed over to Development Commissioner (Handicraft). NHDC has to receive Rs. 1.82 Crores form the O/o DC (H/C), which includes other expenses i.e. maintenance and electricity charges etc. Reconciliation of payables as well as receivables from both sides is being carried out. NHDC neither levy any interest on the due amount nor any interest is being paid. Recoverable amount is almost twice of payable amount. Thereafter, on completion of reconciliation, necessary action shall be initiated.

Communication to Development Commissioner (Handicraft) for recovery of same is under process.</td></tr>
<tr><td>9.</td><td>The Company has incurred Rs. 7.91 lacs on exhibitions without getting prior sanction from the ministry. Hence, we are unable to comment whether same is recoverable or not.</td><td>Administrative approval for organizing of SHE on occasion of “International Women’s Day-2023 at NCHT, Handloom Haat, Janpath New Delhi from 06-03-2023 to 12-03-2023 was shown to the auditors.</td></tr>
<tr><td>10.</td><td>In Note No 19 Other Income includes Income from Interest from Bank /vehicle loan/others amounting to Rs 456.68.00 lacs, we are unable to comment on same as no documentary evidence and explanation has been provided to us.</td><td>All the reconciliation has been done by the audit team and requisite documents was shared wherever required. Income and expenditure have been duly confirmed by the Auditor. After auditors’ confirmation the same was taken into consideration.</td></tr>
</table>

क्र. सं.	सांविधिक लेखा परीक्षक की टिप्पणियां	निदेशक मंडल का उत्तर
11.	नोट संख्या 19 में अन्य आय में देनदारियों अतिरिक्त प्रावधानित 150.00 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि वापस लिखी गई है, हम उस पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं क्योंकि हमें कोई दस्तावेजी सबूत और स्पष्टीकरण प्रदान नहीं किया गया है।	निदेशक मंडल ने अपनी 178वीं बैठक में वित्त वर्ष 2018–19 और उसके बाद हुए नुकसान के कारण 150 लाख रुपये की अनुग्रह राशि के लिए किए गए पूर्व प्रावधान को वापस लेने के लिए अपनी मंजूरी दे दी। तत्पश्चात कार्यवृत्त की प्रति लेखा परीक्षकों को प्रस्तुत की गई।
12.	कंपनी ने इसमें संलग्न अनुबंध 'घ' में उल्लिखित 1429.96 लाख रुपये की अनुदान प्राप्य राशि और 693.61 लाख रुपये की अनुदान वापसी के संबंध में कोई दस्तावेज और स्पष्टीकरण प्रदान नहीं किया है, इसलिए हम उस पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।	प्राप्य/वापसी योग्य अनुदानों के संदर्भ में सभी दस्तावेज सांविधिक लेखा परीक्षकों को प्रदान किए गए थे। शेष राशि वापस कर दी गई है।
13.	कंपनी ने क्लस्टर आर्किस्टों के मानचित्रण और वीडियो फिल्मांकन के लिए दिसंबर 2020 में प्राप्त 90.00 लाख रुपये के अनुदान के उपयोग की स्थिति की कोई सूचना प्रदान नहीं की हैय इसलिए हम इस पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।	90.00 लाख रुपये के अनुदान का उपयोग के संदर्भ में सभी दस्तावेज सांविधिक लेखा परीक्षकों प्रदान किए गए हैं। यूसी प्रस्तुत किया गया है।
14.	कंपनी ने नवंबर, 2019 से मार्च, 2022 की अवधि के लिए संतुष्टि दुकान पर 34.75 लाख रुपये के व्यय का दावा किया है, तथापि, इस संबंध में सरकार से कोई अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया है, इसलिए हम इसकी वसूली पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।	ब्यौरा लेखा परीक्षकों को प्रदान किया गया है। पूर्ण यूसी प्रस्तुत किया गया है। मंत्रालय से मंजूरी मिलनी बाकी है।
15.	कंपनी ने वित्त वर्ष 2018–19 में इंडियन ओवरसीज बैंक, लखनऊ शाखा द्वारा दो बार भुगतान किए गए 660.62 लाख रुपये की वसूली के लिए की गई कार्रवाई और कानूनी राय की स्थिति की कोई सूचना प्रदान नहीं की है। फोरेंसिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार आज की तारीख तक पार्टीवार किए गए दोगुने/अधिक भुगतान का मिलान नहीं किया गया है। हम बैंक द्वारा दो बार भुगतान की गई 660.62 लाख रुपये की वसूली पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।	लेखा परीक्षकों को ब्यौरा पहले ही उपलब्ध करा दिया गया है। 1. उपर्युक्त मामले को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो और केन्द्रीय सतर्कता आयोग को भेज दिया गया है। सीबीआई के पत्र के अनुसार, प्रबंधन और सीवीओ द्वारा फोरेंसिक ऑडिट और सतर्कता जांच की गई थी। इस मामले पर फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट और सतर्कता जांच रिपोर्ट क्रमशः फोरेंसिक ऑडिटर और सीवीओ टीम द्वारा 05.10.2021 को निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। निदेशक मंडल के निर्देशों और सीबीआई के पत्र के अनुसार, इस संबंध में आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट और सतर्कता जांच रिपोर्ट सीबीआई को प्रदान की गई है। 2. इस संबंध में पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई गई है। 3. इस मामले को बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक के लोकपाल के समक्ष उठाया गया है।
16.	कंपनी ने 17.45 लाख रुपये के बीजक (इनवॉयस) पर वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के तहत टीडीएस नहीं काटा है।	टीडीएस काटा गया और जमा किया गया है। बीजक की प्रति लेखा परीक्षकों के साथ साझा की गई थी।
17.	कंपनी ने चांजोर टूर्स एंड ट्रैवल्स (प्रा.) लिमिटेड को भुगतान की गई 1.90 लाख रुपये की राशि पर आयकर अधिनियम के तहत टीडीएस नहीं काटा है।	
18.	वर्ष के दौरान, कंपनी ने भागीदारी राशि के रूप में 1.05 लाख रुपये प्राप्त किए हैं और इसे आय मद में ले लिया है, तथापि, नीतिगत दिशानिर्देशों के अनुसार, मंत्रालय को उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करते समय इसे समायोजित किया जाना है जो नहीं किया गया है। इस प्रकार, आय 1.05 लाख रुपये से अधिक बताई गई है।	सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार, विविध आय मद के अंतर्गत भागीदारी राशि शामिल/दर्ज की गई थी।

S. N.	Comments of Statutory Auditors	Reply of the Board of Directors
11.	In Note No 19 Other Income includes Income under liabilities /excess provisions written back amounting to Rs 150.00 lacs, we are unable to comment on same as no documentary evidence and explanation has been provided to us.	Board of Directors in its 178th Meeting accorded its approval for reversal of earlier provision made for ex-gratia amounting to Rs. 150 Lakh due to losses in F.Y. 2018-19 and thereafter. Copy of minutes was presented to the auditors.
12.	The company has not provided any documents and explanation with respect to Grants Receivable amounting to Rs 1429.96 lacs and Grani Refundable amounting to Rs 693.61 lacs as referred in Annexure 'D' annexed herewith, hence we are unable to comment thereon.	All the documents w.r.t. grants receivable/ refundable were provided to the statutory auditors. Balance amount has been refunded.
13.	The Company has not provided any status of utilization of grant Rs 90.00 lacs received in Dec 2020 for Mapping and Video filming of cluster arcticians; hence we are unable to comment on same.	All the documents w.r.t. utilization of grant Rs 90.00 lacs were provided to the statutory auditors. UC has been submitted.
14.	The Company has claimed expenditure of Rs 34.75 lacs on Santushti shop for the period November, 2019 to March, 2022, however no approval received from Government in this regard is provided to us hence we are unable to comment on the recoverability thereof.	Details provided to the Auditors. Total UC submitted. Approval is pending from the ministry.
15.	The Company has not provided any status of action taken and legal opinion for recovery of Rs 660.62 lacs paid twice by Indian Overseas Bank, Lucknow branch in Financial Year 2018-19, As per Forensic Audit report till date party wise double/excess payment made has not been reconciled. We are unable to comment on the recoverability of Rs 660.62 lacs paid twice by bank.	Details has already been provided to the Auditors. 1. The above matter has been referred to CBI and CVC. As per the CBI communication, the Forensic Audit and Vigilance probe were taken up by the management and the CVO. The Forensic Audit Report and the Vigilance Probe report on the matter were presented by the Forensic Auditor and the CVO team respectively, before the Board of Directors on 05.10.2021. As per the directions of the Board of Directors and the CBI letter, the Forensic Audit Report and the Vigilance Probe Report has been provided to CBI for further necessary action in this regard. 2. A police complaint has also been made in this regard. 3. Matter has been taken up with the Bank and RBI ombudsman.
16.	The Company has not deducted TDS under Goods and Service Tax Act, on invoices amounting to Rs 17.45 lacs.	TDS was deducted and deposited. Copy of challan was shared with the auditors.
17.	The Company has not deducted TDS under Income Tax Act on amount of Rs 1.90 lacs paid to Chanjor Tours and Travels (P) Ltd.	
18.	During the year, company has received Rs 1.05 lacs as participation money and taken the same to income head, However, as per policy guidelines, same has to be adjusted while submitting UC to Ministry which has not been done. Thus, income is overstated by Rs. 1.05 lacs.	As suggested by the Statutory Auditors, the participation money was taken/recorded under the head miscellaneous income.

क्र. सं.	सांविधिक लेखा परीक्षक की टिप्पणियां	निदेशक मंडल का उत्तर
19.	हुडको प्लाजा, बीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली में हथकरघा विपणन परिसर की स्थापना के संबंध में, लेखा परीक्षा के प्रधान निदेशक कार्यालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 09.03.2022 की अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित टिप्पणियां की गई थीं। (क) बकाया राशि का भुगतान न करने का कोई कारण रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं था। कार्यान्वयन एजेंसी होने के नाते एनएचडीसी यह सुनिश्चित करने में विफल रहा है कि 2017 के बाद एसडीएमसी को किए गए संपत्ति कर का वैधानिक भुगतान किया गया है और आगे बिल्डर (एचडीसीओ) को 157.17 लाख रुपये के ग्राउंड रेंट और रखरखाव शुल्क के बकाया का भुगतान नहीं किया गया है। इससे हुडको के साथ पट्टा विलेज (लीज डीड) का निष्पादन प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा, एनएचडीसी के खिलाफ जुर्माना शुल्क बनेगा और उस पर जुर्माना संबंधी कार्रवाई की जा सकती है क्योंकि यह दुकानों का मूल आवंटी है। (ख) एनएचडीसी ने उन लाभार्थी एजेंसियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है जिन्होंने अपने हिस्से के व्यय की प्रतिपूर्ति नहीं की है, इसके बजाय यह स्वयं हुडको का चूककर्ता बन गया है।	अप्रत्याशित परिस्थितियों और कोविड–19 महामारी के कारण, विपणन परिसरों से संबंधित मुद्दे लंबित थे। बकाया राशि के भुगतान के लिए हुडको और आईएचसी के अधिकारियों के साथ 05/04/2022 को प्रधान कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि विपणन परिसर में उपयोगकर्ताओं से ग्राउंड रेंट/मेंटेनेंस चार्ज/प्रॉपर्टी टैक्स प्राप्त होने के बाद ही हुडको/आईएचसी/एसडीएमसी को बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा। विपणन परिसर के सभी उपयोगकर्ताओं को पत्र जारी किए गए थे कि वे अपनी बकाया राशि का तुरंत भुगतान करें। बकाया राशि प्राप्त होने के बाद ही दुकानों का पंजीकरण किया जाएगा। देय राशियों की शीघ्र वसूली के लिए नियमित रूप से व्यक्तिगत दौरे और अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा, एनएचडीसी ने दिनांक 17.07.2023 के पत्र सं. 1/एचएलएच (बीसीपी)/नई दिल्ली/2023–24 के माध्यम से वि. आ. (हथकरघा), वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है ताकि एनएचडीसी को विपणन परिसर योजना से कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में राहत दी जा सके और वि. आ. (हथकरघा) कार्यालय द्वारा इसका अधिग्रहण किया जा सके।
20.	कंपनी ने वाराणसी क्षेत्रीय कार्यालय में 3 वर्षों से अधिक समय से 24572.49 लाख रुपये की राशि के देनदारों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है, जिसमें से 19422.00 लाख रुपये वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान वाराणसी क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दर्ज किए गए फर्जी, संदिग्ध लेनदेन से संबंधित हैं, जैसा कि ऊपर बिंदु संख्या (1) में संदर्भित है। यह भी देखा गया है कि कंपनी ने 664.43 लाख रुपये की बकाया राशि के लिए भी यह मानकर कोई प्रावधान नहीं किया है कि वस्त्र मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई क्लस्टर कॉर्पस फंड के लिए इसे मार्जिन मनी के रूप में उपयोग किया जाना है। इस प्रकार, छुट–पुट देनदारों के लिए प्रावधान 25236.92 लाख रुपये कम है और लाभ 25236.92 लाख रुपये अधिक है।	2018–19 की पहली तिमाही के दौरान 190.82 करोड़ रुपये की बिक्री और खरीद रद्द कर दी गई है और उपरोक्त मामले को सीबीआई और सीवीसी को भेज दिया गया है। सीबीआई के पत्र के अनुसार, प्रबंधन और सीवीओ द्वारा फोरेंसिक ऑडिट और सतर्कता जांच की गई थी। इस मामले पर फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट और सतर्कता जांच रिपोर्ट क्रमशः फोरेंसिक ऑडिटर और सीवीओ टीम द्वारा 05.10.2021 को निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। निदेशक मंडल के निर्देशों और सीबीआई के पत्र के अनुसार, इस संबंध में आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट और सतर्कता जांच रिपोर्ट सीबीआई को प्रदान की गई है। सोसाइटियों/प्रयोक्ता एजेंसियों और आपूर्तिकर्ताओं से बकाया राशि का पता लगाने के लिए बोर्ड के अनुदेशों के अनुसार, 1 अप्रैल, 2017 से सेबी के पैनल में शामिल फोरेंसिक लेखा परीक्षक से लेन–देन लेखा परीक्षा शुरू कराई गई थी। लेन–देन लेखा परीक्षा अभी भी प्रक्रियाधीन है। लगभग 7000 प्रविष्टियों को एक दूसरे के साथ जांच/सत्यापित और मैप करने की आवश्यकता है। इसके पूरा होने पर, रिपोर्ट को आगे के आवश्यक निर्देश के लिए बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा। इसके अलावा, कार्यान्वयन एजेंसी से प्राप्त क्लस्टर कॉर्पस फंड 6.74 करोड़ रुपये है। क्लस्टर विकास कार्यक्रम के तहत कॉर्पस फंड के रूप में प्राप्त 16.59 करोड़ रुपये की राशि के कारण कॉर्पस फंड का प्रावधान नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2022–23 से निदेशक मंडल की 178वीं बोर्ड बैठक में निदेशक मंडल के अनुमोदन के आधार पर वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान या उससे पहले किए गए ऐसे प्रावधानों में किसी भी संशोधन के बिना तीन (3) वर्ष से अधिक के कॉर्पस देनदारों का कोई प्रावधान नहीं बनाया जाएगा, जिनके निमित समान राशि के लेनदारों से बकाया/देय हैं।

S. N.	Comments of Statutory Auditors	Reply of the Board of Directors
19.	In respect of setting up of the Handloom Marketing Complex at HUDCO Plaza, Bikaji Cama Place New Delhi, following observations were made by office of Principal Director of Audit New Delhi in their report dt 09/03/2022. (a) No reason for non-payment of the dues were available on records, NHDC being the nodal/implementation agency, has failed to ensure that statutory payment of property tax made to SDMC after2017and further has not paid arrears of ground rent and the maintaince charges to the Builder (HDCO) of Rs157.17 lakh. This may affect the execution of lease deed with HUDCO. Further, penalty charges would accrue and penalty action may be taken against the NHDC since it is the original allottee of the shops. (b) NHDC has not taken any action against the beneficiary agencies who did not reimburse their share of expenditure, instead it itself has become defaulter to HUDCO.	Due to unforeseen circumstances and Covid 19 pandemic, the issues related to marketing complexes were pending. A meeting was held on 05/04/2022 in head office with officials of HUDCO and IHC for payment of dues. It has been clearly stated in the meeting that only after receipt of ground rent/maintenance charges/property tax from occupants of marketing complex the dues shall be paid to HUDCO/IHC/SDMC. Letters were issued to all occupants of marketing complex to clear their dues immediately. Only after receipt of dues the shops shall be registered. Personal visits and follows up are being made regularly for speedy recovery of dues. Further NHDC has submitted a proposal to the office of DC (Handlooms), Ministry of Textiles, GOI vide letter No.1/Hl.H(BCP)/New Delhi/2023-24 dated 17.07.2023 for relieving NHDC as implementing agency from marketing complex scheme and Office of DC (Handlooms) to take over the same.
20.	The Company has not made any provision against the Debtors for more than 3 years amounting to Rs 24572.49 lacs at Varanasi Regional Office out of which Rs 19422.00 lacs relates to bogus, dubious transactions entered by Varanasi Regional Office during F.Y 2018-19 as referred in point no (1) above. It is further noticed that the company has not made any provision against outstanding of Rs 664.43 lacs considering the same adjustable against the cluster corpus fund provided by Ministry of Textiles to be used as margin money. Thus, the provision for Sundry Debtors is lower by Rs. 25236.92 lacs and profit is more by 25236.92 lacs	During the 1st Quarter of 2018-19 the sales and purchase to the tune of Rs. 190.82 Crores have been cancelled and the above matter has been referred to CBI and CVC. As per the CBI communication, the Forensic Audit and Vigilance probe were taken up by the management and the CVO. The Forensic Audit Report and the Vigilance Probe report on the matter were presented by the Forensic Auditor and the CVO team respectively, before the Board of Directors on 05.10.2021. As per the directions of the Board of Directors and the CBI letter, the Forensic Audit Report and the Vigilance Probe Report has been provided to CBI for further necessary action in this regard. As per instruction of the Board to ascertain the amount outstanding from the societies/user agencies and the suppliers, the transaction audit from a SEBI empanelled forensic auditor from 1st April, 2017 onwards was initiated. Transaction audit is still under process. There being approximately 7000 entries need to be checked / verified and mapped with each other. Upon completion, report shall be placed before the Board for further necessary instruction. Further, outstanding of Rs. 6.64 Crores is against the cluster corpus fund received from Implementing Agency. Provision of corpus fund cannot be provided due to amount already received as Corpus Fund under cluster development program. Further for more clarification in this regard BOD in its 178th Board meeting decided that no provision of corpus debtors of more than three (3) years shall be created.

क्र. सं.	सांविधिक लेखा परीक्षक की टिप्पणियां	निदेशक मंडल का उत्तर
21.	कंपनी ने, विकास आयुक्त, हथकरघा के इन सख्त दिशा–निर्देशों के बावजूद कि प्रदर्शनी व्यय से अचल परिसंपत्तियों का सृजन नहीं किया जा सकता है, सूरत के सिल्क फैब में आयोजित प्रदर्शनी से प्रदर्शिनी राशि से हटकर 0.64 लाख रुपये की राशि का एक करघा खरीदा है।	64 हजार रुपये का टेबल लूम केवल प्रदर्शनी के उद्देश्य से खरीदा गया था जो एक बार का खर्च है। यह बुनाई की प्रक्रिया को प्रदर्शित करने के लिए करघा का सिर्फ एक प्रोटोटाइप है।
22.	कंपनी ने गैर–कॉर्पस देनदारों (3 वर्ष से अधिक के) के लिए 154.31 लाख रुपये का प्रावधान नहीं किया है, जिसके लिए समान राशि के लेनदार बकाया/देय हैं, क्योंकि इस संबंध में लेखांकन नीति को वित्त वर्ष 2022–2023 से बदल दिया गया था। तथापि, वित्त वर्ष 2021–22 तक किए गए प्रावधान के तहत उक्त देनदारों के लिए 564.83 लाख रुपये का प्रावधान वापस नहीं लिखा गया है। लेनदारों के विरुद्ध देनदारों (गैर–कॉर्पस) को निर्धारित करने के संबंध में, कंपनी ने स्पष्ट किया है कि खरीद आदेश में एक विशिष्ट उल्लेख 'उपयोगकर्ता एजेंसी से भुगतान प्राप्त होने के बाद ही मिलों को भुगतान जारी किया जाएगा'। प्रावधान के गैर–सृजन को उचित ठहराने के लिए बकाया लेनदारों के विरुद्ध देनदारों की स्थापना के संबंध में कानूनी राय प्राप्त की जानी चाहिए।	इस संबंध में, वित्त वर्ष 2021–22 तक औद्योगिक कार्य प्रक्रिया का पालन किया जा रहा था। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2022–23 से निदेशक मंडल की 178वीं बोर्ड बैठक में निदेशक मंडल के अनुमोदन के आधार पर वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान या उससे पहले किए गए ऐसे प्रावधानों में किसी भी संशोधन के बिना तीन (3) वर्ष से अधिक के कॉर्पस देनदारों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया जाएगा, जिनके निमित समान राशि लेनदारों से बकाया/देय हैं।
23.	एचडीएफसी बैंक के बैंक खाते में 0.89 लाख रुपये की पुरानी बकाया राशि दिखाई दे रही है, जिसके लिए बैंक से शेष राशि की कोई पुष्टि नहीं की गई है और कंपनी द्वारा स्पष्टीकरण प्रदान नहीं किया गया है, इसलिए हम उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते।	एचडीएफसी खाते में उपलब्ध शेष राशि के संदर्भ में सांविधिक विवरण में मिलान विवरण प्रदान किया गया था।
24.	ड्राइवर और ऑफिस बॉय को किए गए भुगतान को सुरक्षा व्यय में शामिल किया गया है।	एनएचडीसी विशेष रूप से कार्यालय की सुरक्षा के लिए कोई सुरक्षा गार्ड नहीं लेता है। विक्रेता मल्टीटास्किंग स्टाफ प्रदान करता है जिसका उपयोग आवश्यकताओं के अनुसार किया जाता है। यह उन खर्चों के वर्गीकरण का मामला है जिनका कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है।
25.	चिकित्सा संबंधी परिपत्र के अनुसार, आपातकालीन स्थिति में कर्मचारी 20 से अधिक बेड वाले और उचित प्राधिकारी के साथ विधिवत पंजीकृत किसी भी अस्पताल में चिकित्सा सुविधा ले सकता है। ऐसे मामले में प्रतिपूर्ति क्षेत्र के पंजीकृत अस्पताल की दरों तक ही सीमित होगी। लेकिन श्री मंत्री प्रसाद नामक एक कर्मचारी के मामले में, क्षेत्र के पंजीकृत अस्पताल की दरों को प्राप्त किए बिना ही अस्पताल में भर्ती होने की प्रतिपूर्ति की गई है।	एनएचडीसी कर्मचारियों की संख्या के संबंध में एक छोटा संगठन है। क्षेत्रीय कार्यालयों में कर्मचारियों की संख्या कम है इसलिए क्षेत्रीय स्तर पर अस्पतालों का अलग से पंजीकरण नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा, इस तरह के लेनदेन के लिए कोई भौतिक वित्तीय प्रभाव नहीं है। एनएचडीसी केवल अनुमोदित प्रशुल्क प्रभारों के आधार पर अस्पताल में भर्ती प्रभारों की प्रतिपूत करता है।
26.	हमारे द्वारा अचल संपत्तियों के तथ्यगत सत्यापन के दौरान, निम्नलिखित व्यक्तियों को दिए गए निम्नलिखित लैपटॉप हमें नहीं दिखाए गए थे:– – अशोक कुमार – ईश्वर पाटिल – श्री विपिन – गौरव त्रिपाठी – रिमझिम जायसवाल	वित्त वर्ष 2022–23 के लिए परिसंपत्तियों का वास्तविक सत्यापन नवल जैन एंड कंपनी द्वारा किया गया था, जिसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अचल संपत्तियां उचित रूप से मौजूद हैं और उचित रूप से हिसाब रखा गया है। लेखा परीक्षक को रिपोर्ट प्रदान की गई थी। इसके अलावा यह पुष्टि की गई कि सभी लैपटॉप संबंधित कर्मचारियों के पास हैं। मांग के समय संबंधित कर्मचारियों के अवकाश पर या आउटडोर कार्यालय ड्यूटी पर होने के कारण इसे प्रस्तुत नहीं किया जा सका।

S. N.	Comments of Statutory Auditors	Reply of the Board of Directors
21.	The company has purchased one loom amounting to Rs. 0.64 lacs from exhibition held in Silk fab, Surat out of exhibition amount despite strict guidelines of DC Handlooms that fixed assets cannot be created out of exhibition expenses.	Table Loom of Rs. 0.64 lacs was purchased solely for the purpose of exhibition which is onetime expenses. It is just a prototype of loom for exhibiting the process of weaving.
22.	The Company has not created provision of Rs 154.31 lacs against non-corpus debtors (of more than 3 years) against which creditors of the same amount are outstanding /payable, as the accounting policy in this regard was changed w.e.f F.Y 2022-2023. However provision already made till F.Y 2021-22 Rs 564.83 lacs against the said debtors are not written back. As regards set off of debtors (non-Corpus) against the creditors, the Company has explained that a specific mention "Payment to mills will be released only after receipt of payment from the user agency" is there in purchase order. A legal opinion on set off of debtors against outstanding creditors be obtained to justify the non-creation of Provision.	In this regard, industrial practice was being followed upto FY 2021-22. Further from FY 2022-23 onwards based on the approval of BOD in its 177th Board meeting no provision of non-corpus debtors of more than three (3) years shall be created against whom creditors of same amount are outstanding/payables without any revision of earlier such provisions made during or before FY 2021-22.
23.	An old outstanding balance of Rs. 0.89 lacs is appearing in bank account with HDFC Bank for which no balance confirmation from bank and explanation is provided by the company, hence, we cannot comment thereon.	Reconciliation statement was provided to the statutory statement w.r.t. available balance in HDFC Account.
24.	Payments made to driver and, office boy has been included in Security expanses.	Vendor provides the multitasking staff including security staff which is utilized as per the requirements. Vendor is more specifically security service provider. It is the matter of classification of expenses having no financial impact.
25.	As per medical circular, in case of emergency employee can take medical facility in any hospital having more than 20 beds and duly registered with appropriate authority. In such a case reimbursement shall be restricted to the rates of registered hospital of the region. But in case of one employee namely Sh. Mantri Prasad, hospitalization expanses reimbursement has been made without obtaining rates of registered hospital of the region.	NHDC is a small organisation w.r.t. employee strength. Regional offices are having small number of employees hence no separate registration of hospitals is being done at regional level. Further there is no material financial impact for such transaction. NHDC reimburse the hospitalization charges based on approved tariff charges only.
26.	During physical verification of fixed assets by us, following laptops given to following persons were not shown to us:- Ashok Kumar Ishwar Patil Shri Vipin Gourav Tripathi Rimjhim Jaiswal	Physical Verification of the Assets for the F.Y. 2022-23 was conducted by Naval Jain & Company, wherein it has been clearly stated that fixed assets are reasonable present and accounted for properly. Report was provided to the auditor. Further it was confirmed that all the laptops are with the concerned employees. At the time of requisition due to unavailability of concerned employees being on leave or on outdoor office duty it cannot be produced.

क्र. सं.	सांविधिक लेखा परीक्षक की टिप्पणियां	निदेशक मंडल का उत्तर
27.	इन लैपटॉप के उपयोग के लिए कोई पुष्टि प्रदान नहीं की गई है: – संपर्क कार्यालय के पास 3 लैपटॉप और 3 डेस्क टॉप – डीसीएच कार्यालय के पास 2 लैपटॉप – आर.के. पुरम कार्यालय के पास 3 लैपटॉप – निदेशक के पास 1 लैपटॉप	वित्त वर्ष 2022–23 के लिए परिसंपत्तियों का वास्तविक सत्यापन नवल जैन एंड कंपनी द्वारा किया गया था, जिसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अचल संपत्तियां उचित रूप से मौजूद हैं और उचित रूप से हिसाब रखा गया है। लेखा परीक्षक को रिपोर्ट प्रदान की गई थी। • संपर्क कार्यालय के पास 3 लैपटॉप और 3 डेस्कटॉप o ये प्रधान कार्यालय में कर्मचारियों द्वारा उपयोग किए जा रहे हैं, हालांकि लेखा परीक्षा की मांग के समय, ये कर्मचारी बाहरी ड्यूटी पर थे। • डीसीएच कार्यालय के पास 2 लैपटॉप o ये प्रधान कार्यालय में कर्मचारियों द्वारा उपयोग किए जा रहें हैं, हालांकि लेखा परीक्षा की मांग के समय, ये कर्मचारी बाहरी ड्यूटी पर थे। • आर.के. पुरम कार्यालय के पास 3 लैपटॉप o ये डीसी कार्यालय में है और लेखा परीक्षकों ने सत्यापन के लिए डीसी कार्यालय का दौरा नहीं किया। • निदेशक के पास 1 लैपटॉप o यह स्वतंत्र निदेशक के पास है और लेखा परीक्षकों द्वारा कोई सत्यापन नहीं किया गया था।

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

ह./–
बीना महादेवन
अध्यक्ष
डीआईएन: 03483417

दिनांक: 22 दिसंबर, 2023
स्थान: नई दिल्ली

S. N.	Comments of Statutory Auditors	Reply of the Board of Directors
27.	No confirmation has been provided for usage of these laptops: -3 laptop and 3 desktop with liaison office -2 laptop with DCH Office -3 laptop with R.K Puram Office -1 laptop with Director	Physical Verification of the Assets for the F.Y. 2022-23 was conducted by Naval Jain & Company, wherein it has been clearly stated that fixed assets are reasonable present and accounted for properly. Report was provided to the auditor. • 3 laptop and 3 desktop with liaison office ○ is being used by employees at Head office, however at time of audit requisition, these employees were on outdoor duties. • 2 laptop with DCH Office ○ is being used by employees at Head office, however at time of audit requisition, these employees were on outdoor duties. • 3 laptop with R.K Puram Office ○ auditors didn't verified from the respective office. • 1 laptop with Director ○ Is present with Independent Director and no verification was done by auditors.

For and on behalf of Board of Directors

Sd/-
Beena Mahadevan
Chairperson
DIN: 03483417

Date: 22nd December, 2023
Place: New Delhi

नदेशको की रिपोर्ट संबंधी अनुबंध–घ

वित्त वर्ष 2022–23 के लिए सचिवीय लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों पर उत्तर

सं.	सचिवीय लेखा परीक्षकों की टिप्पणियां	निदेशक मंडल का उत्तर
क)	जबकि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (4) और 149 (5) के उपबंधों के साथ पठित कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियमावली, 2014 के नियम 4 के के अनुसरण में, कंपनी को कंपनी के बोर्ड में कम से कम दो स्वतंत्र निदेशकों को नियुक्त करना आवश्यक था। 17 अक्टूबर 2022 तक कंपनी के बोर्ड में केवल दो स्वतंत्र निदेशक हैं। एक गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक, अर्थात् श्री अनिल कुमार सूद, जिन्हें 18 अक्टूबर 2019 से तीन साल की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किया गया था, उन्होंनें 17 अक्टूबर 2022 से इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा सुश्री योगिता सिंह, जिन्हें 09 नवंबर 2021 से तीन साल की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, गैर–आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, ने भी 11 नवंबर 2022 से इस्तीफा दे दिया है। कंपनी को आकस्मिक रिक्ति को तत्काल अगली बोर्ड बैठक या ऐसी रिक्ति की तारीख से तीन महीने के भीतर, जो भी पहले हो, में भरना था लेकिन उसे 31 मार्च 2023 तक नहीं भरा गया है, इसलिए कंपनी ने 16 जनवरी 2023 से 31 मार्च 2023 के बीच की अवधि के लिए उपरोक्त उपबंधों का अनुपालन नहीं किया है।	17 अक्टूबर 2022 तक कंपनी के बोर्ड में दो स्वतंत्र निदेशक थे। एक गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक, अर्थात् श्री अनिल कुमार सूद, जिन्हें 18 अक्टूबर 2019 से तीन साल की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, नियुक्त किया गया था, ने 17 अक्टूबर 2022 को अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है। जबकि सुश्री योगिता सिंह, जिन्हें 09 नवंबर 2021 से तीन साल की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, गैर–आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, ने भी 11 नवंबर 2022 से इस्तीफा दे दिया है। निगम एक पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कंपनी है और निदेशकों को भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (4) और 149 (5) के अनुपालन में बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए कंपनी प्रशासनिक मंत्रालय से लगातार अनुरोध करा रही है।
ख)	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 (1) के उपबंधों के साथ पठित कंपनी (बोर्ड की बैठक और इसकी शक्तियां) नियमावली, 2014 के नियम 6 के अनुसार, कंपनी को स्वतंत्र निदेशकों के बहुमत के साथ बोर्ड की एक लेखा परीक्षा समिति का गठन करना आवश्यक था। चूंकि श्री अनिल कुमार सूद, गैर–आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक ने 17 अक्टूबर 2022 से इस्तीफा दे दिया है और सुश्री योगिता सिंह ने भी 11 नवंबर 2022 से इस्तीफा दे दिया है, इसलिए निगम ने 16 जनवरी 2023 से 31 मार्च 2023 के बीच की अवधि के लिए उपरोक्त उपबंधों का अनुपालन नहीं किया है।	17 अक्टूबर 2022 तक कंपनी के बोर्ड के स्वतंत्र निदेशकों की इष्टतम संख्या थी और तदनुसार, कंपनी नियमावली (बोर्ड की बैठक और इसकी शक्तियां) 2014 के नियम 6 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 (1) के उपबंधों के अनुपालन में स्वतंत्र निदेशकों की पर्याप्त संख्या के साथ बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति का गठन किया गया था। कंपनी, बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए प्रशासनिक मंत्रालय से लगातार अनुरोध करती रही है। स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति होने के बाद लेखा परीक्षा समिति का पुनर्गठन किया जाएगा।

ANNEXURE D TO THE DIRECTORS REPORT

REPLY ON THE OBSERVATIONS OF THE SECRETARIAL AUDITORS FOR THE FY 2022-23

	OBSERVATIONS OF SECRETARIAL AUDITORS	REPLY OF THE BOARD OF DIRECTORS
a)	*Whereas in term of the provisions of Section 149(4) & 149(5)of the Companies Act, 2013 read with rule 4 of the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014, the Company was required to appoint at least two Independent Directors on the Board of the Company. Company has only two Independent Director on the Board till 17th October 2022. One Non-Official Independent Director, namely Shri Anil Kumar Sood who was appointed for a period of three years or till further orders, whichever is earlier w.e.f 18th October 2019 has resigned w.e.f 17th October 2022. Also Ms. Yogita Singh who was appointed as Non-Official Independent Director for a period of three years or till further orders, whichever is earlier w.e.f 09th November 2021 has also resigned w.e.f 11th November 2022. Company was required to fill casual vacancy not later than immediate next Board Meeting or three months from the date of such vacancy whichever is earlier, but has not filled till 31st March 2023, hence the Company has not complied with the aforesaid provisions for the period between 16th January 2023 to 31st March, 2023.*	Company had two Independent Directors on the Board till 17th October 2022. One Non-Official Independent Director, namely Shri Anil Kumar Sood who was appointed for a period of three years or till further orders, whichever is earlier w.e.f. 18th October 2019 has completed his tenure on 17th October 2022. While Ms. Yogita Singh who was appointed as Non-Official Independent Director for a period of three years or till further orders, whichever is earlier w.e.f. 09th November 2021 has also resigned w.e.f. 11th November 2022. The Corporation is a wholly owned Government Company and Directors are appointed by the Hon'ble President of India. The Company had been constantly requesting to the administrative Ministry for appointing Independent Directors on the Board in compliance of Section 149(4) & 149(5) of the Companies Act, 2013.
b)	*In term of the provisions of Section 177(1) of the Companies Act, 2013 read with rule 6 of the Companies (Meeting of Board and its powers) Rules, 2014, the Company was required to constitute an Audit Committee of the Board with the majority of Independent Directors. As Mr. Anil Kumar Sood, Non-Official Independent Director has resigned w.e.f. 17th October 2022 and Ms Yogita Singh has also resigned w.e.f. 11th November 2022, hence the Corporation has not complied with the aforesaid provisions for the period between 16th January 2023 to 31st March, 2023.*	Company had optimum number of Independent Directors on the Board till 17th October 2022 and accordingly Audit Committee of the Board was constituted with the sufficient number of Independent Directors and in compliance of provisions of Section 177(1) of the Companies Act, 2013 read with rule 6 of the Companies (Meeting of Board and its powers) Rules, 2014. The Company had been constantly requesting to the administrative Ministry for appointing Independent Directors on the Board. Once the independent directors are appointed Audit Committee shall be reconstituted.

सं.	सचिवीय लेखा परीक्षकों की टिप्पणियां	निदेशक मंडल का उत्तर
ग)	जबकि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 203 (4) के उपबंधों के साथ पठित कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के लागू नियम के अनुसरण में, कंपनी को प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (कंपनी सचिव) की आकस्मिक रिक्ति को ऐसी रिक्ति की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर भरना आवश्यक था। कंपनी की कंपनी सचिव सुश्री अंजली यादव ने 25 जुलाई 2022 से इस्तीफा दे दिया है और कंपनी द्वारा आकस्मिक रिक्ति को 24 जनवरी 2023 को या उससे पहले भरना आवश्यक था, लेकिन उसे आज तक नहीं भरा गया है, इसलिए कंपनी ने 25 जनवरी 2023 से 31 मार्च 2023 तक की अवधि के दौरान उपबंधों का अनुपालन नहीं किया है।	सुश्री अंजली ने 25.07.2022 से सीएस के पद से इस्तीफा दे दिया था। रिक्त पद को भरने के लिए 17/09/2022 को रिक्ति परिपत्र सं एनएचडीसी/एचआर/आरई/22/2 दिनांक 17/09/2022 के माध्यम से कंपनी सचिव के पद के लिए एक विज्ञापन जारी किया गया था। प्राप्त आवेदनों के आधार पर, पद के लिए साक्षात्कार 30.01.2023 को आयोजित किया गया था, जिसमें सात (7) उम्मीदवार साक्षात्कार के लिए उपस्थित हुए थे। साक्षात्कार में प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए, चयन समिति ने पद के लिए एक उम्मीदवार (श्री सर्वेश यादव) को उपयुक्त पाया था। 15/02/2023 को उनके लिए प्रस्ताव पत्र जारी किया गया था। तथापि, उम्मीदवार कुछ व्यक्तिगत कारणों से एनएचडीसी में शामिल नहीं हुए। अतरू उम्मीदवारी रद्द कर दी गई है। इसके अलावा, कंपनी सचिव के पद के लिए 15/04/2023 को रिक्ति परिपत्र सं एनएचडीसी/एचआर/आरई/23/3 दिनांक 15/04/2023 के माध्यम से फिर से विज्ञापन जारी किया गया था। और आवश्यक औपचारिकताएं प्रक्रियाधीन हैं।
घ)	जबकि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) के उपबंधों के अनुसरण में कंपनी के लिए जोखिम प्रबंधन नीति की आवश्यकता थी, कंपनी ने कोई औपचारिक जोखिम प्रबंधन नीति नहीं अपनाई है। तथापि, प्रबंधन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार कंपनी ने जोखिम प्रबंधन के लिए सभी आवश्यक उपाय अपनाए हैं।	वर्तमान में कंपनी के पास औपचारिक जोखिम प्रबंधन नीति नहीं है। तथापि, कंपनी ने जोखिम प्रबंधन के लिए सभी आवश्यक उपायों को अपनाया है। इसके अलावा 16.06.2023 को आयोजित बोर्ड की 177वीं बैठक में जोखिम प्रबंधन नीति का मसौदा बोर्ड के समक्ष रखा गया था। बोर्ड ने संचालन प्रक्रिया के साथ फिर से पेश होने का निर्देश दिया है।
ड)	लखनऊ शाखा कार्यालय में यार्न आपूर्ति योजना के कार्यान्वयन में अनियमितताओं के मामले में और पिछले वर्षों की हमारी सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट के संदर्भ में, अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने 3 (तीन) अधिकारियों अर्थात् श्री रवीश टंडन, प्रबंधक (कॉम), श्री हसन अब्बास, अधिकारी (एफ एंड ए) और श्री बीके महापात्रा, वरिष्ठ अधिकारी (कॉम) को दोषी पाया और 11 मार्च 2022 को 'पद से हटाने' का दंड दिया गया। सेवा से हटाने का दंड, जो सरकार या सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले सीपीएसई के तहत भविष्य के रोजगार के लिए अयोग्यता नहीं होगीश और उनके खिलाफ क्रमशः 23 मार्च 2022 को 'अनिवार्य सेवानिवृत्ति' जुर्माना होगा।	निदेशक मंडल ने 15 जून, 2022 को प्रचलन द्वारा पारित संकल्प के तहत 1 अप्रैल, 2017 से लखनऊ शाखा कार्यालय की लेन–देन संबंधी लेखा परीक्षा करने का निर्देश दिया है ताकि उपयोगकर्ता एजेंसियों से प्राप्त शेष राशि और आपूर्तिकर्ता एजेंसियों को देय तदनुरूपी राशि और संबंधित अवधि के लिए एनएचडीसी को प्रतिपूर्ति/भुगतान की जाने वाली सब्सिडी की सही और वास्तविक राशि का पता लगाया जा सके। लेन–देन संबंधी लेखा परीक्षा अभी भी प्रक्रियाधीन है। लगभग 7000 प्रविष्टियों को संबंधित प्रविष्टियों को मैप करके जांच/सत्यापित करने की आवश्यकता है, इसलिए लेनदेन संबंधी लेखा परीक्षा को पूरा करने में समय लगेगा। यह कार्य पूरा होने पर, रिपोर्ट को आगे के आवश्यक निर्देश के लिए बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा।

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

ह./–
बीना महादेवन
अध्यक्ष
डीआईएनः 03483417

दिनांकः 22 दिसंबर, 2023
स्थानः नई दिल्ली

	OBSERVATIONS OF SECRETARIAL AUDITORS	REPLY OF THE BOARD OF DIRECTORS
c)	a) *Whereas in term of the provisions of Section 203(4) of the Companies Act, 2013 read with applicable rule of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014, the Company was required to fill casual vacancy of Key Managerial Personnel (Company Secretary) within a period of six months from the date of such vacancy, Ms Anjali Yadav, Company Secretary of the Company has resigned w.e.f 25th July 2022 and Company was required to fill casual vacancy on or before 24th January 2023 but has not filled till date, hence Company has not complied with the provisions during the period from 25th January 2023 to 31st March 2023.*	Ms. Anjali had resigned from the post of CS w.e.f. 25.07.2022. To fill up the vacant position an advertisement for the post of Company Secretary was issued on 17/09/2022 vide Vacancy Circular No. NHDC/HR/RE/22/2 dated 17/09/2022. Based on the applications received, interview for the post was conducted on 30.01.2023, wherein seven (7) candidates attended for the interview. Considering the performance in interview, the Selection Committee found one suitable candidate for the post (Mr. Sarvesh Yadav). Offer letter was issued to him on 15/02/2023. However, the candidate did not join NHDC on some personal grounds. As such, the candidature stands cancelled. Further, advertisement for the post of Company Secretary was issued again on 15/04/2023 vide Vacancy Circular No. NHDC/HR/RE/23/3 dated 15/04/2023 and necessary formalities are under process.
d)	*Whereas in term of the provisions of Section 134(3) of the Companies Act, 2013 the Company was required to have a Risk Management policy, the Company has not adopted any formal Risk Management policy. However as informed by the Management the Company has adopted all necessary measures for the management of the risk.*	At present Company doesn't have a formal Risk Management policy. However, the Company has adopted all necessary measures for the management of the risk. Further a draft risk management policy was placed before the Board in its 177th Board Meeting held on 16.06.2023. Board has directed to present again with an operating procedure.
d)	*In the matter of irregularities in the implementation of Yarn Supply Scheme in Lucknow Branch Office and with reference to our Secretarial Audit Report of previous years, the Disciplinary Authority found 3 (three) officials namely- Shri Ravish Tandon, Manager (Comm), Shri Hasan Abbas, Officer (F&A) &Shri B.K. Mahapatra, Sr. Officer (Comm) guilty and imposed the 'Dismissal' on 11th March 2022, Removal from Service, which shall not be a disqualification for future employment under the Government or the CPSE owned or controlled by the Government' and 'Compulsory retirement' penalty on 23rd March 2022, against them respectively.*	Board of Directors has directed vide resolution passed by circulation on 15th June, 2022 to conduct transaction audit of Lucknow branch office from 1st April, 2017 onwards so as to find out the true and actual amount of balance receivables from user agencies and corresponding amount payable to supplier agencies and subsidy due to be reimbursed / paid to NHDC for the related period. Transaction audit is still under process. There being approximately 7000 entries need to be checked/verified by mapping corresponding entries hence it will take time to complete the transactions audit. Upon completion, report shall be placed before the Board for further necessary instruction.

For and on behalf of Board of Directors

Sd/-
Beena Mahadevan
Chairperson
DIN: 03483417

Date: 22nd December, 2023
Place: New Delhi

सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट
(31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए)

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम सं. 9 के अनुसरण में)

सेवा में,

सदस्य,
राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड,
पंजीकृत कार्यालय, चौथा तल, वेगमेंस बिजनेस पार्क,
टावर–I, प्लाट सं. 03, सेक्टर नॉलेज पार्क–III,
सूरजपुर–कासना मेन रोड, ग्रेटर नोएडा,
गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश–201306

हमने **राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लि. (सीआईएन सं. यू17299यूपी1983जीओआई005974)** (जिसे इसके पश्चात् कंपनी कहा गया है) द्वारा, लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छे कॉरपोरेट व्यवहार के पालन की सचिवीय लेखा परीक्षा की है। सचिवीय लेखा–परीक्षा इस तरीके से की गई थी जिसने हमे नैगमिक आचरणों/सांविधिक अनुपालनों का मूल्यांकन करने तथा उस पर अपने विचार व्यक्त करने का तर्कसंगत आधार प्रदान किया था।

सचिवीय लेखा–परीक्षा के दौरान पुस्तिकाओं, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, फार्मों और फाइल किए गए रिटर्न (विवरणी) और कंपनी द्वारा रख–रखाव किए गए अन्य दस्तावेजों तथा कंपनी, इसके अधिकारियों, एजेंटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के हमारे सत्यापन के आधार पर हम एतद्वारा यह सूचित करते हैं कि हमारी राय में, **31 मार्च, 2023** को समाप्त वित्तीय वर्ष को शामिल करते हुए लेखा–परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी ने इसके अंतर्गत सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और इसके पश्चात् दी गई सूचना की पद्धति और उसके अधीन सीमा तक कंपनी में समुचित बोर्ड–प्रक्रियाएं और अनुपालन–तंत्र भी हैं:–

हमने 31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए कंपनी की पुस्तिकाओं, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, फार्मों और फाइल किए गए रिटर्न (विवरणी) और कंपनी द्वारा रखरखाव किए गए अन्य दस्तावेजों की जांच, निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार की है:–

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 **(अधिनियम)** और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमय

(ii) प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम 1956 ('एससीआरए') और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमोंय–**लागू नहीं क्योंकि कंपनी द्वारा जारी की गई प्रतिभूतियां समीक्षाधीन अवधि के दौरान सूचीबद्ध नहीं थीं;**

(iii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और विनियम तथा इसके अंतर्गत बनाए गए उप–नियमय–**लागू नहीं क्योंकि कंपनी द्वारा जारी की गई प्रतिभूतियां समाप्त नहीं की गई है और वे समीक्षाधीन अवधि के दौरान सूचीबद्ध नहीं थी;**

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधारियों की सीमा तक इसके अंतर्गत बनाए गए नियम और विनियम–**लागू नहीं क्योंकि कंपनी ने समीक्षाधीन वित्त वर्ष के दौरान कोई ऐसा लेन–देन नहीं किया है;**

Secretarial Audit Report
[For the Financial Year ended on 31st March, 2023]

[Pursuant to Section 204(1) of the Companies Act, 2013 and Rule No. 9 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014]

To,

The Members,
National Handloom Development Corporation Limited
Regd. Office: 4th Floor, Wegmans Business Park,
Tower-1, Plot No. 03, Sector Knowledge Park-III,
Surajpur- Kansa Main Road, Greater Noida,
Gautam Buddha Nagar, UP- 201306

We have conducted the Secretarial Audit of the compliance of applicable statutory provisions and adherence to good corporate practices by the **National Handloom Development Corporation Limited (CIN NO U17299UP1983GOI005974)** (hereinafter called the Company). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Based on our verification of the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Company and also the information provided by the Company, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of Secretarial Audit, we hereby report that in our opinion, the Company has, during the audit period covering the financial year ended on **31st March 2023** complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Company has proper Board- Processes and Compliance-Mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Company for the period ended on **31st March 2023** according to the provisions of:

(i) The Companies Act, 2013 (**the Act**) and the Rules made thereunder;

(ii) The Securities Contracts (Regulation) Act 1956 ('SCRA') and the rules made there under; - **not applicable as the securities issued by Company were not listed during the period under review;**

(iii) The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed thereunder; - **not applicable as the securities issued by Company are not dematerialized and were not listed during the period under review;**

(iv) Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made thereunder to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings -**Not applicable as the Company has not made any such transaction during the financial year under review;**

(v) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के अंतर्गत उल्लिखित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश कंपनी पर लागू नहीं थे क्योंकि कंपनी की प्रतिभूतियां संगत लेखापरीक्षा अवधि के दौरान सूचीबद्ध नहीं थीः–

(क) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (शेयरों का व्यापक अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011;–

(ख) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015;

(ग) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (जारी पूंजी और प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम 2009;

(घ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014;

(ङ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों जारी करना और सूचीबद्ध करना) विनियम, 2008;

(च) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग) विनियम, 2009;

(छ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों को वापस लेना) विनियम, 2018;

(ज) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इश्यू और शेयर अंतरण एजेंट का पंजीयक) विनियम, 1993 कंपनी अधिनियम और ग्राहक से संबंधित हैय कंपनी, इश्यू के पंजीयक से संबंधित गतिविधियों में शामिल नहीं थी और यह शेयर अंतरण एजेंट के रूप में भी कार्य नहीं कर रही थी, अतएव, ये विनियम लेखा–परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी के लिए लागू नहीं थे।

(vi) कंपनी के अन्य श्रम, पर्यावरण और लागू विशिष्ट अधिनियम/कानून, जिनकी पर्यावलोकन लेखा–परीक्षा के रूप में सचिवीय लेखा–परीक्षा की गई थी और यह सामान्यतः हमको उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों पर और कंपनी के प्रबंधन एवं अन्य लेखा–परीक्षा रिपोर्ट द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रबंधन पुष्टि प्रमाण–पत्र तथा अन्य पेशेवरों द्वारा दिए गए प्रमाण–पत्र पर आधारित/निर्भर था, कंपनी ने लेखा–परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी के लिए लागू निम्नलिखित अधिनियमों/कानूनों का पालन किया है;

(क) भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय (लोक उद्यम विभाग), भारत सरकार द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के लिए कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी दिशानिर्देश–मार्च, 2010;

(ख) कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी जमा–संबद्ध बीमा योजना, 1976 तथा कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952

(ग) ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970

(घ) मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961

(ङ) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948

(च) पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली, 1986 और अन्य पर्यावरण कानूनों के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986

(v) The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act') **were not applicable to the company as the securities of the Company was not listed during the relevant audit period:**

a) The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011;

b) The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015;

c) The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009;

d) The Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014;

e) The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008;

f) The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009;

g) The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 2018;

h) The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Shares Transfer Agents) Regulations, 1993 regarding the Companies Act and dealing with client; **The Company was not involved in the activities relating to Registrar to issue and also not acting as Share Transfer Agent hence the regulations were not applicable to the Company during the audit period;**

(vi) Other labour, environment and specific applicable Acts / Laws to the Company for which Secretarial Audit was conducted as an overview audit and was generally based/ relied upon the documents provided to us and Management Confirmation Certificate provided by the Management of the Company& other audit report and certificates given by other professionals, the company has complied with the following Acts / Laws applicable to the Company during the audit period;

(a) Guidelines on Corporate Social Responsibility for Central Public Sector Enterprises-March 2010 issued by the Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises (Department of Public Enterprises), Government of India.

(b) The Employees Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act 1952 & The Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 and Employees Provident Fund Scheme, 1952

(c) The Contract Labour (Regulations and Abolition) Act 1970.

(d) Maternity Benefit Act 1961

(e) Minimum Wages Act, 1948

(f) Environment (Protection) Act 1986 read with The Environment (Protection) Rules 1986 and other Environment Laws.

(छ) कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) नियमावली, 2013 के साथ पठित कार्य–स्थल पर महिलाओं का यौन–उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013

(ज) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

हमने भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानदंडों के लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है। हमने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर कानूनों जैसे लागू वित्तीय कानूनों की जांच नहीं की है क्योंकि वे सांविधिक वित्तीय लेखा–परीक्षा और अन्य नामित पेशेवरों द्वारा समीक्षा के अध्यधीन रहे हैं।

हम सूचित करते हैं कि समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने ऊपर उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानदंडों आदि का अनुपालन निम्नलिखित टिप्पणी के अध्याधीन किया हैः–

क) *जबकि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(4) और 149(5) के प्रावधानों के अनुसार कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम 4 के साथ पठित कंपनी को कंपनी के बोर्ड में कम से कम दो स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करने की आवश्यकता थी। 17 अक्टूबर 2022 तक कंपनी के बोर्ड में केवल दो स्वतंत्र निदेशक हैं। श्री अनिल कुमार सूद को तीन वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, 18 अक्टूबर 2019 को गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया था, ने अपना कार्यकाल गैर–आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक के रूप में 17 अक्टूबर 2022 को पूरा कर लिया है। सुश्री योगिता सिंह को भी तीन साल की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, 09 नवंबर 2021 को गैर–आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था ने 11 नवंबर 2022 को इस्तीफा दे दिया है। कंपनी को तत्काल अगली बोर्ड बैठक के बाद या ऐसी रिक्ति की तिथि से तीन महीने बाद, जो भी पहले हो, आकस्मिक रिक्ति भरने की आवश्यकता थी, लेकिन 31 मार्च 2023 तक नहीं भरी गई, इसलिए कंपनी ने 16 जनवरी 2023 से 31 मार्च, 2023 तक के बीच की अवधि के लिए उक्त प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है।*

ख) *इसके अलावा, कंपनी (बोर्ड की बैठक और उसकी शक्तियां) नियम, 2014 के नियम 6 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(1) के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी को अधिकांश स्वतंत्र निदेशकों के साथ बोर्ड की एक लेखा परीक्षा समिति का गठन करने की आवश्यकता थी। श्री अनिल कुमार सूद दिनांक 17 अक्टूबर 2022 को अपना कार्यकाल पूरा होने के बाद गैर–आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नहीं रहे एवं सुश्री योगिता सिंह ने 11 नवंबर 2022 को इस्तीफा दे दिया है, अतरू कंपनी ने 16 जनवरी 2023 से 31 मार्च, 2023 तक के बीच की अवधि के लिए उक्त प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है।*

ग) *जबकि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 203 (4) के उपबंधों के साथ पठित कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के लागू नियम के अुनसरण में, कंपनी को प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (कंपनी सचिव) की आकस्मिक रिक्ति को ऐसी रिक्ति की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर भरना आवश्यक था। कंपनी की कंपनी सचिव सुश्री अंजली यादव ने 25 जुलाई 2022 से इस्तीफा दे दिया है और कंपनी द्वारा आकस्मिक रिक्ति को 24 जनवरी 2023 को या उससे पहले भरना आवश्यक था, लेकिन उसे आज तक नहीं भरा गया है, इसलिए कंपनी ने 25 जनवरी 2023 से 31 मार्च 2023 तक की अवधि के दौरान उपबंधों का अनुपालन नहीं किया है।*

घ) *जबकि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) के प्रावधानों के अनुसार कंपनी को जोखिम प्रबंधन नीति की आवश्यकता थी, कंपनी ने कोई औपचारिक जोखिम प्रबंधन नीति नहीं अपनाई है। तथापि, जैसा कि प्रबंधन द्वारा सूचित किया गया है, कंपनी ने जोखिम के प्रबंधन के लिए सभी आवश्यक उपाय किए हैं।*

ङ) *पिछले वर्ष की हमारी सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट के संदर्भ में, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि लखनऊ शाखा कार्यालय में सूत आपूर्ति योजना के कार्यान्वयन में अनियमितताओं के मामले में प्रबंधन ने सूचित किया है कि अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने मामले पर, 3 (तीन) अधिकारियों – श्री रवीश टंडन, प्रबंधक (वाणिज्य), श्री हसन अब्बास,*

(g) The Sexual Harassment of Women at Work Place (Prevention, Prohibition and Redressal) Act 2013 read with The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Rules 2013.

(h) Right to Information Act 2005.

We have also examined compliance with the applicable clauses of the Secretarial Standards issued by the Institute of Company Secretaries of India. We have not examined the applicable financial laws, like direct and indirect tax laws, since the same have been subject to review by statutory financial audit and other designated professionals.

We report that during the period under review the Company has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. as mentioned above subject to the following observation:

a) *Whereas in term of the provisions of Section 149(4) & 149(5) of the Companies Act, 2013 read with rule 4 of the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014, the Company was required to appoint at least two Independent Directors on the Board of the Company. Company has only two Independent Director on the Board till 17th October 2022. Shri Anil Kumar Sood who was appointed for a period of three years or till further orders, whichever is earlier w.e.f. 18th October 2019 has ceased as Non-Official Independent Director after completion of his tenure w.e.f. 17th October 2022. Also Ms. Yogita Singh who was appointed as Non-Official Independent Director for a period of three years or till further orders, whichever is earlier w.e.f. 09th November 2021 has resigned w.e.f 11th November 2022. Company was required to fill casual vacancy not later than immediate next Board Meeting or three months from the date of such vacancy whichever is earlier, but has not filled till 31st March 2023, hence the Company has not complied with the aforesaid provisions for the period between 16th January 2023 to 31st March, 2023.*

b) *In term of the provisions of Section 177(1) of the Companies Act, 2013 read with rule 6 of the Companies (Meeting of Board and its powers) Rules, 2014, the Company was required to constitute an Audit Committee of the Board with the majority of Independent Directors. As Mr. Anil Kumar Sood, has ceased as Non-Official Independent Director after completion of his tenure w.e.f. 17th October 2022 and Ms Yogita Singh has resigned w.e.f. 11th November 2022, hence the Corporation has not complied with the aforesaid provisions for the period between 16th January 2023 to 31st March, 2023.*

c) *Whereas in term of the provisions of Section 203(4) of the Companies Act, 2013 read with applicable rule of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014, the Company was required to fill casual vacancy of Key Managerial Personnel (Company Secretary) within a period of six months from the date of such vacancy, Ms Anjali Yadav, Company Secretary of the Company has resigned w.e.f 25th July 2022 and Company was required to fill casual vacancy on or before 24th January 2023 but has not filled till date, hence Company has not complied with the provisions during the period from 25th January 2023 to 31st March 2023.*

d) *Whereas in term of the provisions of Section 134(3) of the Companies Act, 2013 the Company was required to have a Risk Management policy, the Company has not adopted any formal Risk Management policy. However as informed by the Management the Company has adopted all necessary measures for the management of the risk.*

e) *In the matter of irregularities in the implementation of Yarn Supply Scheme in Lucknow Branch Office and with reference to our Secretarial Audit Report of previous years, the Disciplinary Authority found 3 (three) officials namely- Shri Ravish Tandon, Manager (Comm), Shri Hasan Abbas, Officer*

अधिकारी (एफएंडए) और श्री बी.के. महापात्रा, वरिष्ठ अधिकारी (वाणिज्य) को दोषी पाया है और 11 मार्च 2022 को 'बर्खास्तगी' लागू करते हुए, सेवा से निष्कासन, और 11 मार्च 2022 को 'बर्खास्तगी', सेवा से निष्कासन, जो सरकार या सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले सीपीएसई के तहत भविष्य के रोजगार के लिए अयोग्यता नहीं होगी और 23 मार्च 2022 को उनके खिलाफ क्रमश 'अनिवार्य सेवानिवृत्ति' जुर्माना लगाया।

इसके अलावा, जैसा कि प्रबंधन द्वारा हमें सूचित किया गया है, निदेशक मंडल ने 15 जून, 2022 के परिपत्र द्वारा पारित संकल्प के तहत 1 अप्रैल, 2017 से लखनऊ शाखा कार्यालय की लेनदेन लेखा परीक्षा करने का निर्देश दिया है ताकि उपयोगकर्ता एजेंसियों से प्राप्त शेष राशि तथा आपूर्तिकर्ता एजेंसियों को देय राशि और संबंधित अवधि के लिए एनएचडीसी को प्रतिपूर्ति/भुगतान की जाने वाली सब्सिडी की सही और वास्तविक राशि का पता लगाया जा सके। लेन–देन लेखा परीक्षा अभी प्रक्रियाधीन है। लगभग 7000 प्रविष्टियों की जांच/सत्यापन करने की आवश्यकता है इसलिए लेनदेन लेखा परीक्षा को पूरा करने में समय लगेगा। इसके पूरा होने पर, रिपोर्ट को आगे के आवश्यक निर्देश के लिए बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

आगे हम यह सूचित करते हैं किः

1. हमारे अवलोकन और प्रबंधन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार डीपीई के दिशानिर्देश के अनुसार कंपनी को विभिन्न अनिवार्य और अन्य मापदंडों के लिए वस्त्र मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) संपन्न करना होता है तथापि, 2017–18 के पश्चात् ऐसा कोई एमओयू संपन्न नहीं किया गया है। प्रबंधन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार निगम ने उन कारणों को स्पष्ट करते हुए प्रशासनिक मंत्रालय को वह सूचना भेजी है जिनके कारण निगम मापदंडों/लक्ष्यों को अंतिम रूप देने में असमर्थ रहा था और एमओयू संपन्न करने की छूट मांगी थी। इसके अलावा, जैसा कि प्रबंधन द्वारा सूचित किया गया है, सरकारी योजना, जिसके लिए एनएचडीसी कार्यान्वयन एजेंसी है, को 25 अक्टूबर, 2021 को संशोधित किया गया था।

2. कंपनी ने उपर्युक्त को छोड़कर, कार्यपालक, गैर–कार्यकारी निदेशकों एवं स्वतंत्र निदेशकों के समुचित संतुलन के साथ बोर्ड के गठन के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई), के लिए कॉरपोरेट शासन (सीजी) दिशानिर्देश–2010 का अनुपालन किया है।

3. बोर्ड की बैठक निर्धारित करने के लिए कम से कम सात दिन अग्रिम में सभी निदेशकों को पर्याप्त नोटिस दिया गया है और इसके पश्चात कार्यसूची तथा कार्यसूची संबंधी विस्तृत नोट भी सभी निदेशकों को अग्रिम में भेजा गया था और बैठक से पहले कार्यसूची मदों पर आगे की सूचना तथा स्पष्टीकरण मांगने और उसे प्राप्त करने तथा बैठक में सार्थक भागी दारी के लिए एक प्रणाली विद्यमान है। अल्प नोटिस के मामले में, कंपनी ने आईसीएसआई के सचिवीय मापदंड–1 के खंड 1.3.7 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 173 के लागू प्रावधानों का अनुपालन किया है।

4. अधिकांश निर्णयों पर कार्रवाई की जाती है जबकि असंतुष्ट सदस्य के विचार, यदि कोई हों, को नोट किया जाता है और उसे कार्यवृत्त में अभिलेखित किया जाता है।

5. निदेशकों ने नियुक्ति के लिए अपनी पात्रता, अपने स्वतंत्र रहने और निदेशकों तथा प्रबंधन कार्मिकों के व्यवसाय आचार संहिता एवं नैतिकता के अनुपालन के संबंध में प्रकटीकरण अपेक्षाओं का पालन किया है।

आगे हम यह सूचित करते हैं कि प्राप्त सूचना और रखरखाव किए गए अभिलेखों के आधार पर कंपनी में उचित व्यवस्था और प्रक्रियाएं है जो अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमनों और दिशानिर्देशों को मॉनिटर करने तथा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और प्रचालन के अनुरूप है।

(F&A) &Shri B.K. Mahapatra, Sr. Officer (Comm) guilty and imposed the 'Dismissal' on 11th March 2022, Removal from Service, which shall not be a disqualification for future employment under the Government or the CPSE owned or controlled by the Government' and 'Compulsory retirement' penalty on 23rd March 2022, against them respectively.

Further as informed by the management to us, Board of Directors has directed vide resolution passed by circulation on 15th June, 2022 to conduct transaction audit of Lucknow branch office from 1st April, 2017 onwards so as to find out the true and actual amount of balance receivables from user agencies and corresponding amount payable to supplier agencies and subsidy due to be reimbursed / paid to NHDC for the related period. Transaction audit was still under process. There being approximately 7000 entries need to be checked / verified hence it will take time to complete the transactions audit. Upon completion, report shall be placed before the Board for further necessary instruction.

We further report that:

1) As observed by us and also informed by the management, that in terms of the DPE guidelines, the Company has to enter into a Memorandum of Understanding (MOU) with Ministry of Textiles for various compulsory and other Parameters, however after 2017-18, no such MOU has been executed. As informed by the management the Corporation has sent communications to the administrative Ministry, explaining the reasons due to which Corporation was unable to finalize the parameters/ targets and seeking exemption from entering MOU. Further, as informed by the management, the Government scheme, for which NHDC is the implementing agency, was revised on 25th October, 2021.

2) The Company has complied with Companies Act 2013, Corporate Governance (CG) Guidelines for Central Public Sector Enterprises (CPSE), 2010 issued by Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, Department of Public Enterprises, Government of India in respect of constitution of the board with proper balance of Executive, Non-Executive Directors & Independent Directors except as stated above.

3) Adequate notice is given to all Directors to schedule the Board Meetings at least seven days in advance and agenda and detailed notes on agenda were also sent in advance to all the Directors subsequently, and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting. In case of shorter notice, the Company has complied with the applicable provisions of Section 173 of the Companies Act 2013 read with clause 1.3.7 of the Secretarial Standard -1 of ICSI.

4) Majority decision is carried through while the dissenting member's views, if any, are captured and recorded as part of the minutes.

5) The Directors have complied with the disclosure requirements in respect of their eligibility of appointment, their being independent and compliance with the Code of Business Conduct & Ethics for Directors and Management Personnel;

We further report that based on the information received and records maintained there are adequate systems and processes in the Company commensurate with the size and operations of the Company to monitor and ensure compliance with other applicable laws, rules, regulations and guidelines.

आगे हम यह सूचित करते हैं कि लेखा–परीक्षा के दौरान निम्नलिखित के कोई दृष्टांत नहीं पाए गएः–

क) सार्वजनिक/शेयरों का अधिमानी इश्यू/स्वेट इक्विटी

ख) प्रतिभूतियों का बॉय–बैक

ग) विलय/आमेलन/पुनर्निमाण आदि और

घ) विदेशी तकनीकी सहयोग

कृते नवनीत के. अरोड़ा एण्ड कंपनी एलएलपी
कंपनी सचिव

हस्ता./–
सीएस नवनीत अरोड़ा
प्रबंधन साझेदार
सीएसः 3214, सीओपीः 3005
[आईसीएसआई फर्म का विशिष्ट पहचान कोडः P2009DE061500]
यूडीआईएनः F003214E000637133

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 19 जुलाई, 2023

(नोटः यह रिपोर्ट समान तारीख के हमारे पत्र के साथ पढ़ी जाए जो **'अनुबंध–क'** के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का अभिन्न अंग है)।

We further report that during the audit period, there were no instances of:

a) Public / Preferential Issue of Shares/ Sweat Equity.

b) Buy-back of Securities.

c) Merger / Amalgamation / Reconstruction etc. and

d) Foreign Technical Collaborations.

For Navneet K Arora & Co LLP
Company Secretaries

Sd/-
CS Navneet Arora
Managing Partner
CS: 3214, COP: 3005
[ICSI Firm Unique Identification Code: P2009DE061500]
UDIN: F003214E000637133

Place: New Delhi
Date: 19th July 2023

[Note: This report is to be read with our letter of even date which is annexed as **“Annexure-A”** and forms an integral part of this report].

अनुलग्नक—क

सेवा में,

सदस्य,
राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड,
पंजीकृत कार्यालय, चौथा तल, वेगमेंस बिजनेस पार्क,
टावर—I, प्लाट सं. 03, सेक्टर नॉलेज पार्क—III,
सूरजपुर—कासना मैन रोड़, ग्रेटर नोएडा,
गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश—201306

समसंख्यक तारीख की हमारी रिपोर्ट को इस पत्र के साथ निम्नानुसार पढ़ा जाएः—

1. सचिवीय रिकॉर्ड के रखरखाव की जिम्मेदारी कंपनी के प्रबंधन की है। हमारी जिम्मेदारी हमारे ऑडिट में इन सचिवीय रिकॉर्ड पर राय व्यक्त करना है।
2. हमने लेखा परीक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है जो सचिवीय रिकॉर्ड की विषय—वस्तु की सटीकता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थे। सत्यापन परीक्षण के आधार पर किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सचिवीय रिकॉर्ड में सही तथ्य परिलक्षित हों। हम मानते हैं कि जिन प्रक्रियाओं और प्रथाओं का हमने पालन किया, वे हमारी राय के लिए एक युक्तिसंगत आधार प्रदान करते हैं।
3. हमने कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड और बही खातों की सटीकता और उपयुक्तता की पुष्टि नहीं की है।
4. जहां भी आवश्यक हो, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं आदि के बारे में प्रबंधन प्रस्तुतिकरण प्राप्त किया है।
5. कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच परीक्षण के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।
6. सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता के बारे में आश्वासन है और न ही उस क्षमता या प्रभावशीलता के बारे में है जिसके जरिए प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों का संचालन किया है।

कृते नवनीत के.अरोड़ा एण्ड कंपनी एलएलपी
कंपनी सचिव

ह./—
सीएस नवनीत अरोड़ा
प्रबंधन साझेदार
सीएसः 3214, सीओपीः 3005
[आईसीएसआई फर्म का विशिष्ट पहचान कोडः P2009DE061500]
यूडीआईएनः F003214E000637133

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 19 जुलाई, 2023

Annexure –A

To,

The Members,
National Handloom Development Corporation Limited,
Regd. Office: 4th Floor, Wegmans Business Park,
Tower-1, Plot No. 03, Sector Knowledge Park-III,
Surajpur- Kansa Main Road, Greater Noida,
Gautam Buddha Nagar, UP- 201306

Our report of even date is to be read along with this letter as under:–

1) Maintenance of secretarial record is the responsibility of the Management of the Company. Our responsibility is to express an opinion on these secretarial records on our audit.

2) We have followed the audit practices and processes as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the Secretarial Records. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in secretarial records. We believe that the processes and practices, we followed provide a reasonable basis for our opinion.

3) We have not verified the correctness and appropriateness of financial records and books of accounts of the Company.

4) Where ever required, we have obtained the Management Representation about the compliance of laws, rules and regulations and happening of events etc.

5) The Compliance of the provisions of Corporate and other applicable laws, rules, regulations, standards is the responsibility of Management. Our examination was limited to the verification of procedures on test basis.

6) The Secretarial Audit Report is neither an assurance as to the future viability of the Company nor of the efficacy or effectiveness with which the Management has conducted the affairs of the company.

For Navneet K Arora & Co LLP
Company Secretaries

Sd/-
CS Navneet Arora
Managing Partner
FCS: 3214, COP: 3005
[ICSI Firm Unique Identification Code: P2009DE061500]
UDIN: F003214E000637133

Place: New Delhi
Date: 19th July 2023

स्थानः नई दिल्ली

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में,
सदस्य
राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड (एनएचडीसी)

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

सापेक्ष राय

हमने **राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड ('कंपनी')** से संबंधित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा है, जिसमें 31 मार्च 2023 तक बैलेंस शीट, लाभ और हानि का विवरण, समाप्त वर्ष के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट और वित्तीय विवरणों के नोट्स, महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी के सारांश सहित शामिल है। उपर्युक्त वित्तीय विवरणों में निगम के क्षेत्रीय कार्यालयों– बेंगलुरु, कोलकाता, वाराणसी, पानीपत, हैदराबाद, कोयम्बटूर और गुवाहाटी के उस तारीख को समाप्त वर्ष से संबंधित विवरण शामिल हैं, जिनकी संबंधित शाखा के लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा की जाती है। क्षेत्रीय कार्यालयों और संबंधित लेखा परीक्षकों का ब्यौरा निम्नानुसार दर्शाया जा रहा हैः–

क्र.सं.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	शाखा लेखा परीक्षकों का नाम एवं पता
1	राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, बेंगलुरु, कर्नाटक	मेसर्स उदय शंकर एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, नंबर 40, पहली मंजिल, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, केआर रोड, वानीविलास अस्पताल के सामने– फोर्ट, बेंगलुरु।
2	राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल	मैसर्स के एंड के एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स सेंटर प्वाइंट/21 हेमंत बसु सरन, 5वीं मंजिल, कमरा नंबर 501, कोलकाता, पश्चिम बंगाल 700001
3	राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, वाराणसी, उत्तर प्रदेश	मेसर्स एसएन सिंह एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, के–67/111, नई बस्ती, ईश्वरगंगी, जिला वाराणसी।
4	राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, पानीपत, हरियाणा	एमएस ए आर एन अग्रवाल एंड कंपनी चार्टेड अकाउंट, 886/21, कौशिक नगर, जींद हरियाण
5	राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना।	मैसर्स आरबी एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, पैनकॉम बिजनेस सेंटर, अमरप्रीत, हैदराबाद।
6	राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, कोयम्बटूर, तमिलनाडु	मैसर्स शनमुजा वाडिवेल एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, 113, वल्लुवर, स्ट्रीट सिवंदा कॉलोनी, कोयम्बटूर–12
7	राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, गुवाहाटी, असम	मैसर्स खेतान अग्रवाल एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, सन्मति प्लाजा, दूसरी मंजिल, आईडीबीआई के सामने, जीएस रोड, गुवाहाटी।

हमारी राय में और हमारी जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हमारी रिपोर्ट के बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन में वर्णित मामले के आशयों को छोड़कर, उपरोक्त वित्त विवरण, कंपनी अधिनियम, 2013, यथा संशोधित ("अधिनियम") द्वारा आवश्यक तरीके से जानकारी देते हैं, और 31 मार्च, 2023 को कंपनी के मामलों की स्थिति के

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

TO
THE MEMBERS
NATIONAL HANDLOOM DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED (NHDC)

Report on the Audit of the Standalone Financial Statements

Qualified Opinion

We have audited the accompanying standalone financial statements of **NATIONAL HANDLOOM DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED,** ("the Company") which comprise the Balance Sheet as at March 31 2023, the Statement of Profit and Loss, the Cash Flow Statement for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information. The aforesaid financial statements incorporate the returns for the year ended on that date of the Corporation's Regional Offices at- Bengaluru, Kolkata, Varanasi, Panipat, Hyderabad, Coimbatore and Guwahati audited by the respective branch auditors. The detail of Regional Offices and the respective Auditors is being indicated as under: -

Sl. No.	Name of the Regional Office	Name & Address of the Branch Auditors
1	National Handloom Development Corporation Limited, Bengaluru, Karnataka	M/s Udaya Shankar & Co. Chartered Accountants, No 40, 1st Floor, Lakshmi Complex, K.R. Road, Opp- VaniVilas Hospital, Fort, Bengaluru.
2	National Handloom Development Corporation Limited, Kolkata, West Bengal	M/s Kay & Kay Associates, Chartered Accountants Centre Point/ 21 Hemanta Basu Saran, 5th Floor, Room no. 501, Kolkata, West Bengal 700001
3	National Handloom Development Corporation Limited, Varanasi, Uttar Pradesh	M/s. S N Singh & Co. Chartered Accountants, K-67/111, Nai Basti, Ishwargangi. Dist. Varanasi.
4	National Handloom Development Corporation Limited, Panipat, Haryana	M/s A R N Agarwal & Co. Chartered Accountants, 886/21, Kaushik Nagar, Jind Haryana
5	National Handloom Development Corporation Limited, Hyderabad, Telangana.	M/s. RB Associates, Chartered Accountants, Pancom Business Centre, Amarpreet, Hyderabad.
6	National Handloom Development Corporation Limited, Coimbatore, Tamilnadu	M/s. Shanmuja Vadivel & Co. Chartered Accountants, 113, Valluvar, Street Civanda Colony, Coimbatore-12.
7	National Handloom Development Corporation Limited, Guwahati, Assam	M/s Khaitan Agarwal & Company Chartered Accountants, SANMATI Plaza, 2nd Foor, Opp – IDBI, G.S. Road, Guwahati.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, except for the effects of the matter described in the Basis for Qualified Opinion section of our report, the aforesaid financial statements give the information required by the Companies Act, 2013, as amended ("the Act") in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Company as at March 31, 2023, its profit and its cash flows for the year ended on that date.

अनुसार, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए इसके लाभ और इसके नकदी प्रवाह की भारत में आम तौर पर स्वीकार किए जाने वाले लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सच्ची और निष्पक्ष राय देते हैं।

सापेक्ष राय के लिए आधार

1. एनएचडीसी के ऊपर उल्लिखित ''7'' क्षेत्रीय कार्यालय हैं जहां से हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए हैंक यार्न की बिक्री/खरीद की जाती है जिस पर भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय, विकास आयुक्त कार्यालय, हथकरघा समय–समय पर घोषित योजना के अनुसार 15% सब्सिडी और अन्य दावे (जिसमें माल भाड़ा सब्सिडी और डिपो शुल्क शामिल हैं) प्रदान करता है। जैसा कि वित्तीय वर्ष 2018–19 और 2019–20 के वित्तीय खातों संबंधी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में बताया गया है, कंपनी के लखनऊ शाखा कार्यालय, जो वाराणसी क्षेत्रीय कार्यालय के अधीन था, ने शुरू में वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान वित्त वर्ष यानी 2018–19 की पहली तिमाही में क्रमशः 38504.00 लाख रुपये की कुल बिक्री और खरीद बुक की थी। इसमें से 19082.00 लाख रुपये की बिक्री और खरीद उक्त लखनऊ कार्यालय द्वारा ईआरपी लेखांकन प्रणाली में रद्द कर दी गई है।

   सीबीआई के पत्र के अनुसार, प्रबंधन और सीवीओ द्वारा फोरेंसिक लेखा परीक्षा और सतर्कता जांच की गई थी। इस मामले पर फोरेंसिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट और सतर्कता जांच रिपोर्ट क्रमशः फोरेंसिक लेखा परीक्षक और सीवीओ टीम द्वारा निदेशक मंडल के समक्ष 05.10.2021 को प्रस्तुत की गई थी। निदेशक मंडल के निर्देशों और सीबीआई के पत्र के अनुसार, इस संबंध में आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए फोरेंसिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट और सतर्कता जांच संबंधी रिपोर्ट सीबीआई को उपलब्ध करा दी गई है।

   कंपनी ने इस संबंध में सतर्कता रिपोर्ट और सीबीआई से प्राप्त आगे के पत्राचार/रिपोर्ट की प्रति हमें उपलब्ध नहीं कराई है। फोरेंसिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में किए गए अवलोकन के अनुसार बही–खातों में किसी प्रविष्टि के दर्ज नहीं किया गया है, न इसका हिसाब ही दिया गया है इसलिए हम कुल देनदारों (नोट संख्या 14 (ii)) के साथ–साथ लेनदारों (संदर्भ संख्या 5 (ii)) में दिखाए जा रहे 19422.00 लाख रुपये के क्रमशः उक्त देनदारों और लेनदारों पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

2. जैसा कि नोट संख्या ''4क'' में बताया गया है कि 2356.55 लाख रुपये कॉर्पस फंड (मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स) में जमा है और तदनुसार तुलन पत्र की अनुसूची 11 के अनुसार सावधि जमा में निवेश किए गए हैं। 31 मार्च 2017 तक कॉर्पस फंड (मार्केट कॉम्प्लेक्स) की सावधि जमा पर अर्जित ब्याज को संबंधित कॉर्पस फंड में जमा किया गया था, लेकिन वित्तीय वर्ष 2017–18 और 2018–19 के दौरान क्रमशः 122.00 लाख रुपये और 120.00 लाख रुपये की सावधि जमा राशि पर ब्याज को कॉर्पस फंड (मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स) में जमा करने के बजाय निगम की ब्याज आय के रूप में लिया गया है। तथापि, वित्त वर्ष 2019–20 से कॉर्पस फंड (मार्केट कॉम्प्लेक्स) के एफडीआर पर अर्जित ब्याज आय कॉर्पस फंड्स (मार्केट कॉम्प्लेक्स) में जमा कराई जा रही है।

3. कंपनी ने इस संबंध में कोई उत्तर नहीं दिया हैय इसलिए हम ऊपर उल्लिखित कॉर्पस फंड में वापस की जाने वाली अतिरिक्त राशि पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

   नोट सं ''4(ख)'' के अनुसार, 31–03–2023 की स्थिति के अनुसार, 1191.16 लाख रुपये कॉर्पस फंड (मेगा क्लस्टर) में जमा थे। 31 मार्च 2017 तक, वित्तीय वर्ष 2017–18 और 2018–19 के दौरान कॉर्पस फंड (मेगा क्लस्टर) में जमा करने के बजाय सावधि जमा पर ब्याज को निगम की ब्याज आय के रूप में लिया गया है, तथापि, वित्त वर्ष 2019–20 से, कॉर्पस फंड (मेगा क्लस्टर) के एफडीआर पर अर्जित ब्याज आय कॉर्पस फंड (मेगा क्लस्टर) में जमा की गई है।

   कंपनी ने इस संबंध में कोई उत्तर नहीं दिया है। इसलिए हम ऊपर उल्लिखित कॉर्पस फंड में वापस की जाने वाली अतिरिक्त राशि पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं। हमारी राय में, चूंकि यह राशि कंपनी के पास बेकार पड़ी है, इसलिए इसे मंत्रालय को वापस कर दिया जाना चाहिए।

4. नोट संख्या ''4(ग)'' के अनुसार, 31–03–2023 की स्थिति के अनुसार 96.94 लाख रुपये कॉर्पस फंड, (व्यापार सुविधा

Basis for Qualified Opinion

1. NHDC having "7" Regional offices as mentioned above from where sale/purchase of Hank Yarn is undertaken to promote the Handloom Sector on which Government of India, Ministry of Textile office of the Development Commissioner, Handloom provide 15 % Subsidy and other claims (which includes freight subsidy and depot charges) as per scheme announced time to time. As pointed in Audit report on the Financial Accounts of FY 2018-19 and 2019-20 the Company's Lucknow branch Office, which was under Varanasi Regional Office, had initially booked total Sales & Purchase during the Financial year 2018-19 amounting to Rs. 38504.00 lacs in the 1st Quarter of Financial year i.e. 2018-19 respectively. Out of this, Sales and Purchase to the tune of Rs. 19082.00 lacs have been cancelled by the said Lucknow Office in ERP accounting system.

   As per the CBI communication, the Forensic Audit and Vigilance probe were taken up by the management and the CVO. The Forensic Audit Report and the Vigilance Probe report on the matter were presented by the Forensic Auditor and the CVO team respectively, before the Board of Directors on 05.10.2021. As per the directions of the Board of Directors and the CBI letter, the Forensic Audit Report and the Vigilance Probe Report has been provided to CBI for further necessary action in this regard.

   The Company has not provided copy of Vigilance report and further communication/report received from CBI in this regard to us. No entries have been ascertained and accounted for in the books as per the observation made in Forensic Audit Report, hence we are unable to comment on the said debtors and creditors of Rs. 19422.00 lacs respectively being shown in total debtors (Refer Note No. 14(ii)) as well as Creditors ((Refer Not No. 5 (ii)).

2. As stated in Note No. "4A" Rs.2356.55 lacs is Standing to the Credit of Corpus Fund (Marketing Complex) and correspondingly invested in Fixed Deposits as Per Schedule 11 of the Balance Sheet. Interest earned on Fixed Deposits of Corpus Funds (Market Complexes) till 31st March 2017, was credited to respective Corpus Fund, but during the financial year 2017-18 and 2018-19 the interest on fixed deposit amounting to Rs. 122.00 lacs and Rs. 120.00 lacs respectively has been taken as interest income of the Corporation instead of crediting to the Corpus Fund (Marketing Complex). However, since FY 2019-20 interest income earned on FDR of Corpus Funds (Market Complexes) has been crediting to Corpus Funds (Market Complexes).

   The company has not provided any reply in this regard; hence we are unable to comment on excess amount refundable to the Corpus Fund referred above.

3. As Per Note No. "4(B)", As on 31-03-2023 Rs, 1191.16 lacs was standing to the Credit of Corpus Fund (Mega Cluster). Till 31st March 2017, the interest on fixed deposit has been taken as Interest income of the Corporation, instead of crediting to the Corpus Fund (Mega Cluster) during the financial year 2017-18 and 2018-19, However, from financial year 2019-20, interest income earned on FDR of Corpus Fund (Mega Cluster) has been credited to Corpus Funds (Mega Cluster).

   The company has not provided any reply in this regard; hence we are unable to comment on excess amount refundable to the Corpus Fund referred above. In our opinion, as this fund is lying idle with the company, it should be refunded back to the ministry

4. As Per Note No '4(C)', As on 31-03-2023 Rs 96.94 lacs was standing to the Credit of Corpus Fund, (Trade Facilitation Centre), The Company has not been provided the reconciliation of rent recovered, expenses/taxes thereon, interest earned on the funds not credited to Corpus, amount payable for the construction of facility, Hence the impact thereof on the accounts can not be ascertained.

केंद्र) में जमा थे, कंपनी को वसूल किए गए किराए, उस पर खर्च/कर, कॉर्पस में जमा नहीं की गई निधियों पर अर्जित ब्याज, सुविधा के निर्माण के लिए देय राशि का मिलान उपलब्ध नहीं कराया गया है, इसलिए लेखाओं पर इसके प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सकता है।

5. 01.03.2018 से 31.03.2018 के दौरान की गई 21579.00 लाख रुपये की बिक्री के कारण 2266.00 लाख रुपये का सेवा शुल्क और सब्सिडी घटक कंपनी द्वारा वित्त वर्ष 2018–2019 के दौरान वापस ले लिया गया था क्योंकि वस्त्र मंत्रालय (एमओटी) ने कंपनी को सब्सिडी राशि की प्रतिपूर्ति नहीं की। इस तथ्य के परिणामस्वरूप कि वस्त्र मंत्रालय से 2158.00 लाख रुपये की सब्सिडी प्राप्त नहीं हुई थी, कंपनी ने भारत सरकार से देय प्राप्तियों में से 2158.00 लाख रुपये कम कर दिए और उसे आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम के रूप में बुक कर दिया। इसके अतिरिक्त, इसके संबंध में एनएचडीसी ने आपूर्तिकर्ताओं को 181500 लाख रुपए सब्सिडी के रूप में संवितरित किए हैं, यद्यपि यह भारत सरकार से प्राप्त नहीं हुई है।

   कंपनी ने इस संबंध में कोई उत्तर नहीं दिया हैय इसलिए हम वितरित 1815.00 लाख रुपये की वसूली पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

6. कंपनी को हथकरघा विकास आयुक्त के कार्यालय से 7 जुलाई 2022 का एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें विभिन्न प्रदर्शनियों के संबंध में 311.36 लाख रुपये के दावे को खारिज कर दिया गया है। इसलिए, 311.36 लाख रुपये की सीमा तक वसूली योग्य दावों को बढ़ा–चढ़ाकर बताया गया है और नुकसान को कम बताया गया है।

7. कंपनी ने वित्त वर्ष 19–20 और 22–23 के दौरान आयोजित प्रदर्शनी पर किए गए खर्च के कारण वस्त्र मंत्रालय, केंद्र सरकार (जिसे बाद में 'एमओटी' कहा गया है) से क्रमशः 143.12 लाख रुपये और 10.51 लाख रुपये की वसूली दिखाई है। तथापि, वस्त्र मंत्रालय के दिशा–निर्देशों के अनुसार उक्त राशि की प्रतिपूर्ति नहीं की जा सकती है। कंपनी ने वस्त्र मंत्रालय द्वारा ऐसे दावों की स्वीकृति के समर्थन में कोई सबूत नहीं दिया है, इसलिए 153.64 लाख रुपये की सीमा तक एमओटी से वसूली योग्य दावों को बढ़ा–चढ़ाकर बताया गया है और नुकसान को कम बताया गया है।

8. कंपनी ने मंत्रालय को प्राप्य/देय निम्नलिखित शेष राशियां भी दर्शाई हैं लेकिन इसके संबंध में हमें कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण/दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसलिए हम इस पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

विवरण	**प्राप्य/देय शेष राशि**
वाराणसी में 7 सीएफसी के लिए भवन का निर्माण	12496280.00 Dr
दयाल हस्तकला संकुल ट्रेड एंड मुसेम सेंटर (टीएफसी) से	2965263.20 Dr
प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन का खर्च	241005.00 Dr
फ्रांस के राष्ट्रपति की यात्रा	897474.00 Dr
सीएचडीएस–वाराणसी मेगा क्लस्टर	287474.00 Cr

9. कंपनी ने मंत्रालय से पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए बिना प्रदर्शनियों पर 7.91 लाख रुपये खर्च किए हैं। इसलिए, हम यह टिप्पणी करने में असमर्थ हैं कि यह वसूली योग्य है या नहीं।

10. नोट संख्या 19 में अन्य आय में बैंक/वाहन ऋण/अन्य से ब्याज से 456.68.00 लाख रुपये की आय शामिल है, हम इस पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं क्योंकि हमें कोई दस्तावेजी सबूत और स्पष्टीकरण प्रदान नहीं किया गया है।

11. नोट संख्या 19 में अन्य आय में देनदारियों अतिरिक्त प्रावधानित 150.00 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि वापस लिखी गई है, हम उस पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं क्योंकि हमें कोई दस्तावेजी सबूत और स्पष्टीकरण प्रदान नहीं किया गया है।

12. कंपनी ने इसमें संलग्न अनुबंध 'घ' में उल्लिखित 1429.96 लाख रुपये की अनुदान प्राप्य राशि और 693.61 लाख

5. Service charge and subsidy component of Rs 2266.00 lacs on account of sales of Rs 21579.00 lacs made during 01.03.2018 to 31.03.2018 was reversed by the Company during F Y 2018-2019 as Ministry of Textiles (MOT) did not reimburse the subsidy amount to the company. Consequent to the fact that subsidy of Rs 2158.00 lacs was not received from the MOT, the company reduced Rs 2158.00 lacs from receivables due from Government of India and booked the same as advance to suppliers. Further in respect of same, NHDC has disbursed Rs 1815.00 lacs as subsidy to the suppliers, even though the same is not received from Government of India.

   The company has not provided any reply in this regard; hence we are unable to comment on the recoverability of Rs. 1815.00 lacs disbursed

6. The Company has received a letter from office of Development Commissioner of Handloom dated 7th July 2022 rejecting claim of Rs. 311.36 lacs in respect of various exhibitions .Hence, to the extent of Rs 311.36 lacs the claims recoverable are over stated and loss is under stated.

7. The Company has shown Rs 143.12 lacsand Rs 10.51 lacs recoverable from Ministry of Textile, Central Government (here in after referred as "MOT") on account of expenses incurred on 'Exhibition organized during FY 19-20 & 22-23 respectively. However, as per guidelines of MOT, said amounts are not reimbursable. The Company has not provided any evidence in support of acceptance of such claims by MOT, hence to the extent of Rs 153.64 lacs the claims recoverable from MOT are over stated and loss is under stated.

8. The Company has also shown following balances receivable/payable to/from the Ministry but no satisfactory explanation/ documentary evidence in respect of same has been provided to us. Hence we are unable to comment on same.

Particulars	Balance Receivable/Payable
Construction of Building for 7CFC in Varanasi	12496280.00 Dr
Din Dayal Hastkala Sankul Trade & Musem Centre (TFC)	2965263.20 Dr
Inauguration Expenses by PM	241005.00 Dr
Visit of French President	897474.00 Dr
CHDS -Varanasi Mega Cluster	287474.00 Cr

9. The Company has incurred Rs. 7.91lacs on exhibitions without getting prior sanction from the ministry. Hence, we are unable to comment whether same is recoverable or not.

10. In Note No 19 Other Income includes Income from Interest from Bank /vehicle loan/others amounting to Rs 456.68.00 lacs, we are unable to comment on same as no documentary evidence and explanation has been provided to us.

11. In Note No 19 Other Income includes Income under liabilities /excess provisions written back amounting to Rs 150.00 lacs, we are unable to comment on same as no documentary evidence and explanation has been provided to us.

12. The company has not provided any documents and explanation with respect to Grants Receivable amounting to Rs 1429.96 lacs and Grant Refundable amounting to Rs 693.61 lacs as referred in Annexure 'D' annexed herewith, hence we are unable to comment thereon.

13. The Company has not provided any status of utilization of grant Rs 90.00 lacs received in Dec 2020 for Mapping and Video filming of cluster arcticians; hence we are unable to comment on same.

रुपये की अनुदान वापसी के संबंध में कोई दस्तावेज और स्पष्टीकरण प्रदान नहीं किया है, इसलिए हम उस पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

13. कंपनी ने क्लस्टर आर्किस्टों के मानचित्रण और वीडियो फिल्मांकन के लिए दिसंबर 2020 में प्राप्त 90.00 लाख रुपये के अनुदान के उपयोग की स्थिति की कोई सूचना प्रदान नहीं की है; इसलिए हम इस पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

14. कंपनी ने नवंबर, 2019 से मार्च, 2022 की अवधि के लिए संतुष्टि दुकान पर 34.75 लाख रुपये के व्यय का दावा किया है, तथापि, इस संबंध में सरकार से कोई अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया है, इसलिए हम इसकी वसूली पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

15. कंपनी ने वित्त वर्ष 2018–19 में इंडियन ओवरसीज बैंक, लखनऊ शाखा द्वारा दो बार भुगतान किए गए 660.62 लाख रुपये की वसूली के लिए की गई कार्रवाई और कानूनी राय की स्थिति की कोई सूचना प्रदान नहीं की है। फोरेंसिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार आज की तारीख तक पार्टीवार किए गए दोगुने/अधिक भुगतान का मिलान नहीं किया गया है। हम बैंक द्वारा दो बार भुगतान की गई 660.62 लाख रुपये की वसूली पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

16. कंपनी ने 17.45 लाख रुपये के बीजक (इनवॉयस) पर वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के तहत टीडीएस नहीं काटा है।

17. कंपनी ने चांजोर टूर्स एंड ट्रैवल्स (प्रा.) लिमिटेड को भुगतान की गई 1.90 लाख रुपये की राशि पर आयकर अधिनियम के तहत टीडीएस नहीं काटा है।

18. वर्ष के दौरान, कंपनी ने भागीदारी राशि के रूप में 1.05 लाख रुपये प्राप्त किए हैं और इसे आय मद में ले लिया है, तथापि, नीतिगत दिशानिर्देशों के अनुसार, मंत्रालय को उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करते समय इसे समायोजित किया जाना है जो नहीं किया गया है। इस प्रकार, आय 1.05 लाख रुपये से अधिक बताई गई है।

19. हुडको प्लाजा, बीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली में हथकरघा विपणन परिसर की स्थापना के संबंध में, लेखा परीक्षा के प्रधान निदेशक कार्यालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 09.03.2022 की अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित टिप्पणियां की गई थीं।

(क) बकाया राशि का भुगतान न करने का कोई कारण रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं था। कार्यान्वयन एजेंसी होने के नाते एनएचडीसी यह सुनिश्चित करने में विफल रहा है कि 2017 के बाद एसडीएमसी को किए गए संपत्ति कर का वैधानिक भुगतान किया गया है और आगे बिल्डर (एचडीसीओ) को 157.17 लाख रुपये के ग्राउंड रेंट और रखरखाव शुल्क के बकाया का भुगतान नहीं किया गया है। इससे हुडको के साथ पट्टा विलेज (लीज डीड) का निष्पादन प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा, एनएचडीसी के खिलाफ जुर्माना शुल्क बनेगा और उस पर जुर्माना संबंधी कार्रवाई की जा सकती है क्योंकि यह दुकानों का मूल आवंटी है।

(ख) एनएचडीसी ने उन लाभार्थी एजेंसियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है जिन्होंने अपने हिस्से के व्यय की प्रतिपूर्ति नहीं की है, इसके बजाय यह स्वयं हुडको का चूककर्ता बन गया है।

(ग) एनएचडीसी को नियमित रूप से अपनी देय राशि का भुगतान करने वाली लाभार्थी एजेंसियों द्वारा देय राशियों के भुगतान के संबंध में कोई और अनुदेश या व्यवस्था नहीं की गई है।

(घ) लाभार्थी एजेंसियों ने एनएचडीसी आबंटित दुकानों से द्वारा बिक्री/व्यवसाय आदि का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा था जिससे योजना के लाभों के संदर्भ में उनके प्रदर्शन की पुष्टि की जा सके जिसमें सरकार ने हथकरघा एजेंसियों को विपणन परिसर की दुकानों की खरीद के लिए 335.00 लाख रुपये की 50% अनुदान सहायता प्रदान की है। यदि एनएचडीसी द्वारा बकाया राशि का भुगतान न करने के कारण लीज डीड नहीं किया जाता है, तो योजना पर सरकारी खर्च बेकार हो सकता है।

20. कंपनी ने वाराणसी क्षेत्रीय कार्यालय में 3 वर्षों से अधिक समय से 24572.49 लाख रुपये की राशि के देनदारों के लिए

14. The Company has claimed expenditure of Rs 34.75 lacs on Santushti shop for the period November, 2019 to March, 2022, however no approval received from Government in this regard is provided to us hence we are unable to comment on the recoverability thereof.

15. The Company has not provided any status of action taken and legal opinion for recovery of Rs 660.62 lacs paid twice by Indian Overseas Bank, Lucknow branch in Financial Year 2018-19. As per Forensic Audit report till date party wise double/excess payment made has not been reconciled. We are unable to comment on the recoverability of Rs 660.62 lacs paid twice by bank.

16. The Company has not deducted TDS under Goods and Service Tax Act, on invoices amounting to Rs 17.45 lacs.

17. The Company has not deducted TDS under Income Tax Act on amount of Rs 1.90 lacs paid to Chanjor Tours and Travels (P) Ltd.

18. During the year, company has received Rs 1.05 lacs as participation money and taken the same to income head , However, as per policy guidelines, same has to be adjusted while submitting UC to Ministry which has not been done. Thus, income is overstated by Rs. 1.05 lacs.

19. In respect of setting up of the Handloom Marketing Complex at HUDCO Plaza, Bikaji Cama Place New Delhi, following observations were made by office of Principal Director of Audit New Delhi in their report dt 09/03/2022.

    (a) No reason for non-payment of the dues were available on records. NHDC being the nodel/ implementation agency, has failed to ensure that statutory payment of property tax made to SDMC after2017and further has not paid arrears of ground rent and the maintaince charges to the Builder (HDCO) of Rs157.17 lakh. This may affect the execution of lease deed with HUDCO. Further, penalty charges would accrue and penalty action may be taken against the NHDC since it is the original allottee of the shops.

    (b) NHDC has not taken any action against the beneficiary agencies who did not reimburse their share of expenditure, instead it itself has become defaulter to HUDCO.

    (c) There is no further instruction or arrangement of payment of dues by the beneficiary agencies who have been paying their dues regularly to NHDC.

    (d) No records of sale/business etc. by beneficiary agencies, from the shops allotted, was maintained by NHDC to vouch their performance in terms of benefits of the scheme wherein the Government has provided 50% grant assistance to Handloom Agencies Rs 335.00 lacs for purchase of the shops of Marketing Complex. The government expenditure on the scheme may go waste if, lease deed is not made due to non-payment of dues by NHDC.

20. The Company has not made any provision against the Debtors for more than 3 years amounting to Rs 24572.49 lacs at Varanasi Regional Office out of which Rs 19422.00 lacs relates to bogus, dubious transactions entered by Varanasi Regional Office during F.Y 2018-19 as referred in point no (1) above. It is further noticed that the company has not made any provision against outstanding of Rs 664.43 lacs considering the same adjustable against the cluster corpus fund provided by Ministry of Textiles to be used as margin money. Thus, the provision for Sundry Debtors is lower by Rs. 25236.92 lacs and profit is more by 25236.92 lacs

कोई प्रावधान नहीं किया है, जिसमें से 19422.00 लाख रुपये वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान वाराणसी क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दर्ज किए गए फर्जी, संदिग्ध लेनदेन से संबंधित हैं, जैसा कि ऊपर बिंदु संख्या (1) में संदर्भित है। यह भी देखा गया है कि कंपनी ने 664.43 लाख रुपये की बकाया राशि के लिए भी यह मानकर कोई प्रावधान नहीं किया है कि वस्त्र मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई क्लस्टर कॉर्पस फंड के लिए इसे मार्जिन मनी के रूप में उपयोग किया जाना है। इस प्रकार, छुट–पुट देनदारों के लिए प्रावधान 25236.92 लाख रुपये कम है और लाभ 25236.92 लाख रुपये अधिक है।

21. कंपनी ने, विकास आयुक्त, हथकरघा के इन सख्त दिशा–निर्देशों के बावजूद कि प्रदर्शनी व्यय से अचल परिसंपत्तियों का सृजन नहीं किया जा सकता है, सूरत के सिल्क फैब में आयोजित प्रदर्शनी से प्रदर्शिनी राशि से हटकर 0.64 लाख रुपये की राशि का एक करघा खरीदा है।

22. कंपनी ने गैर–कॉर्पस देनदारों (3 वर्ष से अधिक के) के लिए 154.31 लाख रुपये का प्रावधान नहीं किया है, जिसके लिए समान राशि के लेनदार बकाया/देय हैं, क्योंकि इस संबंध में लेखांकन नीति को वित्त वर्ष 2022–2023 से बदल दिया गया था।

    तथापि, वित्त वर्ष 2021–22 तक किए गए प्रावधान के तहत उक्त देनदारों के लिए 564.83 लाख रुपये का प्रावधान वापस नहीं लिखा गया है।

    लेनदारों के विरुद्ध देनदारों (गैर–कॉर्पस) को निर्धारित करने के संबंध में, कंपनी ने स्पष्ट किया है कि खरीद आदेश में एक विशिष्ट उल्लेख 'उपयोगकर्ता एजेंसी से भुगतान प्राप्त होने के बाद ही मिलों को भुगतान जारी किया जाएगा'। प्रावधान के गैर–सृजन को उचित ठहराने के लिए बकाया लेनदारों के विरुद्ध देनदारों की स्थापना के संबंध में कानूनी राय प्राप्त की जानी चाहिए।

23. एचडीएफसी बैंक के बैंक खाते में 0.89 लाख रुपये की पुरानी बकाया राशि दिखाई दे रही है, जिसके लिए बैंक से शेष राशि की कोई पुष्टि नहीं की गई है और कंपनी द्वारा स्पष्टीकरण प्रदान नहीं किया गया है, इसलिए हम उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते।

24. ड्राइवर और ऑफिस बॉय को किए गए भुगतान को सुरक्षा व्यय में शामिल किया गया है।

25. चिकित्सा संबंधी परिपत्र के अनुसार, आपातकालीन स्थिति में कर्मचारी 20 से अधिक बेड वाले और उचित प्राधिकारी के साथ विधिवत पंजीकृत किसी भी अस्पताल में चिकित्सा सुविधा ले सकता है। ऐसे मामले में प्रतिपूर्ति क्षेत्र के पंजीकृत अस्पताल की दरों तक ही सीमित होगी। लेकिन श्री मंत्री प्रसाद नामक एक कर्मचारी के मामले में, क्षेत्र के पंजीकृत अस्पताल की दरों को प्राप्त किए बिना ही अस्पताल में भर्ती होने की प्रतिपूर्ति की गई है।

26. हमारे द्वारा अचल संपत्तियों के तथ्यगत सत्यापन के दौरान, निम्नलिखित व्यक्तियों को दिए गए निम्नलिखित लैपटॉप हमें नहीं दिखाए गए थेः–

    –अशोक कुमार

    –ईश्वर पाटिल

    –श्री विपिन

    –गौरव त्रिपाठी

    –रिमझिम जायसवाल

27. इन लैपटॉप के उपयोग के लिए कोई पुष्टि प्रदान नहीं की गई हैः

    –संपर्क कार्यालय के पास 3 लैपटॉप और 3 डेस्क टॉप

    –डीसीएच कार्यालय के पास 2 लैपटॉप

21. The company has purchased one loom amounting to Rs. 0.64 lacs from exhibition held in Silk fab, Surat out of exhibition amount despite strict guidelines of DC Handlooms that fixed assets cannot be created out of exhibition expenses.

22. The Company has not created provision of Rs 154.31 lacs against non-corpus debtors (of more than 3 years) against which creditors of the same amount are outstanding /payable, as the accounting policy in this regard was changed w.e.f F.Y 2022-2023.

    However provision already made till F.Y 2021-22 Rs 564.83 lacs against the said debtors are not written back.

    As regards set off of debtors (non-Corpus) against the creditors, the Company has explained that a specific mention “Payment to mills will be released only after receipt of payment from the user agency” is there in purchase order. A legal opinion on set off of debtors against outstanding creditors be obtained to justify the non-creation of Provision.

23. An old outstanding balance of Rs .89 lacs is appearing in bank account with HDFC Bank for which no balance confirmation from bank and explanation is provided by the company, hence we cannot comment thereon.

24. Payments made to driver and, office boy has been included in Security expanses.

25. As per medical circular, in case of emergency employee can take medical facility in any hospital having more than 20 beds and duly registered with appropriate authority. In such a case reimbursement shall be restricted to the rates of registered hospital of the region. But in case of one employee namely Sh. Mantri Prasad, hospitalization expanses reimbursement has been made without obtaining rates of registered hospital of the region.

26. During physical verification of fixed assets by us, following laptops given to following persons were not shown to us:-

    -Ashok Kumar

    - Ishwar Patil

    - Shri Vipin

    - Gourav Tripathi

    - Rimjhim Jaiswal

27. No Confirmation has been provided for usage of these laptops:

    -3 laptop and 3 desk top with liason office

    - 2 laptop with DCH Office

    -3 laptop with R.K Puram Office

    -1 laptop with Director .

We conducted our audit of the financial statements in accordance with the Standards on Auditing (SAs), as specified under section 143(10) of the Act. Our responsibilities under those Standards are further described in the ‘Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements’ section of our report. We are independent of Company’s in accordance with the ‘Code of Ethics’ issued by the Institute of Chartered

–आर.के. पुरम कार्यालय के पास 3 लैपटॉप

–निदेशक के पास 1 लैपटॉप

हमने अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा (एसए) संबंधी मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणों की अपनी लेखा परीक्षा की है। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के 'वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियां' खंड में आगे वर्णित किया गया है। हम भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी 'आचार संहिता' के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, साथ ही अधिनियम और उसके तहत नियमों के प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ, हमने इन आवश्यकताओं और आईसीएआई आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमने जो लेखा परीक्षा संबंधी साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय विवरणों के संबंध में हमारी लेखा परीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

मुख्य लेखा परीक्षा मामले

एसए 701 के अनुसार मुख्य लेखा परीक्षा मामलों की रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है क्योंकि यह एक असूचीबद्ध कंपनी है।

मामले का जोर

1. जैसा कि वित्तीय विवरणों के नोट 14 (i) और 5 (i) में बताया गया है, देनदारों, लेनदारों और ग्राहक/अन्यों से अग्रिम से प्राप्त शेष पुष्टि की बकाया राशि, परिणामी समायोजन का क्रमशः 5.28%, 7.69% और 27.91% है, जिसके प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सकता है और इस पर टिप्पणी नहीं की जा सकती है।
2. कंपनी, मंत्रालय को दावे प्रस्तुत करने में तत्पर नहीं है जिससे कंपनी को धन की चक्रवृद्धि हानि होती है।
3. वर्तमान निविदा के 1 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी कंपनी ने वाहन किराए पर लेने के लिए अभी तक निविदा जारी नहीं की है।

उपरोक्त मामले के संबंध में हमारी राय को संशोधित नहीं किया गया है।

वित्तीय विवरणों और उन पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य सूचना

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचना की प्रस्तुति के लिए जिम्मेदार है। अन्य सूचना में प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण, बोर्ड की रिपोर्ट के अनुबंधों, व्यवसाय जिम्मेदारी रिपोर्ट, कॉर्पोरेट प्रशासन और शेयरधारक की सूचना सहित बोर्ड की रिपोर्ट में सम्मिलित सूचना शामिल है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

वित्तीय विवरणों के संबंध में हमारी राय के दायरे में अन्य जानकारी नहीं आती है और हम उस पर किसी भी प्रकार के आश्वासन संबंधी निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारी को पढ़ना है और ऐसा करने में, विचार करना है कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों के साथ तथ्यगत रूप से असंगत है या हमारी लेखा परीक्षा के दौरान प्राप्त हमारे ज्ञान या अन्यथा तथ्यगत रूप से गलत प्रतीत होती है।

यदि, हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि अन्य जानकारी एक तथ्यगत गलत विवरण है, तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करने की आवश्यकता है। हमारे पास इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं होता है।

जब हम वार्षिक रिपोर्ट पढ़ते हैं और यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि उसमें कोई तथ्यगत विवरण गलत है, तो हमें इस मामले को उन लोगों तक पहुंचाना होगा जिन पर शासन का प्रभार है और संबंधित कानूनों और विनियमों के तहत लागू होने वाली आवश्यक कार्रवाई करनी होगी।

Accountants of India together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements under the provisions of the Act and the Rules there under, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the ICAI Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the financial statements.

Key Audit Matters

Reporting of key Audit matters as per SA 701 is not applicable to the Company as it is an unlisted Company.

Emphasis of Matter

1. As explained in Note 14(i) and 5 (i) to the financial statements, balance confirmation received from Debtors, Creditors and Advance from customer/others is 5.28%, 7.69% and 27.91% respectively of amount outstanding, consequential adjustments, effect of which if any is not ascertainable and cannot be commented upon.

2. The Company is not prompt in submitting claims to Ministry which leads to loss of compounding of money to the company.

3. The Company has not yet floated the tender for hiring of vehicle even after lapse of present tender by more than 1 year.

Our opinion is not modified in respect of above matter.

Information Other than Financial Statements and Auditor's Report Thereon

The Company's Board of Directors is responsible for the presentation of the other information. The other information comprises the information included in the Management Discussion and Analysis, Board's Report including Annexure to Board's Report, Business responsibility Report, Corporate Governance and Shareholder's Information, but does not include the financial statements and our auditor's report thereon.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained during the course of our audit or otherwise appears to be materially misstated.

If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of the other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

When we read the annual report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take necessary actions, as applicable under the relevant laws and regulations.

Responsibility of Management for the Financial Statements

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in section 134(5) of the Company Act.'2013 ("the Act") with respect to the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows in accordance with the accounting

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का निदेशक मंडल इन वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 (''अधिनियम'') की धारा 134 (5) में वर्णित उन मामलों के लिए जिम्मेदार है जो भारत में आम तौर पर स्वीकार किए जाने वाले लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष राय देते हैं। इसमें कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट कंपनी (लेखा मानक) नियम, 2006 (यथा संशोधित) शामिल हैं। इस जिम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगानेय उपयुक्त लेखा नीतियों के चयन और अनुप्रयोगय उचित और विवेकपूर्ण निर्णय लेने और अनुमान लगानेय और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो एक सही और निष्पक्ष राय देते हैं और तथ्यगत गलत विवरणों, चाहे उसका कारण धोखाधड़ी हो या त्रुटि, के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है।

वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन कंपनी की कारोबार जारी रखने, कारोबार जारी रखने से संबंधित मामलों के प्रकटन, जैसा लागू हो, और लेखांकन के कारोबार जारी रखने के आधार का प्रयोग करके क्षमता का आकलन करने के लिए जिम्मेदार है, जब तक कि प्रबंधन या तो कंपनी के परिसमापन या संचालन बंद करने का इरादा नहीं रखता है, या उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प न हो।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी के लिए भी जिम्मेदार है।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियां

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या वित्तीय विवरण समग्र रूप से तथ्यगत गलत विवरणों, चाहे उसका कारण धोखाधड़ी हो या त्रुटि, से मुक्त हैं और लेखा परीक्षकों रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित आश्वासन, आश्वासन का एक उच्च स्तर है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार आयोजित कोई लेखा परीक्षा तथ्यगत गलत विवरण का हमेशा पता लगाएगी। गलत विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और उन्हें तथ्यगत माना जाता है, यदि व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, उनसे इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उम्मीद की जा सकती है।

एसए के अनुसार किसी लेखा परीक्षा के तहत, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरी लेखा परीक्षा में पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। हम भी:

- वित्तीय विवरणों के तथ्यगत गलत विवरण के जोखिमों की पहचान करते हैं और उनका आकलन करते हैं, चाहे इसका कारण धोखाधड़ी हो या त्रुटि, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करते हैं, और ऐसे लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हों। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप किसी तथ्यगत गलत विवरण का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप किसी गलत विवरण से कहीं अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत प्रतिनिधित्व, या आंतरिक नियंत्रण का ओवरराइड शामिल हो सकता है।

- परिस्थितियों में उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखा परीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करते हैं। अधिनियम की धारा 143 (3) (i) के तहत, हम इस बात पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालन प्रभावशीलता क्या है।

- उपयोग की जाने वाली लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन अनुमानों की तर्कसंगतता और प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित प्रकटीकरण का मूल्यांकन करते हैं।

principles generally accepted in India, including the Companies (Accounting Standards) Rules, 2006 (as amended) specified under section 133 of the Act, read with the Companies (Accounts) Rules, 2014. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The Board of Directors is also responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Act, we are also responsible for expressing our opinion on whether the Company has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls.

- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.

- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our

- लेखांकन के आधार पर कारोबार को जारी रखने के संबंध में प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता और प्राप्त लेखा परीक्षा संबंधी साक्ष्य के आधार पर यह निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई ऐसी तथ्यगत अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी के कारोबार को जारी रखने की उसकी सामर्थ्य के संबंध में महत्वपूर्ण संदेह उत्पन्न कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि तथ्यगत अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपनी राय को संशोधित करने के लिए लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण या, यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। तथापि, भविष्य की घटनाएं या स्थितियां कंपनी के कारोबार को जारी रखने के समापन का कारण बन सकती हैं।
- प्रकटीकरणों सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री और इस बात का मूल्यांकन करते हैं कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का प्रतिनिधित्व इस तरह से करते हैं जो निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त करता है।
- तथ्यपरकता वित्तीय विवरणों में गलत विवरण का परिमाण है, जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, यह संभव बनाती है कि इससे वित्तीय विवरणों के यथोचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने लेखा परीक्षा संबंधी कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने काम के परिणामों का मूल्यांकन करने मेंय और (ii) वित्तीय विवरणों में किसी भी चिह्नित गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक तथ्यपरकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम अन्य मामलों में लेखा परीक्षा के नियोजित दायरे और समय और लेखा परीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्षों के बारे में शासन के प्रभारी लोगों के साथ संचार करते हैं, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में कोई ऐसी महत्वपूर्ण कमी शामिल है जिसकी हम अपनी लेखा परीक्षा के दौरान पहचान करते हैं।

हम शासन के प्रभारी लोगों को भी इस आशय का एक विवरण प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के बारे में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उन्हें सभी संबंधों और ऐसे अन्य मामलों के बारे में सूचित करते हैं जिनके बारे में उचित रूप से यह माना जाता है कि हमें अपनी स्वतंत्रता के संबंध में उनका वहन करना ही होगा, और जहां लागू हो, वहां संबंधित सुरक्षा उपाय।

अन्य मामले

हमने कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में शामिल '7' क्षेत्रीय कार्यालयों के वित्तीय विवरणों/सूचना की लेखा परीक्षा नहीं की, जिनके वित्तीय विवरणधवित्तीय सूचना 31 मार्च, 2023 तक 41835.93 लाख रुपये की कुल परिसंपत्ति और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए 121517.37 लाख रुपये के कुल राजस्व को दर्शाती है, जैसा कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में माना गया है। इन शाखाओं के वित्तीय विवरणों/सूचनाओं की लेखा परीक्षा शाखा के ऐसे लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है और जहां तक इन शाखाओं के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरणों का संबंध है, हमारी राय पूरी तरह से ऐसे शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

उपरोक्त मामलों के संबंध में हमारी राय में संशोधन नहीं किया गया है।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं संबंधी रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (11) के अनुसार, भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ('आदेश') की अपेक्षानुसार, हम 'अनुबंध 'क' में आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों संबंधी एक विवरण देते हैं।
2. हम अधिनियम की धारा 143(5) के अनुसार, कंपनी के बही–खातों और अभिलेखों की ऐसी जांच के आधार पर, जिसे

auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.

- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

- Materiality is the magnitude of misstatement in the financial statements that, individually or in aggregate, make it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the financial statements.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Other Matters

We did not audit the financial statements/information of "7" Regional offices included in the standalone financial statements of the Company whose financial statements / financial information reflect total assets of Rs. 41835.93 lacs as at 31st March, 2023 and total revenues of Rs.121517.37 lacs for the year ended on that date, as considered in the standalone financial statements. The financial statements/information of these branches have been audited by the branch auditors whose reports have been furnished to us, and our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these branches, is based solely on the report of such branch auditors

Our opinion is not modified in respect of the above matters.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

1. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2020 ("the Order"), issued by the Central Government of India in terms of sub-section (11) of section 143 of the Act, we give in the "Annexure "A" a statement on the matters specified in paragraphs 3 and 4 of the Order.

2. We are enclosing our report in terms of section 143 (5) of the Act, on the basis of such checks of the books and records of the Company as we considered appropriate and according to the information and explanations given to us, in the Annexure-"B" on the directions and sub directions issued by Comptroller and Auditor General of India.

3. As per Secretarial Audit Report following provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards etc is pending as on 31.03.2023:–

हमने उचित समझा और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निदेशों और उप–निदेशों के संबंध में अनुबंध–ख में हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार अपनी रिपोर्ट संलग्न कर रहे हैं।

3. सचिवालयी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार अधिनियम के निम्नलिखित उपबंध, नियम, विनियम, दिशानिर्देश, मानक आदि 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार लंबित हैंः–

क) जबकि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (4) और 149 (5) के उपबंधों के साथ पठित कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम 2014 के नियम 4 के संदर्भ में, कंपनी को कंपनी के बोर्ड में कम से कम दो स्वतंत्र निदेशकों को नियुक्त करना आवश्यक था। 17 अक्टूबर 2022 तक कंपनी के बोर्ड में केवल दो स्वतंत्र निदेशक हैं। श्री अनिल कुमार सूद, जिन्हें 18 अक्टूबर 2019 से तीन वर्षों की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, नियुक्त किया गया था, का कार्यकाल 17 अक्टूबर 2022 से उनका कार्यकाल पूरा होने के बाद गैर–आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक के रूप में समाप्त हो गया है। इसके अलावा, सुश्री योगिता सिंह, जिन्हें 09 नवंबर 2021 से तीन वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, गैर–आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, ने 11 नवंबर 2022 से इस्तीफा दे दिया है। कंपनी को आकस्मिक रिक्ति को बोर्ड की अगली बैठक से पूर्व या ऐसी रिक्ति की तारीख से तीन महीने के भीतर, जो भी पहले हो, नैमित्तकि रिक्ति को भरना था, लेकिन उसे 31 मार्च 2023 तक नहीं भरा गया है, अतरू कंपनी ने 16 जनवरी 2023 से 31 मार्च 2023 के बीच की अवधि के लिए उपरोक्त प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है।

ख) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 (1) के साथ पठित कंपनी (बोर्ड की बैठक और इसकी शक्तियां) नियम 2014 के नियम 6 के उपबंधों के अनुसार, कंपनी को स्वतंत्र निदेशकों के बहुमत के साथ बोर्ड की एक लेखा परीक्षा समिति का गठन करना आवश्यक था। चूंकि श्री अनिल कुमार सूद का कार्यकाल 17 अक्टूबर 2022 से पूरा होने के बाद गैर–आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक के रूप में समाप्त हो गया है और सुश्री योगिता सिंह ने 11 नवंबर 2022 से इस्तीफा दे दिया है, अतः कंपनी ने 16 जनवरी 2023 से 31 मार्च 2023 के बीच की अवधि के लिए उपरोक्त प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है।

ग) जबकि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 203 (4) के उपबंधों के साथ पठित कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के लागू नियम के अनुसार, कंपनी को ऐसी रिक्ति की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (कंपनी सचिव) की आकस्मिक रिक्ति को भरना आवश्यक था। कंपनी की कंपनी सचिव सुश्री अंजलि यादव ने 25 जुलाई 2022 से इस्तीफा दे दिया है और कंपनी को 24 जनवरी 2023 को या उससे पहले नैमित्तिक रिक्ति को भरना था, लेकिन उसे आज तक नहीं भरा गया है, इसलिए कंपनी ने 25 जनवरी से 31 मार्च 2023 की अवधि के दौरान प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है।

घ) जबकि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 (3) के प्रावधानों के संदर्भ में, कंपनी को जोखिम प्रबंधन नीति की आवश्यकता थी, कंपनी ने अभी तक कोई औपचारिक जोखिम प्रबंधन नीति नहीं अपनाई है। तथापि, प्रबंधन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार कंपनी ने जोखिम प्रबंधन के लिए सभी आवश्यक उपाय किए हैं।

ङ) लखनऊ शाखा कार्यालय में यार्न सप्लाई योजना के कार्यान्वयन में अनियमितताओं के मामले में और पिछले वर्षों की हमारी सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट के संदर्भ में, अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने 3 (तीन) अधिकारियों अर्थात् श्री रवीश टंडन, प्रबंधक (वाणिज्यिक), श्री हसन अब्बास, अधिकारी (एफ एंड ए) और श्री बीके महापात्रा, वरिष्ठ अधिकारी (वाणिज्यिक) को दोषी पाया और 11 मार्च 2022 को 'बर्खास्तगी' लागू की। सेवा से हटाया जाना जो सरकार या सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले सीपीएसई के तहत भविष्य के रोजगार के लिए अयोग्यता नहीं होगी और उनके खिलाफ क्रमशः 23 मार्च 2022 को श्अनिवार्य सेवानिवृत्तिश का दंड होगा।

a) Whereas in term of the provisions of Section 149(4) & 149(5) of the Companies Act,2013 read with rule 4 of the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules 2014, the Company was required to appoint at least two Independent Directors on the Board of the Company. Company has only two Independent Director on the Board till 17th October 2022. Shri Anil Kumar Sood who was appointed for a period of three years or till further orders, whichever is earlier w.e.f 18th October 2019 has ceased as Non-Official Independent Director after completion of his tenure w.e.f 17th October 2022. Also Ms. Yogita Singh who was appointed as Non-Official Independent Director for a period of three years or till further orders, whichever is earlier w.e.f 09th November 2021 has resigned w.e.f 11th November 2022. Company was required to fill casual vacancy not later than immediate next Board Meeting or three months from the date of such vacancy whichever is earlier, but has not filled till 31st March 2023, hence the Company has not complied with the aforesaid provisions for the period between 16th January 2023 to 31st March 2023.

b) In term of the provisions of Section 177(1) of the Companies Act,2013read with rule 6 of the Companies (Meeting of Board and its Powers) Rules 2014, the Company was required to constitute an Audit Committee of the Board with the majority of Independent Directors. As Mr. Anil Kumar Sood has ceased as Non-Official Independent Director after completion of his tenure w.e.f 17th October 2022 and Ms. Yogita Singh has resigned w.e.f 11th November 2022, hence the Corporation has not complied with the aforesaid provisions for the period between 16th January 2023 to 31st March 2023.

c) Whereas in term of the provisions of Section 203(4) of the Companies Act 2013 read with the applicable rule of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules,2014, the Company was required to fill casual vacancy of Key Managerial Personnel (Company Secretary) within a period of six months from the date of such vacancy, Ms. Anjali Yadav, Company Secretary of the Company has resigned w.e.f 25th July 2022 and Company was required to fill casual vacancy on or before 24th January 2023 but has not filled till date, hence Company has not complied with the provisions during the period from 25th January to 31st March 2023.

d) Whereas in term of the provisions of Section 134(3) of the Companies Act 2013, the Company was required to have a Risk Management Policy, the Company has not yet adopted any formal Risk Management Policy. However as informed by the Management the Company has adopted all necessary measures for the management of risk.

e) In the matter of irregularities of the implementation of Yarn Supply Scheme in Lucknow Branch Office and with reference to our Secretarial Audit Report of previous years, the Disciplinary Authority found 3(three) officials namely- Shri Ravish Tandon, Manager (Comm.), Shri Hasan Abbas, Officer(F&A) & Shri B.K. Mahapatra, Sr. Officer (Comm.) guilty and imposed the 'Dismissal' on 11th March 2022. Removal from Service which shall not be a disqualification for future employment under the Government or the CPSE owned or controlled by the Government and 'Compulsory retirement' penalty on 23rd March 2022,against them respectively.

4. As required by Section 143(3) of the Act, we report that:–

(a) we have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit except as referred in basis for Qualified Opinion para above;

4. जैसा कि अधिनियम की धारा 143 (3) द्वारा आवश्यक है, हम रिपोर्ट करते हैं कि:–

(क) हमने उपर्युक्त सापेक्ष राय पैरा के लिए आधार में यथासंदर्भति के सिवाय उन सभी सूचनाओं और स्पष्टीकरणों की मांग की है और उन्हें प्राप्त किया है जो हमारे ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारे लेखा परीक्षा के उद्देश्यों के लिए आवश्यक थे;

(ख) हमारी राय में कंपनी द्वारा कानून द्वारा अपेक्षित उचित लेखा बहियों को रखा गया है, जहां तक कि उन पुस्तकों की हमारी जांच से प्रतीत होता है, सिवाय इसके कि ऊपर दिए गए सापेक्ष राय पैरा के आधार पर संदर्भित किया गया हैय

(ग) इस रिपोर्ट में संदर्भित तुलन पत्र, लाभ और हानि का विवरण और नकदी प्रवाह संबंधी विवरण बही–खातों के अनुरूप हैंय

(घ) हमारी राय में, सापेक्ष राय संबंधी उपर्युक्त पैरे के लिए आधार में यथासंदर्भति के सिवाय, उपरोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के साथ पठित कंपनियों के भारतीय लेखांकन मानक नियम 2015, यथासंशोधित के तहत निर्दिष्ट लेखांकन संबंधी मानकों का अनुपालन करते हैंय

(ङ) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन सबंध ी प्रभावशीलता के संबंध में, अनुबंध 'ग' में हमारी अलग रिपोर्ट देखेंय हमारी रिपोर्ट वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता और परिचालन संबंधी प्रभावशीलता के संबंध में एक अपरिवर्तित राय व्यक्त करती है।

(च) कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, जैसा कि हमारी राय में संशोधित किया गया है और हमारी जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसारः

i. कंपनी के पास कोई लंबित मुकदमा नहीं है जो इसकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित करेगा।

ii. कंपनी के पास व्युत्पन्न अनुबंधों सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था, जिसके लिए कोई तथ्यगत संभावित नुकसान नहीं था।

iii. ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित करने की आवश्यकता थी।

iv. क) प्रबंधन ने यह प्रस्तुत किया है कि, इसकी जानकारी और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा विदेशी संस्थाओं ('मध्यस्थों') सहित किसी भी अन्य व्यक्ति या संस्थाओं में या किसी अन्य व्यक्ति या संस्थाओं को अथवा में कोई भी धनराशि (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार के धन से) इस समझ के साथ चाहे लिखित में दर्ज किया गया हो अथवा अन्यथा, अग्रिम अथवा ऋण या निवेशित नहीं की गई है, मध्यस्थ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी ('अंतिम लाभार्थियों') द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचान किए गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की सुविधा प्रदान करेगी।

ख) प्रबंधन ने यह प्रस्तुत किया है कि अपनी जानकारी और विश्वास के अनुसार, कंपनी को विदेशी संस्थाओं ('वित्तपोषण पक्षकारों') सहित किसी भी व्यक्ति या संस्थाओं से कोई धन प्राप्त नहीं हुआ है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वित्तपोषण पक्षकारों ('अंतिम लाभार्थियों') द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचान किए गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं

(b) in our opinion proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books except as referred in basis for Qualified Opinion para above;

(c) the Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss and the Cash Flow Statement dealt with by this Report are in agreement with the books of account;

(d) in our opinion, the aforesaid Standalone financial statements comply with the Accounting Standards specified under section 133 of the Act, read with Companies Indian Accounting Standards Rules 2015, as amended thereof except as referred in basis for Qualified Opinion para above.

(e) with respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate report in Annexure "C"; Our report expresses an unmodified opinion on the adequacy and operating effectiveness of Company's internal controls over financial reporting.

(f) with respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, as amended in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:

   i. The Company does not have any pending litigations which would impact its financial position

   ii. The Company did not have any long-term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses.

   iii. There were no amounts which were required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Company.

   iv. a) The Management has represented that, to the best of its knowledge and belief, no funds have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the Company to or in any other persons or entities, including foreign entities ("Intermediaries"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall, whether, directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Company ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries.

b) The Management has represented that, to the best of its knowledge and belief, no funds have been received by the Company from any persons or entities, including foreign entities ("Funding Parties"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Company shall, whether, directly or indirectly, lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Parties ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries.

c) Based on the audit procedures that were considered reasonable and appropriate in the circumstances, nothing has come to our notice that has caused us to believe that the representations under sub-clause (i) and (ii) of Rule 11(e) as provided under (i) and (ii) above contain any material mis-statement.

में उधार या निवेश करेगी या कोई भी प्रदान करेगी अंतिम लाभार्थियों की ओर से गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की सुविधा प्रदान करेगी।

ग) उन लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, जिन्हें परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया था, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें यह विश्वास हो कि उपरोक्त (i) और (ii) के तहत प्रावधान किए गए नियम 11 (ङ) के उप–खंड (i) और (ii) के तहत प्रस्तुतियों में कोई तथ्यगत गलत विवरण है।

v. कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी लाभांश की घोषणा या भुगतान नहीं किया है।

vi. चूंकि कंपनी द्वारा लेखा परीक्षा ट्रेल अनुपालन सॉफ्टवेयर का अनिवार्य उपयोग केवल 1 अप्रैल, 2023 से लागू है, इसलिए लेखा परीक्षकों के रूप में हमारी राय है कि कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम 2014 के नियम 11 (छ) के तहत रिपोर्टिंग वित्त वर्ष 2022–23 के लिए मान्य नहीं है।

कृते वेद एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएनः 012019एन

(सीए पूजा गोयल)
भागीदार
सदस्यता संख्या 098551
यूडीआईएनः 23098551BGZKJR1639

स्थानः गाजियाबाद
दिनांकः 28 सितंबर, 2023

v. The Company has not declared or paid any dividend during the year.

vi. Since the mandatory usage of audit trail compliant software by the company is applicable w.e.f 1st April'2023 only, we as auditors are of the opinion that reporting under Rule 11(g) of the company (Audit and Auditors) Rules 2014, is not tenable for FY 2022-23.

For VED AND COMPANY
Chartered Accountants
FRN: 012019N

(CA POOJA GOEL)
Partner
Membership No. 098551
UDIN: 23098551BGZKJR1639

Place: GHAZIABAD

Date: The 28th day of September, 2023

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट से संबंधित अनुबंध 'क'

(राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड के सदस्यों के लिए समान तारीख की हमारी रिपोर्ट के अन्य विधि और विनियामक अपेक्षाओं के तहत पैराग्राफ "I" में उल्लिखित)

(अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट के तहत पैराग्राफ 1 में संदर्भित। राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड के सदस्यों को हमारी सम रिपोर्ट के हमारे स्वतंत्र खंड में संदर्भित अनुबंध)

हम सूचित करते हैं किः

i. (क) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी एमडी कार्यालय आरके पुरम को जारी किए गए पांच लैपटॉपों को छोड़कर, जिसके लिए लेखा परीक्षा के प्रधान निदेशक कार्यालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 09/03/2022 की अपनी रिपोर्ट में भी टिप्पणी की की गई है, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियों के मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दर्शाने वाले उचित रिकॉर्ड रख रही है।

वर्ष के दौरान, हमने अचल संपत्तियों का भौतिक रूप से सत्यापन भी किया है और अपनी मुख्य लेखा परीक्षा रिपोर्ट में 'सापेक्ष राय के आधार' के बिंदु संख्या 26 और 27 में बताए गए अनुसार कुछ टिप्पणियां की हैं।

(ख) हमें सूचित किया गया है कि वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान कंपनी की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को प्रबंधन द्वारा भौतिक रूप से सत्यापित नहीं किया गया था, बल्कि आंतरिक लेखा परीक्षक द्वारा सत्यापित किया गया था। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, इस तरह के सत्यापन के संबंध में कोई तथ्यगत विसंगतियां नहीं देखी गईं, सिवाय इसके कि नवल जैन एंड कंपनी द्वारा हमें प्रदान की गई तथ्यगत सत्यापन रिपोर्ट की प्राप्ति में, अधिकांश स्थानों पर संपत्ति के स्थान और संपत्ति के विशिष्ट कोड का उल्लेख नहीं किया गया है।

(ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमें प्रदान किए गए वाहन विलेखों की जांच के आधार पर, हम सूचित करते हैं कि, स्वामित्व संबंधी विलेख, जिसमें भूमि और भवन की सभी अचल संपत्तियां शामिल हैं जो फ्रीहोल्ड हैं, कंपनी के नाम पर हैं, मुंबई में 5वीं मंजिल पर अपार्टमेंट नंबर 13,14,15, सीबीडी में प्लॉट नंबर 4, सेक्टर 11 की क्षेत्रफल 221.7 वर्ग मीटर के सिवाय, उक्त अपार्टमेंट के लिए नाम संबंधी विलेख में अभी तक पंजीकृत नहीं है, जैसा कि तुलन पत्र की तारीख में है।

(घ) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी किसी भी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (परिसंपत्तियों का उपयोग करने के अधिकार सहित) और अमूर्त परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का पैराग्राफ 3 (i) (घ) लागू नहीं होता है।

(ङ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) अधिनियम, 1988 (2016 में यथासंशोधित) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत कोई बेनामी संपत्ति रखने के लिए 31 मार्च, 2023 तक कंपनी के खिलाफ न तो कोई कार्यवाही शुरू की गई है न लंबित है। तदनुसार, आदेश का पैराग्राफ 3 (i) (ङ) लागू नहीं होता है।

ii. (क) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, प्रबंधन द्वारा उचित अंतरालों पर वस्तु सूची का भौतिक सत्यापन किया गया है और ऐसे सत्यापन पर कोई तथ्यगत विसंगतियां नहीं पाई गई हैंय

(ख) कंपनी को चालू परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर वर्ष के दौरान किसी भी समय बैंकों अथवा वित्तीय संस्थाओं से कुल मिलाकर पांच करोड़ रुपए से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत नहीं की गई है और इसलिए आदेश के खंड 3(ii)(ख) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

Annexure -A to the Independent Auditors' Report

(Referred to in paragraph 1 under 'report on other legal and regulatory requirements. The Annexure referred to in our Independent section of our report to the Members of National Handloom Development Corporation Limited of even date)

We report that:

i. (a) According to the information and explanations given to us, the Company is maintaining proper records showing full particulars, including quantitative details and situation of Property, Plant and Equipment and intangible assets, except five laptops issued to M.D office R.K Puram for which observation is also made by office of Principal Director of Audit New Delhi in their report dt 09/03/2022.

During the year, we have also physically verified the fixed assets and made some observations as stated in point no. 26 and 27 of "Basis of Qualified Opinion" in our Main Audit Report.

(b) We are informed that Property, Plant and Equipment of the Company were not physically verified by management but by the internal auditor during F. Y 2022-23. According to the information and explanations given to us, no material discrepancies were noticed on such verification, except that in the receipt of physical verification report provided to us dt Nil by Naval Jain & Company, the location of assets and unique code of assets is not mentioned at most of the places.

(c) According to the information and explanation given to us and based on the examination of conveyance deeds provided to us, we report that, the title deeds, comprising all the immovable properties of land and building which are freehold, are held in the name of the Company except in Mumbai, the apartment bearing no 13,14,15 on 5th floor, plot no 4, sector 11 at CBD measuring 221.7 sq.mt, the title deeds for the said apartment is yet to registered, as at the balance sheet date.

(d) The Company has not revalued any of its property, Plant & Equipment (including right to use assets) and intangible assets during the year. According, paragraph 3(i)(d) of the Order is not applicable.

(e) According to the information and explanation given to us, there are no proceedings initiated or pending against the Company as at March 31, 2023 for holding any benami property under the Benami Transaction (Prohibition) Act, 1988 (as amended in 2016) and Rules made thereunder. Accordingly, paragraph 3 (i) (e) of the Order is not applicable

ii. (a) According to the information and explanations given to us, physical verification of Inventory has been conducted at reasonable intervals by the management and no material discrepancies were noticed on such verification;

(b) The Company has not been sanctioned working capital limits in excess of five crore rupees, in aggregate, at any point of time during the year from Banks or financial institutions on the basis of security of current assets and hence reporting under clause 3(ii) (b) of the order is not applicable.

iii. रिकॉर्ड की जांच के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या अन्य पक्षों को कोई गांरटी अथवा प्रतिभूति प्रदान नहीं की है या सुरक्षित या असुरक्षित ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं किया है।

iv. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के उपबंध के तहत कोई ऋण या गारंटी या प्रतिभूति प्रदान नहीं की है या कोई निवेश नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का पैरा 3(iv) कंपनी पर लागू होता है।

v. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 से 76 के उपबंधों के अर्थ के भीतर जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं की है। इसलिए उक्त आदेश का खंड V कंपनी पर लागू नहीं होता है।

vi. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, निगम को लागत रिकॉर्ड बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उपधारा (1) के तहत लागत रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए कंपनी के संबंध में निर्धारित नहीं किया है।

vii. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार–

(क) वस्तु और सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारियों सहित अविवादित सांविधिक देय राशियों के संबंध में बही–खातों में काटी गई/अर्जित राशिय राज्य बीमा, आयकर, सेवा कर, मूल्य वर्धित कर, उपकर और अन्य सामग्री सांविधिक देय राशि आमतौर पर कंपनी द्वारा नियमित रूप से उचित अधिकारियों के पास जमा की जाती है।

(ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, वस्तु और सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारियों सहित कोई अविवादित सांविधिक देय नहीं है; राज्य बीमा, आयकर, सेवा कर, मूल्य वर्धित कर, उपकर और अन्य सामग्री सांविधिक बकाया 31 मार्च, 2023 तक देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया थे।

(ग) खंड (क) में उल्लिखित ऐसी कोई सांविधिक देय राशि नहीं है जिसे विवाद के कारण जमा नहीं किया गया हो।

viii. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, लेखा बहियों में ऐसा कोई लेनदेन नहीं है जिसे आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में अभ्यर्पित या प्रकटित किया गया हो और दर्ज न किया गया हो। तदनुसार, आदेश का पैरा 3 (viii) लागू नहीं होता है।

ix. (क) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने किसी ऋणदाता से कोई ऋण या अन्य उधार नहीं लिया है। इसलिए आदेश के खंड 3 (ix) (a) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को किसी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या किसी सरकारी प्राधिकरण या अन्य ऋणदाता द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया जाता है।

(ग) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई सावधि ऋण नहीं लिया है और वर्ष की शुरूआत में कोई बकाया सावधि ऋण नहीं है और इसलिए, आदेश के खंड 3 (ix) (x) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(घ) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी ने कोई अल्पकालिक निधियां नहीं जुटाई हैं और इसलिए आदेश के खंड 3(ix)(घ) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

iii. On the basis of examination of records and according to the information and explanations given to us, the Company has not made investment in/ provided any guarantee or security/ granted any loans or advances in the nature of loans, secured or unsecured, to companies, firms, Limited Liability Partnerships or other parties Accordingly, paragraph 3 (iii) of the Order is not applicable.

iv. According to the information and explanation given to us, the company has not granted any loans or guarantees or security or made any investment to which provision of section 185 and 186 of the Companies Act, 2013.Accordingly paragraph 3 (iv) of the Order is not applicable to the Company.

v. According to the information and explanations given to us, the Company has not accepted any deposits from the public within the meaning of the provisions of Section 73 to 76 of the Companies Act, 2013. Hence clause v of the said order is not applicable to the Company.

vi. According to the information and explanations given to us, the Corporation is not required to maintain the cost records, as the central Government has not prescribed in respect of the Company to maintain the Cost records under sub section (1) of section 148 of the of the Companies Act, 2013.

vii. According to the information and explanations given to us:

(a) Amounts deducted/accrued in the books of accounts in respect of undisputed statutory dues including goods and service tax, provident fund, employees; state insurance, income-tax, service Tax, value added tax, cess and other material statutory dues have been generally regularly deposited by the Company with the appropriate authorities.

(b) According to the information and explanations given to us, there are no undisputed statutory dues including goods and service tax, provident fund, employees; state insurance, income-tax, service Tax, value added tax, cess and other material statutory dues were in arrears as at March 31, 2023 for a period of more than six months from the date they became payable.

(c) There is no statutory dues referred to in clause (a), which have not been deposited on account of dispute.

viii. According to the information and explanation given to us, there is no transactions not recorded in the books of accounts that have been surrendered or disclosed as income during the year in the Tax assessments under Income Tax Act, 1961 (43 of 1961). Accordingly, paragraph 3 (viiii) of the Order is not applicable.

ix. (a) According to the information and explanation given to us, the Company has not taken any loans or other borrowing from any lender. Hence reporting under clause 3 (ix)(a) of the order is not applicable.

(b) According to the information and explanation given to us, the Company is not declared wilful defaulter by any Bank or financial institution or Government or any Government authority or other lender.

(c) According to the information and explanation given to us, the Company has not taken any term loan during the year and there is no outstanding term loan at the beginning of the year and hence, reporting under clause 3 (ix)(c) of the order is not applicable.

(d) According to the information and explanation given to us, the Company during the year has not raised any short-term funds and hence, reporting under clause 3 (ix)(d) of the order is not applicable.

(ङ) कंपनी की कोई सहायक कंपनी/सहयोगी/संयुक्त उद्यम नहीं है और तदनुसार, आदेश के पैराग्राफ 3 (ix) (च) लागू नहीं होते हैं।

(च) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई ऋण नहीं लिया है और इसलिए, आदेश के खंड 3 (ix) (छ) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

x. (क) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान आरंभिक सार्वजनिक पेशकश अथवा आगे सार्वजनिक पेशकश (ऋण लिखतों सहित) के माध्यम से कोई धनराशि नहीं जुटाई है। तदनुसार, आदेश का पैराग्राफ 3 (x) (क) लागू नहीं होता है।

(ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों (पूर्णतः, आंशिक अथवा वैकल्पिक परिवर्तनीय) का कोई अधिमान्य आबंटन अथवा निजी नियोजन नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का पैराग्राफ 3 (x) (ख) लागू नहीं होता है।

xi. (क) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी नहीं की गई है और कंपनी पर कोई तथ्यगत धोखाधड़ी नहीं देखी गई है।

(ख) कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (12) के तहत कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित फॉर्म एडीटी–4 में वर्ष के दौरान और इस रिपोर्ट की तारीख तक केंद्र सरकार के पास कोई रिपोर्ट दायर नहीं की गई है।

(ग) कंपनी को वर्ष के दौरान कोई व्हिसल ब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

xii. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, आदेश का खंड (ii) लागू नहीं होता है क्योंकि कंपनी निधि कंपनी नहीं है।

xiii. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमें प्रदान किए गए कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने संबंधित पक्षों के साथ कोई लेनदेन नहीं किया है, तदनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 के उपबंध कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

xiv. (क) हमारी राय में मुख्य लेखापरीक्षा रिपोर्ट में सापेक्ष राय के आधार पर की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली में सुधार किए जाने की आवश्यकता है।

(ख) हमने अपनी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने में वर्ष के दौरान और अब तक कंपनी को जारी की गई लेखा–परीक्षा वर्ष की आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्टों पर विचार किया है।

xv. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और समग्र आधार पर समीक्षा के आधार पर, वर्ष के दौरान कंपनी ने निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ अधिनियम की धारा 192 के संदर्भ में गैर–नकद लेनदेन नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का पैराग्राफ 3 (xv) लागू नहीं होता है।

xvi. (क) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार और समग्र आधार पर समीक्षा के आधार पर, कंपनी वित्तपोषण कार्यकलाप में नहीं लगी है और इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–झक के अंतर्गत पंजीकृत होना अपेक्षित नहीं है।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार समूह में कोई कोर निवेश कंपनी नहीं है (जैसा कि कोर निवेश कंपनियां (रिजर्व बैंक) निदेश, 2016 में परिभाषित किया गया है) और तदनुसार आदेश के खंड 3 (xvi) (घ) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(f) The Company does not have any subsidiaries/associates/joint-ventures and accordingly, paragraphs 3 (ix) (f) of the Order are not applicable.

(g) The Company, has not raised any loans during the year and hence, reporting under clause 3 (ix)(g) of the order is not applicable.

x. (a) According to the information and explanation given to us, the company has not raised any money by way of initial public offer or further public offer (including debt instruments) during the year. Accordingly, paragraph 3(x)(a) of the order is not applicable.

(b) According to the information and explanation given to us, the company has not made any preferential allotment or private placement of Shares or convertible debentures (fully, partly or optional convertible) during the year. Accordingly, paragraph 3(x)(b) of the order is not applicable.

xi. (a) No Fraud by the Company and no material fraud on the Company has been noticed or reported during the year.

(b) No report under sub-section (12) of section 143 of the Companies Act has been filed in form ADT-4 as prescribed under Rule 13 of Companies (Audit & Auditors) Rules 2014 with the central Government, during the year and up to the date of this report.

(c) The Company has not received any whistle blower complaint during the year.

xii. According to the information and explanations given to us, clause (xii) of the order is not applicable as the Company is not a Nidhi Company.

xiii According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the Company provided to us, the Company has not entered into any transactions with the related parties, accordingly provisions of section 177 and 188 of Companies Act, 2013, are not applicable to the Company.

xiv. (a) In our opinion the internal audit system needs to be improved in view of observations made at Basis of qualified opinion in main audit report.

(b) we have considered, the internal audit reports for the year under audit, issued to the Company during the year and till date, in determining the nature, timing and extent of our audit procedures.

xv. According to the information and explanations given to us and on the basis of review on an overall basis, the Companya during the year has not entered into non cash transactions, in terms of section 192 of the Act, with directors or persons connected with them. Accordingly, paragraph 3(xv) of the order is not applicable.

xvi. (a) According to the information and explanations given to us and on the basis of review on an overall basis, the Company is not engaged in financing activity and hence is not required to be registered under section 45-IA of the Reserve Bank of India Act, 1934.

(b) As per information and explanations given to us there is no Core Investment Company with in the Group (as defined in the Core Investment Companies (Reserve Bank) Directions, 2016) and accordingly reporting under clause 3(xvi)(d) of the Order is not applicable.

xvii. कंपनी को हमारी लेखा परीक्षा द्वारा कवर किए गए वित्त वर्ष के दौरान कोई नकद हानि नहीं हुई है। तथापि, कंपनी को पिछले वित्त वर्ष दौरान 263.62 लाख रुपए का नकद घाटा हुआ है।

xviii. वर्ष के दौरान कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों का कोई त्यागपत्र नहीं आया है। तदनुसार, आदेश का पैरा 3 (xviii) लागू नहीं होता है।

xix. वित्तीय अनुपातों, वित्तीय सहायता की प्राप्ति और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की बढ़ती और अपेक्षित तिथियों, वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी और हमारे ज्ञान के आधार पर और कंपनी द्वारा उपलब्ध सबूतों की हमारी जांच के आधार पर, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें यह विश्वास हो कि लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख को कोई ऐसी तथ्यगत अनिश्चितता मौजूद हो जो यह दर्शाती हो कि कंपनी तुलन पत्र की तारीख पर विद्यमान, जब भी वे तुलन पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय हो जाती हैं, अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है। तथापि, हम यह कहते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में आश्वासन नहीं है। हम आगे यह कहते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई ऐसा आश्वासन देते हैं कि तुलन पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय सभी देनदारियों को कंपनी द्वारा निर्वहन किया जाएगा।

xx. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के तहत कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) से संबंधित उपबंध केवल चालू वर्ष से लागू हो गए हैं और इसलिए आदेश के खंड 3 (xx) के तहत रिपोर्टिंग अगले वर्ष से लागू होगी।

xxi. ये कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण हैं, इसलिए आदेश के खंड 3 (xxi) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

कृते वेद एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएनः 012019एन

(सीए पूजा गोयल)
भागीदार
सदस्यता संख्या 098551
यूडीआईएनः 23098551BGZKJR1639

स्थानः गाजियाबाद
दिनांकः 28 सितंबर, 2023

xvii. The Company has not incurred any Cash Loss during the Financial year covered by our audit. However company has incurred cash loss of Rs.263.62 lacs immediately preceding financial year.

xviii There has been no resignation of the Statutory Auditors of the Company during the year. Accordingly, paragraph 3(xviii) of the order is not applicable.

xviii. On the basis of the financial ratios, ageing and expected dates of realisation of financial assts and payment of financial liabilities, other information accompanying the financial statements and our knowledge and based on our examination of the evidences available the Company, nothing has come to our attention, which causes us to believe that any material uncertainty exists as on the date of the audit report indicating that Company is not capable of meeting its liabilities existing at the date of Balance Sheet as and when they fall due within a period of one year from the Balance Sheet date. We however, state that this is not an assurance as to the future viability of the Company. We further state that our reporting is based on the facts up to the date of the audit report and we neither give any guarantee nor any assurance that all liabilities falling due within a period of one year from the Balance Sheet date, will get discharged by the Company as and when they fall due.

xix. As per information and explanations given to us the provisions relating to Corporate Social Responsibility (CSR) under section 135 of the Companies Act, 2013 has become applicable from current year only and hence the reporting under clause 3(xx) of the order will be applicable from next year.

xx. These are the standalone financial statements of the Company, hence reporting under clause 3(xxi) of the order is not applicable.

For VED AND COMPANY
Chartered Accountants
FRN: 012019N

(CA POOJA GOEL)
Partner
Membership No. 098551
UDIN: 23098551BGZKJR1639

Place: GHAZIABAD

Date: 28 September, 2023

स्वतंत्र लेखा परीक्षक रिपोर्ट से संबंधित अनुबंध 'ख'

(**राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड** के सदस्यों के लिए हमारी रिपोर्ट के अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं के तहत पैराग्राफ "II" में उल्लिखित)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा द्वारा जारी निर्देशों में वर्ष 2022–23 के लिए राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड (स्टैंडअलोन) के वार्षिक लेखाओं की लेखा परीक्षा प्रक्रिया के दौरान सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा जांच किए जाने वाले क्षेत्रों को दर्शाया गया है

क्र.सं.	विवरण	हमारा जवाब
1.	क्या कंपनी में आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेन–देन की प्रक्रिया की व्यवस्था की गई है? यदि हां, तो वित्तीय निहितार्थ सहित लेखाओं की सत्यनिष्ठा के संबंध में आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेन–देन की प्रक्रियाओं के निहितार्थ, यदि कोई हो, का उल्लेख किया जाए।	हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, क्षेत्रीय कार्यालय में यह व्यवस्था है और निगम सभी लेखांकन लेन–देन प्रक्रिया ईआरपी के माध्यम से करता है। ईआरपी व्यवस्था में वित्तीय लेखांकन (एफआई), नियंत्रण (सीओ), बिक्री तथा वाणिज्यिक बिलिंग आदि जैसी सभी प्रक्रियाएं कार्यान्वित की गई हैं।
2.	क्या ऋण के भुगतान न किए जाने की कंपनी की असमर्थता के कारण लेनदार द्वारा मौजूदा ऋण अथवा माफी/ऋण को बट्टे खाते में डालने/ऋणों/ब्याज के मामलों की कोई पुनर्संरचना की गयी है? यदि हां, तो उसके वित्तीय प्रभाव का उल्लेख कीजिए।	हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और क्षेत्रीय कार्यालय के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, भुगतान न किए जाने की कंपनी की असमर्थता के कारण लेनदार द्वारा ऋण/माफी/ऋण को बट्टे खाते में डालने/ऋणों/ब्याज की कोई पुनर्संरचना की गयी है।
3.	क्या केंद्र की विशिष्ट योजनाओं/राज्य एजेंसियों से प्राप्त निधि/प्राप्य निधियों की समुचित गणना की गई है/उसके नियम एवं शर्तों के अनुरूप उसका उपयोग किया गया है? विषय परिवर्तन मामलों की सूची उपलब्ध कराएं।	केंद्र की विशिष्ट योजनाओं/राज्य एजेंसियों से प्राप्त निधि/प्राप्तियों की समुचित गणना की गई है/उसके नियम एवं शर्तों के अनुरूप उसका उपयोग किया गया है। 1. एनएचडीसी के ऊपर उल्लिखित 7 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जिनके तहत हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए हैंक यार्न की बिक्री/खरीद की जाती है, जिस पर विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, समय–समय पर घोषित योजना के अनुसार 15% सब्सिडी और अन्य दावे (जिसमें माल भाड़ा सब्सिडी और डिपो प्रभार शामिल हैं) प्रदान करता है। जैसा कि वित्त वर्ष 2018–19 और 2019–20 के वित्तीय लेखा के संबंध में लेखा परीक्षा रिपोर्ट में बताया गया है, कंपनी के लखनऊ शाखा कार्यालय, जो वाराणसी क्षेत्रीय कार्यालय के अधीन था, ने शुरू में वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान वित्त वर्ष की पहली तिमाही यानी 2018–19 में 38504.00 लाख रुपये की क्रमशरू कुल बिक्री और खरीद बुक की थी। इसमें से 19082.00 लाख रुपये की बिक्री और खरीद को लखनऊ कार्यालय द्वारा ईआरपी लेखा व्यवस्था में उक्त रद्द कर दिया गया है। सीबीआई पत्राचार के अनुसार, प्रबंधन और सीवीओ द्वारा फॉरेंसिक लेखा परीक्षा और सतर्कता जांच की गई थी। इस मामले पर फोरेंसिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट और सतर्कता जांच रिपोर्ट क्रमशः फोरेंसिक लेखा परीक्षक और सीवीओ टीम द्वारा

ANNEXURE "B" TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

(Referred to in paragraph "II" under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements section of our report to the Members of **National Handloom Development Corporation Limited** of even date)

Directions issued by the Comptroller & Auditor General of India under Section 143(5) of the Companies Act, 2013 indicating the areas to be examined by the Statutory Auditors during the course of audit of annual accounts of National handloom development Corporation Limited (Standalone) for the FY 2022-23

S.No	PARTICULARS	Our Reply
1.	Whether the Company has system in place to process all the accounting transactions through IT system. If yes, the implications of processing of accounting transactions outside IT system on the integrity of the accounts along with the financial implications, if any may be stated.	As per the information and explanations given to us, the Regional Office has a system in place and the corporation process all the accounting transactions through ERP. ERP system has been implemented for all the processes like Financial accounting (FI), Controlling (CO), Sale and Commercial billing etc.
2.	Whether there is any restructuring of an existing loan or cases of waiver / write off of debts / loans / interest etc. made by a lender due to the company's inability to repay the loan? If yes, the financial impact may be stated.	According to the information and explanations given to us and based on our examination of the records of the Regional Office, there has been no restructuring/ waiver/ write off of debts/ loans/ interest etc. made by a lender due to the company's inability to repay the loan
3.	Whether fund received / receivable for specific schemes from Central / State agencies were properly accounted for /Utilized as per its term and conditions? List the cases of deviation.	Fund received / receivable for specific schemes from Central /State agencies were not properly accounted for /utilized as per the provided terms and conditions in certain cases as referred below: 1. NHDC having "7" Regional offices as mentioned above from where sale/purchase of Hank Yarn is undertaken to promote the Handloom Sector on which Government of India, Ministry of Textile office of the Development Commissioner, Handloom provide 15 % Subsidy and other claims (which includes freight subsidy and depot charges) as per scheme announced time to time. As pointed in Audit report on the Financial Accounts of FY 2018-19 and 2019-20 the Company's Lucknow branch Office, which was under Varanasi Regional Office, had initially booked total Sales & Purchase during the Financial year 2018-19 amounting to Rs. 38504.00 lacs in the 1st Quarter of Financial year i.e. 2018-19 respectively. Out of this, Sales and Purchase to the tune of Rs. 19082.00 lacs have been cancelled by the said Lucknow Office in ERP accounting system. As per the CBI communication, the Forensic Audit and Vigilance probe were taken up by the management and the CVO. The Forensic Audit

क्र.सं.	विवरण	हमारा जवाब
		निदेशक मंडल के समक्ष 05.10.2021 को प्रस्तुत की गई थी। निदेशक मंडल के निर्देशों और सीबीआई के पत्र के अनुसार, इस संबंध में आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए फोरेंसिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट और सतर्कता जांच रिपोर्ट सीबीआई को प्रदान की गई है। कंपनी ने सतर्कता रिपोर्ट और इस संबंध में सीबीआई से प्राप्त आगे के पत्राचार/रिपोर्ट की प्रति हमें उपलब्ध नहीं कराई है। फोरेंसिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में की गई टिप्पणी के अनुसार बही खाते में कोई प्रविष्टि नहीं पाई गई है और न ही उनका लेखा–जोखा रखा गया है, इसलिए हम कुल देनदारों (संदर्भ नोट संख्या 14 (पप)) तथा लेनदारों ((संदर्भ नोट संख्या 5 (पप)) में दिखाए गए क्रमशः 19422.00 करोड़ रुपये के उक्त देनदारों और लेनदारों के संबंध में टिप्पणी करने में असमर्थ हैं। 2. जैसा कि नोट संख्या ''4क'' में कहा गया है। 2356.55 लाख रुपये कॉर्पस फंड (मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स) में जमा हैं और तदनुसार तुलन पत्र की अनुसूची 11 के अनुसार सावधि जमा में निवेश किए गए हैं। 31 मार्च 2017 तक कॉर्पस फंड (मार्केट कॉम्प्लेक्स) की सावधि जमा पर अर्जित ब्याज को संबंधित कॉर्पस फंड में जमा किया गया था, लेकिन वित्त वर्ष 2017–18 और 2018–19 के दौरान क्रमशः 122.00 लाख रुपये और 120.00 लाख रुपये की सावधि जमा राशि पर ब्याज को कॉर्पस फंड (मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स) में जमा करने के बजाय निगम की ब्याज आय के रूप में लिया गया है। तथापि, वित्त वर्ष 2019–20 से कॉर्पस फंड्स (मार्केट कॉम्प्लेक्स) के एफडीआर पर अर्जित ब्याज आय कॉर्पस फंड्स (मार्केट कॉम्प्लेक्स) में जमा की जा रही है। कंपनी ने इस संबंध में कोई उत्तर नहीं दिया हैय इसलिए हम ऊपर उल्लिखित कॉर्पस फंड में वापसी योग्य अतिरिक्त राशि पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं। 3. नोट सं ''4ख'' के अनुसार, 31–03–2023 की स्थिति के अनुसार 1191.16 लाख रुपये कॉर्पस फंड (मेगा क्लस्टर) में जमा थे। 31 मार्च 2017 तक, वित्त वर्ष 2017–18 और 2018–19 के दौरान कॉर्पस फंड (मेगा क्लस्टर) में जमा करने के बजाय फिक्स्ड डिपॉजिट पर ब्याज को निगम की ब्याज आय के रूप में लिया गया है। तथापि, वित्त वर्ष 2019–20 से, कॉर्पस फंड (मेगा क्लस्टर) के एफडीआर पर अर्जित ब्याज आय कॉर्पस फंड (मेगा क्लस्टर) में जमा की गई है।

S.No	PARTICULARS	Our Reply
		Report and the Vigilance Probe report on the matter were presented by the Forensic Auditor and the CVO team respectively, before the Board of Directors on 05.10.2021. As per the directions of the Board of Directors and the CBI letter, the Forensic Audit Report and the Vigilance Probe Report has been provided to CBI for further necessary action in this regard. The Company has not provided copy of Vigilance report and further communication/report received from CBI in this regard to us. No entries have been ascertained and accounted for in the books as per the observation made in Forensic Audit Report, hence we are unable to comment on the said debtors and creditors of Rs. 19422.00 lacs respectively being shown in total debtors (Refer Note No. 14(ii)) as well as Creditors ((Refer Not No. 5 (ii)). 2. As stated in Note No. "4A" Rs.2356.55 lacs is Standing to the Credit of Corpus Fund (Marketing Complex) and correspondingly invested in Fixed Deposits as Per Schedule 11 of the Balance Sheet. Interest earned on Fixed Deposits of Corpus Funds (Market Complexes) till 31st March 2017, was credited to respective Corpus Fund, but during the financial year 2017-18 and 2018-19 the interest on fixed deposit amounting to Rs. 122.00 lacs and Rs. 120.00 lacs respectively has been taken as interest income of the Corporation instead of crediting to the Corpus Fund (Marketing Complex). However, since FY 2019-20 interest income earned on FDR of Corpus Funds (Market Complexes) has been crediting to Corpus Funds (Market Complexes). The company has not provided any reply in this regard; hence we are unable to comment on excess amount refundable to the Corpus Fund referred above. 3. As Per Note No. "4(B)", As on 31-03-2023 Rs, 1191.16 lacs was standing to the Credit of Corpus Fund (Mega Cluster). Till 31st March 2017, the interest on fixed deposit has been taken as Interest income of the Corporation, instead of crediting to the Corpus Fund (Mega Cluster) during the financial year 2017-18 and 2018-19, However, from financial year 2019-20, interest income earned on FDR of Corpus Fund (Mega Cluster) has been credited to Corpus Funds (Mega Cluster).

क्र.सं.	विवरण	हमारा जवाब
		कंपनी ने इस संबंध में कोई उत्तर प्रदान नहीं किया हैय इसलिए हम ऊपर उल्लिखित कॉर्पस फंड में वापसी योग्य अतिरिक्त राशि पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं। हमारी राय में, चूंकि यह फंड कंपनी के पास बेकार पड़ा है, इसलिए इसे मंत्रालय को वापस कर दिया जाना चाहिए। 4. नोट संख्या 4(ग) के अनुसार, 31–03–2023 की स्थिति के अनुसार 96.94 लाख रुपये कॉर्पस फंड (व्यापार सुविधा केंद्र) में जमा थे, कंपनी को वसूल किए गए किराए, उस पर खर्च/कर, कॉर्पस में जमा नहीं की गई निधियों पर अर्जित ब्याज, सुविधा के निर्माण के लिए देय राशि का मिलान प्रदान नहीं किया गया है, इसलिए खातों पर इसके प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सकता है। 5. 01.03.2018 से 31.03.2018 के दौरान की गई 21579.00 लाख रुपये की बिक्री के कारण 2266.00 लाख रुपये का सेवा शुल्क और सब्सिडी घटक कंपनी द्वारा वित्त वर्ष 2018–2019 के दौरान वापस ले लिया गया था क्योंकि कपड़ा मंत्रालय (एमओटी) ने कंपनी को सब्सिडी राशि की प्रतिपूर्ति नहीं की थी। इस तथ्य के परिणामस्वरूप कि एमओटी से 2158.00 लाख रुपये की सब्सिडी प्राप्त नहीं हुई थी, कंपनी ने भारत सरकार से देय प्राप्तियों में से 2158.00 लाख रुपये कम कर दिए और उसे आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम के रूप में बुक कर लिया। इसके अतिरिक्त, इसके संबंध में एनएचडीसी ने आपूर्तिकर्ताओं को सब्सिडी के रूप में 1815.00 लाख रुपए संवितरित किए हैं, यद्यपि यह राशि भारत सरकार से प्राप्त नहीं हुई है। कंपनी ने इस संबंध में कोई उत्तर नहीं दिया हैय इसलिए हम वितरित 1815.00 लाख रुपये की वसूली पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं। 6. कंपनी को हथकरघा विकास आयुक्त के कार्यालय से 7 जुलाई 2022 का एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें विभिन्न प्रदर्शनियों के संबंध में 311.36 लाख रुपये के दावे को खारिज कर दिया गया है। इसलिए, 311.36 लाख रुपये की सीमा तक वसूली योग्य दावों को बढ़ा–चढ़ाकर बताया गया है और नुकसान कम बताया गया है।

S.No	PARTICULARS	Our Reply
		The company has not provided any reply in this regard; hence we are unable to comment on excess amount refundable to the Corpus Fund referred above. In our opinion, as this fund is lying idle with the company, it should be refunded back to the ministry 4. As Per Note No '4(C)', As on 31-03-2023 Rs 96.94 lacs was standing to the Credit of Corpus Fund, (Trade Facilitation Centre), The Company has not been provided the reconciliation of rent recovered, expenses/taxes thereon, interest earned on the funds not credited to Corpus, amount payable for the construction of facility, Hence the impact thereof on the accounts can not be ascertained. 5. Service charge and subsidy component of Rs 2266.00 lacs on account of sales of Rs 21579.00 lacs made during 01.03.2018 to 31.03.2018 was reversed by the Company during F Y 2018-2019 as Ministry of Textiles (MOT) did not reimburse the subsidy amount to the company. Consequent to the fact that subsidy of Rs 2158.00 lacs was not received from the MOT, the company reduced Rs 2158.00 lacs from receivables due from Government of India and booked the same as advance to suppliers. Further in respect of same, NHDC has disbursed Rs 1815.00 lacs as subsidy to the suppliers, even though the same is not received from Government of India. The company has not provided any reply in this regard; hence we are unable to comment on the recoverability of Rs. 1815.00 lacs disbursed 6. The Company has received a letter from office of Development Commissioner of Handloom dated 7th July 2022 rejecting claim of Rs. 311.36 lacs in respect of various exhibitions .Hence, to the extent of Rs 311.36 lacs the claims recoverable are over stated and loss is under stated.

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>विवरण</th><th>हमारा जवाब</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>
7. कंपनी ने वित्त वर्ष 19–20 और 22–23 के दौरान आयोजित प्रदर्शनी पर किए गए खर्च के कारण वस्त्र मंत्रालय, केंद्र सरकार (जिसे बाद में 'एमओटी' कहा गया है) से क्रमशः 143. 12 लाख रुपये और 10.51 लाख रुपये की वसूली दिखाई है। तथापि, वस्त्र मंत्रालय के दिशा–निर्देशों के अनुसार उक्त राशि की प्रतिपूर्ति नहीं की जा सकती है। कंपनी ने एमओटी द्वारा ऐसे दावों की स्वीकृति के समर्थन में कोई सबूत नहीं दिया है, इसलिए 153.64 लाख रुपये की सीमा तक एमओटी से वसूली योग्य दावों को बढ़ा–चढ़ाकर बताया गया है और नुकसान कम बताया गया है।

8. कंपनी ने मंत्रालय कोध्से प्राप्त/देय निम्नलिखित शेष राशियां भी दर्शाई हैं लेकिन इसके संबंध में हमें कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण/दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसलिए हम इस पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।
<table>
<tr><th>विवरण</th><th>प्राप्य/देय बकाया राशि</th></tr>
<tr><td>वाराणसी में 7सीएफसी के लिए भवन का निर्माण</td><td>12496280.00 Dr</td></tr>
<tr><td>दीन दयाल हस्तकला संकुल व्यापार एवं संग्रालय केंद्र (टीएफसी)</td><td>2965263.20 Dr</td></tr>
<tr><td>प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन का खर्च</td><td>241005.00 Dr</td></tr>
<tr><td>फ्रांस के राष्ट्रपति की यात्रा</td><td>897474.00 Dr</td></tr>
<tr><td>सीएचडीएस–वाराणसी मेगा क्लस्टर</td><td>287474.00 Cr</td></tr>
</table>
9. कंपनी ने मंत्रालय से पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए बिना प्रदर्शनियों पर 7.91 लाख रुपये खर्च किए हैं। इसलिए, हम यह टिप्पणी करने में असमर्थ हैं कि यह वसूली योग्य है या नहीं।

10. नोट संख्या 19 में अन्य आय में बैंक/वाहन ऋण/अन्य से ब्याज से 45668.00 लाख रुपये की आय शामिल है, हम इस पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं क्योंकि हमें कोई दस्तावेजी सबूत और स्पष्टीकरण प्रदान नहीं किया गया है।

11. नोट संख्या 19 में अन्य आय में देनदारियों के तहत आय शामिल है/150.00 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि वापस लिखी गई है, हम उस पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं क्योंकि हमें कोई दस्तावेजी सबूत और स्पष्टीकरण प्रदान नहीं किया गया है।
</td></tr>
</table>

S.No	PARTICULARS	Our Reply
		7. The Company has shown Rs 143.12 lacsand Rs 10.51 lacs recoverable from Ministry of Textile, Central Government (here in after referred as "MOT") on account of expenses incurred on 'Exhibition organized during FY 19-20 & 22-23 respectively. However, as per guidelines of MOT, said amounts are not reimbursable. The Company has not provided any evidence in support of acceptance of such claims by MOT, hence to the extent of Rs 153.64 lacs the claims recoverable from MOT are over stated and loss is under stated. 8. The Company has also shown following balances receivable/payable to/from the Ministry but no satisfactory explanation/ documentary evidence in respect of same has been provided to us. Hence we are unable to comment on same.

Particulars	Balance Receivable/ Payable
Construction of Building for 7CFC in Varanasi	12496280.00 Dr
Din Dayal Hastkala Sankul Trade & Musem Centre (TFC)	2965263.20 Dr
Inauguration Expenses by PM	241005.00 Dr
Visit of French President	897474.00 Dr
CHDS -Varanasi Mega Cluster	287474.00 Cr

S.No	PARTICULARS	Our Reply
		9. The Company has incurred Rs. 7.91lacs on exhibitions without getting prior sanction from the ministry. Hence, we are unable to comment whether same is recoverable or not. 10. In Note No 19 Other Income includes Income from Interest from Bank /vehicle loan/others amounting to Rs 456.68.00 lacs, we are unable to comment on same as no documentary evidence and explanation has been provided to us. 11. In Note No 19 Other Income includes Income under liabilities /excess provisions written back amounting to Rs 150.00 lacs, we are unable to comment on same as no documentary evidence and explanation has been provided to us.

क्र.सं.	विवरण	हमारा जवाब
		12. कंपनी ने संलग्न अनुबंध 'घ' में उल्लिखित 1429.96 लाख रुपये की अनुदान प्राप्य राशि और 693.61 लाख रुपये की अनुदान वापसी के संबंध में कोई दस्तावेज और स्पष्टीकरण प्रदान नहीं किया है, इसलिए हम उस पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं। 13. कंपनी ने क्लस्टर आर्किस्टों के मानचित्रण और वीडियो फिल्मांकन के लिए दिसंबर 2020 में प्राप्त 90.00 लाख रुपये के अनुदान के उपयोग की कोई स्थिति प्रदान नहीं की हैय इसलिए हम इस पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं। 14. कंपनी ने नवंबर, 2019 से मार्च, 2022 की अवधि के लिए संतुष्टि दुकान पर 34.75 लाख रुपये के व्यय का दावा किया है, तथापि, इस संबंध में सरकार से कोई अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया है, इसलिए हम इसकी वसूली पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं। 15. कंपनी ने वित्त वर्ष 2018–19 में इंडियन ओवरसीज बैंक, लखनऊ शाखा द्वारा दो बार भुगतान किए गए 660.62 लाख रुपये की वसूली के लिए की गई कार्रवाई और कानूनी राय की कोई स्थिति प्रदान नहीं की गई है। फोरेंसिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार आज की तारीख तक पार्टीवार दोगुना/अधिक भुगतान का मिलान नहीं किया गया है। हम बैंक द्वारा दो बार भुगतान की गई 660.62 लाख रुपये की वसूली पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं। 16. कंपनी ने 17.45 लाख रुपये के बीजक पर वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के तहत टीडीएस नहीं काटा है। 17. कंपनी ने चांजोर टूर्स एंड ट्रैवल्स (प्रा.) लिमिटेड को भुगतान की गई 1.90 लाख रुपये की राशि पर आयकर अधिनियम के तहत टीडीएस नहीं काटा है। 18. वर्ष के दौरान, कंपनी ने भागीदारी राशि के रूप में 1.05 लाख रुपये प्राप्त किए हैं और इसे आय मद में ले लिया है, हालांकि, नीतिगत दिशानिर्देशों के अनुसार, मंत्रालय को यूसी प्रस्तुत करते समय इसे समायोजित किया जाना है जो नहीं किया गया है। इस प्रकार, आय 1.05 लाख रुपये से अधिक बताई गई है। 19. हुडको प्लाजा, बीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली में हथकरघा विपणन परिसर की स्थापना के संबंध में, लेखा परीक्षा के प्रधान निदेशक कार्यालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 09.03.2022 की अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित टिप्पणियां की गई थीं।

S.No	PARTICULARS	Our Reply
		12. The company has not provided any documents and explanation with respect to Grants Receivable amounting to Rs 1429.96 lacs and Grant Refundable amounting to Rs 693.61 lacs as referred in Annexure 'D' annexed herewith, hence we are unable to comment thereon. 13. The Company has not provided any status of utilization of grant Rs 90.00 lacs received in Dec 2020 for Mapping and Video filming of cluster arcticians; hence we are unable to comment on same. 14. The Company has claimed expenditure of Rs 34.75 lacs on Santushti shop for the period November, 2019 to March, 2022, however no approval received from Government in this regard is provided to us hence we are unable to comment on the recoverability thereof. 15. The Company has not provided any status of action taken and legal opinion for recovery of Rs 660.62 lacs paid twice by Indian Overseas Bank, Lucknow branch in Financial Year 2018-19. As per Forensic Audit report till date party wise double/ excess payment made has not been reconciled. We are unable to comment on the recoverability of Rs 660.62 lacs paid twice by bank. 16. The Company has not deducted TDS under Goods and Service Tax Act, on invoices amounting to Rs 17.45 lacs. 17. The Company has not deducted TDS under Income Tax Act on amount of Rs 1.90 lacs paid to Chanjor Tours and Travels (P) Ltd. 18. During the year, company has received Rs 1.05 lacs as participation money and taken the same to income head , However, as per policy guidelines, same has to be adjusted while submitting UC to Ministry which has not been done. Thus, income is overstated by Rs. 1.05 lacs. 19. In respect of setting up of the Handloom Marketing Complex at HUDCO Plaza, Bikaji Cama Place New Delhi, following observations were made by office of Principal Director of Audit New Delhi in their report dt 09/03/2022.

क्र.सं.	विवरण	हमारा जवाब
		क) बकाया राशि का भुगतान न करने का कोई कारण रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं था। कार्यान्वयन एजेंसी होने के नाते एनएचडीसी यह सुनिश्चित करने में विफल रहा है कि 2017 के बाद एसडीएमसी को किए गए संपत्ति कर का वैधानिक भुगतान किया गया है और आगे बिल्डर (एचडीसीओ) को 157.17 लाख रुपये के ग्राउंड रेंट और रखरखाव शुल्क के बकाया का भुगतान नहीं किया गया है। इससे हुडको के साथ लीज डीड का निष्पादन प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा, एनएचडीसी के खिलाफ जुर्माना शुल्क और जुर्माने की कार्रवाई की जा सकती है क्योंकि यह दुकानों का मूल आवंटी है। ख) एनएचडीसी ने उन लाभार्थी एजेंसियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है जिन्होंने अपने हिस्से के व्यय की प्रतिपूर्ति नहीं की है, इसके बजाय यह स्वयं हुडको का चूककर्ता बन गया है। ग) एनएचडीसी को नियमित रूप से अपनी देय राशि का भुगतान करने वाली लाभार्थी एजेंसियों द्वारा देय राशियों के भुगतान के संबंध में किसी और अनुदेश या व्यवस्था नहीं की गई है। घ) एनएचडीसी द्वारा आबंटित दुकानों से लाभार्थी एजेंसियों द्वारा बिक्री/व्यवसाय आदि का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा गया था ताकि योजना के लाभों के संदर्भ में उनके प्रदर्शन की पुष्टि की जा सके जिसमें सरकार ने हथकरघा एजेंसियों को विपणन परिसर की दुकानों की खरीद के लिए 335.00 लाख रुपये की 50% अनुदान सहायता प्रदान की है। यदि एनएचडीसी द्वारा बकाया राशि का भुगतान न करने के कारण लीज डीड नहीं किया जाता है, तो योजना पर सरकारी खर्च बेकार जा सकता है। ङ) कंपनी ने वाराणसी क्षेत्रीय कार्यालय में 3 वर्षों से अधिक समय से 24572.49 लाख रुपये की राशि के देनदारों के खिलाफ कोई प्रावधान नहीं किया है, जिसमें से 19422.00 लाख रुपये वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान वाराणसी क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दर्ज किए गए फर्जी, संदिग्ध लेनदेन से संबंधित हैं, जैसा कि ऊपर बिंदु संख्या (1) में संदर्भित है। यह भी देखा गया है कि कंपनी ने 664.43 लाख रुपये के बकाया के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है, क्योंकि वस्त्र मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई क्लस्टर कॉर्पस फंड के लिए इसे मार्जिन मनी के रूप में उपयोग किया जाना है। इस प्रकार, छुट–पुट देनदारों के लिए प्रावधान 25236.92 लाख रुपये कम है और लाभ 25236.92 लाख रुपये अधिक है।

S.No	PARTICULARS	Our Reply
		(a) No reason for non-payment of the dues were available on records. NHDC being the nodel/ implementation agency, has failed to ensure that statutory payment of property tax made to SDMC after2017and further has not paid arrears of ground rent and the maintaince charges to the Builder (HDCO) of Rs 157.17 lakh. This may affect the execution of lease deed with HUDCO. Further, penalty charges would accrue and penalty action may be taken against the NHDC since it is the original allottee of the shops. (b) NHDC has not taken any action against the beneficiary agencies who did not reimburse their share of expenditure, instead it itself has become defaulter to HUDCO. (c) There is no further instruction or arrangement of payment of dues by the beneficiary agencies who have been paying their dues regularly to NHDC. (d) No records of sale/business etc. by beneficiary agencies, from the shops allotted, was maintained by NHDC to vouch their performance in terms of benefits of the scheme wherein the Government has provided 50% grant assistance to Handloom Agencies Rs 335.00 lacs for purchase of the shops of Marketing Complex. The government expenditure on the scheme may go waste if, lease deed is not made due to non-payment of dues by NHDC. (e). The Company has not made any provision against the Debtors for more than 3 years amounting to Rs 24572.49 lacs at Varanasi Regional Office out of which Rs 19422.00 lacs relates to bogus, dubious transactions entered by Varanasi Regional Office during F.Y 2018-19 as referred in point no (1) above. It is further noticed that the company has not made any provision against outstanding of Rs 664.43 lacs considering the same adjustable against the cluster corpus fund provided by Ministry of Textiles to be used as margin money. Thus, the provision for Sundry Debtors is lower by Rs. 25236.92 lacs and profit is more by 25236.92 lacs

क्र.सं.	विवरण	हमारा जवाब
		च) कंपनी ने डीसी हथकरघा के सख्त दिशा–निर्देशों के बावजूद कि प्रदर्शनी व्यय से अचल परिसंपत्तियों का सृजन नहीं किया जा सकता है, सूरत के सिल्क फैब में आयोजित प्रदर्शनी से 0.64 लाख रुपये की राशि का एक करघा खरीदा है। छ) कंपनी ने गैर–कॉर्पस देनदारों (3 वर्ष से अधिक) के खिलाफ 154.31 लाख रुपये का प्रावधान नहीं किया है, जिसके निमित समान राशि के लेनदार बकाया/देय हैं, क्योंकि इस संबंध में लेखा नीति को वित्त वर्ष 2022–2023 से बदल दिया गया था। तथापि, वित्त वर्ष 2021–22 तक किए गए प्रावधान के तहत उक्त देनदारों के खिलाफ 564.83 लाख रुपये का प्रावधान वापस नहीं लिखा गया है। लेनदारों के विरुद्ध देनदारों (गैर–कॉर्पस) को निर्धारित करने के संबंध में, कंपनी ने स्पष्ट किया है कि खरीद आदेश में एक विशिष्ट उल्लेख 'उपयोगकर्ता एजेंसी से भुगतान प्राप्त होने के बाद ही मिलो को राशि जारी की जाएगी' है। प्रावधान के गैर–सृजन को उचित ठहराने के लिए बकाया लेनदारों के निमित देनदारों की स्थापना पर कानूनी राय प्राप्त की जानी चाहिए।

कृते वेद एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएनः 012019एन

(सीए पूजा गोयल)
भागीदार
सदस्यता संख्या 098551
यूडीआईएनः 23098551BGZKJR1639

स्थानः गाजियाबाद
दिनांकः 28 सितंबर, 2023

S.No	PARTICULARS	Our Reply
		(f) The company has purchased one loom amounting to Rs. 0.64 lacs from exhibition held in Silk fab, Surat out of exhibition amount despite strict guidelines of DC Handlooms that fixed assets cannot be created out of exhibition expenses. (g) The Company has not created provision of Rs 154.31 lacs against non-corpus debtors (of more than 3 years) against which creditors of the same amount are outstanding /payable, as the accounting policy in this regard was changed w.e.f F.Y 2022-2023. However provision already made till F.Y 2021-22 Rs 564.83 lacs against the said debtors are not written back. As regards set off of debtors (non-Corpus) against the creditors, the Company has explained that a specific mention "Payment to mills will be released only after receipt of payment from the user agency" is there in purchase order. A legal opinion on set off of debtors against outstanding creditors be obtained to justify the non-creation of Provision.

For VED AND COMPANY
Chartered Accountants
FRN: 012019N

(CA POOJA GOEL)
Partner
Membership No. 098551
UDIN: 23098551BGZKJR1639

Place: GHAZIABAD
Date: 28 September, 2023

स्वतंत्र लेखा परीक्षक रिपोर्ट से संबंधित अनुबंध 'ग'

(31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लेखाओं के संबंध में राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों संबंधी हमारी समान तारीख की रिपोर्ट के लिए उल्लिखित अनुबंध)

कंपनी अधिनियम, 2013 ('एक्ट')की धारा 143 की उप–धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों संबंधी रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2023 तक **राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड ('कंपनी')** की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा की है, जो उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों के हमारी लेखा परीक्षा के साथ संयोजन है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का निदेशक मंडल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा से संबंधित मार्गदर्शन संबंधी नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत अपेक्षित कंपनी की नीतियों के अनुपालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और उनका पता लगाने, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी सहित अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय व्यक्त करना है। हमने आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा संबंधी मार्गदर्शन नोट ('मार्गदर्शन नोट') और लेखा परीक्षण से संबंधित मानकों के अनुसार, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर लागू सीमा तक, अपनी लेखा परीक्षा की है, जिसे आईसीएआई द्वारा जारी किया गया था और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्धारित माना जाता है, ये दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर लागू होते हैं तथा इन दोनों को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए हैं। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए यह आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें और योजना बनाएं और लेखा परीक्षा करें ताकि इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त किया जा सके कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और यदि ऐसे नियंत्रण सभी तथ्यगत मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग और उनकी परिचालन प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में लेखा परीक्षा सबूत प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, इस जोखिम का आकलन करना कि कोई तथ्यगत कमजोरी मौजूद है, और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के तथ्यगत गलत विवरण के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे इसका कारण धोखाधड़ी हो या त्रुटि।

हमारा मानना है कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखा परीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

ANNEXURE ANNEXURE “C” TO THE INDEPENDENT AUDITORS’ REPORT

ANNEXURE REFERED TO IN OUR REPORT OF EVEN DATE ON THE STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS OF THE NATIONAL HANDLOOM DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED ON THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH,2023

Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 (“the Act”)

We have audited the internal financial controls over financial reporting of **NATIONAL HANDLOOM DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED** (“the Company”) as on March 31, 2023 in conjunction with our audit of the financial statements of the Company for the year ended on that date.

Management’s Responsibility for Internal Financial Controls

The board of directors of the Company is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to Company’s policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

Auditors’ Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company’s internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting (the “Guidance Note”) and the Standards on Auditing, issued by ICAI and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of Internal Financial Controls and, both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor’s judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company’s internal financial controls system over financial reporting.

वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में किसी कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में किसी कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जोः

(1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित है, जो उचित ब्यौरे को कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और विन्यास को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाती हैं;

(2) इस आशय का उचित आश्वासन प्रदान करती हैं कि लेनदेन को आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति देने के लिए आवश्यक रूप से दर्ज किया जाता है, और यह कि कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकारों के अनुसार किए जा रहे हैं; और

(3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण की रोकथाम, उपयोग या निपटान या समय पर पता लगाने के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करती हैं जो वित्तीय विवरणों पर तथ्यगत प्रभाव डाल सकते हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत या नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावना शामिल है, जिसकी वजह से त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण तथ्यगत विवरण गलत हो सकते हैं और इसका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं, कि स्थितियों में बदलाव के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर बिगड़ सकता है।

सापेक्ष राय

हमारी राय में और नीचे की गई टिप्पणियों के आधार पर, कंपनी के पास वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली नहीं है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2022 तक प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो कंपनी द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियत्रण की लेखा परीक्षा संबंधी मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों के संबंध में आंतरिक नियंत्रण पर आधारित थे।

1. एनएचडीसी के ऊपर उल्लिखित 7 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जिनके तहत हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए हैंक यार्न की बिक्री/खरीद की जाती है, जिस पर विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, समय–समय पर घोषित योजना के अनुसार 15% सब्सिडी और अन्य दावे (जिसमें माल भाड़ा सब्सिडी और डिपो प्रभार शामिल हैं) प्रदान करता है। जैसा कि वित्त वर्ष 2018–19 और 2019–20 के वित्तीय लेखा के संबंध में लेखा परीक्षा रिपोर्ट में बताया गया है, कंपनी के लखनऊ शाखा कार्यालय, जो वाराणसी क्षेत्रीय कार्यालय के अधीन था, ने शुरू में वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान वित्त वर्ष की पहली तिमाही यानी 2018–19 में 38504.00 लाख रुपये की क्रमशरू कुल बिक्री और खरीद बुक की थी। इसमें से 19082.00 लाख रुपये की बिक्री और खरीद को लखनऊ कार्यालय द्वारा ईआरपी लेखा व्यवस्था में उक्त रद्द कर दिया गया है।

   सीबीआई पत्राचार के अनुसार, प्रबंधन और सीवीओ द्वारा फॉरेंसिक लेखा परीक्षा और सतर्कता जांच की गई थी। इस मामले पर फोरेंसिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट और सतर्कता जांच रिपोर्ट क्रमशः फोरेंसिक लेखा परीक्षक और सीवीओ टीम द्वारा निदेशक मंडल के समक्ष 05.10.2021 को प्रस्तुत की गई थी। निदेशक मंडल के निर्देशों और सीबीआई के पत्र के अनुसार,

Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting

A Company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A Company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that

(1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the Company;

(2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the Company are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the Company; and

(3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the Company's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Qualified Opinion

In our opinion and on the basis of observations made below, the Company does not have adequate internal financial controls system over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at March 31, 2022, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

1. NHDC having "7" Regional offices as mentioned above from where sale/purchase of Hank Yarn is undertaken to promote the Handloom Sector on which Government of India, Ministry of Textile office of the Development Commissioner, Handloom provide 15 % Subsidy and other claims (which includes freight subsidy and depot charges) as per scheme announced time to time. As pointed in Audit report on the Financial Accounts of FY 2018-19 and 2019-20 the Company's Lucknow branch Office, which was under Varanasi Regional Office, had initially booked total Sales & Purchase during the Financial year 2018-19 amounting to Rs. 38504.00 lacs in the 1st Quarter of Financial year i.e. 2018-19 respectively. Out of this, Sales and Purchase to the tune of Rs. 19082.00 lacs have been cancelled by the said Lucknow Office in ERP accounting system.

   As per the CBI communication, the Forensic Audit and Vigilance probe were taken up by the management and the CVO. The Forensic Audit Report and the Vigilance Probe report on the matter were presented by the Forensic Auditor and the CVO team respectively, before the Board of Directors on 05.10.2021. As per the directions of the Board of Directors and the CBI letter, the Forensic Audit

इस संबंध में आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए फोरेंसिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट और सतर्कता जांच रिपोर्ट सीबीआई को प्रदान की गई है।

कंपनी ने सतर्कता रिपोर्ट और इस संबंध में सीबीआई से प्राप्त आगे के पत्राचार/रिपोर्ट की प्रति हमें उपलब्ध नहीं कराई है। फोरेंसिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में की गई टिप्पणी के अनुसार बही खाते में कोई प्रविष्टि नहीं पाई गई है और न ही उनका लेखा–जोखा रखा गया है, इसलिए हम कुल देनदारों (संदर्भ नोट संख्या 14 (ii)) तथा लेनदारों (संदर्भ नोट संख्या 5 (ii)) में दिखाए गए क्रमशः 19422.00 करोड़ रुपये के उक्त देनदारों और लेनदारों के संबंध में टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

2. जैसा कि नोट संख्या "4क" में कहा गया है। 2356.55 लाख रुपये कॉर्पस फंड (मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स) में जमा हैं और तदनुसार तुलन पत्र की अनुसूची 11 के अनुसार सावधि जमा में निवेश किए गए हैं। 31 मार्च 2017 तक कॉर्पस फंड (मार्केट कॉम्प्लेक्स) की सावधि जमा पर अर्जित ब्याज को संबंधित कॉर्पस फंड में जमा किया गया था, लेकिन वित्त वर्ष 2017–18 और 2018–19 के दौरान क्रमशः 122.00 लाख रुपये और 120.00 लाख रुपये की सावधि जमा राशि पर ब्याज को कॉर्पस फंड (मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स) में जमा करने के बजाय निगम की ब्याज आय के रूप में लिया गया है। तथापि, वित्त वर्ष 2019–20 से कॉर्पस फंड्स (मार्केट कॉम्प्लेक्स) के एफडीआर पर अर्जित ब्याज आय कॉर्पस फंड्स (मार्केट कॉम्प्लेक्स) में जमा की जा रही है।

कंपनी ने इस संबंध में कोई उत्तर नहीं दिया है; इसलिए हम ऊपर उल्लिखित कॉर्पस फंड में वापसी योग्य अतिरिक्त राशि पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

3. नोट सं "4ख" के अनुसार, 31–03–2023 की स्थिति के अनुसार 1191.16 लाख रुपये कॉर्पस फंड (मेगा क्लस्टर) में जमा थे। 31 मार्च 2017 तक, वित्त वर्ष 2017–18 और 2018–19 के दौरान कॉर्पस फंड (मेगा क्लस्टर) में जमा करने के बजाय फिक्स्ड डिपॉजिट पर ब्याज को निगम की ब्याज आय के रूप में लिया गया है। तथापि, वित्त वर्ष 2019–20 से, कॉर्पस फंड (मेगा क्लस्टर) के एफडीआर पर अर्जित ब्याज आय कॉर्पस फंड (मेगा क्लस्टर) में जमा की गई है।

कंपनी ने इस संबंध में कोई उत्तर प्रदान नहीं किया है; इसलिए हम ऊपर उल्लिखित कॉर्पस फंड में वापसी योग्य अतिरिक्त राशि पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं। हमारी राय में, चूंकि यह फंड कंपनी के पास बेकार पड़ा है, इसलिए इसे मंत्रालय को वापस कर दिया जाना चाहिए।

4. नोट संख्या 4(ग) के अनुसार, 31–03–2023 की स्थिति के अनुसार 96.94 लाख रुपये कॉर्पस फंड (व्यापार सुविधा केंद्र) में जमा थे, कंपनी को वसूल किए गए किराए, उस पर खर्च/कर, कॉर्पस में जमा नहीं की गई निधियों पर अर्जित ब्याज, सुविधा के निर्माण के लिए देय राशि का मिलान प्रदान नहीं किया गया है, इसलिए खातों पर इसके प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सकता है।

5. 01.03.2018 से 31.03.2018 के दौरान की गई 21579.00 लाख रुपये की बिक्री के कारण 2266.00 लाख रुपये का सेवा शुल्क और सब्सिडी घटक कंपनी द्वारा वित्त वर्ष 2018–2019 के दौरान वापस ले लिया गया था क्योंकि कपड़ा मंत्रालय (एमओटी) ने कंपनी को सब्सिडी राशि की प्रतिपूर्ति नहीं की थी। इस तथ्य के परिणामस्वरूप कि एमओटी से 2158.00 लाख रुपये की सब्सिडी प्राप्त नहीं हुई थी, कंपनी ने भारत सरकार से देय प्राप्तियों में से 2158.00 लाख रुपये कम कर दिए और उसे आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम के रूप में बुक कर लिया। इसके अतिरिक्त, इसके संबंध में एनएचडीसी ने आपूर्तिकर्ताओं को सब्सिडी के रूप में 1815.00 लाख रुपए संवितरित किए हैं, यद्यपि यह राशि भारत सरकार से प्राप्त नहीं हुई है।

कंपनी ने इस संबंध में कोई उत्तर नहीं दिया हैय इसलिए हम वितरित 1815.00 लाख रुपये की वसूली पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

6. कंपनी को हथकरघा विकास आयुक्त के कार्यालय से 7 जुलाई 2022 का एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें विभिन्न प्रदर्शनियों के संबंध में 311.36 लाख रुपये के दावे को खारिज कर दिया गया है। इसलिए, 311.36 लाख रुपये की सीमा तक वसूली योग्य दावों को बढ़ा–चढ़ाकर बताया गया है और नुकसान कम बताया गया है।

Report and the Vigilance Probe Report has been provided to CBI for further necessary action in this regard.

The Company has not provided copy of Vigilance report and further communication/report received from CBI in this regard to us. No entries have been ascertained and accounted for in the books as per the observation made in Forensic Audit Report, hence we are unable to comment on the said debtors and creditors of Rs. 19422.00 lacs respectively being shown in total debtors (Refer Note No. 14(ii)) as well as Creditors ((Refer Not No. 5 (ii)).

2. As stated in Note No. “4A” Rs.2356.55 lacs is Standing to the Credit of Corpus Fund (Marketing Complex) and correspondingly invested in Fixed Deposits as Per Schedule 11 of the Balance Sheet. Interest earned on Fixed Deposits of Corpus Funds (Market Complexes) till 31st March 2017, was credited to respective Corpus Fund, but during the financial year 2017-18 and 2018-19 the interest on fixed deposit amounting to Rs. 122.00 lacs and Rs. 120.00 lacs respectively has been taken as interest income of the Corporation instead of crediting to the Corpus Fund (Marketing Complex). However, since FY 2019-20 interest income earned on FDR of Corpus Funds (Market Complexes) has been crediting to Corpus Funds (Market Complexes).

   The company has not provided any reply in this regard; hence we are unable to comment on excess amount refundable to the Corpus Fund referred above.

3. As Per Note No. “4(B)”, As on 31-03-2023 Rs, 1191.16 lacs was standing to the Credit of Corpus Fund (Mega Cluster). Till 31st March 2017, the interest on fixed deposit has been taken as Interest income of the Corporation, instead of crediting to the Corpus Fund (Mega Cluster) during the financial year 2017-18 and 2018-19, However, from financial year 2019-20, interest income earned on FDR of Corpus Fund (Mega Cluster) has been credited to Corpus Funds (Mega Cluster).

   The company has not provided any reply in this regard; hence we are unable to comment on excess amount refundable to the Corpus Fund referred above. In our opinion, as this fund is lying idle with the company, it should be refunded back to the ministry

4. As Per Note No ‘4(C)’, As on 31-03-2023 Rs 96.94 lacs was standing to the Credit of Corpus Fund, (Trade Facilitation Centre), The Company has not been provided the reconciliation of rent recovered, expenses/taxes thereon, interest earned on the funds not credited to Corpus, amount payable for the construction of facility, Hence the impact thereof on the accounts can not be ascertained.

5. Service charge and subsidy component of Rs 2266.00 lacs on account of sales of Rs 21579.00 lacs made during 01.03.2018 to 31.03.2018 was reversed by the Company during F Y 2018-2019 as Ministry of Textiles (MOT) did not reimburse the subsidy amount to the company. Consequent to the fact that subsidy of Rs 2158.00 lacs was not received from the MOT, the company reduced Rs 2158.00 lacs from receivables due from Government of India and booked the same as advance to suppliers. Further in respect of same, NHDC has disbursed Rs 1815.00 lacs as subsidy to the suppliers, even though the same is not received from Government of India.

   The company has not provided any reply in this regard; hence we are unable to comment on the recoverability of Rs. 1815.00 lacs disbursed

6. The Company has received a letter from office of Development Commissioner of Handloom dated 7th July 2022 rejecting claim of Rs. 311.36 lacs in respect of various exhibitions .Hence, to the extent of Rs 311.36 lacs the claims recoverable are over stated and loss is under stated.

7. कंपनी ने वित्त वर्ष 19–20 और 22–23 के दौरान आयोजित प्रदर्शनी पर किए गए खर्च के कारण वस्त्र मंत्रालय, केंद्र सरकार (जिसे बाद में 'एमओटी' कहा गया है) से क्रमशः 143.12 लाख रुपये और 10.51 लाख रुपये की वसूली दिखाई है। तथापि, वस्त्र मंत्रालय के दिशा–निर्देशों के अनुसार उक्त राशि की प्रतिपूर्ति नहीं की जा सकती है। कंपनी ने एमओटी द्वारा ऐसे दावों की स्वीकृति के समर्थन में कोई सबूत नहीं दिया है, इसलिए 153.64 लाख रुपये की सीमा तक एमओटी से वसूली योग्य दावों को बढ़ा–चढ़ाकर बताया गया है और नुकसान कम बताया गया है।

8. कंपनी ने मंत्रालय को/से प्राप्त/देय निम्नलिखित शेष राशियां भी दर्शाई हैं लेकिन इसके संबंध में हमें कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण/दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसलिए हम इस पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

विवरण	प्राप्य/देय बकाया राशि
वाराणसी में 7सीएफसी के लिए भवन का निर्माण	12496280.00 Dr
दीन दयाल हस्तकला संकुल व्यापार एवं संग्रालय केंद्र (टीएफसी)	2965263.20 Dr
प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन का खर्च	241005.00 Dr
फ्रांस के राष्ट्रपति की यात्रा	897474.00 Dr
सीएचडीएस–वाराणसी मेगा क्लस्टर	287474.00 Cr

9. कंपनी ने मंत्रालय से पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए बिना प्रदर्शनियों पर 7.91 लाख रुपये खर्च किए हैं। इसलिए, हम यह टिप्पणी करने में असमर्थ हैं कि यह वसूली योग्य है या नहीं।

10. नोट संख्या 19 में अन्य आय में बैंक/वाहन ऋण/अन्य से ब्याज से 45668.00 लाख रुपये की आय शामिल है, हम इस पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं क्योंकि हमें कोई दस्तावेजी सबूत और स्पष्टीकरण प्रदान नहीं किया गया है।

11. नोट संख्या 19 में अन्य आय में देनदारियों के तहत आय शामिल है/150.00 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि वापस लिखी गई है, हम उस पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं क्योंकि हमें कोई दस्तावेजी सबूत और स्पष्टीकरण प्रदान नहीं किया गया है।

12. कंपनी ने संलग्न अनुबंध 'घ' में उल्लिखित 1429.96 लाख रुपये की अनुदान प्राप्य राशि और 693.61 लाख रुपये की अनुदान वापसी के संबंध में कोई दस्तावेज और स्पष्टीकरण प्रदान नहीं किया है, इसलिए हम उस पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

13. कंपनी ने क्लस्टर आर्किस्टों के मानचित्रण और वीडियो फिल्मांकन के लिए दिसंबर 2020 में प्राप्त 90.00 लाख रुपये के अनुदान के उपयोग की कोई स्थिति प्रदान नहीं की है; इसलिए हम इस पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

14. कंपनी ने नवंबर, 2019 से मार्च, 2022 की अवधि के लिए संतुष्टि दुकान पर 34.75 लाख रुपये के व्यय का दावा किया है, तथापि, इस संबंध में सरकार से कोई अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया है, इसलिए हम इसकी वसूली पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

15. कंपनी ने वित्त वर्ष 2018–19 में इंडियन ओवरसीज बैंक, लखनऊ शाखा द्वारा दो बार भुगतान किए गए 660.62 लाख रुपये की वसूली के लिए की गई कार्रवाई और कानूनी राय की कोई स्थिति प्रदान नहीं की गई है। फोरेंसिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार आज की तारीख तक पार्टीवार दोगुना/अधिक भुगतान का मिलान नहीं किया गया है। हम बैंक द्वारा दो बार भुगतान की गई 660.62 लाख रुपये की वसूली पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

16. कंपनी ने 17.45 लाख रुपये के बीजक पर वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के तहत टीडीएस नहीं काटा है।

17. कंपनी ने चांजोर टूर्स एंड ट्रैवल्स (प्रा.) लिमिटेड को भुगतान की गई 1.90 लाख रुपये की राशि पर आयकर अधिनियम के तहत टीडीएस नहीं काटा है।

7. The Company has shown Rs 143.12 lacsand Rs 10.51 lacs recoverable from Ministry of Textile, Central Government (here in after referred as “MOT”) on account of expenses incurred on ‘Exhibition organized during FY 19-20 & 22-23 respectively. However, as per guidelines of MOT, said amounts are not reimbursable. The Company has not provided any evidence in support of acceptance of such claims by MOT, hence to the extent of Rs 153.64 lacs the claims recoverable from MOT are over stated and loss is under stated.

8. The Company has also shown following balances receivable/payable to/from the Ministry but no satisfactory explanation/ documentary evidence in respect of same has been provided to us. Hence we are unable to comment on same.

Particulars	Balance Receivable/Payable
Construction of Building for 7CFC in Varanasi	12496280.00 Dr
Din Dayal Hastkala Sankul Trade & Musem Centre (TFC)	2965263.20 Dr
Inauguration Expenses by PM	241005.00 Dr
Visit of French President	897474.00 Dr
CHDS -Varanasi Mega Cluster	287474.00 Cr

9. The Company has incurred Rs. 7.91lacs on exhibitions without getting prior sanction from the ministry. Hence, we are unable to comment whether same is recoverable or not.

10. In Note No 19 Other Income includes Income from Interest from Bank /vehicle loan/others amounting to Rs 456.68.00 lacs, we are unable to comment on same as no documentary evidence and explanation has been provided to us.

11. In Note No 19 Other Income includes Income under liabilities /excess provisions written back amounting to Rs 150.00 lacs, we are unable to comment on same as no documentary evidence and explanation has been provided to us.

12. The company has not provided any documents and explanation with respect to Grants Receivable amounting to Rs 1429.96 lacs and Grant Refundable amounting to Rs 693.61 lacs as referred in Annexure ‘D’ annexed herewith, hence we are unable to comment thereon.

13. The Company has not provided any status of utilization of grant Rs 90.00 lacs received in Dec 2020 for Mapping and Video filming of cluster arcticians; hence we are unable to comment on same.

14. The Company has claimed expenditure of Rs 34.75 lacs on Santushti shop for the period November, 2019 to March, 2022, however no approval received from Government in this regard is provided to us hence we are unable to comment on the recoverability thereof.

15. The Company has not provided any status of action taken and legal opinion for recovery of Rs 660.62 lacs paid twice by Indian Overseas Bank, Lucknow branch in Financial Year 2018-19. As per Forensic Audit report till date party wise double/excess payment made has not been reconciled. We are unable to comment on the recoverability of Rs 660.62 lacs paid twice by bank.

16. The Company has not deducted TDS under Goods and Service Tax Act, on invoices amounting to Rs 17.45 lacs.

17. The Company has not deducted TDS under Income Tax Act on amount of Rs 1.90 lacs paid to Chanjor Tours and Travels (P) Ltd.

18. वर्ष के दौरान, कंपनी ने भागीदारी राशि के रूप में 1.05 लाख रुपये प्राप्त किए हैं और इसे आय मद में ले लिया है, हालांकि, नीतिगत दिशानिर्देशों के अनुसार, मंत्रालय को यूसी प्रस्तुत करते समय इसे समायोजित किया जाना है जो नहीं किया गया है। इस प्रकार, आय 1.05 लाख रुपये से अधिक बताई गई है।

19. हुडको प्लाजा, बीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली में हथकरघा विपणन परिसर की स्थापना के संबंध में, लेखा परीक्षा के प्रधान निदेशक कार्यालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 09.03.2022 की अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित टिप्पणियां की गई थीं।

क) बकाया राशि का भुगतान न करने का कोई कारण रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं था। कार्यान्वयन एजेंसी होने के नाते एनएचडीसी यह सुनिश्चित करने में विफल रहा है कि 2017 के बाद एसडीएमसी को किए गए संपत्ति कर का वैधानिक भुगतान किया गया है और आगे बिल्डर (एचडीसीओ) को 157.17 लाख रुपये के ग्राउंड रेंट और रखरखाव शुल्क के बकाया का भुगतान नहीं किया गया है। इससे हुडको के साथ लीज डीड का निष्पादन प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा, एनएचडीसी के खिलाफ जुर्माना शुल्क और जुर्माने की कार्रवाई की जा सकती है क्योंकि यह दुकानों का मूल आवंटी है।

ख) एनएचडीसी ने उन लाभार्थी एजेंसियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है जिन्होंने अपने हिस्से के व्यय की प्रतिपूर्ति नहीं की है, इसके बजाय यह स्वयं हुडको का चूककर्ता बन गया है।

ग) एनएचडीसी को नियमित रूप से अपनी देय राशि का भुगतान करने वाली लाभार्थी एजेंसियों द्वारा देय राशियों के भुगतान के संबंध में किसी और अनुदेश या व्यवस्था नहीं की गई है।

घ) एनएचडीसी द्वारा आबंटित दुकानों से लाभार्थी एजेंसियों द्वारा बिक्री/व्यवसाय आदि का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा गया था ताकि योजना के लाभों के संदर्भ में उनके प्रदर्शन की पुष्टि की जा सके जिसमें सरकार ने हथकरघा एजेंसियों को विपणन परिसर की दुकानों की खरीद के लिए 335.00 लाख रुपये की 50% अनुदान सहायता प्रदान की है। यदि एनएचडीसी द्वारा बकाया राशि का भुगतान न करने के कारण लीज डीड नहीं किया जाता है, तो योजना पर सरकारी खर्च बेकार जा सकता है।

ङ) कंपनी ने वाराणसी क्षेत्रीय कार्यालय में 3 वर्षों से अधिक समय से 24572.49 लाख रुपये की राशि के देनदारों के खिलाफ कोई प्रावधान नहीं किया है, जिसमें से 19422.00 लाख रुपये वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान वाराणसी क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दर्ज किए गए फर्जी, संदिग्ध लेनदेन से संबंधित हैं, जैसा कि ऊपर बिंदु संख्या (1) में संदर्भित है। यह भी देखा गया है कि कंपनी ने 664.43 लाख रुपये के बकाया के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है, क्योंकि वस्त्र मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई क्लस्टर कॉर्पस फंड के लिए इसे मार्जिन मनी के रूप में उपयोग किया जाना है। इस प्रकार, छुट–पुट देनदारों के लिए प्रावधान 25236.92 लाख रुपये कम है और लाभ 25236.92 लाख रुपये अधिक है।

च) कंपनी ने डीसी हथकरघा के सख्त दिशा–निर्देशों के बावजूद कि प्रदर्शनी व्यय से अचल परिसंपत्तियों का सृजन नहीं किया जा सकता है, सूरत के सिल्क फैब में आयोजित प्रदर्शनी से 0.64 लाख रुपये की राशि का एक करघा खरीदा है।

छ) कंपनी ने गैर–कॉर्पस देनदारों (3 वर्ष से अधिक) के खिलाफ 154.31 लाख रुपये का प्रावधान नहीं किया है, जिसके निमित समान राशि के लेनदार बकाया/देय हैं, क्योंकि इस संबंध में लेखा नीति को वित्त वर्ष 2022–2023 से बदल दिया गया था।

तथापि, वित्त वर्ष 2021–22 तक किए गए प्रावधान के तहत उक्त देनदारों के खिलाफ 564.83 लाख रुपये का प्रावधान वापस नहीं लिखा गया है।

लेनदारों के विरुद्ध देनदारों (गैर–कॉर्पस) को निर्धारित करने के संबंध में, कंपनी ने स्पष्ट किया है कि खरीद आदेश में एक विशिष्ट उल्लेख 'उपयोगकर्ता एजेंसी से भुगतान प्राप्त होने के बाद ही मिलो को राशि जारी की जाएगी' है। प्रावधान के गैर–सृजन को उचित ठहराने के लिए बकाया लेनदारों के निमित देनदारों की स्थापना पर कानूनी राय प्राप्त की जानी चाहिए।

18. During the year, company has received Rs 1.05 lacs as participation money and taken the same to income head , However, as per policy guidelines, same has to be adjusted while submitting UC to Ministry which has not been done. Thus, income is overstated by Rs. 1.05 lacs.

19. In respect of setting up of the Handloom Marketing Complex at HUDCO Plaza, Bikaji Cama Place New Delhi, following observations were made by office of Principal Director of Audit New Delhi in their report dt 09/03/2022.

    (a) No reason for non-payment of the dues were available on records. NHDC being the nodel/ implementation agency, has failed to ensure that statutory payment of property tax made to SDMC after2017and further has not paid arrears of ground rent and the maintaince charges to the Builder (HDCO) of Rs157.17 lakh. This may affect the execution of lease deed with HUDCO. Further, penalty charges would accrue and penalty action may be taken against the NHDC since it is the original allottee of the shops.

    (b) NHDC has not taken any action against the beneficiary agencies who did not reimburse their share of expenditure, instead it itself has become defaulter to HUDCO.

    (c) There is no further instruction or arrangement of payment of dues by the beneficiary agencies who have been paying their dues regularly to NHDC.

    (d) No records of sale/business etc. by beneficiary agencies, from the shops allotted, was maintained by NHDC to vouch their performance in terms of benefits of the scheme wherein the Government has provided 50% grant assistance to Handloom Agencies Rs 335.00 lacs for purchase of the shops of Marketing Complex. The government expenditure on the scheme may go waste if, lease deed is not made due to non-payment of dues by NHDC.

    (e) The Company has not made any provision against the Debtors for more than 3 years amounting to Rs 24572.49 lacs at Varanasi Regional Office out of which Rs 19422.00 lacs relates to bogus, dubious transactions entered by Varanasi Regional Office during F.Y 2018-19 as referred in point no (1) above. It is further noticed that the company has not made any provision against outstanding of Rs 664.43 lacs considering the same adjustable against the cluster corpus fund provided by Ministry of Textiles to be used as margin money. Thus, the provision for Sundry Debtors is lower by Rs. 25236.92 lacs and profit is more by 25236.92 lacs

    (f) The company has purchased one loom amounting to Rs. 0.64 lacs from exhibition held in Silk fab, Surat out of exhibition amount despite strict guidelines of DC Handlooms that fixed assets cannot be created out of exhibition expenses.

    (g) The Company has not created provision of Rs 154.31 lacs against non-corpus debtors (of more than 3 years) against which creditors of the same amount are outstanding /payable, as the accounting policy in this regard was changed w.e.f F.Y 2022-2023.

    However provision already made till F.Y 2021-22 Rs 564.83 lacs against the said debtors are not written back.

    As regards set off of debtors (non-Corpus) against the creditors, the Company has explained that a specific mention “Payment to mills will be released only after receipt of payment from the user agency” is there in purchase order. A legal opinion on set off of debtors against outstanding creditors be obtained to justify the non-creation of Provision.

(ज) एचडीएफसी बैंक के बैंक खाते में 0.89 लाख रुपये की पुरानी बकाया राशि दिखाई दे रही है, जिसके लिए बैंक से शेष राशि की कोई पुष्टि नहीं की गई है और कंपनी द्वारा स्पष्टीकरण प्रदान नहीं किया गया है, इसलिए हम उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते।

(झ) ड्राइवर और ऑफिस बॉय को किए गए भुगतान को सुरक्षा व्यय में शामिल किया गया है।

(ञ) चिकित्सा संबंधी परिपत्र के अनुसार, आपातकालीन स्थिति में कर्मचारी 20 से अधिक बेड वाले और उचित प्राधिकारी के साथ विधिवत पंजीकृत किसी भी अस्पताल में चिकित्सा सुविधा ले सकता है। ऐसे मामले में प्रतिपूर्ति क्षेत्र के पंजीकृत अस्पताल की दरों तक ही सीमित होगी। लेकिन श्री मंत्री प्रसाद नामक एक कर्मचारी के मामले में, क्षेत्र के पंजीकृत अस्पताल की दरों को प्राप्त किए बिना ही अस्पताल में भर्ती होने की प्रतिपूर्ति की गई है।

20. हमारे द्वारा अचल संपत्तियों के तथ्यगत सत्यापन के दौरान, निम्नलिखित व्यक्तियों को दिए गए निम्नलिखित लैपटॉप हमें नहीं दिखाए गए थेः–

–अशोक कुमार

–ईश्वर पाटिल

–श्री विपिन

–गौरव त्रिपाठी

–रिमझिम जायसवाल

21. इन लैपटॉप के उपयोग के लिए कोई पुष्टि प्रदान नहीं की गई हैः–

–संपर्क कार्यालय के पास 3 लैपटॉप और 3 डेस्क टॉप

–डीसीएच कार्यालय के पास 2 लैपटॉप

–आर.के. पुरम कार्यालय के पास 3 लैपटॉप

–निदेशक के पास 1 लैपटॉप

22. जैसा कि वित्तीय विवरणों के नोट 14 (i) और 5 (i) में बताया गया है, देनदारों, लेनदारों और ग्राहक/अन्यों से अग्रिम से प्राप्त शेष पुष्टि की बकाया राशि, परिणामी समायोजन का क्रमशः 5.28%, 7.69% और 27.91% है, जिसके प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सकता है और इस पर टिप्पणी नहीं की जा सकती है।

23. कंपनी, मंत्रालय को दावे प्रस्तुत करने में तत्पर नहीं है जिससे कंपनी को धन की चक्रवृद्धि हानि होती है।

24. वर्तमान निविदा के 1 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी कंपनी ने वाहन किराए पर लेने के लिए अभी तक निविदा जारी नहीं की है।

कृते वेद एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएनः 012019एन

(सीए पूजा गोयल)
भागीदार
सदस्यता संख्या 098551
यूडीआईएनः 23098551BGZKJR1639

स्थानः गाजियाबाद
दिनांकः 28 सितंबर, 2023

(h) An old outstanding balance of Rs 0.89 lacs is appearing in bank account with HDFC Bank for which no balance confirmation from bank and explanation is provided by the company, hence we cannot comment thereon.

(i) Payments made to driver and, office boy has been included in Security expanses.

(j) As per medical circular, in case of emergency employee can take medical facility in any hospital having more than 20 beds and duly registered with appropriate authority. In such a case reimbursement shall be restricted to the rates of registered hospital of the region. But in case of one employee namely Sh. Mantri Prasad, hospitalization expanses reimbursement has been made without obtaining rates of registered hospital of the region.

20. During physical verification of fixed assets by us, following laptops given to following persons were not shown to us:-

- Ashok Kumar
- Ishwar Patil
- Shri Vipin
- Gourav Tripathi
- Rimjhim Jaiswal

21. No Confirmation has been provided for usage of these laptops:

-3 laptop and 3 desk top with liason office

- 2 laptop with DCH Office

-3 laptop with R.K Puram Office

-1 laptop with Director

22. As explained in Note 14(i) and 5 (i) to the financial statements, balance confirmation received from Debtors, Creditors and Advance from customer/others is 5.28%, 7.69% and 27.91% respectively of amount outstanding, consequential adjustments, effect of which if any is not ascertainable and cannot be commented upon.

23. The Company is not prompt in submitting claims to Ministry which leads to loss of compounding of money to the company.

24. The Company has not yet floated the tender for hiring of vehicle even after lapse of present tender by more than 1 year.

For VED AND COMPANY
Chartered Accountants
FRN: 012019N

(CA POOJA GOEL)
Partner
Membership No. 098551
UDIN: 23098551BGZKJR1639

Place: GHAZIABAD
Date: 28 September, 2023

अनुलग्नक 'घ'

प्राप्य अनुदान और देय अनुदान के संबंध में स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

क्र.सं.	विवरण	जी एल कोड	प्राप्यध्देय राशि	देय राशि
1	अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस	233418	138620.00 Dr	
2	7वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2021–22 (233453)	233453	15489609.50 Dr	
3	हथकरघा हेल्पलाइन केंद्र (एमएसडी) 233510	233510	3601958.00 Dr	
4	विशेष हथकरघा उत्पादों के खुदरा बिक्री केंद्र	233516	6558013.00 Dr	
5	हथकरघा का आउटरीच कार्यक्रम	233701		62862.00 Cr
6	निर्माता कंपनी का सृजन	233712	55000.00 Dr	
7	सिल्क फैब पुणे 2020–21 (वर्ष के दौरान लेनदेन)	2337144	0.00	
8	सिल्क फैब एर्नाकुलम 2020–21 (वर्ष के दौरान लेनदेन)	233715	0.00	
9	एनएचडीसी का 39वां फाउंडेशन 2021–22	233734	2023586.00 Dr	
10	झोरका–भारत के शिल्प का जश्न अजमेर 2021–22	233735		665000.00 Cr
11	8वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2022–23	233777	54675813.00 Dr	
12	सिल्क फैब दिल्ली 2022–23	233789	912279.00 Dr	
13	आईआईटीएफ प्रगति मैदान में हैंडलूम सोर्सिंग शो सह एक्सपो 2022–23	233801	110035.00 Dr	
14	पश्चिम बंगाल में जागरूकता शिविर सह बैठक का आयोजन 2022–23	233803	200000.00 Dr	
15	22.11.2022 को आयोजित संसदीय परामर्शदात्री समिति	233807	85150.00 Dr	
16	असम के मूगा सिल्क के लिए लघु फिल्म	233808	365800.00 Dr	
17	जनपथ पर विरासत साड़ी समारोह	233810	5724921.00 Dr	
18	डिजाइन संसाधन केंद्र 2021–22	233852	549214.00 Dr	
19	विविध अनुदान लेखा	261010	216628.00 Dr	
20	आरएमएसएस योजना पर ब्याज	292018		1873079.00 Cr
21	एनएचडीपी योजना पर ब्याज	292019	12586207.00 Dr	
22	बैंक वाहन ऋण/अन्य से ब्याज	450004		44166719.00 Cr
23	एनएचडीसी का विपणन सहायता घटक	233154	289500.00 Dr	
24	क्लस्टर कार्यक्रम बर्दवान	233200		120147.00 Cr
25	अभोनी–219 का सहयोग और प्रायोजन	233205	150000.00 Dr	
26	शिक्षा और संचार हेतु अनुदान	233301		4805406.00 Cr
27	एच/एल पार्ट्स की आपूर्ति हेतु अनुदान	233302		917251.00 Cr
28	2000 बैटरी के वितरण हेतु अनुदान	233303		5633148.00 Cr
29	बिलों के वितरण के लिए व्यवस्थापक लागत हेतु अनुदान	233304	256759.00 Dr	
30	बिलों के लिए संविदागत स्टाफ की भर्ती हेतु अनुदान, वाराणसी	233305		466538.00 Cr
31	सीएफसी वाराणसी हेतु अनुदान	233307	2803879.60 Dr	
32	6 आईआईएचटीएस को पुरस्कार/पुरस्कार वितरण के लिए अनुदान	233336		678000.00 Cr
33	मल्टीपल बूटी मशीन के परिचय एक्सपो हेतु अनुदान	233337		5138.00 Cr
34	चार पहिया और विविध एक्सपो किराए पर लेने हेतु अनुदान, वाराणसी डब्ल्यूएससी	233338		96400.00 Cr
35	6 डब्ल्यूएससी के लिए डेस्कटॉप की आपूर्ति हेतु अनुदान	233339		30000.00 Cr

Annexure 'D'

Explanation not provided with respect to Grants Receivable and Grant Refundable.

S. No	Particulars	G L Code	Amount Receivable/ Payable	Amount Payable
1	International Womens Day	233418	138620.00 Dr	
2	7th National Handloom day 2021-22 (233453)	233453	15489609.50 Dr	
3	Handloom Helpline Centre (MSD) 233510	233510	3601958.00 Dr	
4	Retail Outlet of Exclusive Handloom Products	233516	6558013.00 Dr	
5	Outreach Programe of Handlooms	233701		62862.00 Cr
6	Formation of Producer Company	233712	55000.00 Dr	
7	Silk Fab Pune2020-21(Tranaction during the year)	2337144	0.00	
8	Silk Fab Emakulam2020-21(Tranaction during the year)	233715	0.00	
9	39th Fondation of NHDC 2021-22	233734	2023586.00 Dr	
10	Jhoraka-Celebrating Crafts of India Ajmer 2021-22	233735		665000.00 Cr
11	8th National Handloom Day 2022-23	233777	54675813.00 Dr	
12	Silk Fab Delhi 2022-23	233789	912279.00 Dr	
13	Handloom Sourcing Show Cum Expo at IITF Pragati Maidan 2022-23	233801	110035.00 Dr	
14	Organization of Awareness camp Cum Meeting in West Bengal 2022-23	233803	200000.00 Dr	
15	Parliamentary Consultative Meeting held on 22/11/2022	233807	85150.00 Dr	
16	Short Film for Muga Silk of Assam	233808	365800.00 Dr	
17	Viraasat Saree Festival at Janpath	233810	5724921.00 Dr	
18	Design Resource Centre 2021-22	233852	549214.00 Dr	
19	Miscellaneous Grant Account	261010	216628.00 Dr	
20	Interest on RMSS Scheme	292018		1873079.00 Cr
21	Interest on NHDP Scheme	292019	12586207.00 Dr	
22	Interest From Bank Vehicle Loan/Others	450004		44166719.00 Cr
23	Marketing Assistance Component of NHDC	233154	289500.00 Dr	
24	Cluster Programe Burdwan	233200		120147.00 Cr
25	Collaboration and Sponsorship of abhoni-219	233205	150000.00 Dr	
26	Grant for Inf. Education & Communication	233301		4805406.00 Cr
27	Grant for supply of H/L Parts	233302		917251.00 Cr
28	Grant for Distribution of 2000 Batery	233303		5633148.00 Cr
29	Grant for Admin Cost for Dist of Bills	233304	256759.00 Dr	
30	Grant for Hirring Contranctual Staff for Bills, varanasi	233305		466538.00 Cr
31	Grant for CFC Varanasi	233307	2803879.60 Dr	
32	Grant for Award/ Prize Distribution to 6 IIHTS	233336		678000.00 Cr
33	Grant for Exp Intoduction of Multiple Buti Machine	233337		5138.00 Cr
34	Grant for Hirring Four Wheeler and Misc Exp Varanasi WSC	233338		96400.00 Cr
35	Grant for Supply of Desktop for 6 WSCs	233339		30000.00 Cr

क्र.सं.	विवरण	जी एल कोड	प्राप्यध्देय राशि	देय राशि
36	इंडिया हैंडलूम ब्रांड	233350	5311513.00 Dr	
37	बुनकर जागरूकता शिविर	233400		760175.24 Cr
38	शिल्प संग्रालय, नई दिल्ली में डिजाइनकर्ताओं की चौपाल का आयोजन अगस्त 2017	233406	264381.00 Dr	
39	7 अगस्त 2017 को गुवाहाटी में तीसरा राष्ट्रीय हथकरघा दिवस	233407	5413973.00 Dr	
40	अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय वस्त्र मेला अगस्त 2017	233408	6032737.00 Dr	
41	हस्तकला सहयोग शिविर (चरण–1)	233419	3765242.00 Dr	
42	हस्तकला सहयोग शिविर (चरण–2)	233420	1067660.00 Dr	
43	स्वदेशी मेला चंडीगढ़ 2017–2018	233423	500000.00 Dr	
44	कौशांबी महोत्सव 2018	233441	99000.00 Dr	
45	05.10.2018 से 08.10.2018 तक लखनऊ में एचएसएफ 2018 का चौथा संस्करण	233442	165700.00 Dr	
46	जीआई पंजीकृत हथकरघा/हस्तशिल्प उत्पाद पर 12 फिल्में (2018–2019)	233443	1403773.00 Dr	
47	सिल्क फैब रायपुर 2018–2019	233445	288000.00 Dr	
48	श्रम संबंधी संसदीय स्थायी समिति	233517	113573.00 Dr	
49	राष्ट्रीय हथकरघा एक्सपो – इंदौर (2018–19)	233604	763923.80 Dr	
50	राष्ट्रीय हथकरघा एक्सपो – पटना (2018–19)	233606	682278.00 Dr	
51	कुशल शिल्प कौशल को प्रदर्शित करने वाली वीडियो फिल्म	233709		334,010.00 Cr
52	सिल्क फैब जम्मू 2020–21	233716	635,402 .00 Dr	
53	सिल्क फैब गुवाहाटी 2020–21	233717	537,838 .00 Dr	
54	सिल्क फैब सूरत 2020–21	233719		740,612.00 Cr
55	सिल्क फैब हैदराबाद 2020–21	233720	47,372.00 Dr	
56	सिल्क फैब पटना 2020–21	233721	614,785.00 Dr	
57	विषयगत प्रदर्शनी 2020–21 का आयोजन	233715		6,615,000.00 Cr
58	डिजाइन और तकनीकी विकास कार्यशाला 2020–21	233726		4,048,000.00 Cr
59	कलात्मक आदिवासी वस्त्र कढ़ाई शिल्प पर पोशाक सामग्री के एसटी कारीगर	233727		3,200,000.00 Cr
60	मेरा हथकरघा मेरा गौरव प्रदर्शनी दिल्ली हाट 2021–22	233730	4572499.00 Dr	
61	योजना 2022–23 के प्रसार पर संगोष्ठी	233741	492842.00 Dr	
62	प्रचार गतिविधियों का आयोजन 7 डीआरसी 2021–22	233764	867090.00 Dr	
63	8वीं भारतीय राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह मेला कोलकाता का आयोजन 2021–22	233765		144200.00 Cr
64	गुवाहाटी में क्रेता–विक्रेता कार्यक्रम (बीएसएम) 2021–22	233768	41347.00 Dr	
65	जिला हथकरघा एक्सपो इंफाल 2021–22	261018	600000.00 Dr	
66	टीएफसी का उद्घाटन समारोह (22.12.16 वाराणसी)	280015	3096110.00 Dr	

S. No	Particulars	G L Code	Amount Receivable/ Payable	Amount Payable
36	India Hand Loom Brand	233350	5311513.00 Dr	
37	Weavers Awareness Camp	233400		760175.24 Cr
38	Organise Desigeners Chaupal At Craft Musem New Delhi Aug 2017	233406	264381.00 Dr	
39	3RD National Handloom Day on 7th August 2017 at Guhati	233407	5413973.00 Dr	
40	International Textile Fare At Ahemdabad Aug 2017	233408	6032737.00 Dr	
41	Hastkala Sahog Shivar (Phase-1)	233419	3765242.00 Dr	
42	Hastkala Sahog Shivar (Phase-2)	233420	1067660.00 Dr	
43	Swadeshi Mela Chandhigarh 2017-2018	233423	500000.00 Dr	
44	Kaushambi Mahotsav 2018	233441	99000.00 Dr	
45	4TH EDITION OF HSF 2018 AT LUCKNOW FROM 05.10.2018 TO 08.10.2018	233442	165700.00 Dr	
46	12 FLIMS ON GI REGISTERED HANDLOOM / HANDICRAFT PRODUCT (2018-2019)	233443	1403773.00 Dr	
47	SILK FAB RAIPUR 2018-2019	233445	288000.00 Dr	
48	Parlimentary Standing Committee on Labour	233517	113573.00 Dr	
49	NATIONAL HANDLOOM EXPO- Indore (2018-19)	233604	763923.80 Dr	
50	NATIONAL HANDLOOM EXPO- Patna (2018-19)	233606	682278.00 Dr	
51	Video film showcasing the skilful craftsmanship	233709		334,010.00 Cr
52	Silk Fab Jammu 2020-21	233716	635,402 .00 Dr	
53	Silk Fab Guwahati 2020-21	233717	537,838 .00 Dr	
54	Silk Fab Surat 2020-21	233719		740,612.00 Cr
55	Silk Fab Hyderabad 2020-21	233720	47,372.00 Dr	
56	Silk Fab Patna 2020-21	233721	614,785.00 Dr	
57	Organizing Thematic Exhibition 2020-21	233715		6,615,000.00 Cr
58	Design and Technical Development Workshop 2020-21	233726		4,048,000.00 Cr
59	ST Artisans of Dress Material on Artistic Tribal Textile Embroidery Crafts	233727		3,200,000.00 Cr
60	My Handloom My Pride Exhibition Dilli Haat 2021-22	233730	4572499.00 Dr	
61	Seminar on Dissemination of Scheme 2022-23	233741	492842.00 Dr	
62	Organizing promotional activities 7 DRC 2021-22	233764	867090.00 Dr	
63	Organizing 8th Indian National Exhibition Cum-Fair Kolkata 2021-22	233765		144200.00 Cr
64	Buyers Sellers Meet (BSM) at Guwahati 2021-22	233768	41347.00 Dr	
65	District Handloom Expo Imphal 2021-22	261018	600000.00 Dr	
66	INAUGRAL FUNCTION OF TFC (22.12.16 VARANASI)	280015	3096110.00 Dr	

अनुपालन प्रमाण पत्र

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा हमें दिए गए निदेशों/उप–निदेशों के अनुसार 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड के लेखाओं की लेखा परीक्षा की है और हम प्रमाणित करते हैं कि हमने दिनांक 28.09.2023 की अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए हमें जारी किए गए सभी निदेशों/उप–निदेशों का अनुपालन किया है।

कृते वेद एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफ.आर.सं: 012019एन

हस्त./–
(सीए पूजा गोयल)
भागीदार
सदस्यता संख्या 098551

दिनांक: 28 सितंबर, 2023
स्थान: गाजियाबाद

COMPLIANCE CERTIFICATE

We have conducted the audit, of accounts of National Handloom Development Corporation Limited for the year ended 31st March, 2023 in accordance with the directions/Sub-directions to us by the C & AG of India under Section 143 (5) of the Companies Act, 2013 and we certify that we have complied with all the directions/Sub-directions issued to us by submitting our report dated 28.09.2023.

For VED AND COMPANY
Chartered Accountants
F.R.No:012019N

Sd/-
CA POOJA GOEL
Partner
Member No.098551

Dated: 28th Day of September, 2023
Place: Ghaziabad

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ख) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग संरचना के अनुसार 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड के वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक, अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखा परीक्षा के मानकों के अनुसरण में स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। यह निर्दिष्ट है कि यह उनके द्वारा 28 सितंबर 2023 की उनकी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से किया गया है।

मैं, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143(6) (क) के तहत 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखा परीक्षा की है। यह पूरक लेखा परीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षकों के कार्य संचालन संबंधी कागजात को देखे बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और यह मुख्य रूप से सांविधिक लेखा परीक्षकों और कंपनी कर्मियों की पूछताछ और कुछ लेखा अभिलेखों की चयनात्मक जांच तक सीमित है।

अपनी पूरक लेखा परीक्षा के आधार पर, मैं अधिनियम की धारा 143 (6) (ख) के तहत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों पर प्रकाश डालना चाहूंगा जो मेरे ध्यान में आए हैं और जो मेरे विचार से वित्तीय विवरणों और संबंधित लेखा परीक्षा रिपोर्ट की बेहतर समझ प्राप्त करने के लिए आवश्यक है।

क. लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर टिप्पणियाँ
स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 28 सितंबर 2023

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संबंध में सापेक्ष राय व्यक्त करते हुए स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुलग्नक ग में एक संदर्भ आमंत्रित किया गया है। सापेक्ष राय पैराग्राफ में अन्य बातों के साथ–साथ यह कहा गया है कि, *''हमारी राय में और नीचे की गई टिप्पणियों के आधार पर, कंपनी के पास वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली नहीं है और वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में इस तरह की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली 31 मार्च, 2022 तक प्रभावी ढंग से काम कर रही थी''*।

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का उपर्युक्त पैरा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएओ) द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर जारी मार्गदर्शन नोट में वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर संशोधित राय (सापेक्ष/प्रतिकूल राय) के लिए सुझाई गई भाषा के अनुरूप नहीं है। यदि किसी कंपनी के पास वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण नहीं है, तो मार्गदर्शन नोट आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता दोनों पर प्रतिकूल राय देने का सुझाव देता है। तथापि,

[1] मार्गदर्शन नोट का परिशिष्ट III (उदाहरण 2 – अलग रिपोर्ट)

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF NATIONAL HANDLOOM DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2023

The preparation of financial statements of National Handloom Development Corporation Limited for the year ended 31 March 2023 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the Company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139(5) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 28 September 2023.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of National Handloom Development Corporation Limited for the year ended 31 March 2023 under section 143(6)(a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

Based on my supplementary audit, I would like to highlight the following significant matter under section 143(6)(b) of the Act which have come to my attention and which in my view is necessary for enabling a better understanding of the financial statements and the related audit report.

A. Comments on Auditors' Report

Independent Auditor's Report dated 28 September 2023

A reference is invited to Annexure C of the Independent Auditor's Report expressing qualified opinion on the Internal Financial Controls over Financial Reporting. The qualified opinion paragraph, inter-alga, states that, "*In our opinion and on the basis of observations made below, the Company does not have adequate internal financial controls system over financial reporting and such internal financial controls system over financial reporting were operating effectively as at March 31, 2022*".

The above paragraph of the Auditor's Report is not in line with the language suggested[1] for modified opinion (qualified/adverse opinion) on internal financial controls over financial reporting, in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAO. The Guidance Note suggests giving an adverse opinion both on adequacy of internal financial controls and their operating effectiveness,

[1] Appendix III (Example 2 — Separate Reports) of the Guidance Note

सांविधिक लेखा परीक्षक ने आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता पर संशोधित राय व्यक्त की है और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की प्रचालन प्रभावशीलता पर असंशोधित राय व्यक्त की है जो न केवल विरोधाभासी है बल्कि मार्गदर्शन नोट की भावना के अनुरूप भी नहीं है।

इसके अलावा, सांविधिक लेखा परीक्षक ने उल्लेख किया है कि वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2023 के बजाय 31 मार्च, 2022 तक प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

इसके अलावा, स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के पैराग्राफ 4 (ड.) में यह उल्लेख किया गया है कि *''हमारी रिपोर्ट वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में एक असंशोधित राय व्यक्त करती है''*। यह तथ्यात्मक रूप से गलत है क्योंकि सांविधिक लेखा परीक्षक ने वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर सापेक्ष राय व्यक्त की है।

अतः स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट उपर्युक्त के मद्देनजर अपूर्ण है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
के लिए और उसकी ओर से

(अमन दीप चट्ठा)
लेखा परीक्षा महानिदेशक
(उद्योग और कॉर्पोरेट कार्य)
नई दिल्ली

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 18 दिसंबर, 2023

if a Company does not have adequate internal financial controls over financial reporting. However, the Statutory Auditor has expressed modified opinion on the adequacy of internal financial controls and unmodified opinion on operating effectiveness of such internal financial controls which not only is contradictory but is also not in line with the spirit of the Guidance Note.

Besides, the Statutory Auditor has stated that such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at March 31, 2022 instead of March 31, 2023.

Further, in paragraph 4(e) of the Independent Auditor's Report, it has been stated that "Our report expresses an unmodified opinion on the adequacy and operating effectiveness of Company's internal controls over financial reporting". This is factually incorrect as the Statutory Auditor has expressed qualified opinion on the Internal Financial Controls over Financial Reporting.

Hence, the Report of Independent Auditor is deficient to the above extent.

For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

Aman Deep Chatha)
Director General of Audit
(Industry & Corporate Affairs)
New Delhi

Place: New Delhi
Date: 18 December, 2023

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

लेखाकरण पद्धतियां:

लेखा तैयार करने का आधार:

वित्तीय वक्तव्य भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखाकरण सिद्धान्तों (जीएएपी) का अनुपालन करने के लिए तैयार किए गए हैं, जिसमें कंपनी अधिनियम 2013 के तहत अधिसूचित लेखाकरण मानक के संबंधित प्रावधानों भी शामिल हैं । वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत पद्धतियों के अंतर्गत प्रोद्भूत आधार पर तैयार किए गए हैं । लेखांकन नीतियों को कंपनी द्वारा नियमित रूप से लागू किया गया है, सिवाय इसके कि किसी नए जारी लेखांकन–मानक को हाल ही में अपनाया गया हो या किसी मौजूदा लेखांकन–मानक के संशोधन से अब तक उपयोग में आ रही किसी भी लेखांकन–नीति में परिवर्तन की आवश्यकता है, या अन्यथा प्रकट किया गया है ।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण:

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (मूर्त परिसंपत्तियां) अधिग्रहण की लागत पर बताए गए हैं (आंतरिक माल–भाड़ा, कर या किसी खरीद/निर्माण/संस्थापना से संबन्धित हुये आकस्मिक व्यय को जोड़कर, एवं जीएसटी इनपुट क्रेडिट को छोड़कर संचित मूल्यह्रास और क्षति, यदि कोई हो)। पूंजीगत कार्य–प्रगति में वह संपत्ति, संयंत्र और उपकरण भी शामिल है जो अभी तुलन–पत्र (बैलेंस शीट) की तारीख तक उपयोग हेतु पूर्णतः तैयार नहीं हैं किन्तु प्रत्यक्ष लागत का मूल्य निर्धारित करती है, अन्य संबंधित आकस्मिक व्यय और प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार लागतें ।

सॉफ्टवेयर (अमूर्त परिसंपत्तियां) को उनके स्थायी उपयोगी जीवन कार्यकाल के आधार पर यथोचित मूल्यांकन करने के बाद पूंजीकृत किया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के निपटान पर आए लाभ और हानि को लाभ–हानि विवरण में स्वीकृत किया गया है।

मूल्यह्रास:

संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों पर मूल्यह्रास का आंकलन कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–II में विनिर्दिष्ट संपत्ति की उपयोग हेतु जीवनकाल की सरल रेखा पद्धति के द्वारा किया जाता है। वर्ष के दौरान खरीदे गए/बिक्री किए गए संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों पर हुये मूल्यह्रास को मासिक आधार पर आनुपातिक रूप से प्रभारित किया जाता है। वर्ष के दौरान खरीदी गई अचल परिसंपत्तियां जिनकी लागत 5000 रूपये से अधिक न हो, उनका मूल्यह्रास 100% की दर पर किया जाता है। सॉफ्टवेयर का मूल्यह्रास 10 वर्षो की अनुमानित उपयोगी जीवनकाल के बाद माना गया है।

परिसंपत्तियों की क्षति:

किसी परिसंपत्ति की क्षति तब होती है जब परिसंपत्ति की वहन राशि उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक है। एक क्षति को उस वर्ष के लाभ और हानि लेखा के विवरण में प्रभारित किया जाता है, जिस वर्ष में किसी परिसंपत्ति की पहचान की जाती है। पूर्व लेखा–अवधियों में पहचानी गयी परिसंपत्ति क्षति को, वसूली योग्य अनुमानित राशि में परिवर्तन आने पर उलट दिया जाता है।

अनुदान:

सहायता अनुदानों के सापेक्ष व्यय विशिष्ट प्रयोजनों के संबंध में किए गए हैं और उन्हें सरकार से प्राप्त विशिष्ट अनुदान के अनुसार समायोजित किया गया है। सरकार से प्राप्त होने वाले अनुदान/प्राप्तियों को इसके अंतिम संग्रह की निश्चितता को ध्यान में रखते हुए प्रोद्भूत आधार पर स्वीकार किया जाता है।

माल सूची:

स्टॉक का मूल्य निर्धारण लागत मूल्य पर या शुद्ध वसूली मूल्य पर, जो भी न्यूनतम हो, के आधार पर किया जाता है। विक्रय वापसी के कारण या अन्य किसी कारण मार्गस्थ माल को खरीद मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है।

SIGNIFICANT ACCOUNTS POLICIES

ACCOUNTING CONVENTIONS:

Basis of preparation of Accounts:

The financial statements have been prepared to comply with the Generally Accepted Accounting Principles in India (Indian GAAPs), including the Accounting Standards notified under the relevant provisions of the Companies Act, 2013. The financial statements have been prepared under the historical cost convention on an accrual basis. The accounting policies have been consistently applied by the company, except where a newly issued accounting standard is initially adopted or a revision to an existing accounting standard requires a change in the accounting policy hitherto in use, or as otherwise disclosed.

Property, Plant & Equipment:

Property, Plant and Equipment (Tangible Assets) are stated at cost of acquisition (inclusive of inward freight, taxes and incidental expenses related to purchase/construction/ installation and exclusive of GST input credit less accumulated depreciation and impairment loss, if any). Capital work-in-progress comprises cost of Property, Plant and Equipment that are not yet ready for their intended use at the balance sheet date and are carried at cost comprising direct cost, related incidental expenses and other directly attributable costs.

The software (Intangible Assets) is capitalized where it is reasonably estimated that the software has an enduring useful life.

Profit or loss on disposal of property, plant & equipment is recognized in the Statement of Profit & Loss.

Depreciation:

Depreciation on Property, Plant and Equipment is provided on straight-line method as per useful life of the assets specified in Schedule II of the Companies Act, 2013. Depreciation on Property, Plant and Equipment purchased/ sold during the year is proportionately charged on monthly basis. Depreciation on fixed assets purchased during the year whose cost does not exceed Rs. 5000/- is provided @ 100%. . Software is depreciated over an estimated useful life of 10 years.

Impairment of Assets:

An asset is impaired when the carrying amount of the asset exceeds its recoverable amount. An impairment loss is charged to Statement of Profit and Loss Account in the year in which an asset is identified as impaired. An impairment loss recognized in prior accounting periods is reversed if there has been a change in the estimate of recoverable amount.

Grants:

The expenses against Grants-in-aid have been incurred on specific purposes and are adjusted accordingly in specific grant received from Government. Grants/ Receivable from Government are recognized on accrual basis keeping in view the certainty of its ultimate collection.

Inventories:

The valuation of stocks is at cost or net realizable value, whichever is lower. Goods-in-transit due to sales return or otherwise are valued at purchase price.

Revenue Recognition:

Sales of yarn, dyes & chemical and fabrics are accounted on dispatch of products to customers. Sales are disclosed net of GST and returns/ rejections.

राजस्व अभिज्ञान:

यार्न, रंग – रसायन और फैब्रिक की बिक्री का आंकलन, ग्राहकों को प्रेषित उत्पादों के आधार पर किया जाता है। बिक्री का खुलासा शुद्ध जीएसटी, तथा आवृत्ति/अस्वीकृति के आधार पर किया जाता है।

ब्याज की आय को बकाया राशि और लागू दर को ध्यान में रखते हुए समय–अनुपात के आधार पर स्वीकार किया गया है।

व्यय का वर्गीकरण:

सभी व्यय और आय का लेखांकन साधारण लेखा शीर्ष के अंतर्गत किया जाता है। जहां भी आवश्यक हुआ है, वहां कार्यात्मक आधार पर व्यय का आवंटन किया गया है।

अतिदेय बिलों पर ब्याज:

अतिदेय बिलों पर विलंबित भुगतानों के लिए ब्याज उनके लिए तय की गई क्रेडिट की शर्तों के अनुसार प्रदान किया गया है। जो अतिदेय ब्याज वसूले नहीं हुये है उन्हें आस्थगित उपार्जित ब्याज के रूप में दर्शाया गया है।

वित्त शुल्क:

रंग एवं रसायनों के ग्राहकों हेतु लगाए गए वित्त शुल्क को उसके अंतिम संग्रह में अनिश्चितता को देखते हुए "प्रापित के आधार पर राजस्व" के रूप में स्वीकार किया गया है।

सेवानिवृतति के लाभों का लेखाकरण:

(क) एएस–15 के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर ग्रेच्युटी के प्रति देयता प्रदान की जाती है।

(ख) एएस–15 के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर अवकाश नकदीकरण के प्रति देयता प्रदान की जाती है।

(ग) निगम के नियमों के अनुसार अवकाश यात्रा रियायत को अनुमति दी जाती है और उस वर्ष के खातों में प्रविष्टि की जाती है जिसमें कर्मचारियों द्वारा इसका लाभ उठाया जाता है।

पूर्व अवधि संबंधी समायोजन:

पूर्व अवधि संबंधी समायोजन, मूलभूत त्रुटियों और चूक के सुधार किए जाने से पूर्व अवधि के लिए लागू/प्रयोज्य समायोजन हैं।

विकास क्रियाकलापों के लिए आरक्षित:

भारत सरकार से प्राप्त अनुदान से अतिरिक्त व्यय सहित अपने स्वयं के स्रोतों से निगम द्वारा विकासात्मक क्रियाकलापों पर किए गए व्यय को सीधे विकासात्मक क्रियाकलापों के लिए आरक्षित (रिजर्व) से प्रभारित किया जाता है, जिन्हें निगम के लाभ से बाहर विनियोजित किया गया है।

संदिग्ध ऋणों का प्रावधान:

तीन वर्षों से अधिक समय से बकाया गैर–कॉर्पस विविध देनदारों के बुरे और संदिग्ध ऋणों के लिए तथा जिसके लिए समान राशि के लेनदार बकाया हैं/देय हैं उनका प्रावधान नहीं किया गया है।

3 वर्षों से अधिक समय से बकाया कार्पस विविध देनदारों के बुरे और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान नहीं किया गया है।

खंड–वार (सेगमेंट) लेखाकरण नीति:

खण्ड–वार लेखाकरण नीतियां निगम की लेखाकरण नीतियों के अनुरूप हैं। तथापि, खण्ड रिपोर्टिंग के लिए निम्नलिखित विशिष्ट लेखाकरण नीतियों का पालन किया गया है:

खण्ड राजस्व में अंतर–खण्ड राजस्व सहित सेगमेंट के लिए निर्धारित/आबंटित किए जाने योग्य बिक्री और अन्य आय सम्मिलित है। जो आय पूर्णतया निगम से संबंधित है और खण्ड के लिए आवंटित किए जाने योग्य नहीं है, उनको ''अन्य गैर–आवंटन योग्य आय'' में सम्मिलित किया जाता है।

Interest income is recognized on a time proportion basis taking into account the amount outstanding and the rate applicable.

Classification of Expenditure:

All expenses and Incomes are accounted for under natural heads of account. Wherever necessary, allocation of expenditure on the functional basis has been made.

Interest on Overdue bills:

Interest on overdue bills has been provided for delayed payments as per terms of credit decided with them. The unrealized overdue interest is shown as Deferred Accrued Interest.

Finance Charge:

Finance charges levied on customers of Dyes & Chemicals are recognized as revenue on receipt basis in view of uncertainty in its ultimate collection.

Accounting of Retirement Benefits:

(a) Liability towards Gratuity is provided based on the actuarial valuation as per AS-15.

(b) Liability towards Leave Encashment is provided based on the actuarial valuation as per AS-15.

(c) Leave travel concession is allowed as per rules of the corporation and booked in accounts in the year in which it is availed by the employees.

Prior Period Adjustments:

Prior Period Adjustments are those adjustments applicable to prior periods arising from correction of fundamental errors & omissions.

Reserve for Developmental Activities:

Expenditure incurred by the Corporation on developmental activities from its own sources including expenditure incurred over and above the grant-in-aid received from Government of India are charged to Reserve for Developmental Activities directly which have been appropriated out of profits of the Corporation.

Provision of doubtful debts:

Provision for bad and doubtful debts of non-corpus sundary debtors outstanding for more than three years against which creditors of same amount is outstanding/payables are not provided for.

Provision for bad and doubtful debts of corpus sundary debtors outstanding for more than 3 years are not provided for.

Segment Accounting Policy:

Segment Accounting policies are in line with the accounting policies of the corporation. However, the following specific accounting policies have been followed for segment reporting:

Segment Revenue includes sales and other income directly identifiable with/ allocable to the segments including inter-segment revenue. The income, which relate to the corporation as a whole and not allocable to the segments is included in “Other Un-allocable Income”.

जो व्यय सीधे खण्ड के लिए निर्धारित/आवंटित किए जाने योग्य है, उन्हें खण्ड परिणाम के निर्धारण के लिए लिए विचार किया जाता है। जो व्यय पूर्णतया निगम से संबंधित है और खण्ड के लिए आवंटित किए जाने योग्य नहीं है, उनको ''अन्य गैर–आवंटन योग्य व्यय'' में सम्मिलित किया जाता है।

खण्ड परिसंपत्तियों और देनदारियों में संबंधित खण्डों के साथ सीधे तौर पर अभिज्ञेय शामिल हैं। गैर–आवंटन योग्य निगमित संपत्ति और देनदारियां उन परिसंपत्तियों और देनदारियों को प्रदर्शित करती हैं जो पूर्णतया निगम से संबंधित हैं और किसी भी खण्ड के लिए आवंटित किए जाने योग्य नहीं हैं।

आय पर कर:

चालू अवधि के लिए आय कर का निर्धारण, आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार और मूल्यांकनों/अपीलों के संभावित परिणामों के आधार पर परिकलित कर–योग्य आय और जमा कर के आधार पर किया जाता है।

किसी वर्ष में भुगतान किया गया न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) को वर्तमान कर के रूप में लाभ और हानि विवरण पर प्रभारित किया जाता है। कंपनी केवल इस हद तक एक परिसंपत्ति के रूप में उपलब्ध मैट क्रेडिट को मान्यता देती है कि इस बात के ठोस सबूत हैं कि कंपनी निर्दिष्ट अवधि के दौरान सामान्य आयकर का भुगतान करेगी, यह वह अवधि है जिसके लिए मैट क्रेडिट को आगे ले जाने की अनुमति दी जाती है।

लेखाकरण आय और कर योग्य आय के समयान्तराल हेतु आस्थगित कर का निर्धारण उस वर्ष की कर–दरों और कर–कानूनों का उपयोग करके रखा जाता है जो तुलन–पत्र (बैलेंस शीट) की तिथि पर अधिनियमित है यार प्रभावित रूप से अधिनियमित की गई हो। समयान्तराल के द्वारा उत्पन्न परिसंपत्ति पर आस्थगित कर को इस हद तक मान्यता दी जाती है कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी।

अनुमानों का उपयोग:

वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए आंकलन और अनुमानों की आवश्यकता होती है, जो वित्तीय वक्तव्य की तारीख को परिसंपत्तियों और देनदारियों की कथित राशि और रिपोर्टिंग अवधि के दौरान राजस्व और व्यय की कथित राशि को प्रभावित करते हैं। वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच अंतर को उस अवधि में मान्यता दी गई है जिसमें परिणाम ज्ञात/भौतिककृत होते हैं।

प्रावधान और आकस्मिक व्यय:

एक प्रावधान को तब मान्यता दी जाती है जब पिछले प्रसंग के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व होता है और यह संभव है कि किसी संसाधन के बहिर्वाह की आवश्यकता उस दायित्व को निपटाने के लिए होगी जिसके संबंध में एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है । इनकी प्रत्येक तुलन–पत्र की तारीख पर समीक्षा की जाती है और मौजूदा अनुमानों को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित किया जाता है। आकस्मिक देनदारियों का खुलासा इनमें शामिल तथ्य और कानूनी पहलुओं के मूल्यांकन के बाद किया जाता है।

निदेशक मंडल की ओर से

ह/–.
जितेंद्र वी. पुरोहित
उप महाप्रबंधक
(वित्त एवं लेखा/सी.एफ.ओ)

ह/–.
रीता प्रेम हेमराजानी
प्रबन्ध निदेशक
डीआईएन – 0009478824

ह/–
अमृत राज
अध्यक्ष
डीआईएन सं. 03149839

समसंख्यक तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते वेद एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 15.09.2023

ह/–
भागीदार : पूजा गोयल
स. नं. 098551
एफ.आर.नं. 012019N
यूडीआईएन: 23098551BGZKJR1639
दिनांक: 28.09.2023

Expenses that are directly identifiable with/ allocable to the segments are considered for determining the segments result. The expenses, which relate to the corporation as a whole and not allocable to the segments are included under "Other Un-allocable Expenditure".

Segment assets and liabilities include those directly identifiable with the respective segments. Un-allocable corporate assets and liabilities represent the assets and liabilities that relate to the corporation as a whole and not allocable to any segment.

Taxes on Income:

Tax income for the current period is determined on the basis of taxable income and tax credits computed in accordance with the provisions of Income Tax Act 1961 and based on the expected outcome of assessments/ appeals.

Minimum Alternate Tax (MAT) paid in a year is charged to the Statement of Profit and Loss as current tax. The Company recognizes MAT credit available as an asset only to the extent that there is convincing evidence that the company will pay normal income tax during the specified period, i.e. the period for which MAT credit is allowed to be carried forward.

Deferred tax for timing difference between the book profits and taxable income for the year is accounted using tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted at the Balance Sheet date. Deferred tax asset arising from the timing difference is recognized to the extent there is reasonable certainty that sufficient future taxable income will be available.

Use of estimates:

The preparation of financial statements requires estimates and assumptions to be made that affect the reported amount of assets and liabilities on the date of the financial statements and the reported amount of revenues and expenses during the reporting period. Difference between the actual results and estimates are recognized in the period in which the results are known/ materialized.

Provision and Contingencies

A provision is recognized when there is a present obligation as a result of past event and it is probable that an outflow of a resource will be required to settle the obligation, in respect of which a reliable estimate can be made. These are reviewed at each Balance Sheet date and adjusted to reflect the current estimates. Contingent liabilities are disclosed after an evaluation of the fact and legal aspects of the matter involved.

On behalf of Board of Directors

Sd/- Jitendra V Purohit DGM(F&A)/CFO	Sd/- Rita Prem Hemrajani Managing Director DIN No. – 0009478824	Sd/- Amrit Raj Chairman DIN No. - 03149839

As per our Report of even date
For Ved and Company
Chartered Accountants

Place: New Delhi
Date: 15.09.2023

Sd/-
Partner : Pooja Goel
M.No. : 098551
F.R.No. : 012019N
UDIN: 23098551BGZKJR1639
Date : 28.09.2023

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड
31 मार्च 2023 के अनुसार बैलेंस शीट

(रुपये लाख में)

	विवरण	नोट सं.	31.03.2023 के अनुसार	31.03.2022 के अनुसार
	1	2	3	4
I.	**इक्विटी और देयताएं**			
1	**शेयरधारक की निधियां**			
क)	शेयर पूंजी	1	1,900.00	1,900.00
ख)	रिजर्व और अधिशेष	2	6,262.72	5,776.16
2	**गैर–चालू देयताएं**			
क)	अन्य दीर्घकालिक देनदारियां समग्र (कॉर्पस)	4	13,042.71	9,163.84
3	**चालू देनदारियां**			
क)	व्यापार देनदारियां	5	34,170.38	36,072.97
ख)	अन्य चालू देनदारियां	6	6,051.31	5,726.58
ग)	अल्पकालिक प्रावधान	7	1,889.72	1,770.92
	कुल		63,316.84	60,410.47
II.	**परिसंपत्तियां**			
क)	**गैर चालू संपत्तियां**			
i)	मूर्त परिसंपत्तियां	8	1,114.08	1,140.59
ii)	अमूर्त संपत्तियां	9	17.06	23.39
ख)	आस्थगित कर आस्तियां (निवल)	3	322.44	345.79
ग)	लंबी अवधि के ऋण और अग्रिम	10	-	-
घ)	अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां (कॉर्पस)	11	11,383.61	7,504.74
ड़)	अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां (गैर–कॉर्पस)	12	3.08	3.08
2	**वर्तमान संपत्ति**			
क)	माल सूची	13	258.04	223.10
ख)	व्यापार प्राप्य	14	29,027.65	31,814.36
ग)	नकद और नकदी के समतुल्य	15	12,067.63	13,755.99
घ)	अल्पावधि ऋण और अग्रिम	16	8,680.69	4,907.47
ड़)	अन्य मौजूदा परिसंपत्तियां	17	442.56	691.96
	कुल		63,316.84	60,410.47

नोट 1 से 35 और वर्तमान समीक्षावधि के अंत में तुलन–पत्र के साथ संलग्न महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि, इक्विटी में परिवर्तन और नकदी प्रवाह का विवरण लेखओं का एक अभिन्न अंग है।

निदेशक मंडल की ओर से

ह/–.
जितेंद्र वी. पुरोहित
उप महाप्रबंधक
(वित्त एवं लेखा/सी.एफ.ओ)

ह/–.
रीता प्रेम हेमराजानी
प्रबन्ध निदेशक
डीआईएन – 0009478824

ह/–
अमृत राज
अध्यक्ष
डीआईएन सं. 03149839

समसंख्यक तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते वेद एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 15.09.2023

ह/–
भागीदार : पूजा गोयल
स. नं. 098551
एफ.आर.नं. 012019N
यूडीआईएनः 23098551BGZKJR1639
दिनांकः 28.09.2023

NATIONAL HANDLOOM DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED
BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH 2023

(Rs. In Lakhs)

	PARTICULARS	NOTE NO.	As on 31-03-2023	As on 31-03-2022
	1	2	3	4
I.	**EQUITY AND LIABILITIES**			
1	**Shareholder's funds**			
a)	Share Capital	1	1,900.00	1,900.00
b)	Reserves and Surplus	2	6,262.72	5,776.16
2	**Non- current liabilities**			
a)	Other long term liabilities (Corpus)	4	13,042.71	9,163.84
3	**Current liabilities**			
a)	Trade payables	5	34,170.38	36,072.97
b)	Other current liabilities	6	6,051.31	5,726.58
c)	Short term provisions	7	1,889.72	1,770.92
	TOTAL		63,316.84	60,410.47
II.	**ASSETS**			
1	**Non current assets**			
a)	Property, Plant & Equipment and Intangible assets			
i)	Property, Plant and Equipment	8	1,114.08	1,140.59
ii)	Intangible assets	9	17.06	23.39
b)	Deferred tax Assets (Net)	3	322.44	345.79
c)	Long term loans and advances	10	-	-
d)	Other non current assets(Corpus)	11	11,383.61	7,504.74
e)	Other non current assets(Non Corpus)	12	3.08	3.08
2	**Current assets**			
a)	Inventories	13	258.04	223.10
b)	Trade receivable	14	29,027.65	31,814.36
c)	Cash and cash equivalents	15	12,067.63	13,755.99
d)	Short term loans and advances	16	8,680.69	4,907.47
e)	Other current assets	17	442.56	691.96
	TOTAL		63,316.84	60,410.47

Note 1 to 35 and significant Accounting Policies annexed to Balance sheet as at the end of current reporting period and Statement of Profit and Loss, Change in Equity and Cash Flow for the year ended on that date form an integral part of Accounts.

On behalf of Board of Directors

Sd/-
Jitendra V Purohit
DGM(F&A)/CFO

Sd/-
Rita Prem Hemrajani
Managing Director
DIN No. – 0009478824

Sd/-
Amrit Raj
Chairman
DIN No. - 03149839

As per our Report of even date
For Ved and Company
Chartered Accountants

Place: New Delhi
Date: 15.09.2023

Sd/-
Partner : Pooja Goel
M.No. : 098551
F.R.No. : 012019N
UDIN: 23098551BGZKJR1639
Date : 28.09.2023

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड
31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण

(रुपये लाख में)

	विवरण	नोट सं.	वित्त वर्ष 2022–23 (01.04.2022 से 31.03.2023) के लिए	वित्त वर्ष 2021–22 (01.04.2021 से 31.03.2022) के लिए
I. (क)	कार्य संचालनों से प्राप्त राजस्व	18	1,16,948.44	79,856.28
(ख)	यार्न आपूर्ति योजना/कच्ची सामग्रीआपूर्ति योजना के अंतर्गत व्यय की प्रतिपूर्ति के निमित्त सहायता अनुदान	18	4,220.42	2,819.55
II.	अन्य आय	19	1,021.84	682.33
III.	**कुल राजस्व (I+II)**		**1,22,190.70**	**83,358.16**
IV.	व्यय:			
	व्यापार में स्टॉक की खरीद	20	1,16,730.37	79,618.94
	परिवहन/डिपो प्रभारों की प्रतिपूर्ति	21	1,994.62	1,578.24
	व्यापार में सूची/स्टॉक में परिवर्तन	22	(34.94)	(45.85)
	कर्मचारी लाभ संबंधी व्यय	23	1,983.35	1,730.14
	वित्तीय लागत	24	-	0.12
	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	8 & 9	51.06	76.78
	अन्य व्यय	25	815.15	661.32
	कुल व्यय		**1,21,539.60**	**83,619.69**
V.	आपवादिक और असाधारण वस्तुओं और कर से पहले लाभ (III–IV)		651.10	(261.53)
VI.	आपवादिक मदें	26	0.50	2.09
VII	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व्यय	27	-	-
VIII.	असाधारण मदों और कर से पहले लाभ (V–VI–VII)		650.60	(263.63)
IX	असाधारण मदें			
X	कर पूर्व लाभ (VIII– IX)		650.60	(263.63)
XI	कर व्यय:			
1	वर्तमान कर (प्रावधान)	28	105.76	-
2	आस्थगित कर	3	23.35	(107.08)
XII.	निरंतर संचालन से अवधि के दौरान लाभ (हानि) (X–XI)		521.49	(156.54)
XIII.	परिचालन बंद करने से लाभ/हानि		-	-
XIV.	परिचालन बंद करने का कर व्यय		-	-
XV.	परिचालन बंद करने से लाभ/(हानि) (कर पश्चात) (XIII–XIV)		-	-
XVI.	उक्त अवधि के लिए लाभ (हानि) (XII + XV)		521.49	(156.54)
XVII.	(i) प्रति इक्विटी शेयर आय (असाधारण मदों से पूर्व)			
(1)	मूलभूत		27.45	(8.24)
(2)	मिश्रित		27.45	(8.24)
(ii)	प्रति इक्विटी शेयर आय (असाधारण मदों के पश्चात)			
(1)	मूलभूत		27.45	(8.24)
(2)	मिश्रित		27.45	(8.24)

नोट 1 से 35 और वर्तमान समीक्षावधि के अंत में बैलेंस शीट के साथ संलग्न महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि, इक्विटी में परिवर्तन और नकदी प्रवाह का विवरण लेखाओं का एक अभिन्न अंग है।

निदेशक मंडल की ओर से

ह/–.
जितेंद्र वी. पुरोहित
उप महाप्रबंधक
(वित्त एवं लेखा/सी.एफ.ओ)

ह/–.
रीता प्रेम हेमराजानी
प्रबन्ध निदेशक
डीआईएन – 0009478824

ह/–
अमृत राज
अध्यक्ष
डीआईएन सं. 03149839

समसंख्यक तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते वेद एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 15.09.2023

ह/–
भागीदार : पूजा गोयल
स. नं. 098551
एफ.आर.नं. 012019N
यूडीआईएन: 23098551BGZKJR1639
दिनांक: 28.09.2023

NATIONAL HANDLOOM DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED
STATEMENT OF PROFIT AND LOSS FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2023

(Rs. In Lakhs)

	PARTICULARS	NOTE NO.	For FY 2022-23 (01-04-2022 to 31-03-2023)	For FY 2021-22 (01-04-2021 to 31-03-2022)
I. (a)	Revenue from operations	18	1,16,948.44	79,856.28
(b)	Grant in-aid against reimbursement of expenditure under Yarn Supply Scheme/Raw Materail Supply Scheme	18	4,220.42	2,819.55
II.	Other Income	19	1,021.84	682.33
III.	**Total Income (I+II)**		**1,22,190.70**	**83,358.16**
IV.	Expenses:			
	Purchases of stock in trade	20	1,16,730.37	79,618.94
	Reimbursement of Transportation/depot charges	21	1,994.62	1,578.24
	Changes in inventories/stock in trade	22	(34.94)	(45.85)
	Employee benefits expenses	23	1,983.35	1,730.14
	Finance costs	24	-	0.12
	Depreciation and amortization expenses	8 & 9	51.06	76.78
	Other expenses	25	815.15	661.32
	Total Expenses		**1,21,539.60**	**83,619.69**
V.	Profit before exceptional and extraordinary items and tax (III-IV)		651.10	(261.53)
VI.	Exceptional items	26	0.50	2.09
VII	Corporate social responsibility (CSR) Expenses	27	-	-
VIII.	Profit before extraordinary items and tax (V-VI-VII)		650.60	(263.63)
IX	Extraordinary Items			
X	Profit before tax (VIII- IX)		650.60	(263.63)
XI	Tax expense:			
1	Current Tax (Provision)	28	105.76	-
2	Deferred Tax -Current Year	3	23.35	(107.08)
XII.	Profit (Loss) for the period from continuing operations (X-XI)		521.49	(156.54)
XIII.	Profit/loss from discontinuing operations		-	-
XIV.	Tax expenses of discontinuing operations		-	-
XV.	Profit/(loss) from discontinuing operations (after tax) (XIII-XIV)		-	-
XVI.	Profit(Loss) for the period (XII + XV)		521.49	(156.54)
XVII.	(i) Earnings per equity share (Before extra ordinary items)			
(1)	Basic		27.45	(8.24)
(2)	Diluted		27.45	(8.24)
(ii)	Earnings per equity share (After extra ordinary items)			
(1)	Basic		27.45	(8.24)
(2)	Diluted		27.45	(8.24)

Note 1 to 35 and significant Accounting Policies annexed to Balance sheet as at the end of current reporting period and Statement of Profit and Loss, Change in Equity and Cash Flow for the year ended on that date form an integral part of Accounts.

On behalf of Board of Directors

Sd/-
Jitendra V Purohit
DGM(F&A)/CFO

Sd/-
Rita Prem Hemrajani
Managing Director
DIN No. – 0009478824

Sd/-
Amrit Raj
Chairman
DIN No. - 03149839

As per our Report of even date
For Ved and Company, Chartered Accountants

Place: New Delhi
Date: 15.09.2023

Sd/-
Partner : Pooja Goel
M.No. : 098551
F.R.No. : 012019N
UDIN: 23098551BGZKJR1639
Date : 28.09.2023

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड
31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण'

(राशि रु. में)

	विवरण	2022-23	2021-22
(क)	**प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह**		
	कर पूर्व लाभ	650.60	(263.63)
	समायोजन :		
i	मूल्यह्रास	51.06	76.78
ii	विकासात्मक गतिविधियों पर व्यय/संबंधित निधि पर प्रभारित चिकित्सा कोष	(34.94)	(26.05)
iii	वर्ष के दौरान वापस लिखा गया प्रावधान	(157.42)	(0.00)
iv	बैंक/वाहन ऋण/अन्य से ब्याज	(717.90)	(637.71)
v	संपत्ति की बिक्री से लाभ	-	(0.80)
	कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पहले परिचालन लाभ	(208.60)	(851.41)
	कार्यशील पूंजी में परिवर्तन		
	(नकद और बैंक शेष को छोड़कर)		
	वृद्धि/कमीः		
i	मालसूची	(34.94)	(45.85)
ii	बुक–ऋण	2,786.71	(1,681.31)
iii	ऋण एवं अग्रिम	278.69	(728.85)
iv	प्राप्य	(3,630.79)	(351.70)
v	व्यापार एवं अन्य देयता	(1,459.06)	3,403.03
	प्रचालनों से प्राप्त नकद	(2,267.98)	(256.09)
	घटाएं : प्रदत्त आय कर'	(120.07)	(10.32)
	परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह (क)	(2,388.04)	(266.42)
(ख)	**निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह**		
i	अचल संपत्तियों की बिक्री	-	1.38
ii	अचल संपत्तियों/डब्ल्यूआईपी में वृद्धि	(18.23)	(7.46)
iii	बैंक/वाहन ऋण/अन्य से ब्याज	717.90	637.71
	निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह (ख)	699.68	631.63
(ग)	**वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह**		
i	लाभांश का भुगतान	-	-
	वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह (ग)	-	-
(घ)	**नकद और नकद समतुल्य में शुद्ध परिवर्तन (क+ख+ग)**	**(1,688.36)**	**365.21**
(ड.)	**नकद और नकद समकक्ष–प्रारंभिक शेष राशि**	**13,755.99**	**13,390.77**
(च)	**कुल**	**12,067.63**	**13,755.99**
(छ)	**नकद और नकद समतुल्य– अंतिम शेष**	**12,067.63**	**13,755.99**
	नकद और नकद समकक्ष प्रदर्शित करते हैं:		
1	रोकड़ शेष	-	-
2	चालू और सावधि जमा खाते में बैंकों में शेष राशि	12,067.63	13,755.99
	कुल	**12,067.63**	**13,755.99**

टिप्पणीः 1. आईसीएआई द्वारा जारी एएस–3 में निर्धारित अप्रत्यक्ष पद्धति के तहत नकद प्रवाह विवरण तैयार किया गया है।
2. पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहां कहीं लागू हो पुनर्वर्गीकृत/पुनः वर्गीकृत किया गया है।

निदेशक मंडल की ओर से

ह/–.
जितेंद्र वी. पुरोहित
उप महाप्रबंधक
(वित्त एवं लेखा/सी.एफ.ओ)

ह/–.
रीता प्रेम हेमराजानी
प्रबन्ध निदेशक
डीआईएन – 0009478824

ह/–
अमृत राज
अध्यक्ष
डीआईएन सं. 03149839

समसंख्यक तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते वेद एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 15.09.2023

ह/–
भागीदार : पूजा गोयल
स. नं. 098551
एफ.आर.नं. 012019N
यूडीआईएनः 23098551BGZKJR1639
दिनांकः 28.09.2023

NATIONAL HANDLOOM DEVELOPMENT CORPORATION LTD
CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2023

(Rs. in Lakh)

	PARTICULARS	2022-23	2021-22
(A)	**CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES**		
	Profit before tax	650.60	(263.63)
	Adjustments :		
i	Depreciation	51.06	76.78
ii	Expenditure on developmental activities/medical corpus charged to relevant fund	(34.94)	(26.05)
iii	Provision written back during the year	(157.42)	(0.00)
iv	Interest from bank/ vehicle loan/ others	(717.90)	(637.71)
v	Profit on Sale of Assets	-	(0.80)
	OPERATING PROFIT BEFORE WORKING CAPITAL CHANGES	(208.60)	(851.41)
	CHANGES IN WORKING CAPITAL		
	(Excluding Cash & Bank Balances)		
	Increase/Decrease in:		
i	Inventories	(34.94)	(45.85)
ii	Book-debts	2,786.71	(1,681.31)
iii	Loans & Advances	278.69	(728.85)
iv	Receivables	(3,630.79)	(351.70)
v	Trade & other Payables	(1,459.06)	3,403.03
	Cash Generated from Operations	(2,267.98)	(256.09)
	Less : Income Tax paid	(120.07)	(10.32)
	NET CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES (A)	(2,388.04)	(266.42)
(B)	**CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES**		
i	Sale of Fixed Assets	-	1.38
ii	Addition to Fixed Assets/W.I.P	(18.23)	(7.46)
iii	Interest from bank/ vehicle loan/ others	717.90	637.71
	NET CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES (B)	699.68	631.63
(C)	**CASH FLOW FROM FINANCIAL ACTIVITIES**		
i	Payment of Dividend	-	-
	NET CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES (C)	-	-
(D)	**NET CHANGES IN CASH AND CASH EQUIVALENT (A+B+C)**	**(1,688.36)**	**365.21**
(E)	**CASH AND CASH EQUIVALENT- OPENING BALANCE**	**13,755.99**	**13,390.77**
(F)	**TOTAL**	**12,067.63**	**13,755.99**
(G)	**CASH AND CASH EQUIVALENT- CLOSING BALANCE**	**12,067.63**	**13,755.99**
	Cash & Cash Equivalent represent :		
1	Cash in Hand	-	-
2	Balance with Banks in Current & Fixed deposit Account	12,067.63	13,755.99
	Total	**12,067.63**	**13,755.99**

Notes : 1 Cash flow statement has been prepared under the indirect method as set out in the AS-3, issued by the ICAI.
2 Previous year's figures have been regrouped/ re-classified wherever applicable.

On behalf of Board of Directors

Sd/- Jitendra V Purohit DGM(F&A)/CFO	Sd/- Rita Prem Hemrajani Managing Director DIN No. – 0009478824	Sd/- Amrit Raj Chairman DIN No. - 03149839

As per our Report of even date
For Ved and Company, Chartered Accountants

Place: New Delhi
Date: 15.09.2023

Sd/-
Partner : Pooja Goel
M.No. : 098551
F.R.No. : 012019N
UDIN: 23098551BGZKJR1639
Date : 28.09.2023

लेखाओं पर टिप्पणी

1 शेयर पूंजी

विवरण		31.03.2022 के अनुसार (लाख रु. में)		31.03.2023 के अनुसार (लाख रु. में)
प्राधिकृत				
20,00,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 20,00,000 इक्विटी शेयर) प्रत्येक 100/-रु.		2,000.00		2,000.00
निर्गमित, अभिदत्त एवं प्रदत्त				
प्रत्येक 100/- रुपये के 18,98,465 इक्विटी शेयर को वि. आ.,हथकरघा का कार्यालय के माध्यम से भारत सरकार द्वारा धारित नकद में पूरी तरह से भुगतान किया गया (पिछले वर्ष: 'प्रत्येक100/- रुपये के 18,98,465 के इक्विटी शेयर)	1,898.46		1,898.46	
प्रत्येक 100/- रुपये के 1,535 इक्विटी शेयर पूरी तरह से भुगतान के बिना नकद में प्राप्त किया जा रहा है (कंपनी के निगमन व्यय के बदले डीसीएच कार्यालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति को आवंटित शेयर (पिछले वर्ष 1,535 इक्विटी शेयर 100/- रुपये के प्रत्येक)	1.54	1,900.00	1.54	1,900.00
कुल		**1,900.00**		**1,900.00**

इक्विटी परिवर्तन के विवरण में इक्विटी संबंधी नोट

विवरण	राशि लाख रूपए में
31 मार्च, 2021 की समाप्ति पर शेष	1,900.00
पूर्व की अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-
31 मार्च, 2022 की समाप्ति पर शेष	1,900.00
पूर्व की अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-
31 मार्च, 2023 की समाप्ति पर शेष	1,900.00

प्रोमोटर्स की शेयरधारिता

वर्ष की समाप्ति पर प्रोमोटर्स की शेयरधारिता				वर्ष के दौरान परिवर्तन %
क्र.सं.	प्रोमोटर का नाम	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का%	
1	भारत की केंद्र सरकार	19,00,000	100%	-

NOTES ON ACCOUNTS

1 SHARE CAPITAL

Particulars		As on 31-03-2023 (Rs.in Lakhs)		As on 31-03-2022 (Rs.in Lakhs)
Authorized				
20,00,000 Equity shares (Previous year 20,00,000 Equity shares) of Rs. 100/- each		2,000.00		2,000.00
Issued, Subscribed & Paid-up				
18,98,465 Equity shares of Rs. 100/- each fully paid in cash held by Government of India through DCH office (Previous year: '18,98,465 Equity shares of Rs. 100/- each)	1,898.46		1,898.46	
1,535 Equity shares of Rs. 100/- each fully paid up without payment being received in cash (Shares allotted to The President of India through DCH Office against company's incorporation expenses (Previous year 1,535 equity shares of Rs. 100/- each)	1.54	1,900.00	1.54	1,900.00
TOTAL		**1,900.00**		**1,900.00**

Note on Equity in Statement of Changes in Equity

Particulars	Amount (Rs.in Lakhs)
Balance at the end of March 31, 2021	1,900.00
Changes in equity share capital due to prior period errors	-
Changes in equity share capital during the year	-
Balance at the end of March 31, 2022	1,900.00
Changes in equity share capital due to prior period errors	-
Changes in equity share capital during the year	-
Balance at the end of March 31, 2023	1,900.00

Shareholding of Promoters

Shares held by promoters at the end of the year				% Change during the year
S. No	**Promoter name**	**No. of Shares**	**%of total shares**	
1	Central Government of India	19,00,000	100%	-

2 रिजर्व एवं अधिशेष

(रुपये लाख में)

	विवरण	31.03.2023 के अनुसार (रु.)	31.03.2022 के अनुसार (रु.)
(क)	**रिजर्व**		
(I)	पिछली तुलन–पत्र के अनुसार विकासात्मक कार्यों के लिए रिजर्व	24.62	24.62
	जोड़ें : राशि लाभ एवं हानि के विवरण से अंतरित की गई	-	-
	घटाएं: वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
	कुल(i)	**24.62**	**24.62**
(II)	**सेवानिवृत्ति के बाद अंतरित की गयी चिकित्सा निधि**	30.16	56.21
	जोड़ें : लाभ और हानि के विवरण से हस्तांतरित राशि	50.01	-
	जोड़ें : वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज	-	2.47
	घटाए: वर्ष के दौरान उपयोग	34.94	28.52
	कुल(ii)	**45.23**	**30.16**
	कुल(i+ii)	**69.84**	**54.78**
(ख)	**अधिशेष**		
	पिछली तुलन–पत्र के अनुसार	5,721.38	5,877.93
	जोड़ें: लाभ और हानि के विवरण से हस्तांतरित राशि – वर्तमान वर्ष का लाभ	521.49	-156.54
	घटाएं:–		
	लाभांश	-	-
	लाभांश पर नैगमिक कर	-	-
	विकासात्मक गतिविधियों के लिए आरक्षित निधि में अंतरित राशि	-	-
	सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा कोष में स्थानांतरित राशि	50.01	-
	अधिशेष (ख)	**6,192.87**	**5,721.38**
	कुल (क+ख)	**6,262.72**	**5,776.16**

बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए कर पश्चात लाभ के 30% की दर से 156.45 लाख रुपये के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है। यह भुगतान वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) में शेयरधारक की अनुमोदन के अधीन है।

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान 'पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल कॉर्पस' में 50.00 लाख रुपये (पिछले वर्ष शून्य रुपये) की राशि का योगदान दिया गया है। बोर्ड के निर्देशानुसार, उक्त चिकित्सा कोष का उपयोग 'सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा योजना' के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों को चिकित्सा लाभ हेतु अनुमति दी जाती है।

3. आस्थगित कर देयता (निवल)

वर्तमान समीक्षावधि के अंत में निवल आस्थगित कर देयता का विवरण निम्नानुसार है:

(रुपये लाख में)

आस्थगित कर देयता और आस्थगित कर देयता के घटक	31–03–2023 के अनुसार	
	आस्थगित कर परिसंपत्तियां	आस्थगित कर देयता
विलंबित कर की देनदारियां		
खाता बही के अनुसार मूल्यह्रास योग्य संपत्ति और कर मूल्यह्रास के अनुसार बट्टे खाते डाले गए मूल्य के बीच अंतर		21.05
अन्य आस्थगित कर देयता समय में अंतर उत्पन्न कर रही है		59.87
आस्थगित कर आस्तियां		
आयकर दर प्रावधान के आधार पर संदिग्ध ऋणों और अग्रिमों आदि के लिए प्रावधान	199.03	
अवकाश वेतन का प्रावधान	121.80	
मृत कर्मचारी योजना के लिए प्रावधान	0.93	
अदत सांविधिक देयताएं लाभ और हानि खातों मे जमा	50.07	
समय संबंधी अंतर के लिए अन्य आस्थगित कर परिसंपत्ति–(वीआरएस)	31.54	
कुल	**403.35**	**80.91**

2 RESERVES & SURPLUS

(Rs. in Lakhs)

	Particulars	As on 31-03-2023	As on 31-03-2022
(A)	**RESERVES:**		
(I)	Reserve for developmental Activities as per last Balance sheet	24.62	24.62
	Add : Amount transferred from Statement of Profit & Loss	-	-
	Less : Utilization during the year	-	-
	Total(i)	**24.62**	**24.62**
(II)	Post Retirement Medical Corpus As per last Balance sheet	30.16	56.21
	Add : Amount transferred from Statement of Profit & Loss	50.01	-
	Add : Interest Earned during the year	-	2.47
	Less: Utilization during the year	34.94	28.52
	Total(ii)	**45.23**	**30.16**
	Total(i+ii)	**69.84**	**54.78**
(B)	**SURPLUS**		
	As per last Balance sheet	5,721.38	5,877.93
	Add: Amount transferred from Statement of Profit & Loss-Current year profit	521.49	-156.54
	Less:-		
	Dividend	-	-
	Corporate Tax on Dividend	-	-
	Amount transferred to reserve for developmental activity	-	-
	Transferred to post retirement medical corpus	50.01	-
	SURPLUS(B)	**6,192.87**	**5,721.38**
	TOTAL (A+B)	**6,262.72**	**5,776.16**

The Board has recommended a final dividend of Rs. 156.45 lakhs @ 30% of profit after tax for the financial year 2022-23.This payment is subject to the approval of shareholder in the Annual General meeting (AGM).

An amount of Rs. 50.00 Lakhs (Previous year Rs. NIL) has been contributed to the "post retirement medical corpus" during FY 2022-23. The medical benefit under "post retirement medical scheme" is allowed to the superannuated employees by utilising the said medical corpus, as per direction of board.

3. DEFERRED TAX ASSETS (Net)

The break up of net deferred tax assets as at the end of current reporting period is as under:

(Rs. in Lakhs)

Components of Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liability	As on 31-03-2023	
	Deferred Tax Assets	Deferred Tax Liability
Deferred Tax Liabilities		
Difference between book value of depreciable assets as per books of accounts and written down value as per tax depreciation		21.05
Other deferred tax liability giving rise to timing difference		59.87
Deferred Tax Assets		
Provision for doubtful debts and advances etc. based on Income Tax Rate of Provision	199.03	
Provision for leave salary	121.80	
Provision for Deceased Employee Scheme	0.93	
Unpaid statutory Liability debited to Profit & Loss Accounts	50.07	
Other deferred tax asset giving rise to timing difference- (VRS)	31.54	
Total	**403.35**	**80.91**

(रुपये लाख में)

आस्थगित कर देयता और आस्थगित कर देयता के घटक	31–03–2023 के अनुसार	
	आस्थगित कर परिसंपत्तियां	आस्थगित कर देयता
वर्तमान समीक्षावधि के अंत में निवल आस्थगित कर देयता/(परिसंपत्ति)		-322.44
पिछली समीक्षावधि के अंत में निवल आस्थगित कर देयता/(परिसंपत्ति)		-345.79
वर्तमान समीक्षावधि के दौरान लाभ और हानि के विवरण पर प्रभारित निवल देयता/(परिसंपत्ति)		23.35
पिछले वर्ष का समायोजन		
पिछले वर्ष के समायोजन के समायोजन के पश्चात वर्तमान समीक्षाधीन अवधि के दौरान लाभ एवं हानि के विवरण हेतु प्रभारित निवल देयताएं		23.35
पिछले वर्ष के समायोजन के समायोजन के पश्चात वर्तमान समीक्षाधीन अवधि की समाप्ति पर निवल आस्थगित कर देयताएं/(परिसंपत्ति)		-322.44

लाभ और हानि खाते पर 23.35 लाख रुपये की शुद्ध देनदारी (संपत्ति) लगाई गई।

4 गैर मौजूदा देयताएं–अन्य गैर मौजूदा देयताएं

I) गैर मौजूदा देयता (कॉर्पस)

(रुपये लाख में)

	विवरण	31.03.2023 के अनुसार		31.03.2022 के अनुसार	
(क)	संग्रह निधि (विपणन परिसर)				
	क)भारत सरकार से आज तक प्राप्ति	825.81		825.81	
	ख) घटाएं:समायोजित/आज तक सरकार को लौटाई गई राशि	481.59		481.59	
	ग) सरकार को लाटाए जाने योग्य मूल धन (क–ख)	344.22		344.22	
	घ) आज तक के समायोजन सहित एजेंसियों से वसूल की गई राशि	988.92		982.85	
	ड़) घटाएं: एजेंसियों की ओर से परिसरों के लिए जगह/अन्य खर्च आदि के अधिग्रहण के लिए भुगतान की गई राशि	967.60		967.60	
	च) एजेंसियों को लौटाए जाने योग्य (घ–ड़)	21.32		15.25	
	छ) शेष राशि (ए–बीडी–ई) या (सीएफ)		365.54		359.47
	ज) आज तक के विविध व्यय को घटाकर अर्जित ब्याज की राशि		1,991.01		1,851.13
	कुल (छ+ज)		**2,356.55**		**2,210.60**

i) उपयोगकर्ता एजेंसियों की ओर से मुंबई, इंदौर, जयपुर और नई दिल्ली में मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स की एकमुश्त खरीद के लिए कुल 825.81 लाख रुपये (पिछले वर्ष 825.81 लाख रुपये) की राशि भारत की सरकार द्वारा प्रदान की गई थी। शुरू में उन्हें संग्रह राशि (मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स) खाते में जमा करने के बाद, फंड का उपयोग मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स की खरीद के लिए किया गया है। उपयोगकर्ता एजेंसियों से प्राप्त 988.92 लाख रुपये (पिछले वर्ष 982.85) की राशि को संग्रह राशि में जमा कर दिया गया है और मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स की स्थापना पर खर्च किए गए 967.60 लाख रुपये (पिछले वर्ष 967.60 लाख रुपये) को संग्रह राशि में चार्ज किया गया है।

वर्ष 2022–23 के दौरान, विविध को समायोजित करने के बाद, अव्ययित कॉर्पस फंड से सृजित सावधि जमा पर अर्जित ब्याज 139.88 लाख रुपये (पिछले वर्ष 109.27 लाख रुपये) की राशि का व्यय, यदि कोई हो, को कॉर्पस फंड (विपणन परिसर) में जमा किया गया है। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2017–18 और 2018–19 के लिए मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स कॉर्पस में जमा नहीं किए गए ब्याज के संबंध में सुधारात्मक कार्रवाई बोर्ड के अनुमोदन के बाद की जाएगी।

(Rs. in Lakhs)

Components of Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liability	As on 31-03-2023	
	Deferred Tax Assets	Deferred Tax Liability
Net Deferred Tax Liability/ (Asset) as at the end of current reporting period		**-322.44**
Net Deferred Tax Liability/ (Asset) as at the end of previous reporting period		**-345.79**
Net Liability / (Asset) charged to Statement of Profit and Loss during the current reporting period		**23.35**
Previous years adjustment		
Net Liability / (Asset) charged to Statement of Profit and Loss during the current reporting period after adjustment of previous years adjustment		**23.35**
Net Deferred Tax Liability/ (Asset) as at the end of current reporting period after adjustment of previous years adjustment		**-322.44**

Net Liability(Assets) of Rs. 23.35 Lakhs charged to Profit and Loss account.

4 NON CURRENT LIABILITIES – OTHER LONG TERM LIABILITIES

I) Other Long Term Liability (Corpus)

(Rs. in Lakhs)

	Particulars	As on 31-03-2023		As on 31-03-2022	
(A)	**Corpus Fund (Marketing Complex)**				
	a) Receipt from Govt. of India upto date	825.81		825.81	
	b) Less: Amount adjusted/ refunded to Govt. upto date	481.59		481.59	
	c) Principle amount refundable to Govt. (a-b)	344.22		344.22	
	d) Amount realized from agencies including adjustments upto date	988.92		982.85	
	e) Less: Amount paid for acquisition of space/ other expenses etc. for complexes on behalf of agencies upto date	967.60		967.60	
	f) Refundable to agencies (d-e)	21.32		15.25	
	g) Balance (a-b+d-e) or (c+f)		365.54		359.47
	h) Amount of Interest earned less miscellaneous expenditure upto date		1,991.01		1,851.13
	Total (g+h)		**2,356.55**		**2,210.60**

i) Total Funds amounting to Rs. 825.81 Lakhs (Previous Year Rs. 825.81 Lakhs) for outright purchases of Marketing Complexes at Mumbai, Indore, Jaipur, and New Delhi on behalf of user agencies were provided by the Govt. of India. After initially crediting them to Corpus Fund (Marketing Complex) Account, the funds have been utilized for purchase of Marketing Complexes. The amount of Rs 988.92 Lakhs (Previous Year Rs 982.85 Lakhs) received from user agencies has been credited to the corpus fund and expenditure incurred on setting up of marketing complexes amounting to Rs 967.60 Lakhs (Previous Year Rs 967.60 Lakhs) has been charged to the corpus fund.

During the year 2022-23, interest earned on fixed deposits created from unspent corpus fund, after adjusting the Misc. expenditure if any, amounting to Rs 139.88 Lakhs (Previous Year Rs. 109.27 Lakhs) has been credited to the Corpus Funds (Marketing Complex). Further, corrective action with respect to interest not credited to Marketing Complex Corpus for the financial year 2017-18 and 2018-19 shall be taken after approval of the Board.

	विवरण	31.03.2023 के अनुसार (लाख रु. में)	31.03.2022 के अनुसार (लाख रु. में)
(ख)	**कार्पस निधि (मेगा कलस्टर)**		
	क) आज तक भारत सरकार से प्राप्ति	950.00	950.00
	ख) अर्जित ब्याज की राशि	241.16	170.27
	ग) घटाएं : आय के लिए हस्तांतरण	-	-
	कुल	**1,191.16**	**1,120.27**

I) सरकार के निर्देशों के अनुसार, भारत सरकार द्वारा जारी कुल 950.00 लाख की राशि(पिछले वर्ष 950.00 लाख रुपये) का उपयोग मेगा क्लस्टर में हथकरघा बुनकरों को यार्न आपूर्ति की व्यवस्था के लिए वाराणसी, शिवसागर, गोड्डा, मुर्शिदाबाद और प्रकाशम मेगा क्लस्टर में हथकरघा बुनकरों को यार्न की आपूर्ति के लिए किया गया है। वर्ष 2022–23 के दौरान 70.89 लाख (पिछले वर्ष– 59.90 लाखरुपये) का ब्याज कॉर्पस फंड (मेगा क्लस्टर) में जमा किया गया है। इसके अलावा, मेगा क्लस्टर कॉर्पस में जमा नहीं किए गए ब्याज के संबंध में सुधारात्मक कार्रवाई बोर्ड के अनुमोदन के बाद की जाएगी।

	विवरण	31.03.2023 के अनुसार (लाख रु. में)		31.03.2022 के अनुसार (लाख रु. में)	
(ग)	**संग्रह निधि (व्यापार सुविधा केंद्र)**				
	क) आज तक भारत सरकार से प्राप्ति	26,869.17		26,869.17	
	ख) आज तक किए गए समायोजन/प्रस्तुत की गई यूसी की राशि और अन्य खर्चे	441.56		441.56	
	ग) अनुदान खाते में अंतरित राशि	72.36		72.36	
	घ) कुल (क–ख+ग)		26,499.97		26,499.97
	ड़) घटाएंः आजतक परियोजना प्रबंधन एजेंसी को हस्तांतरित राशि (एनबीसीसी)		26,031.08		26,031.08
	च) घटाएं : आज तक की आर्किटेक्ट शुल्क (सिक्का)		371.95		371.95
	शेष (घ–ड़–च)		**96.94**		**96.94**

i) किए गए समायोजन/प्रस्तुत की गई यूसी की राशि और अन्य व्यय रु. 369.20 लाख (पिछले वर्ष रु. 369.20 लाख) रु.उपयोगिता प्रमाणपत्र 72.36 लाख रूपए अनुदान खाते में अंतरित कर दिया गया है,

	विवरण	31.03.2023 के अनुसार (लाख रु. में)		31.03.2022 के अनुसार (लाख रु. में)	
घ)	**हथकरघा पार्क पोचमपल्ली**				
	क) केंद्र/राज्य से प्राप्ति	2,900.00		2,900.00	
	ख) वर्ष के दौरान प्राप्ति	-		-	
	ग) अर्जित ब्याज की राशि/व्यय घटाएं	915.84		747.63	
	घ) भुगतान की गई ब्याज की राशि	670.38		661.26	
	ड़) कुल (क+ख+ग–घ)		3,145.46		2,986.37
	च) घटाएंः पोचमपल्ली को हस्तांतरित राशि (अग्रिम भुगतान)		100.00		100.00
	छ) घटाएंः कच्चे माल के लिए हस्तांतरित राशि		100.00		100.00
	शेष राशि (ड़–च–छ)		**2,945.46**		**2,786.37**

	Particulars	As on 31-03-2023 (Rs. in Lakhs)	As on 31-03-2022 (Rs. in Lakhs)
(B)	**Corpus Fund (Mega Cluster)**		
	a) Receipt from Govt. of India upto date	950.00	950.00
	b) Amount of interest earned	241.16	170.27
	c) Less : transfer to income	-	-
	Total	**1,191.16**	**1,120.27**

I) As per Government directives, the total fund released by Govt. of India amounting to Rs. 950.00 Lakhs (Previous Year Rs. 950.00 Lakhs) for supply of yarn to the handloom weavers in Varanasi, Sivsagar, Godda, Murshidabad and Prakasham Mega cluster have been utilized for arranging the yarn supply to handloom weavers in Mega Cluster. During the year 2022-23 interest of Rs 70.89 Lakhs (Previous Year- Rs. 59.90 Lakhs) has been credited to the Corpus Funds (Mega Cluster). Further, corrective action with respect to interest not credited to Mega Cluster Corpus shall be taken after approval of the Board

	Particulars	As on 31-03-2023 (Rs. in Lakhs)		As on 31-03-2022 (Rs. in Lakhs)	
(C)	**Corpus Fund (Trade Facilitation Centre)**				
	a) Receipt from Govt. of India upto date	26,869.17		26,869.17	
	b) Amount of Adjusment/UC Submitted & Other expenses up to date	441.56		441.56	
	c) Amount transferred to Grant account	72.36		72.36	
	d) Total (a-b+c)		26,499.97		26,499.97
	e) Less: Amount transferred to Project Management Agency upto date(NBCC)		26,031.08		26,031.08
	f) Less : Architect fee upto date (SIKKA)		371.95		371.95
	Balance (d-e-f)		**96.94**		**96.94**

i) Amount of Adjusment/UC Submitted & Other expenses Rs 369.20 Lakhs (Previous Year Rs.369.20 Lakhs) Utilisation certificate for Rs.72.36 Lakhs has been transferred to grant account,

	Particulars	As on 31-03-2023 (Rs. in Lakhs)		As on 31-03-2022 (Rs. in Lakhs)	
(D)	**Pochampally for Handloom Park**				
	a) Receipt from Central / State	2,900.00		2,900.00	
	b) Receipt during the year	-		-	
	c) Amount of Interest earned/ Less Expenses	915.84		747.63	
	d) Amount of Interest paid	670.38		661.26	
	e) Total (a+b+c-d)		3,145.46		2,986.37
	f) Less: Amount transferred to Pochampally (Advance paid)		100.00		100.00
	g) Less: Amount transferred for Raw Metrial		100.00		100.00
	Balance (e-f-g)		**2,945.46**		**2,786.37**

(रुपये लाख में)

	विवरण	31.03.2023 के अनुसार	31.03.2022 के अनुसार
(ङ)	**संग्रह निधि (हथकरघा संवर्धन सहायता योजना)**		
	क) आज तक भारत सरकार से प्राप्ति	1,206.72	1,206.72
	ख) आज तक नोडल एजेंसियों से प्राप्ति	1,803.45	1,801.34
	ग) अर्जित ब्याज की राशि	472.15	431.42
	घ) घटाएं : जारी की गई राशि	2,860.48	2,813.79
	कुल	**621.84**	**625.69**

(रुपये लाख में)

	विवरण	31.03.2023 के अनुसार	31.03.2022 के अनुसार
(च)	**समर्थ–वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना**		
	क्) आज तक भारत सरकार से प्राप्ति	3,659.64	3,649.94
	ख) घटाएं : जारी की गई राशि	3,454.92	2,985.07
	कुल	**204.72**	**664.87**
(छ)	**निधि संग्रह (क्लस्टर विकास)**	1,659.10	1,659.10
(ज)	**केंद्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए)**	3,966.94	-
	कुल योग (क+ख+ग+घ+ड़+च+छ+ज)	**13,042.71**	**9,163.84**

5 वर्तमान देयताएं – व्यापारिक देनदारियां

(रुपये लाख में)

विवरण	31.03.2023 के अनुसार	31.03.2022 के अनुसार
विविध ऋणदाता	31,743.24	33,747.33
ग्राहकों/अन्य से अग्रिम	2,427.14	2,325.64
कुल	**34,170.38**	**36,072.97**

i) 'शेष राशि की पुष्टि एक सतत प्रक्रिया है। वर्तमान समीक्षावधि के अंत में वर्ष के अंत में शेष राशि सभी लेनदारों और अन्य पार्टियों को पुष्टि के लिए भेज दी गई है, हालांकि, पुष्टि निम्नानुसार प्राप्त हुई है:

विवरण	कुल		31–03–2023 के अनुसार प्राप्त पुष्टि		31–03–2022 के अनुसार शेष राशि की पृष्टि का %	
	एजेंसियों की संख्या	बकाया राशि (रु.)	एजेंसियों की संख्या	बकाया राशि (रु.)	एजेंसियों की संख्या (%)	बकाया राशि (रु.) (%)
देनदार	378	31,743.24	126.00	2,440.29	33.33%	7.69%
ग्राहक/अन्य से अग्रिम	2,424	2,427.14	712.00	677.52	29.37%	27.91%

i) ऊपर दिखाए गए पुष्टि किए गए शेष में वे शामिल नहीं हैं, जहां कोई विवाद है, लेकिन केवल वे शेष राशि जहां अंतर/समाधान के कारण प्रविष्टियां दोनों पक्षों को स्वीकार्य हैं। पुष्टि के लिए लंबित शेष राशि की समीक्षा की जाएगी और नियत समय में इसका समाधान किया जाएगा और इन मामलों में समायोजन, यदि कोई हो, का समाधान होते ही किया जाएगा।

ii) 31743.34 लाख रुपये के लिए देय व्यापार (पिछले वर्ष रु. 33747.33 लाख) में लखनऊ शाखा कार्यालय से संबंधित रु. 25405.91 लाख (पिछले वर्ष रु. 25405.91 लाख) शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, उपरोक्त मामले की फोरेंसिक ऑडिटर और सतर्कता विभाग द्वारा जांच की जा रही थी। फोरेंसिक ऑडिटर और सतर्कता जांच की रिपोर्ट हाल ही में प्राप्त हुई है और बोर्ड के निर्देशों के अनुसार इसे इस संबंध में आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए सीबीआई को भेजा गया है। बोर्ड के निदेशक के अनुसार, सोसायटी/उपभोक्ता एजेंसियों और आपूर्तिकर्ताओं से बकाया राशि का पता लगाने के लिए, 1.4.2017 से आगे लेनदेन ऑडिट शुरू किया गया है, संकलन होने पर, यह रिपोर्ट बोर्ड को प्रस्तुत की जाएगी।

(Rs. in Lakhs)

	Particulars	As on 31-03-2023	As on 31-03-2022
(E)	**Corpus Fund (Hathkargha Samverdhan Sahayata Yojana)**		
	a) Receipt from Govt. of India upto date	1,206.72	1,206.72
	b) Receipt from Nodal agencies upto date	1,803.45	1,801.34
	c) Amount of interest earned	472.15	431.42
	d) Less : Amount Released	2,860.48	2,813.79
	Total	**621.84**	**625.69**

(Rs. in Lakhs)

	Particulars	As on 31-03-2023	As on 31-03-2022
(F)	**Samarth - Scheme Capacity Building in Textiles Sector**		
	a) Receipt from Govt. of India upto date	3,659.64	3,649.94
	b) Less : Amount Released	3,454.92	2,985.07
	Total	**204.72**	**664.87**
(G)	**Corpus fund (Cluster development)**	1,659.10	1,659.10
(H)	**Central Nodel Agency (CNA)**	3,966.94	-
	GRAND TOTAL (A+B+C+D+E+F+G+H)	**13,042.71**	**9,163.84**

5 CURRENT LIABILITIES – TRADE PAYABLES

(Rs. in Lakhs)

Particulars	As on 31-03-2023	As on 31-03-2022
Sundry creditors	31,743.24	33,747.33
Advance from customers/ others	2,427.14	2,325.64
Total	**34,170.38**	**36,072.97**

i) The balance confirmation is a continuous process. The year end balances as at the end of current reporting period has been sent to all the creditors and other parties for confirmation, however, confirmation has been received as follows:-

Particulars	Total		Confirmation received as on 31-03-2023		% of Confirmation of balances as on 31-03-2022	
	No. of agencies	Amount outstanding	No. of agencies	Amount outstanding	No. of agencies	Amount outstanding
		(Rs.)		(Rs.)	(%)	(%)
Creditors	378	31,743.24	126.00	2,440.29	33.33%	7.69%
Advance from customers/ others.	2,424	2,427.14	712.00	677.52	29.37%	27.91%

i) The confirmed balances shown above do not include those, where there is any dispute, but only those balances where the entries on account of difference/ reconciliation are acceptable to both the parties. The balances which are pending for confirmation will be reviewed and reconciled in due course and the adjustment, if any, required in these cases will be made as soon as reconciled.

ii) Trade Payable for Rs. 31,743.34 Lakhs (Previous year Rs 33,747.33 Lakhs) include a sum of Rs 25,405.91 Lakhs (Previous year - Rs.25,405.91 Lakhs) relating to Lucknow branch office. During FY 2020-21, the aforementioned matter was under investigation by Forensic Auditor & Vigilance department. Reports of the Forensic Auditor and Vigilance probe have been received and the same have been sent to CBI for further necessary action in this regard is as per directions of the Board. As per the director of the Board, to ascertain amount outstanding from the societies/user agencies and the suppliers, transaction audit from 1st April 2017 onwards has been initiated, on compliation, the report same will be presented to the Board.

iii) विविध लेनदारों में 1208.07 लाख रुपये की राशि (पिछले वर्ष 157.45 लाख रूपए) लघु उद्योगों को देय राशि शामिल है। राशि वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत में 30 दिनों से अधिक के लिए बकाया है। उपरोक्तानुसार लेनदारों के लघु उद्योग होने के कारण राशि उनके साथ की गई व्यवस्था पर आधारित है, जिसमें संबंधित देनदारों से भुगतान की वसूली के बाद उन्हें भुगतान रिलीज किया जाएगा।

iv) उपरोक्त के अलावा, कोई सूक्ष्म और लघु उद्यम नहीं हैं, जिन पर कंपनी का बकाया है जो वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत में 45 दिनों से अधिक के लिए बकाया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत इस जानकारी का खुलासा करना आवश्यक होता है और निगम के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर इस तरह की पार्टियों की पहचान की गई है। लेखा परीक्षकों द्वारा इस पर भरोसा किया गया है।

31.03.2023 के अनुसार **लाख रु. में**

विवरण	भुगतान की नियत तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया				कुल
	एक वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
एमएसएमई	3,287.65	94.15	11.29	19.59	3,412.68
अन्य	2,435.27	27.96	4.86	456.55	2,924.65
विवादित देय – एमएसएमई	-	-	-	-	-
विवादित देय – अन्य	-	-	-	25,405.91	25,405.91

31.03.2022 के अनुसार **लाख रु. में**

विवरण	भुगतान की नियत तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया				कुल
	एक वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
एमएसएमई	2,230.27	3.61	0.10	4.43	2,238.41
अन्य	4,774.75	21.70	5.54	1,301.01	6,103.01
विवादित देय – एमएसएमई	-	-	-	-	-
विवादित देय – अन्य	-	-	-	25,405.91	25,405.91

6 वर्तमान देयताएं – अन्य वर्तमान देयताएं

विवरण	31.03.2023 के अनुसार (लाख रु. में)	31.03.2022 के अनुसार (लाख रु. में)
जमा – अन्य	100.00	100.00
सुरक्षा जमा	20.14	12.14
सरकार अनुदान/भागीदारी राशि	725.18	991.85
प्रतिधारण धन	3.42	3.42
अग्रिम धन	31.70	30.30
सब्सिडी, परिवहन और डिपो को देय	4,103.24	3,940.30
सांविधिक देयताएं	89.49	124.30
अन्य देयताएं	978.14	524.27
कुल	**6,051.31**	**5,726.58**

विवरण	31–03–2023 तक शेष राशि	वर्ष के दौरान/हस्तांतरण	शेष
सरकारी अनुदान/भागीदारी राशि	991.85	266.67	725.18

iii) Sundry Creditors includes a sum of Rs. 1208.07 Lakhs (Previous year Rs. 157.45 Lakhs) payable to Small Scale Industries, outstanding for more than 30 days as at the end of current reporting period. The amount due to creditors being small scale industries as above is based on the arrangement with them, wherein, the payment will be released to them after realization of the payment from the corresponding debtors.

iv) Besides above, there are no micro and small enterprises, to whom the company owes dues which are outstanding for more than 45 days as at the end of current reporting period. This information is required to be disclosed under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 and has been determined to the extent such parties had been identified on the basis of information available with the corporation. This has been relied upon by the auditors.

As on 31.03.2023 **Rs. In Lakhs**

Particulars	Outstanding for following periods from due date of payment				Total
	Less than 1 year	1 to 2 years	2 to 3 years	More than 3 years	
MSME	3,287.65	94.15	11.29	19.59	3,412.68
Others	2,435.27	27.96	4.86	456.55	2,924.65
Disputed dues – MSME	-	-	-	-	-
Disputed dues – Others	-	-	-	25,405.91	25,405.91

As on 31.03.2022 **Rs. In Lakhs**

Particulars	Outstanding for following periods from due date of payment				Total
	Less than 1 year	1 to 2 years	2 to 3 years	More than 3 years	
MSME	2,230.27	3.61	0.10	4.43	2,238.41
Others	4,774.75	21.70	5.54	1,301.01	6,103.01
Disputed dues – MSME	-	-	-	-	-
Disputed dues – Others	-	-	-	25,405.91	25,405.91

6 CURRENT LIABILITIES – OTHER CURRENT LIABILITIES

Particulars	As on 31-03-2023 (Rs. In Lakhs)	As on 31-03-2022 (Rs. In Lakhs)
Deposits - Others	100.00	100.00
Security deposits	20.14	12.14
Govt. grants/participation money	725.18	991.85
Retention money	3.42	3.42
Earnest money	31.70	30.30
Subsidy, Transportation and depot payable	4,103.24	3,940.30
Statutory Liabilites	89.49	124.30
Other Liabilities	978.14	524.27
Total	**6,051.31**	**5,726.58**

Particulars	Balance as on 31-03-2023	Adjusment/Transfer during the year	Balance
Govt. grants/participation money	991.85	266.67	725.18

7 वर्तमान देयताएं – अल्पकालिक प्रावधान

(राशि लाख में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार शेष	वर्ष के दौरान वृद्धि	कुल	भुगतान/ उपयोग/ शुल्क लिया गया	वर्ष के दौरान रिर्टन बैक/ समायोजन	31.03.2023 को शेष राशि
आय कर	-	105.76	105.76	-	-	105.77
उपार्जित अवकाश	473.92	96.64	570.57	83.59		486.98
उपदान देयता के लिए प्रावधान	-	-	-		-	-
अनुग्रह राशि का प्रावधान	150.00	149.98	299.98	-	150.00	149.98
प्रस्तावित लाभांश	-	-	-	-	-	-
प्रस्तावित लाभांश पर कॉर्पोरेट कर	-	-	-	-	-	-
वेतन बकाया का प्रावधान (वेतन संशोधन)	1,147.00		1,147.00	-	-	1,147.00
	1,770.92	**352.38**	**2,123.30**	**83.59**	**150.00**	**1,889.72**

वित्त वर्ष 2022–23 के लिए मूल वेतऩडीए (पिछले वर्ष शून्य) के 15% की दर से 149.98 लाख रुपये की अनुग्रह राशि का प्रावधान किया गया है और बोर्ड के निर्देशानुसार वित्त वर्ष 2018–19 में घाटे के कारण 150.00 लाख रुपये की अनुग्रह राशि के प्रावधान को वापस लिया गया है।

i) परिभाषित लाभ योजना

शोधित एएस–15 के अनुसार अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके बीमांकिक मूल्यांकन द्वारा निर्धारित दायित्व के वर्तमान मूल्य के आधार पर अवकाश नकदीकरण और ग्रेच्युटी के दायित्व को मान्यता दी जाती है।

लीव इनकैशमेंट और ग्रेच्युटी के संबंध में परिभाषित लाभ दायित्व के उद्घाटन और समापन शेष का मिलान निम्नानुसार है:

(राशि लाख रु. में)

विवरण	अवकाश नकदीकरण	
	31–03–2023 के अनुसार	31–03–2022 के अनुसार
बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार वर्ष की शुरुआत में परिभाषित लाभ दायित्व	473.92	435.38
जोड़ें: अन्य पीएसयू से नए ज्वाइनी आदि से प्राप्त राशि।		-
जोड़ें: मौजूदा वर्ष के खर्चों के लिए चार्ज करके प्रदान की गई राशि	96.64	79.92
घटाएं: वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाला गया अतिरिक्त प्रावधान	-	-
घटाएं: भुगतान किए गए लाभ/नकदीकरण किए गए अवकाश	83.59	41.38
वर्ष के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व	486.98	473.92

(राशि लाख रु. में)

विवरण	उपदान	
	31–03–2023 के अनुसार	31–03–2022 के अनुसार
एलआईसी के साथ वर्ष की शुरुआत में परिभाषित लाभ दायित्व	860.96	812.28
जोड़ें: योजना संपत्ति पर वास्तविक रिटर्न	52.48	54.11
जोड़ें: वर्ष के दौरान एलआईसी को भुगतान किया गया योगदान।	55.82	37.03
घटाए: एलआईसी द्वारा भुगतान किए गए लाभ/दावे का निपटान	128.82	42.46
एलआईसी के साथ वर्ष के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व।	840.44	860.96
अतिरिक्त: ग्रेच्युटी फंड में योगदान के खिलाफ आगे का प्रावधान।	-	-
जोड़े: ग्रेच्युटी फंड में योगदान के खिलाफ आगे का प्रावधान।	-	-
घटाए: ग्रेच्युटी फंड में योगदान के खिलाफ अतिरिक्त प्रावधान वापस लिखा गया	-	-
घटाए: भविष्य के समायोजन के लिए एलआईसी के पास पड़े ग्रेच्युटी ट्रस्ट के पास जमा	840.44	860.96

7 CURRENT LIABILITIES – SHORT TERM PROVISIONS

(Rs. In Lakhs)

Particulars	Balance as on 31-03-2022	Addition during the year	Total	Payment/ utilization/ charged off	Written back / Adjusment during the year	Balance as on 31-03-2023
Income tax	-	105.76	105.76	-	-	105.77
Accrued leave	473.92	96.64	570.57	83.59		486.98
Provision for gratuity liability	-	-	-		-	-
Provision for ex-gratia	150.00	149.98	299.98	-	150.00	149.98
Dividend	-	-	-	-	-	-
Corporate tax on dividend	-	-	-	-	-	-
Provision for Salary Arrears (pay revision)	1,147.00		1,147.00	-	-	1,147.00
	1,770.92	**352.38**	**2,123.30**	**83.59**	**150.00**	**1,889.72**

The Ex-gratia amounting to Rs. 149.98 Lakhs @ 15% of Basic +DA (Pervious year NIL) has been provided for FY 2022-23 and due to losses in FY 2018-19 the Ex- gratia amouting to Rs. 150.00 Lakhs has been written back as per direction of the Board

i) Defined Benefit Plan

The obligation for leave encashment and gratuity is recognized based on the present value of obligation determined by actuarial valuation using the Projected Unit Credit Method as per revised AS-15.

The reconciliation of opening and closing balances of defined benefit obligation in respect of leave encashment and gratuity is as below:-

(Rs. In Lakhs)

Particulars	LEAVE ENCASHMENT	
	As on 31.03.2023	As on 31.03.2022
Defined benefit obligation at the beginning of the year as per actuarial valuation	473.92	435.38
Add: Amount received from new joinee etc. from other PSU.		-
Add: Amount provided by charging to current year's expenses	96.64	79.92
Less: Excess Provision written back during the year	-	-
Less : Benefit paid/ leaves en-cashed	83.59	41.38
Defined benefit obligation at year end	486.98	473.92

(Rs. In Lakhs)

Particulars	GRATUITY	
	As on 31.03.2023	As on 31.03.2022
Defined benefit obligation at the beginning of the year with LIC	860.96	812.28
Add : Actual Return on Plan Asset	52.48	54.11
Add : Contribution paid to LIC during the year.	55.82	37.03
Less : Benefit paid/ claim settled by LIC	128.82	42.46
Defined benefit obligation at year end with LIC.	840.44	860.96
Add : Further provision made against contribution towards Gratuity fund.	-	-
Less : Deposit with Gtaruuity Trust lying with LIC for future adjustment.	-	-
Less : Excess provision made against contribution towards Gratuity fund written back	-	-
Defined benefit obligation at year end after provision.	840.44	860.96

8 गैर मौजूदा परिसंपत्तियां–वास्तविक परिसंपत्तियां

(राशि लाख रु. में)

विवरण	मौजूदा समीक्षा अवधि के लिए											पिछली रिपोर्टिंग अवधि के लिए
	भूमि	भवन	फर्नीचर एवं फिक्सर	कार्यालय एवं विद्युत उपकरण	विद्युत उपकरण और स्थापना	कार्यालय उपकरण	प्रयोगशाला उपकरण	वाहन	कम्प्यूटर		कुल	
									कम्प्यूटर एवं डाटा प्रोसेसिंग यूनिट	सर्वर एवं नेटवर्क		
सकल ब्लॉक												
वर्ष की शुरुआत के अनुसार	759.09	356.01	135.17	-	226.61	96.46	4.21	43.75	112.05	24.53	1,757.88	1,752.29
वर्ष के दौरान वृद्धि	-	-	1.06	-	1.51	3.15	0.13	-	10.54	-	16.40	7.46
वर्ष के दौरान स्थानांतरण/बिक्री/समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	(7.74)	-	-	(7.74)	(3.53)
वर्ष के दौरान स्थानांतरण	-	-	-	-	-	-	-	7.74	-	-	7.74	1.66
वर्ष के अंत तक	759.09	356.01	136.22	-	228.12	99.61	4.34	43.75	122.60	24.53	1,774.27	1,757.88
अवमूल्यन												
वर्ष की शुरुआत के अनुसार	-	123.51	95.91	-	148.16	87.28	3.82	35.67	99.13	23.80	617.29	576.16
वर्ष के दौरान स्थानांतरण/बिक्री/समायोजन	-	-	-	-	-	(1.57)	-	(7.23)	-	-	(8.80)	-
वर्ष के दौरान स्थानांतरण	-	1.57	-	-	-	-	-	7.23	-	-	8.80	(1.31)
वर्ष के दौरान मूल्यह्रास (आरक्षित और अधिशेष में स्थानांतरण)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान मूल्यह्रास (लाभ और हानि खाते में स्थानांतरण)	-	5.27	9.43	-	17.86	4.24	0.24	1.76	4.12	(0.00)	42.90	42.43
वर्ष के अंत तक	-	130.35	105.34	-	166.01	89.95	4.06	37.43	103.25	23.80	660.19	617.28
निवल ब्लॉक												
वर्ष की शुरुआत के अनुसार	**759.09**	**232.50**	**39.26**	**-**	**78.45**	**9.18**	**0.39**	**8.08**	**12.92**	**0.73**	**1,140.59**	**1,176.12**
वर्ष के अंत तक	**759.09**	**225.66**	**30.88**	**-**	**62.11**	**9.66**	**0.29**	**6.33**	**19.34**	**0.73**	**1,114.08**	**1,140.59**

(i) अचल संपत्तियों में कार्यालय भवन, संपत्ति की लंबित हस्तांतरण औपचारिकता और उपयुक्त अधिकारियों के साथ पंजीकरण, मुंबई में 33.58 लाख रुपये (पिछले वर्ष 33.58 लाख रुपये) की राशि शामिल है, जिसके लिए कब्जा ले लिया गया है, लेकिन जब खर्च किया जाएगा तो इसके लिए पंजीकरण शुल्क लिया जाएगा।

(ii) किसी परिसंपत्ति को तब खराब हुआ माना जाता है जब परिसंपत्ति की वहन लागत उसके वसूली योग्य मूल्य से अधिक हो जाती है। उस परिसंपत्ति की खराब संबंधी हानि को उस वर्ष में लाभ और हानि के विवरण में दर्शाया जाता है जिसमें परिसंपत्ति को खराब हुआ के रूप में पहचाना जाता है। वर्ष के अंत में निगम के बही खातों में प्रदर्शित होने वाली संपत्ति का मूल्य वह है जिस पर वे उसमें दिखाई दे रहे हैं और हानि, यदि कोई हो, को बैलेंस शीट में दिखाया गया है।

(iii) भूमि और भवन की सभी अचल संपत्ति जो फ्रीहोल्ड है, को कम्पनी के नाम पर तुलन–पत्र की तारीख में रखा जाता है।

8 NON CURRENT ASSETS- TANGIBLE ASSETS

(Rs. In Lakhs)

Items	For the current reporting period											For the previous reporting period
	Land	Building	Furniture & Fixture	Office And Electrical Equipments	Electrical Equipment And Installation	Office Equipment	Laboratory Equipmetnts	Vehicle	COMPUTERS		TOTAL	
									Computer & Data processing Units	Servers & Networks		
GROSS BLOCK												
As at beginning of the year	759.09	356.01	135.17	-	226.61	96.46	4.21	43.75	112.05	24.53	1,757.88	1,752.29
Addition during the year	-	-	1.06	-	1.51	3.15	0.13	-	10.54	-	16.40	7.46
Transfer/ Sale/ Adjustments during the year	-	-	-	-	-	-	-	(7.74)	-	-	(7.74)	(3.53)
Transfer to during the year	-	-	-	-	-	-	-	7.74	-	-	7.74	1.66
As at end of the year	759.09	356.01	136.22	-	228.12	99.61	4.34	43.75	122.60	24.53	1,774.27	1,757.88
DEPRICIATION												
As at beginning of the year	-	123.51	95.91	-	148.16	87.28	3.82	35.67	99.13	23.80	617.29	576.16
Transfer/ Sale/ Adjustments during the year	-	-	-	-	-	(1.57)	-	(7.23)	-	-	(8.80)	-
Tansfer to during the year	-	1.57	-	-	-	-	-	7.23	-	-	8.80	(1.31)
Depreciation during the year (Transfer to Reserve and Surplus)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depriciation during the year (Transfer to Profit and Loss account)	-	5.27	9.43	-	17.86	4.24	0.24	1.76	4.12	(0.00)	42.90	42.43
As at end of the year	-	130.35	105.34	-	166.01	89.95	4.06	37.43	103.25	23.80	660.19	617.28
NET BLOCK												
As at beginning of the year	**759.09**	**232.50**	**39.26**	**-**	**78.45**	**9.18**	**0.39**	**8.08**	**12.92**	**0.73**	**1,140.59**	**1,176.12**
As at end of the year	**759.09**	**225.66**	**30.88**	**-**	**62.11**	**9.66**	**0.29**	**6.33**	**19.34**	**0.73**	**1,114.08**	**1,140.59**

(i) Fixed Assets include office building, pending transfer formality of the property and registration with the Appropriate Authorities, amounting to Rs.33.58 Lakhs (Previous year Rs.33.58 Lakhs) at Mumbai, for which possession has been taken but Registration charges for the same will be capitalized as and when incurred.

ii) An asset is treated as impaired when the carrying cost of asset exceeds its recoverable value. An impairment loss is charged to the statement of profit and loss in the year in which the asset is identified as impaired. The assets as appearing in the books of accounts of the corporation at year end have the value at which they are appearing therein and the impairment, if any, has been shown in to the balance sheet.

iii) The title deeds compressing all the Immovable Property of Land and Building which are free hold, are held in the name of the company as at the balance sheet date.

iv) पूंजी–कार्य–प्रगति (सीडब्ल्यूआईपी) – सीडब्ल्यूआईपी सहबद्ध कार्यसूची (रूपए लाख में)

सीडब्ल्यूआईपी	निम्नलिखित अवधि में सीडब्ल्यूआईपी में राशि				
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
प्रगति के अधीन परियोजनाएं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

9 गैर मौजूदा परिसंपत्तियां–वास्तविक परिसंपत्तियां

(रूपए लाख में)

विवरण	कम्प्यूटर साफ्टवेयर	
	मौजूदा समीक्षा अवधि के लिए	पिछली समीक्षा अवधि के लिए
समग्र ब्लॉक		
वर्ष की शुरुआत के अनुसार	247.08	247.08
वर्ष के दौरान वृद्धि	1.83	-
वर्ष के दौरान स्थानांतरण/बिक्री/समायोजन	-	-
वर्ष के दौरान स्थानांतरण	-	-
वर्ष के अंत तक	248.91	247.08
मूल्यह्रास		
वर्ष की शुरुआत के अनुसार	223.69	189.33
वर्ष के दौरान समायोजन	-	-
वर्ष के दौरान स्थानांतरण	-	-
सामान्य रिजर्व में हस्तांतरण	-	-
वर्ष के दौरान मूल्यह्रास	8.16	34.36
वर्ष के अंत तक	231.85	223.69
निवल ब्लॉक		
वर्ष की शुरुआत के अनुसार	**23.39**	**57.75**
वर्ष के अंत तक	**17.06**	**23.39**

10 गैर मौजूदा परिसंपत्तियां – लंबी अवधि के ऋण और अग्रिम

विवरण	31.03.2023 के अनुसार (लाख रु. में)	31.03.2022 के अनुसार (लाख रु. में)
कुल	-	-
कंपनी ने प्रमोटरों, निदेशकों, केएमपीएस और अन्य संबंधित पार्टियों को ऋण की प्रकृति में कोई भी ऋण और अग्रिम प्रदान नहीं किया है जो कि मांग पर या चुकौती की किसी भी शर्त या अवधि के बिना चुकाया जा सकता है।		

iv) Capital-Work-in Progress (CWIP) - CWIP aging schedule

(Rs. In Lakhs)

CWIP	Amount in CWIP for a period of				
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	Total
Projects in progress	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Projects temporarily suspended	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

9 NON CURRENT ASSETS- INTANGIBLE ASSETS

(Rs. In Lakhs)

Particulars	COMPUTER SOFTWARE	
	For the current reporting period	For the previous reporting period
GROSS BLOCK		
As at beginning of the year	247.08	247.08
Addition during the year	1.83	-
Transfer/ Sale/ Adjustments during the year	-	-
Transfer to during the year	-	-
As at end of the year	248.91	247.08
DEPRICIATION		
As at beginning of the year	223.69	189.33
Adjustment during the year	-	-
Tansfer to during the year	-	-
Transfer to general reserve	-	-
Depriciation during the year	8.16	34.36
As at end of the year	231.85	223.69
NET BLOCK		
As at beginning of the year	**23.39**	**57.75**
As at end of the year	**17.06**	**23.39**

10 NON CURRENT ASSETS - LONG TERM LOAN AND ADVANCES

Particulars	As on 31-03-2023 (Rs. In Lakhs)	As on 31-03-2022 (Rs. In Lakhs)
TOTAL	**-**	**-**
The company has not granted any loan and advances in the nature of loan to promoters, directors, KMPS and other related parties that are repayable on demand or without specified any terms or period of repayment.		

11 अन्य गैर मौजूदा परिसंपत्तियां (संग्रह)

	विवरण	31–03–2023 के अनुसार (रु. लाख में)	31–03–2022 के अनुसार (रु. लाख में)
(क)	कॉर्पस निधि का नियोजन (मार्केटिंग कॉम्पलैक्स)	2,356.55	2,210.60
(ख)	कॉर्पस का नियोजन (मेगा कलस्टर)	1,191.16	1,120.27
(ग)	कॉर्पस निधि का नियोजन (व्यापार सुविधा केंद्र)	96.94	96.94
(घ)	कॉर्पस निधि पोचमपल्ली का नियोजन	2,945.46	2,786.37
(ड़)	हथकरघा संवर्धन सहायता योजना	621.84	625.69
(च)	समर्थ – वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण की योजना	204.72	664.87
	केंद्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए)	3,966.94	-
	कुल	**11,383.61**	**7,504.74**
उपरोक्त कॉर्पस निधि का नियोजन सावधि जमा और मौजूदा खाते में है।			

12 गैर मौजूदा परिसंपत्तियां (असंग्रहित)

विवरण	31–03–2023 के अनुसार (रु. लाख में)	31–03–2022 के अनुसार (रु. लाख में)
सुरक्षा राशि	3.08	3.08
कुल	**3.08**	**3.08**

13 वर्तमान परिसंपत्तियां– सूची

विवरण	31–03–2023 के अनुसार (रु. लाख में)	31–03–2022 के अनुसार (रु. लाख में)
(प्रबंधन द्वारा मूल्यांकित और प्रमाणित)		
माल बिक्री में, लागत पर या शुद्ध प्राप्त मूल्य (अप्रचलन के लिए कम लिखा गया), जो भी कम हो से लिया गया है	258.04	223.10
दूसरी जगह ले जाया जाता सामान	-	-
कुल	**258.04**	**223.10**
कंपनी ने भौतिक रूप से उचित अंतराल पर इन्वेंट्री की पुष्टि की है और इस तरह के सत्यापन के दौरान इन्वेंट्री के प्रत्येक वर्ग के कुल योग में 10% या उससे अधिक की कोई विसंगति नहीं है।		

11 OTHER NON CURRENT ASSETS (CORPUS)

	Particulars	As on 31-03-2023 (Rs. In Lakhs)	As on 31-03-2022 (Rs. In Lakhs)
(A)	Deployment of Corpus Fund (Marketing Complexes)	2,356.55	2,210.60
(B)	Deployment of Corpus Fund (Mega Cluster)	1,191.16	1,120.27
(C)	Deployment of Corpus Fund (Trade Facilitation Centre)	96.94	96.94
(D)	Deployment of Corpus Fund Pochampally	2,945.46	2,786.37
(E)	Hathkargha Samverdhan Sahayeta Yojana	621.84	625.69
(F)	Samarth - Scheme for Capacity Building in Textiles Sector	204.72	664.87
	Centrala Nodel Agency (CNA)	3,966.94	-
	TOTAL	**11,383.61**	**7,504.74**
The above Deployment of Corpus funds are in fixed deposit and current/CNA account.			

12 NON CURRENT ASSETS – (NON CORPUS)

Particulars	As on 31-03-2023 (Rs. In Lakhs)	As on 31-03-2022 (Rs. In Lakhs)
Security Deposit	3.08	3.08
TOTAL (b)	**3.08**	**3.08**

13 CURRENT ASSETS - INVENTORIES

Particulars	As on 31-03-2023 (Rs. In Lakhs)	As on 31-03-2022 (Rs. In Lakhs)
(As taken, valued and certified by the management)		
Stock-in-trade - At cost (less written off for obsolescence) or net realizable value, whichever is less.	258.04	223.10
Goods in Transit	-	-
TOTAL	**258.04**	**223.10**
The Company has physically verified the inventories at reasonable intervals and there are no discrepancies of 10% or more in the aggregate of each class of inventories were noticed during such verification.		

14 वर्तमान परिसंपत्तियां– व्यापार प्राप्य

	विवरण	31–03–2023 के अनुसार (रु. लाख में)		31–03–2022 के अनुसार (रु. लाख में)	
	विविध देनदार (असुरक्षित)				
i)	**छह महीने से अधिक**				
	– अच्छा माना गया	25,853.46		26,469.48	
	– संदिग्ध माना गया	564.83		572.15	
		26,418.29		27,041.63	
	–घटाएंः संदिग्ध के लिए प्रावधान	-564.83	25,853.46	-572.15	26,469.48
ii)	**अन्य** (अच्छा माना गया)		3,174.19		5,344.88
	कुल		**29,027.65**		**31,814.36**

i) शेष राशि की पुष्टि एक सतत प्रक्रिया है। वर्तमान समीक्षावधि के अंत में वर्ष के अंत में शेष सभी व्यापार प्राप्तियों को पुष्टि के लिए भेज दिया गया है, हालांकि, पुष्टि निम्नानुसार प्राप्त हुई हैः –

विवरण	कुल		31–03–2023 के अनुसार प्राप्त पुष्टि		31–03–2023 के अनुसार शेष की पुष्टि का %	
	एजेंसियों की सं.	बकाया राशि (लाख रू में)	एजेंसियों की संख्या	बकाया राशि (लाख रू में)	एजेंसियों की संख्या (%)	बकाया राशि (%)
व्यापार की प्राप्ति	993.00	29,592.48	246.00	1,563.95	24.77%	5.28%

ऊपर दिखाए गए पुष्टि किए गए शेष में वे शामिल नहीं हैं, जहां कोई विवाद है, लेकिन केवल वे शेष राशि शामिल है जहां अंतर/समाधान के कारण प्रविष्टियां दोनों पक्षों को स्वीकार्य हैं। पुष्टि के लिए लंबित शेष राशि की समीक्षा की जाएगी और नियत समय में इसका समाधान किया जाएगा और इन मामलों में समायोजन, यदि कोई हो, का समाधान यथाशीघ्र ही किया जाएगा।

ii) 29,592.48 लाख रुपये के लिए व्यापार प्राप्य (पिछले वर्ष 32,386.51 लाख रुपये) में रु. 24564.75 लाख (पिछले वर्ष – 24564.75 लाख रुपये) की राशि शामिल है। जोकि वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान लखनऊ शाखा कार्यालय द्वारा की गई बिक्री से संबंधित है, उपरोक्त मामले की फोरेंसिक ऑडिटर और सतर्कता विभाग द्वारा जांच की जा रही थी। फॉरेंसिक ऑडिटर और विजिलेंस जांच की रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है और इसे इस संबंध में आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए सीबीआई को भेज दिया गया है। तदनुसार, बोर्ड के निर्देशों के अनुसार मामले को निपटारा किया जाएगा। बोर्ड के निदेश के अनुसार समिति/उपयोगकर्ता एजेंसियों और आपूर्तिकर्ताओं से बकाया राशि का पता लगाने के लिए 1.4.2017 से लेनदेन ऑडिट का संकलन शुरू किया गया है, जो बोर्ड के समक्ष रखा जायेगा।

iii) 29592.48 लाख रुपये के लिए व्यापार प्राप्य (पिछले वर्ष 32386.51लाख रुपये) में 189.77 लाख रुपये (पिछले वर्ष रु. 206.75 लाख रुपये) की राशि शामिल है, जिसके लिए निगम द्वारा उपयुक्त अदालतों में मुकदमा दायर किया गया है। इसके अलावा, व्यापार प्राप्तियों में 189.24 लाख रुपये (पिछले वर्ष 189.24 लाख रुपये) शामिल हैं, जो वस्त्र की आपूर्ति के सापेक्ष प्राप्य हैं, जिसमें निगम के पास लेनदारों को संबंधित बकाया है, जो कि वसूली के बाद ही देय है। फैब्रिक लेनदारी 210.11 लाख रुपए (पिछले वर्ष रु. 210.11 लाख रुपए) है। व्यापार प्राप्तियों में रुपये 755.20 (पिछले वर्ष रु. 1219.73 लाख) की राशि भी शामिल है जिसमें निगम द्वारा संग्रह निधि (क्लस्टर डेवलपमेंट) के रूप में प्राप्त रिवॉल्विंग एडवांस के सापेक्ष आपूर्ति की गई है।

14 CURRENT ASSETS- TRADE RECEIVABLE

	Particulars	As on 31-03-2023 (Rs. In Lakhs)		As on 31-03-2022 (Rs. In Lakhs)	
	SUNDRY DEBTORS (unsecured)				
i)	**Over six months**				
	- Considered good	25,853.46		26,469.48	
	- Considered doubtful	564.83		572.15	
		26,418.29		27,041.63	
	- Less: Provision for doubtful debts	-564.83	25,853.46	-572.15	26,469.48
ii)	**Others** (Considered good)		3,174.19		5,344.88
	TOTAL		**29,027.65**		**31,814.36**

i) The balance confirmation is a continuous process. The year end balances as at the end of current reporting period has been sent to all the Trade Receivables for confirmation, however, confirmation has been received as follows:-

Particulars	Total		Confirmation received as on 31-03-2023		% of Confirmation of balances as on 31-03-2023	
	No. of agencies	Amount outstanding (Rs. In Lakhs)	No. of agencies	Amount outstanding (Rs. In Lakhs)	No. of agencies (%)	Amount outstanding (%)
Trade Receivables	993.00	29,592.48	246.00	1,563.95	24.77%	5.28%

The confirmed balances shown above do not include those, where there is any dispute, but only those balances where the entries on account of difference/ reconciliation are acceptable to both the parties. The balances which are pending for confirmation will be reviewed and reconciled in due course and the adjustment, if any, required in these cases will be made as soon as reconciled.

ii) Trade Receivables for Rs. 29,592.48 Lakhs (Previous year Rs 32,386.51 Lakhs) include a sum of Rs 24,564.75 Lakhs (Previous year - Rs.24,564.75 Lakhs).relating to sale made by Lucknow branch office. During FY 2020-21, the aforementioned matter was under investigation by Forensic Auditor & Vigilance department. Reports of the Forensic Auditor and Vigilance probe have been received and the same have been sent to CBI for further necessary action in this regard. Accordingly, the matter will be dealt as per directions of the Board. As per the director of the Board, to ascertain amount outstanding from the societies/user agencies and the suppliers, transaction audit from 1st April 2017 onwads has been initiated, on compliation, the report same will be presented to the Board

iii) Trade Receivables for Rs. 29,592.48 Lakhs (Previous year Rs 32,386.51 Lakhs) include a sum of Rs 189.77 Lakhs (Previous year: Rs 206.75 Lakhs) for which suits have been filed by the corporation with appropriate courts. Further, Trade Receivables include Rs.189.24 Lakhs (Previous year Rs. 189.24 Lakhs) receivable against supply of fabric wherein the corporation is having corresponding dues to creditors, payable only after realization. The fabric creditors are Rs 210.11 Lakhs (Previous year Rs. 210.11 Lakhs). Trade Receivables also includes a sum of Rs. 755.20 Lakhs (Previous year Rs.1,219.73 Lakhs) wherein supplies have been made against the revolving advance received by the corporation as Corpus Fund (Cluster Development).

iv) व्यापार प्राप्य न तो कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों के लिए अलग–अलग या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से प्राप्य हैं, न ही कोई व्यापार या अन्य प्राप्य क्रमशः फर्म या निजी कंपनियों से देय हैं जिनमें कोई भी निदेशक भागीदार/निदेशक या सदस्य है।

v) दिनांक 16.06.2023 की 177वीं बोर्ड बैठक द्वारा अनुमोदित लेखांकन नीति में बदलाव के कारण वर्ष के दौरान 3 वर्षों से अधिक समय से बकाया गैर–कार्पस निधि के विरुद्ध 154.31 लाख रुपये के संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान प्रदान नहीं किया गया है। हालाँकि, दिनांक 15.09.2023 की 178वीं बोर्ड बैठक में अनुमोदित बोर्ड बैठक के माध्यम से बही खातों की में 564.83 लाख रुपये की बकाया राशि जारी रखी जा रही है।

vi) संशयात्मक व्यापार प्राप्तियों के लिए प्रावधान का विवरण नीचे दिया गया हैः –

लाख रूपए में

विवरण	**31–03–2022 के अनुसार शेष**	**वर्ष के दौरान वृद्धि**	**कुल**	**वसूल/ समायोजित राशि**	**वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाला गया**	**31–03–2023 के अनुसार शेष**
संदिग्ध व्यापार प्राप्तियों के लिए प्रावधान	572.15	-	572.15	7.32	-	564.83

31.03.2023 के अनुसार **लाख रूपए में**

विवरण	**अदेय**	**भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया**					**कुल**
		6 माह से कम	**6 माह से 1 वर्ष**	**1–2 वर्ष**	**2–3 वर्ष**	**3 वर्ष से अधिक**	
i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य – अच्छा माना जाता है		3,133.02	372.24	107.93	30.42	837.82	4,481.44
ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य – संदिग्ध माना जाता है		-	-	-	-	361.35	361.35
i) विवादित व्यापार प्राप्तियां अच्छी मानी जाती हैं		-	-	-	-	-	-
iv) विवादित व्यापार प्राप्तियां संदिग्ध मानी जाती हैं		-	-	-	-	24,749.70	24,749.70

31.03.2022 के अनुसार **लाख रूपए में**

विवरण	**अदेय**	**भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया**					**कुल**
		6 माह से कम	**6 माह से 1 वर्ष**	**1–2 वर्ष**	**2–3 वर्ष**	**3 वर्ष से अधिक**	
i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य – अच्छा माना जाता है		5,344.88	127.11	83.07	36.43	1,658.11	7,249.60
ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य – संदिग्ध माना जाता है		-	-	-	-	367.44	367.44
i) विवादित व्यापार प्राप्तियां अच्छी मानी जाती हैं		-	-	-	-	-	-
iv) विवादित व्यापार प्राप्तियां संदिग्ध मानी जाती हैं		-	-	-	-	24,726.67	24,726.67

iv) Trade receivables are neither receivable for directors or other officers of the company either severally or jointly with any other person, nor any trade or other receivable are due from firm or private companies respectively in which any director is a partner/ director or member.

v) Provision for doubtful debts of Rs. 154.31 Lakhs against the non- corpus funds outstanding for more than 3 Years have not been provided for during the year due to change in accounting policy approved vide. 177th Board meeting dtd. 16.06.2023. However, balance outstadning of Rs. 564.83 Lakhs is being continued in books of accounts vide board meeting approved in 178th board meeting dtd 15.09.2023.

vi) The details of provision for doubtful Trade Receivables is placed herein below:-

(Rs. In Lakhs)

Particulars	Balance as on 31-03-2022	Addition during the year	Total	Amount realized/ adjusted	Written off during the year	Balance as on 31-03-2023
Provision for doubtful Trade Receivables.	572.15	-	572.15	7.32	-	564.83

As on 31.03.2023 **(Rs. In Lakhs)**

Particulars	Not Due	Outstanding for following periods from due date of payment					Total
		Less than 6 months	6 months -1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
i) Undisputed Trade receivables – considered good		3,133.02	372.24	107.93	30.42	837.82	4,481.44
ii) Undisputed Trade Receivables – considered doubtful		-	-	-	-	361.35	361.35
i) Disputed Trade Receivables considered good		-	-	-	-	-	-
iv) Disputed Trade Receivables considered doubtful		-	-	-	-	24,749.70	24,749.70

As on 31.03.2022 **(Rs. In Lakhs)**

Particulars	Not Due	Outstanding for following periods from due date of payment					Total
		Less than 6 months	6 months -1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
i) Undisputed Trade receivables – considered good		5,344.88	127.11	83.07	36.43	1,658.11	7,249.60
ii) Undisputed Trade Receivables – considered doubtful		-	-	-	-	367.44	367.44
i) Disputed Trade Receivables considered good		-	-	-	-	-	-
iv) Disputed Trade Receivables considered doubtful		-	-	-	-	24,726.67	24,726.67

15 वर्तमान परिसंपत्तियां – नकद और नकद समकक्ष

विवरण	31–03–2023 के अनुसार (रु. लाख में)	31–03–2022 के अनुसार (रु. लाख में)
अनुसूचित बैंक के साथ शेष राशि	1,599.88	823.04
गैर–अनुसूचित बैंक के पास शेष राशि	0.35	0.35
एफडीआर	10,467.40	12,932.60
कुल	**12,067.63**	**13,755.99**

16 मौजूदा परिसंपत्तियां – अल्प अवधि के ऋण और अग्रिम

	विवरण	31–03–2023 के अनुसार (रु. लाख में)		31–03–2022 के अनुसार (रु. लाख में)	
(i)	**सुरक्षित ऋण (अच्छा माना गया)**				
	–वाहनों के हाइपोथेकेशन के खिलाफ कर्मचारियों को वाहन ऋण		-		0.06
(ii)	**अग्रिम (अप्रतिभूत)**				
	(नकद या वस्तु में वसूली योग्य या				
	मूल्य प्राप्त करने के लिए)				
	– आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम राशि				
	– अच्छा माना गया	2,412.50		2,417.01	
	– संदिग्ध माना गया	11.22		11.22	
		2,423.72		2,428.23	
	– घटाएं: संदिग्ध के लिए प्रावधान अग्रिम	-11.22	2,412.50	-11.22	2,417.01
(iii)	**स्टाफ को अग्रिम**				
	– अच्छा माना गया	19.56		17.08	
	– संदिग्ध माना गया	1.26		1.26	
		20.82		18.34	
	– घटाएं: संदिग्ध के लिए प्रावधान अग्रिम	-1.26	19.56	-1.26	17.08
(iv)	**अन्य को अग्रिम**				
	– अच्छा माना गया	612.60		680.88	
	– संदिग्ध माना गया	1.35		1.35	
		613.95		682.23	
	–घटाएं: संदिग्ध के लिए प्रावधान अग्रिम	-1.35	612.60	-1.35	680.88
(v)	**पूर्वदात व्यय**		18.04		4.83
(vi)	**स्रोत पर कर कटौती सहित अग्रिम आयकर**		53.42		39.11
(vii)	**जमा (असुरक्षित लेकिन अच्छा माना जाता है)**				
	– सरकारी विभागों के पास		-		-
	– परिसरों/अन्य के किराए के लिए				
	– अच्छा माना गया	94.12		69.88	
	– संदिग्ध माना गया	0.86		0.86	
		94.98		70.74	
	– घटाएं: संदिग्ध के लिए प्रावधान जमा	-0.86	94.12	-0.86	69.88

15 CURRENT ASSETS - CASH & CASH EQUIVALENTS

Particulars	As on 31-03-2023 (Rs. in Lakhs)	As on 31-03-2022 (Rs. in Lakhs)
Balances with scheduled bank	1,599.88	823.04
Balances with non- scheduled bank	0.35	0.35
FDR	10,467.40	12,932.60
TOTAL	**12,067.63**	**13,755.99**

16 CURRENT ASSETS - SHORT TERM LOANS AND ADVANCES

	Particulars	As on 31-03-2023 (Rs.in Lakhs)		As on 31-03-2022 (Rs.in Lakhs)	
(i)	Secured loans (considered good)				
	- Vehicle loan to staff against hypothecation of vehicles		-		0.06
(ii)	Advances (Unsecured)				
	(Recoverable in cash or kind or				
	for value to be received)				
	- Advance to suppliers				
	- Considered good	2,412.50		2,417.01	
	- Considered doubtful	11.22		11.22	
		2,423.72		2,428.23	
	- Less: Provision for doubtful advances	-11.22	2,412.50	-11.22	2,417.01
(iii)	Advance to staff				
	- Considered good	19.56		17.08	
	- Considered doubtful	1.26		1.26	
		20.82		18.34	
	- Less: Provision for doubtful advances	-1.26	19.56	-1.26	17.08
(iv)	Advance to others				
	- Considered good	612.60		680.88	
	- Considered doubtful	1.35		1.35	
		613.95		682.23	
	- Less: Provision for doubtful advances	-1.35	612.60	-1.35	680.88
(v)	Prepaid expenses		18.04		4.83
(vi)	Advance income tax including tax deducted at source		53.42		39.11
(vii)	DEPOSITS (Unsecured but considered good)				
	- With Government departments		-		-
	- For rent of complexes/ others				
	- Considered good	94.12		69.88	
	- Considered doubtful	0.86		0.86	
		94.98		70.74	
	- Less: Provision for doubtful deposits	-0.86	94.12	-0.86	69.88

(viii)	**प्राप्य**				
	– भारत सरकार से सहायता अनुदान के विरुद्ध		5,408.35		1,616.52
	– प्राप्य दावे		40.25		40.25
	– मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स के सापेक्ष बकाया/अन्य				
	– अच्छा माना गया	21.85		21.85	
	– संदिग्ध माना गया	16.64		16.64	
		38.50		38.50	
	– घटाएं: संदिग्ध के लिए प्रावधान प्राप्य	-16.64	21.85	-16.64	21.85
(ix)	**उपयोग कर्ता एजेंसी से प्राप्य ब्याज**				
	आस्थगित उपार्जित ब्याज				
	– अच्छा माना गया	-		-	
	– संदिग्ध माना गया	179.35		179.35	
		179.35		-179.35	
	– घटाएं: संदिग्ध के लिए प्रावधान ब्याज	-179.35	-	(179.35)	-
	कुल		**8,680.69**		**4,907.47**

i) संदिग्ध परिसंपत्तियों के प्रावधान का विवरण नीचे दिया गया है:–

(लाख रूपए में)

	विवरण	31–03–2022 के अनुसार शेष	वर्ष के दौरान वृद्धि	कुल	वसूली/समायोजित की गई राशि	वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाली गई राशि	31.03.2023 को शेष राशि
क)	आपूर्तिकर्ताओं को संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान।	11.22		11.22	-	-	11.22
ख)	कर्मचारियों को संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान।	1.26	-	1.26	-	-	1.26
ग)	अन्य को संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान।	1.35	-	1.35	-	-	1.35
घ)	संदिग्ध जमाराशियों के लिए प्रावधान।	0.86	-	0.86	-	-	0.86
ड़)	संदिग्ध प्राप्य के लिए प्रावधान।	16.64	-	16.64	-	-	16.64
च)	संदिग्ध आस्थगित उपार्जित ब्याज के लिए प्रावधान।	179.35	-	179.35	-	-	179.35
	कुल	**210.69**	**-**	**210.69**	**-**	**-**	**210.69**

i) कंपनी ने प्रोमोटरों, निदेशकों, केपीएमएस और अन्य संबंधित पक्ष को ऋण के स्वरूप में कोई ऋण या अग्रिम नहीं दिया है, जो मांग पर या पुनर्भुगतान की अवधि की शर्तों की दृष्टि से निर्दिष्ट किए बिना चुकाए जा सकते हैं ।

ii) आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम राशि 2423.72 लाख रुपये (पिछले वर्ष 2428.23लाख रुपये) में 2157.93 लाख रुपये की राशि शामिल है, जिसमें वर्ष 2017–2018 के लिए यार्न आपूर्ति योजना के तहत 10% यार्न सब्सिडी घटक शामिल है। 2157.93 लाख रुपये की 10% सब्सिडी की राशि (यानी 215.79 करोड़ रुपये का 10% मार्च, 2018 की बिक्री के लिए) एनएचडीसी को उपयोगकर्ता एजेंसियों से केवल 90% हिस्सा प्राप्त हुआ और आपूर्तिकर्ता मिलों के लिए 100% का भुगतान किया गया। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए

(viii)	RECEIVABLES				
	- From the Government of India against grant-in-aid		5,408.35		1,616.52
	- Claims receivable		40.25		40.25
	- Outstanding against marketing Complex/ others				
	- Considered good	21.85		21.85	
	- Considered doubtful	16.64		16.64	
		38.50		38.50	
	- Less: Provision for doubtful receivables	-16.64	21.85	-16.64	21.85
(ix)	Interest outstanding from user Agencies				
	Deferred accrued Interest				
	- Considered good	-		-	
	- Considered doubtful	179.35		179.35	
		179.35		-179.35	
	- Less: Provision for doubtful interest	-179.35	-	(179.35)	-
	TOTAL		**8,680.69**		**4,907.47**

i) The details of provision for doubtful assets is placed herein below:-

(Rs. In Lakhs)

Particulars	Balance as on 31-03-2022	Addition during the year	Total	Amount realized/ adjusted	Written off during the year	Balance as on 31-03-2023
a) Provision for doubtful advances to suppliers.	11.22		11.22	-	-	11.22
b) Provision for doubtful advances to staff.	1.26	-	1.26	-	-	1.26
c) Provision for doubtful advances to others.	1.35	-	1.35	-	-	1.35
d) Provision for doubtful deposits.	0.86	-	0.86	-	-	0.86
e) Provision for doubtful receivables.	16.64	-	16.64	-	-	16.64
f) Provision for doubtful deferred accrued interest.	179.35	-	179.35	-	-	179.35
Total	**210.69**	**-**	**210.69**	**-**	**-**	**210.69**

i) The company has not granted any loan or advance in the nature of loan to promotes, directors, KPMS and other related parties that are repayable on demand or without specified any terms of period of repayment.

ii) Advances to suppliers amounting to Rs. 2423.72 Lakhs (Previous year Rs.2428.23 Lakhs) including a sum of Rs 2157.93 Lakhs of 10% yarn subsidy component under Yarn Supply Scheme for the year 2017-2018. The amount of 10% subsidy of Rs.2157.93 Lakhs (i.e.10% of Rs.215.79 crore for the sales of March,2018) NHDC received only 90% share from user agencies and paid 100% to the supplier mills. Considering the fact that the Ministry of Textiles, Government of India didn't

कि वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार मार्च 2018 की सब्सिडी की उपरोक्त राशि की प्रतिपूर्ति नहीं की, निगम ने आपूर्तिकर्ताओं को जमा सब्सिडी को समायोजित किया है। वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान, उपरोक्त मामला फोरेंसिक ऑडिटर और सतर्कता विभाग द्वारा जांच के अधीन था। फोरेंसिक ऑडिटर की रिपोर्ट और सतर्कता जांच प्राप्त हुई है और इसे आगे की कार्रवाई के लिए सीबीआई को भेज दिया गया है। इसके अलावा, इस संबंध में पहले ही प्राप्त सी एंड ए जी की टिप्पणियां वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार को प्रस्तुत कर दी गई है। बोर्ड के निदेशक के अनुसार, सोसाइटियोंध्प्रयोक्ता एजेंसियों और आपूर्तिकर्ताओं से बकाया राशि का पता लगाने के लिए, लेन–देन का 1 अप्रैल 2017 से ऑडिट शुरू किया गया है, इसके पूरा होने पर बोर्ड के निर्देशों के अनुसार रिपोर्ट को प्रस्तुत बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा ।

iii) 2423.72 लाख रुपये के आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम (पिछले वर्ष 2428.23लाख रुपये) में 7.27 लाख रुपये (पिछले वर्ष 7.27 लाख रुपये) की राशि शामिल हैं, जिसके लिए उपयुक्त न्यायालयों में निगम द्वारा मुकदमा द्वारा दायर किया गया है।

iv) भारत सरकार से प्राप्तियों में सहायता अनुदान के निमित्त 2455.08 लाख रुपये शामिल हैं (पिछले वर्ष 1425.96 लाख रुपये), ये उन घटनाओं के संबंध में, जहां सरकार को दावे प्रस्तुत किए जाने हैं

(लाख रूपए में)

विवरण	31–03–2022 के अनुसार शेष	वर्ष के दौरान खर्च की गई अतिरिक्त राशि और जमा किया गया यूसी	वर्ष के दौरान समायोजन और जमा की जाने वाली शेष राशि, अनुदान शेष	भारत सरकार से वर्ष के दौरान प्राप्त राशि	31–03–2023 के अनुसार शेष
यार्न आपूर्ति सब्सिडी योजना					
10% हैंक यार्न सब्सिडी	26.77	11,512.29		9,587.46	1,951.60
वाईएसएस दावे (एमजीपीएस)	163.79	4,220.42		3,382.54	1,001.66
कार्पस सहित अन्य अनुदान	1,425.96	2,033.25	-73.51	930.62	2,455.08
कुल	**1,616.52**	**17,765.96**	**-73.51**	**13,900.62**	**5,408.35**

v) उपरोक्तानुसार, 179.35 लाख रुपये (पिछले वर्ष 179.35 लाख रुपये) के आस्थगित अर्जित ब्याज के संबंध में, निगम द्वारा उचित अदालत में मुकदमा दायर किया गया है।

17 वर्तमान परिसंपत्तियां – अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां

	विवरण	31–03–2023 के अनुसार (रु. लाख में)		31–03–2022 के अनुसार (रु. लाख में)	
क)	ब्याज अर्जित किंतु प्राप्त नहीं हुआ		397.33		661.80
ख)	सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा कॉर्पस				
	– चिकित्सा कॉर्पस के सापेक्ष एफडीआर	45.23		30.16	
	– शेड्यूल बैंक के साथ शेष चालू खाता	-	45.23	-	30.16
	कुल (क+ख)		**442.56**		**691.96**

reimburse the aforesaid amount of subsidy of March 2018, Corporation adjusted the subsidy amount by debiting to the suppliers. During PY 2020-21, the aforementioned matter was under investigation by Forensic Auditor & Vigilance department. Reports of the Forensic Auditor and Vigilance probe have been received and the same have been sent to CBI for further necessary action in this regard. Further, comments of C&AG received in this regard have already been submitted to the Ministry of Textiles, Government of India. As per the director of the Board, to ascertain amount outstanding from the societies/user agencies and the suppliers, transaction audit from 1st April 2017 onwads has been initiated, on compliation, the report same will be presented to the Board for further necessary directions in this regard.

iii) Advances to suppliers of Rs. 2,423.72 Lakhs (Previous year Rs. 2,428.23Lakhs) include a sum of Rs 7.27 Lakhs (Previous year Rs7.27 Lakhs) for which suit have been filed by the Corporation with appropriate courts.

iv) Receivable from Government of India against grant-in-aid includes Rs 2455.08 Lakhs (Previous year Rs 1425.96 Lakhs) in respect of events wherein claims are to be submitted to the Government.

(Rs. In Lakhs)

Particulars	Balance as on 31-03-2022	Addition, Amount spent during the year & UC submitted	Adjusment during the year & Balance UC to be submitted, Grant Balance	Amount received during the year from Govt. of India	Balance as on 31-03-2023
Yarn Supply Subsidy Scheme/ Raw Material Supply Scheme					
10%/15% Hank Yarn Subsidy	26.77	11,512.29		9,587.46	1,951.60
YSS CLAIMS (MGPS)	163.79	4,220.42		3,382.54	1,001.66
Other Grants Including Corpus	1,425.96	2,033.25	-73.51	930.62	2,455.08
Total	**1,616.52**	**17,765.96**	**-73.51**	**13,900.62**	**5,408.35**

v) In respect of Deferred accrued interest for Rs.179.35 Lakhs (Previous year Rs. 179.35 Lakhs) as shown above, the suit has been filed by the corporation with appropriate court.

17 CURRENT ASSETS - OTHER CURRENT ASSETS

	Particulars	Balance as on 31-03-2023 (Rs. In Lakhs)		Balance as on 31-03-2022 (Rs. In Lakhs)	
A)	Interest accrued but not received		397.33		661.80
B)	Post Retirement Medical Corpus				
	-FDR against Medical Corpus	45.23		30.16	
	-Balance with Scheduled Bank in Current Account	-	45.23	-	30.16
	TOTAL (A+B)		**442.56**		**691.96**

मदों का अंश और विभाजक सहित स्पष्ट अनुपात – पीवाई की तुलना में 25% या उससे अधिक अंतर के कारण

विवरण	अंश	विभाजक	31.03.2023 के अनुसार	31.03.2022 के अनुसार	परिवर्तन का %	परिवर्तन का कारण (अनुपात में कोई भी परिवर्तन सकारात्मक या नकारात्मक 25% से अधिक है)
(क) वर्तमान अनुपात	वर्तमान संपत्ति	वर्तमान में दायित्व	**1.20**	**1.18**	1.62%	
(ख)ऋण इक्विटी अनुपात			**NA**	**NA**		कोई उधार नहीं। लागू नहीं
(ग) कर्ज सेवा कवरेज अनुपात			**NA**	**NA**		कोई उधार नहीं। लागू नहीं
(घ) इक्विटी अनुपात पर रिटर्न	करों के बाद शुद्ध लाभ	औसत शेयरधारक की इक्विटी	**27.45%**	**-8.24%**	433.13%	परिचालन से राजस्व में 47% की वृद्धि और अन्य आय में 49% की वृद्धि के कारण, अक्टूबर 2021 से एनएचडीसी के सेवा शुल्क में भी वृद्धि हुई है। इसलिए पीवाई की तुलना में आरओई में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है
(ड़) इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात,	बेचे गए माल की कीमत	औसत इन्वेंटरी	**485.22**	**397.75**	21.99%	खरीद में 47% की वृद्धि के कारण। इसलिए पीवाई की तुलना में इन्वेंटरी टर्नओवर में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है
(च) व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात,	संचालन से राजस्व	औसत व्यापार प्राप्य	**3.84**	**2.58**	49.11%	परिचालन से राजस्व में 47% की वृद्धि और अन्य आय में 49% की वृद्धि के कारण, अक्टूबर 2021 से एनएचडीसी के सेवा शुल्क में भी वृद्धि हुई है। इसलिए पीवाई की तुलना में व्यापार प्राप्य टर्नओवर में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है
(ज) व्यापार देय टर्नओवर अनुपात,	व्यापार में स्टॉक की खरीद	औसत व्यापार देय	**3.32**	**2.29**	44.90%	खरीद में 47% की वृद्धि के कारण। इसलिए पीवाई की तुलना में देय व्यापार कारोबार में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है
झ) शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात,	संचालन से राजस्व	शुद्ध पूंजी नियोजित	**14.33**	**10.40**	37.72%	परिचालन से राजस्व में 47% की वृद्धि के कारण। इसलिए पीवाई पर शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है
(त्र) शुद्ध लाभ अनुपात,	करों के बाद शुद्ध लाभ	संचालन से राजस्व	**0.45%**	**-0.20%**	327.47%	परिचालन से राजस्व में 47% की वृद्धि और अन्य आय में 49% की वृद्धि के कारण, अक्टूबर 2021 से एनएचडीसी के सेवा शुल्क में भी वृद्धि हुई है। इसलिए पीवाई की तुलना में शुद्ध लाभ अनुपात में उल्लेखनीय सुधार हुआ है
(ट) नियोजित पूंजी पर रिटर्न,	करों के बाद शुद्ध लाभ	शुद्ध पूंजी नियोजित	**0.09**	**(0.02)**	453.15%	संचालन से राजस्व में 47% की वृद्धि और अन्य आय में 49% की वृद्धि के कारण, अक्टूबर 2021 से एनएचडीसी के सेवा शुल्क में भी वृद्धि हुई है। इसलिए वीचसई पर नियोजित पूंजी पर रिटर्न में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है
(ठ) निवेश पर प्रतिफल।	ब्याज और करों से पहले कमाई	कुल शुद्ध संपत्ति	**6.39%**	**-2.04%**	413.28%	संचालन से राजस्व में 47% की वृद्धि और अन्य आय में 49% की वृद्धि के कारण, अक्टूबर 2021 से एनएचडीसी के सेवा शुल्क में भी वृद्धि हुई है। इसलिए पीवाई पर नियोजित पूंजी पर रिटर्न में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है

Ratios with explanation for items included in numerator & denominator - Reasons for 25% or more variation as compared to PY

Particulars	Numerator	Denominator	As on 31-03-2023	As on 31-03-2022	% of Variance	Reason for Variance (any change positive or negative in the ratio by more than 25%
(a) Current Ratio,	Current Assets	Current Liability	**1.20**	**1.18**	1.62%	–
(b) Debt-Equity Ratio,			**NA**	**NA**		No Borrowings. Not applicable
(c) Debt Service Coverage Ratio,			**NA**	**NA**		No Borrowings. Not applicable
(d) Return on Equity Ratio,	Net Profit after taxes	Average Shareholder's Equity	**27.45%**	**-8.24%**	433.13%	Due to Increase in Revenue from Operations by 47% and increase in other income by 49%, also increase in the service changes of NHDC from October 2021 onwards. Hence there is significant improvement in ROE over PY
(e) Inventory turnover ratio,	Cost of goods Sold	Average Inventory	**485.22**	**397.75**	21.99%	Due to Increase in Purchase by 47%. Hence there is significant improvement in Inventory turnover over PY
(f) Trade Receivables turnover ratio,	Revenue from operations	Average trade receivables	**3.84**	**2.58**	49.11%	Due to Increase in Revenue from Operations by 47% and increase in other income by 49%, also increase in the service changes of NHDC from October 2021 onwards. Hence there is significant improvement in Trade Receivable turnover over PY
(g) Trade payables turnover ratio,	Purchases of stock in trade	Average trade payables	**3.32**	**2.29**	44.90%	Due to Increase in Purchase by 47%. Hence there is significant improvement in Trade Payable turnover over PY
(h) Net capital turnover ratio,	Revenue from operations	Net Capital Employed	**14.33**	**10.40**	37.72%	Due to Increase in Revenue from Operations by 47%. Hence there is significant improvement in Net capital turnover ratio over PY
(i) Net profit ratio,	Net Profit after taxes	Revenue from operations	**0.45%**	**-0.20%**	327.47%	Due to Increase in Revenue from Operations by 47% and increase in other income by 49%, also increase in the service changes of NHDC from October 2021 onwards. Hence there is significant improvement in Net profit ratio over PY
(j) Return on Capital employed,	Earning before Interest and taxes	Net Capital Employed	**0.09**	**(0.02)**	453.15%	Due to Increase in Revenue from Operations by 47% and increase in other income by 49%, also increase in the service changes of NHDC from October 2021 onwards. Hence there is significant improvement in Return on capital employed over PY
(k) Return on investment.	Net profit after tax	Total net worth	**6.39%**	**-2.04%**	413.28%	Due to Increase in Revenue from Operations by 47% and increase in other income by 49%, also increase in the service changes of NHDC from October 2021 onwards. Hence there is significant improvement in Return on investment over PY

क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी का विवरण।

वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी ने क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी में व्यापार या निवेश नहीं किया, इसलिए इससे संबंधित खुलासा लागू नहीं होता है।

18 परिचालकों से राजस्व

	विवरण	31–03–2023 को समाप्त वर्ष के लिए (रु. लाख में)	31–03–2022 को समाप्त वर्ष के लिए (रु. लाख में)
(क)	बिक्री कम रिटर्न		
	यार्न – यार्न आपूर्ति योजना/कच्चा माल आपूर्ति योजना	1,09,092.46	73,147.05
	सामान्य योजना	1,283.14	897.25
	– रंग और रसायन	6,572.84	5,811.98
	– फैब्रिक	-	-
	कुल (क)	**1,16,948.44**	**79,856.28**
(ख)	यार्न आपूर्ति योजना/कच्चा माल आपूर्ति योजना के तहत व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए सहायता अनुदान		
	यातायात भुगतान	1,539.36	973.73
	डिपो प्रभार	455.26	604.51
	सेवा शुल्क	2,225.80	1,241.31
	कुल (ख)	**4,220.42**	**2,819.55**
	कुल(क+ख)	**1,21,168.86**	**82,675.83**

i) यार्न आपूर्ति योजनाध्कच्चे माल की आपूर्ति योजना के अंतर्गत व्यय की प्रतिपूर्ति के विरूद्ध सहायता अनुदान की राशि रु. 4220.42 लाख (पिछले वर्ष रु. 2819.55 लाख) को सूत की आपूर्ति के लिए उपार्जित आधार पर लेखाबद्ध किया गया है। जिनमें से कुल 384.45 लाख रुपये (पिछले वर्ष 163.79 लाख रुपये) के दावे वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक सरकार को प्रस्तुत करने के लिए लंबित हैं।

19 अन्य योजना

विवरण	31–03–2023 को समाप्त वर्ष के लिए (रु. लाख में)	31–03–2022 को समाप्त वर्ष के लिए (रु. लाख में)
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	-	0.80
विविध रसीद/निविदा शुल्क	70.86	12.73
डिपो शुल्क प्राप्त हुआ	73.69	30.35
बैंकध्वाहन ऋण/अन्य से ब्याज	717.90	637.71
नकद छूट/कमीशन	1.97	0.74
प्रावधान देनदारियां/अधिकता के वापस लिखित	150.09	0.00
प्रावधान जो अब वापस लिखित को आवश्यकता नहीं है	7.33	-
कुल	**1,021.84**	**682.33**

The details of crypto currency or virtual currency.

The company did not trade or invest in crypto currency or virtual currency during the financial year hence, disclosure relating to it are not applicable.

18 REVENUE FROM OPERATIONS

	Particulars	For the year ended 31-03-2023 (Rs. In Lakhs)	For the year ended 31-03-2022 (Rs. In Lakhs)
(a)	Sales less returns		
	-Yarn - Yarn Supply Scheme/Raw Material Supply Scheme	1,09,092.46	73,147.05
	General Scheme	1,283.14	897.25
	-Dyes & chemicals	6,572.84	5,811.98
	-Fabrics	-	-
	Total (a)	**1,16,948.44**	**79,856.28**
(b)	Grant-in-aid against reimbursement of expenditure under Yarn Supply Scheme/Raw Material Supply Scheme		
	Transportation Charges	1,539.36	973.73
	Depot Charges	455.26	604.51
	Service charges	2,225.80	1,241.31
	Total (b)	**4,220.42**	**2,819.55**
	TOTAL (a+b)	**1,21,168.86**	**82,675.83**

i) Grant in aid against reimbursement of expenditure under Yarn Supply Scheme/Raw Material Supply Scheme amounting to Rs 4220.42 Lakhs (Previous year Rs. 2819.55 Lakhs) on account of supply of yarn has been accounted for on accrual basis. Out of which, claims totaling Rs. 384.45 Lakhs (Previous year Rs.163.79 Lakhs) are pending for submission to the government as at the end of current reporting period.

19 OTHER INCOME

Particulars	For the year ended 31-03-2023 (Rs. In Lakhs)	For the year ended 31-03-2022 (Rs. In Lakhs)
Profit on sale of assets	-	0.80
Miscellaneous receipt/ tender Fees	70.86	12.73
Depot charges received	73.69	30.35
Interest from bank/ vehicle loan/ others	717.90	637.71
Cash discount/ commission	1.97	0.74
Liabilities/ excess provisions written back	150.09	0.00
Provision no longer required written back	7.33	-
TOTAL	**1,021.84**	**682.33**

i) प्रावधान को अब 7.33 लाख रुपये (पिछले वर्ष शून्य लाख रुपये) के लिए वापस नहीं लिया जाएगा। अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान तीन वर्षों से अधिक समय से बकाया गैर–कॉर्पस विविध देनदारों के आधार पर किया जाता है और आपूर्तिकर्ताओं के साथ कोई बैक–टू–बैक व्यवस्था नहीं की जाती है जिसे वसूली के लिए संदिग्ध माना जाता है।

ii) देयताएं/अतिरिक्त प्रावधान 150.09 लाख रुपये (पिछले वर्ष शून्य लाख रुपये) के लिए वापस लिया गया। वित्त वर्ष 2018–19 के लिए 150.00 लाख रुपये की अनुग्रह राशि के प्रावधान को निदेशक मंडल की दिनांक 15.09.2023 को 178वीं बोर्ड बैठक के अनुसार वापस ले लिया गया।

20 व्यापारिक में स्टॉक की खरीद

विवरण	31–03–2023 को समाप्त वर्ष के लिए (रु. लाख में)	31–03–2022 को समाप्त वर्ष के लिए (रु. लाख में)
खरीद घटाकर लाभ		
यार्न	1,10,390.91	74,073.19
रंग एवं रसायन	6,339.46	5,545.75
फैब्रिक्स	-	-
कुल	**1,16,730.37**	**79,618.94**

i) वर्ष 2022–23 के दौरान सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) (एससी/एसटी उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई सहित) से खरीदे गए यार्न का मूल्य, पिछले वर्ष 2021–22 के दौरान रु. 30113.97 लाख (खरीदे गए कुल सूत का 37.83%) रुपये के मुकाबले रु. 52432.71 लाख (कुल खरीदे गए यार्न का 44.92%) है।

21 परिवहन/डिपो शुल्क

विवरण	31–03–2023 को समाप्त वर्ष के लिए (रु. लाख में)	31–03–2022 को समाप्त वर्ष के लिए (रु. लाख में)
परिवहन शुल्क	1,539.36	973.73
डिपो शुल्क	455.26	604.51
कुल	**1,994.62**	**1,578.24**

i) यार्न आपूर्ति योजना के अन्तर्गत परिवहन एवं डिपो प्रभारों की राशि 1994.62 लाख रूपये (पिछले वर्ष 1578.24 लाख रुपये) सूत की आपूर्ति के मद में प्रोद्‌भवन आधार पर हिसाब में ली गई है। जिसमें से, कुल 384.45 लाख रूपये (पिछले वर्ष 163.79 लाख रूपये) के खर्च के दावे वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक सरकार को प्रस्तुत करने के लिए लंबित हैं। प्रयोक्ता एजेंसियों को देय परिवहन एवं डिपो शुल्क का प्रावधान योजना के अनुसार किया गया है।

22 तैयार माल की सूची में परिवर्तन प्रगति पर है और व्यापार में स्टॉक है

(रु. लाख में)

विवरण	आरंभिक स्टॉक 01–04–2022 को	अंतिम स्टॉक 31–03–2023 को	वृद्धि (–)/ कमी (+)
यार्न	203.76	235.46	-31.70
रंग एवं रसायन	19.34	22.58	-3.24
फैब्रिक्स	-	-	-
कुल	**223.10**	**258.04**	**-34.94**

i) Provision no longer required written back for Rs. 7.33 Lakhs (Previous year Rs. NIL Lakhs). Provision for bad and doubtful debts is made based on non-corpus sundry debtors outstanding for more than three years and no back to back arrangement with suppliers are considered doubtful of recovery are invariably provided

ii) Liabilites/excess Provisions written back for Rs. 150.09 Lakhs (Previous year Rs. NIL Lakhs). Povision for ex gratia for the FY 2018-19 amounting to Rs. 150.00 Lakhs has been reversed as per the Board of Director, vide board meeting approved in 178th board meeting dtd 15.09.2023.

20 PURCHASES OF STOCK IN TRADE

Particulars	For the year ended 31-03-2023 (Rs. In Lakhs)	For the year ended 31-03-2022 (Rs. In Lakhs)
Purchases less returns		
-Yarn	1,10,390.91	74,073.19
-Dyes & chemicals	6,339.46	5,545.75
-Fabrics	-	-
TOTAL	**1,16,730.37**	**79,618.94**

i) The value of Yarn procured from Micro and Small Enterprises (MSEs) (including MSEs owned by SC/ST entrepreneurs) during the year 2022-23 is Rs 52,432.71 Lakhs (44.92 % of total yarn procured) as against Rs 30,113.97 Lakhs (37.83 % of total yarn procured) during the previous year 2021-22.

21 TRANSPORTATION/ DEPOT CHARGES

Particulars	For the year ended 31-03-2023 (Rs. In Lakhs)	For the year ended 31-03-2022 (Rs. In Lakhs)
Transportation Charges	1,539.36	973.73
Depot Charges	455.26	604.51
TOTAL	**1,994.62**	**1,578.24**

i) Transportation and depot charges under Yarn Supply Scheme/Raw Material Supply Scheme amounting to Rs 1994.62 Lakhs (Previous year Rs. 1578.24 Lakhs) on account of supply of yarn has been accounted for on accrual basis. Out of which, claims for expenses totaling Rs. 384.45 Lakhs (Previous year Rs.163.79 Lakhs) are pending for submission to the government as at the end of current reporting period. Provision for transportation and depot charges payable to the user agencies has been made in accordance with the scheme.

22 CHANGES IN INVENTORIES OF FINISHED GOODS WORK IN PROGRESS AND STOCK IN TRADE

(Rs. In Lakhs)

Particulars	OPENING STOCK ON 01-04-2022	CLOSING STOCK ON 31-03-2023	INCREASE (-)/ DECREASE (+)
YARN	203.76	235.46	-31.70
DYES & CHEMICALS	19.34	22.58	-3.24
FABRICS	-	-	-
TOTAL	223.10	258.04	-34.94

विवरण	आरंभिक स्टॉक 01–04–2021 को	अंतिम स्टॉक 31–03–2022 को	वृद्धि (–)/ कमी (+)
यार्न	160.40	203.76	-43.36
रंग एवं रसायन	16.85	19.34	-2.49
फैब्रिक्स	-	-	-
कुल	177.25	223.10	-45.85

23 कर्मचारी लाभ व्यय

	विवरण	31–03–2023 को समाप्त वर्ष के लिए (रु. लाख में)	31–03–2022 को समाप्त वर्ष के लिए (रु. लाख में)
क)	**वेतन एवं मजदूरी**		
	वेतन और भत्ता	1,371.02	1,372.57
	वेतन और भत्ता अवकाश एवं आवास सहित (प्रबंध निदेशक)	66.31	10.65
	अवकाश नकदीकरण – उपार्जित अवकाश के प्रावधान सहित	96.64	79.92
	अनुग्रह राशि (प्रबंध निदेशक रु. 5.50 लाख सहित)	149.98	-
	बाल शिक्षा की प्रतिपूर्ति	-	-
	वाहन प्रतिपूर्ति	-	-
	भर्ती पर व्यय	1.90	0.56
	वीआर एस मुआवजा	-	-
	चिकित्सा व्यय	30.33	32.93
	कार्मिकों को प्रशिक्षण	1.78	5.90
	उप जोड़ (क)	**1,717.97**	**1,502.53**
ख)	**पीएफ एवं अन्य निधि में अंशदान**		
	सीपीएफ और एफपीएफ/ईडीएलआई योजना/एनपीएस में नियोक्ता का योगदान	170.40	153.45
	ग्रैच्युटी	55.82	37.04
	उप जोड़ (ख)	**226.22**	**190.49**
ग)	**कर्मचारी कल्याण व्यय**		
	कर्मचारी कल्याण व्यय (मानदेय, इनाम वर्दी और पोशाक सहित)	30.81	28.74
	समूह व्यक्तिगत दुर्घटना और ग्रेच्युटी बीमा	-	-
	मृतक कर्मचारी को भुगतान योजना	8.35	8.38
	उप जोड़ (ग)	39.16	37.12
	जोड़ (क+ख+ग)	**1,983.35**	**1,730.14**

क) लेखांकन मानक–15 'कर्मचारी लाभ' के अनुसार, लेखा मानक में परिभाषित कर्मचारी लाभों का प्रकटीकरण नीचे दिया गया है:

Particulars	OPENING STOCK ON 01-04-2021	CLOSING STOCK ON 31-03-2022	INCREASE (-)/ DECREASE (+)
YARN	160.40	203.76	-43.36
DYES & CHEMICALS	16.85	19.34	-2.49
FABRICS	-	-	-
TOTAL	177.25	223.10	-45.85

23 EMPLOYEE BENEFITS EXPENSES

	Particulars	For the year ended 31-03-2023 (Rs. In Lakhs)	For the year ended 31-03-2022 (Rs. In Lakhs)
a)	**Salary & Wages**		
	Salary and allowances	1,371.02	1,372.57
	Salary and allowances including leave accommodation (Managing Director)	66.31	10.65
	Leave encashment-Including provision for accrued leave	96.64	79.92
	Ex-Gratia (including Managing Director Rs. 5.50 Lakh)	149.98	-
	Children education reimbursement	-	-
	Conveyance reimbursement	-	-
	Recruitment Expenses	1.90	0.56
	VRS Compensation	-	-
	Medical expenses	30.33	32.93
	Training to personnel	1.78	5.90
	Sub Total (a)	**1,717.97**	**1,502.53**
b)	**Contribution to PF & other Fund**		
	Employers contribution to CPF & FPF/ EDLI scheme/NPS	170.40	153.45
	Gratuity	55.82	37.04
	Sub Total (b)	**226.22**	**190.49**
c)	**Staff Welfare expenses**		
	Staff welfare expenses (including honorarium, reward uniform & liveries)	30.81	28.74
	Group personal accident and Gratuity insurance	-	-
	Payment to Deceased Employee Scheme	8.35	8.38
	Sub Total (c)	39.16	37.12
	Total (a+b+c)	**1,983.35**	**1,730.14**

a) As per Accounting Standard -15 “Employee Benefits”, the disclosures of Employee Benefits as defined in the Accounting Standard is given below:-

परिभाषित अंशदान योजना

परिभाषित अंशदान योजना में योगदान, जिसे वर्ष के लिए व्यय के रूप में माना गया है, निम्नानुसार है:

विवरण	31–03–2023 को समाप्त वर्ष के लिए (रु. लाख में)	31–03–2022 को समाप्त वर्ष के लिए (रु. लाख में)
सीपीएफ / एफपीएफ / एनपीएस / डीडीई और ईडीएलआई योजनाओं में नियोक्ता का योगदान।	178.76	161.83

निगम की भविष्य निधि को कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 की धारा 17 के तहत छूट दी गई है। छूट की शर्त यह निर्धारित करती है कि नियोक्ता वैधानिक दर के सापेक्ष ट्रस्ट द्वारा घोषित ब्याज दर में अच्छी कमी, यदि कोई हो, तो करेगा।

ख) वर्ष 2022–23 के दौरान प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों (केएमपी) को भुगतान किया गया पारिश्रमिक निम्नानुसार है: –

(लाख रुपये में)

क्रम सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक			
		प्रबंध निदेशक	सीएफओ	कंपनी सचिव*	कुल
01.	कुल वेतन	51.76	25.52	3.50	80.78
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन				-
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के तहत अनुलाभों का मूल्य				-
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के तहत वेतन के बदले लाभ				-
02.	स्टॉक विकल्प				-
03.	स्वेट इक्विटी				-
04.	कमीशन				
	– लाभ के % के रूप में				-
	– अन्य, दर्शाएं				-
05.	अन्य एवं रखरखाव, कृपया दर्शाएं	20.05			20.05
	कुल	**71.81**	**25.52**	**3.50**	**100.83**
	***18.01.2022 से प्रभार संभाला**				

24 वित्तीय लागत

विवरण	31–03–2023 को समाप्त वर्ष के लिए (रु. लाख में)	31–03–2022 को समाप्त वर्ष के लिए (रु. लाख में)
बैंक / अन्य को ब्याज	-	0.12
अन्य उधार लागत	-	-
कुल	**-**	**0.12**

Defined Contribution Plan

Contribution to Defined Contribution Plan, recognized as expense for the year is as under:

Particulars	For year ended 31-03-2023 (Rs. In Lakhs)	For year ended 31-03-2022 (Rs. in Lakhs)
Employer's contribution to CPF/ FPF/NPS/DDE & EDLI Schemes.	178.76	161.83

Corporation's provident fund is exempted u/s 17 of Employee's Provident Fund Act, 1952. Condition to exemptions stipulates that the employer shall make good deficiency, if any, in the interest rate declared by the trust against the statutory rate.

b) Remuneration paid to Key Managerial Personnels (KMP) during the year 2022-23 is as below:-

(Rs. In Lakhs)

Sl No.	Particulars of Remuneration	Key Managerial Personnel			
		MD	CFO	Company Secretary*	TOTAL
01.	Gross Salary	51.76	25.52	3.50	80.78
	(a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income Tax Act, 1961				-
	(b) Value of Perquisites u/s 17(2) of Income Tax Act, 1961				-
	(c) Profits in lieu of salary u/s 17(3) of Income Tax Act, 1961				-
02.	Stock Option				-
03.	Sweat Equity				-
04.	Commission				
	- as % of Profit				-
	- others, specify............				-
05.	Others, please specify - Lease rent and maintenance	20.05			20.05
	TOTAL	**71.81**	**25.52**	**3.50**	**100.83**
	*** Resigned on 25th July 2022**				

24 FINANCE COSTS

Particulars	For the year ended 31-03-2023 (Rs. In Lakhs)	For the year ended 31-03-2022 (Rs. In Lakhs)
Interest to bank/ others	-	0.12
Other Borrowing cost	-	-
Total	**-**	**0.12**

25 अन्य व्यय

	विवरण	31–03–2023 को समाप्त वर्ष के लिए (रु. लाख में)	31–03–2022 को समाप्त वर्ष के लिए (रु. लाख में)
(क)	प्रशासनिक व्यय		
	यात्रा व्यय	49.59	45.20
	लेखा परीक्षकों को भुगतान	5.83	5.62
	बोर्ड बैठक खर्च (बैठक शुल्क)	14.58	3.93
	किताबें और पत्रिकाएं	0.33	0.36
	वाहन व्यय	17.84	14.21
	बिजली / पानी शुल्क	19.23	20.96
	बीमा	13.18	4.82
	कानूनी और व्यावसायिक शुल्क	112.00	62.18
	सदस्यता शुल्क और सब्सक्रिप्सन (अंशदान)	6.91	0.45
	कार्यालय रखरखाव	16.44	11.25
	प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी	16.93	15.05
	डाक / टेलीग्राम / टेलीफोन और टेलेक्स	24.18	20.36
	किराया, दरें और कर (वसूली का शुद्ध)	120.61	152.67
	मरम्मत एवं रखरखाव	21.30	18.45
	सेवा वाहन व्यय	52.15	28.98
	सुरक्षा व्यय	71.20	70.91
	विविध व्यय	2.64	1.24
	कुल (क)	**564.94**	**476.64**

i) लेखापरीक्षकों को किया गया भुगतान इस प्रकार है:–

	लेखा परीक्षा शुल्क	5.27	4.97
	अन्य क्षमता	0.56	0.65
	कुल	**5.83**	**5.62**

(ख) व्यापार

	विवरण	31–03–2023 को समाप्त वर्ष के लिए (रु. लाख में)	31–03–2022 को समाप्त वर्ष के लिए (रु. लाख में)
	विज्ञापन एवं प्रचार	4.63	3.09
	व्यवसाय संवर्धन	74.11	34.12
	रियायत,कमीशन एवं छूट	0.73	1.95
	बैंक शुल्क	2.09	0.95
	भाड़ा एवं अन्य शुल्क	63.41	44.74
	बैठक व्यय	5.08	2.56
	सॉफ्टवेयर कार्यान्वयन / रखरखाव खर्च	67.38	62.21
	डाटा एंट्री शुल्क	32.78	35.06
	कुल (ख)	**250.21**	**184.69**
	कुल (क+ख)	**815.15**	**661.32**

25 OTHER EXPENSES

	Particulars	For the year ended 31-03-2023 (Rs. In Lakhs)	For the year ended 31-03-2022 (Rs. In Lakhs)
(a)	**ADMINISTRATIVE EXPENSES**		
	Travelling expenses	49.59	45.20
	Payment to auditors	5.83	5.62
	Board meeting expenses (Sitting fees)	14.58	3.93
	Books & periodicals	0.33	0.36
	Conveyance expenses	17.84	14.21
	Electricity/water charges	19.23	20.96
	Insurance	13.18	4.82
	Legal & professional charges	112.00	62.18
	Membership fees & subscription	6.91	0.45
	Office upkeep	16.44	11.25
	Printing & stationery	16.93	15.05
	Postage/telegram/telephone & telex	24.18	20.36
	Rent, rates & taxes (net of recoveries)	120.61	152.67
	Repair & maintenance	21.30	18.45
	Service vehicle expenses	52.15	28.98
	Security expenses	71.20	70.91
	Miscellaneous expenses	2.64	1.24
	TOTAL (a)	**564.94**	**476.64**

i) Payment made to auditors is as below:-

Audit Fee	5.27	4.97
Other Capacity	0.56	0.65
TOTAL	**5.83**	**5.62**

(b) TRADE

Particulars	For the year ended 31-03-2023 (Rs. In Lakhs)	For the year ended 31-03-2022 (Rs. In Lakhs)
Advertisement & publicity	4.63	3.09
Business promotion	74.11	34.12
Discount, commission & rebate	0.73	1.95
Bank charges	2.09	0.95
Freight & other charges	63.41	44.74
Meeting expenses	5.08	2.56
Software implementation/ maintenance expenses	67.38	62.21
Data entry charges	32.78	35.06
TOTAL (b)	**250.21**	**184.69**
TOTAL (a+b)	**815.15**	**661.32**

i) व्यावसायिक प्रचार व्यय में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान स्वीकृत बजट के अलावा प्रदर्शनी और अन्य आयोजनों/गतिविधियों पर किए गए खर्च शामिल हैं।

26 असाधारण मदें

	विवरण	31–03–2023 को समाप्त वर्ष के लिए (रु. लाख में)	31–03–2022 को समाप्त वर्ष के लिए (रु. लाख में)
क)	**प्रावधान, बट्टा खाता आदि**		
	परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि	-	-
	संदिग्ध देनदारों के लिए प्रावधान	-	2.09
	बट्टा खाता देनदार	-	-
	आपूर्तिकर्ता को संदिग्ध अग्रिमों का प्रावधान	-	-
	उप जोड़	**-**	**2.09**
ख)	पूर्व अवधि समायोजन	0.50	-
	कुल (क+ख)	**0.50**	**2.09**

वर्ष के दौरान, दिनांक 16.06.2023 की 177वीं बोर्ड बैठक के माध्यम से, 3 वर्षों से अधिक समय से बकाया गैर–कॉर्पस निधियों के मुकाबले 154.31 लाख रुपये के संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान प्रदान नहीं किया गया है। इससे मुनाफा 154.31 लाख रुपये बढ़ गया

27 नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व्यय

	विवरण	31–03–2023 को समाप्त वर्ष के लिए (रु. लाख में)	31–03–2022 को समाप्त वर्ष के लिए (रु. लाख में)
	नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व्यय	-	-
	कुल	**-**	**-**

जब कंपनी धारा 135 के तहत कवर की जाती है तो उसका प्रकटीकरण

क)	वर्ष के दौरान खर्च की जाने वाली राशि	शून्य
ख)	पूर्व वर्ष की अप्रयुक्त अग्रेषित राशि (अतिरिक्त खर्च)	शून्य
ग)	किए गए खर्च की राशि	शून्य
घ)	वर्ष के अंत में कमी (प्रयुक्त की गयी अग्रेषित अधिक राशि)	शून्य
ड़)	पिछले वर्ष की कुल कमी	शून्य
च)	कमी के कारण	लागू नहीं
छ)	सीएसआर गतिविधियों का स्वरूप	शून्य
ज)	पार्टी लेनदेन से संबन्धित ब्यौरा – एएस के अनुसार कंपनी द्वारा नियंत्रित ट्रस्ट के लिए अंशदान	लागू नहीं
झ)	जहां उपगत दायित्व से प्रावधान किया जाता है, वर्ष के दौरान प्रावधान में परिवर्तन दिखाया जाना चाहिए	

i) Business promotion expenses includes expenses incurred on exhibition and other events/ activities over and abve the sanctioned budget during the current financial year.

26 EXCEPTIONAL ITEMS

	Particulars	For the year ended 31-03-2023 (Rs. In Lakhs)	For the year ended 31-03-2022 (Rs. In Lakhs)
a)	**PROVISION, WRITE OFF ETC.**		
	Loss on sale of assets	-	-
	Provision for doubtful debtors	-	2.09
	Write off debtors	-	-
	Provision for doubtful advances to supplier	-	-
	Sub Total	**-**	**2.09**
b)	Prior Period Adjustments	0.50	-
	Total (a+b)	**0.50**	**2.09**

During the year, provision for doubtful debts of Rs. 154.31 Lakhs against the non- corpus funds outstanding for more than 3 Years have not been provided, vide. 177th Board meeting dtd. 16.06.2023. This has led to increase in profit by Rs. 154.31 Lakhs

27 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EXPENSES

Particulars	For the year ended 31-03-2023 (Rs. In Lakhs)	For the year ended 31-03-2022 (Rs. In Lakhs)
Expenses on Corporate Social Responsibility	-	-
Total	**-**	**-**

When the company is covered under section 135 disclosure of:

a. Amount required to be spent during the year — Nil

b. Amount unspent (excess spent) carried forward from earlier year — Nil

c. Amount of expenditure incurred — Nil

d. Shortfall at the end of the year (excess amount spent carried forward) — Nil

e. Total of previous years shortfall — Nil

f. Reason for shortfall — NA

g. Nature of CSR activities — Nil

h. Details of related party transactions, - contribution to trust controlled by Co as per AS — NA

i. Where a provision is made w.r.t liability incurred, the movement in provision during the year should be shown separately.

(राशि लाख में)

विवरण	मौजूदा वर्ष के दौरान भुगतान	अभी भुगतान किया जाना है	कुल
	शून्य	-	**शून्य**
कुल	**-**	**-**	**-**

28 कर व्यय–वर्तमान कर

विवरण	31–03–2023 को समाप्त वर्ष के लिए (रु. लाख में)	31–03–2022 को समाप्त वर्ष के लिए (रु. लाख में)
मौजूदा वर्ष के लिए आयकर	105.76	-
पिछले वर्ष के लिए आयकर	-	-
कुल	**105.76**	**-**

वर्ष के दौरान खातों में 105.76 लाख रुपये (पिछले वर्ष शून्य रुपये) के आयकर का प्रावधान किया गया है।

29 बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी पर कोई कार्यवाही शुरू या लंबित है।

30 कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी पर विचारते हुये कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के तहत कंपनी के साथ कोई लेन–देन नहीं किया गया था।

31 कंपनी के पास कोई पेरेंट कंपनी नहीं है और तदनुसार कंपनी नियम 2017 (प्रतिबंध परतों की संख्या) के साथ पठित अधिनियम की धारा 2 के खंड (87) के तहत निर्धारित परतों की संख्या का अनुपालन इस वर्ष के लिए लागू नहीं है।

32 वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 के संदर्भ में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित व्यवस्था की कोई योजना नहीं है।

33 कंपनी ने इस समझ के साथ (चाहे वह लिखित रूप में दर्ज हो या अन्य बातों के साथ) किसी अन्य व्यक्ति या विदेशी संस्थाओं (मध्यस्थ) के लिए न तो अग्रिम किया है, न ही ऋण लिया है और न ही निवेश किया है (या तो उधार लिया गया धन या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या निधि का प्रकार) कि मध्यस्थ (i) कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचान किए गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार या निवेश (अंतिम लाभार्थी) या (ii) अंतिम लाभार्थियों के लिए या उनकी ओर से कोई गारंटी सुरक्षा प्रदान करना।

34 कंपनी के पास कोई ऐसा लेन–देन नहीं है जो किसी वर्ष के दौरान आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण में आय के रूप में आत्मसमर्पण या खुलासा किए गए खातों की किताबों में दर्ज नहीं किया गया है।

35 अन्य टिप्पणियां

1 आकस्मिक देनदारियां और प्रतिबद्धताएंः–

(क) प्रतिबद्ध देनदारियां :–

(क) वित्त वर्ष 2010–11 के लिए निर्धारण प्राधिकारी बिक्री कर कार्यालय लखनऊ द्वारा 95.21 लाख रुपये (पिछले वर्ष शून्य) की मांग के सापेक्ष सहायक आयुक्त बिक्री कर वाराणसी के पास एक अपील लंबित है। बिक्री कर केस 2010–11 6.90 लाख रूपये के निपटारण और वित्त वर्ष 2021–22 में बंद कर दिया गया है और बिक्री कर का वर्ष 2014–15 तक आंकलन किया जा चुका है।

(Rs. In Lakhs)

Particulars	Paid during current year	Yet to be paid	Total
	Nil	-	**Nil**
Total	**-**	**-**	**-**

28 TAX EXPENSES - Current Tax

Particulars	For the year ended 31-03-2023 (Rs. In Lakhs)	For the year ended 31-03-2022 (Rs. In Lakhs)
Income Tax for Current year	105.76	-
Income Tax for earlier year	-	-
Total	**105.76**	**-**

During the year provision for income tax of Rs. 105.76 Lakhs (Previous year Rs.NIL) has been made in the accounts.

29 There is no proceeding initiated or are pending again the company for holding any benami Property under the Benami transaction (prohibition) act, 1988 (45 of 1988) and rules made there under.

30 The company did not have any transaction with company stuck off under section 248 of Company act, 2013 or section 560 of Company act, 1956 consideration the information available with the company.

31 The company do not have any parents company and accordingly, compliance with the number of layers prescribed under clause (87) of section 2 of the act. read with Company (restriction on number of layers) Rules, 2017 is not applicable for the year under consideration.

32 There are no scheme of arrangements approved by the Competent Authority in terms of section 230 of the Company act, 2013 during the year.

33 The company has not advanced or loaned or invested funds (either borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) to any other person(s) or entity (ies) including foreign entities (intermediaries) with the understanding (whether recorded in writing or otherwise) that the intermediary shall (i) directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the company (Ultimate Beneficiaries) or (ii) provide any guarantee security or the like to or on behalf of the Ultimate Beneficiaries.

34 The Company do not have any transaction which are not recorded in the books of accounts that has been surrendered or disclosed as income in the tax assessments under the Income Tax Act, 1961 during any of the years.

35 OTHER NOTES

1 CONTINGENT LIABILITIES & COMMITMENTS :-

(A) Contingent Liabilities:-

(a) Sales tax-An appeal is pending with Assistant Commissioner Sales Tax Varanasi against demand raised for Rs. 95.21 Lakhs by assessing authority sales Tax office Lucknow for the F.Y. 2010-2011(Previous year-Nil), Sales tax case for FY 2010-11 closed in FY 2021-22 demand settled amouting to Rs. 6.90 Lakhs and Sales tax Assessment till F.Y 2014-15 completed.

(ख) निगम के सापेक्ष दावों/मांगों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया।

(i) आपूर्तिकर्ताओं द्वारा 293000 रुपये (पिछले वर्ष 293000 रुपये)दावा किए गए बकाया पर ब्याज

(ii) कंपनी के सापेक्ष कोर्ट केस – शून्य रुपये (पिछले वर्ष शून्य)

(iii) मैसर्स यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पक्ष में जारी बैंक गारंटी – 200000 रुपये (पिछले वर्ष 200000 रुपये)।

(iv) लखनऊ विकास प्राधिकरण सामान्य सेवा शुल्क– 4577446 रुपये (पिछले वर्ष 4577446 रुपये) बहुत लंबी अवधि से बकाया है। 31 मार्च 2023 को अधिक आकस्मिक देयता और भी हो सकती है

(ख) प्रतिबद्धताः–

1 चूंकि संबंधित बिक्री कर प्राधिकारियों द्वारा निर्धारण को अंतिम रूप दिए जाने तक राशि का पता लगाने योग्य नहीं है, इसलिए सूत, रंग और रसायन और फैब्रिक की बिक्री के संबंध में केंद्रीय और विभिन्न राज्य बिक्री कर अधिनियमों के प्रावधान के तहत बिक्री कर देयता और जीएसटी, यदि कोई हो, का कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

2 कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III भाग II के अनुसार अतिरिक्त जानकारीः–

क) उत्पादन की लाइसेंस प्राप्त और स्थापित क्षमता – लागू नहीं।

ख) प्रारंभिक स्टॉक, खरीद, बिक्री और अंतिम स्टॉक के संबंध में मात्रा संबंधी जानकारी निम्नानुसार हैः –

क्रम सं.	विवरण	यार्न		रंग एवं रसायन		फैब्रिक	
		यूनिट लाख में	मूल्य लाख में	यूनिट लाख में	मूल्य लाख में	यूनिट लाख में	मूल्य लाख में
1	प्रारंभिक स्टॉक – मौजूदा वर्ष	0.24	203.77	0.24	19.34		
	–पिछले वर्ष	0.32	160.41	0.27	16.85		
2	खरीद – मौजूदा वर्ष	307.58	1,10,390.91	41.96	6,339.46		-
	–पिछले वर्ष	245.02	74,073.19	38.47	5,545.75		-
3	बिक्री – मौजूदा वर्ष	307.60	1,10,375.59	41.91	6,572.84		-
	– पिछले वर्ष	245.11	74,044.30	38.50	5,811.98		-
4	अंतिम स्टॉक – मौजूदा वर्ष	0.22	235.47	0.29	22.58		
	– पिछले वर्ष	0.24	203.77	0.24	19.34		

ग) सीआईएफ के आधार पर आयात का मूल्य (i) रंगों और रसायनों के संबंध में शून्य रुपये है। (पिछले वर्ष शून्य) और (ii) कच्चे माल (iii) घटकों और स्पेयर पार्ट्स (iv) पूंजीगत सामान के संबंध में रु. शून्य (पिछले वर्ष – शून्य रु.)।

घ) विदेशी मुद्रा में आय–शून्य (पिछले वर्ष – शून्य रु.)।

ड़) विदेशी मुद्रा में किया गया व्यय – शून्य (पिछले वर्ष – शून्य रु.)।

च) आयातित कच्चे माल, स्पेयर पार्ट्स और खपत किए गए घटकों का मूल्य – शून्य रु. (पिछले वर्ष – शून्य रु.)।

(b) Claims/ demands against the corporation not acknowledged as debts.

(i) Interest on outstanding claimed by the suppliers Rs 2,93,000 (Previous year Rs.2,93,000)

(ii) Court cases against the company - Rs. Nil (Previous year Nil)

(iii) Bank guarantee issued in favour of M/s U P Pollution Control Board - Rs 2,00,000 (Previous year Rs.2,00,000).

(iv) Lucknow Development Authority common service charges- Rs45,77,446.(Previous Year Rs. 45,77,446) since this is from long period. There may be more contingent liability as on 31st March 2023

(B) Commitment:-

1 Since the amount is not ascertainable pending finalization of assessment by the concerned sales tax authorities, no provision for sales tax liability & GST, if any, under the provision of Central and various State Sales Tax Acts has been made in respect of sales of yarn, dyes & chemicals and fabrics.

2 Additional information pursuant to Schedule III Part II to the Companies Act, 2013:-

A) Licensed and installed capacity of production - Not applicable.

B) Quantitative information in respect of Opening Stock, Purchases, Sales and Closing stock are as under:-

Sl. No.	Particulars	YARN		DYES & CHEMICAL		FABRIC	
		Unit in Lakhs	Rs. In Lakhs	Unit in Lakhs	Rs. In Lakhs	Unit in Lakhs	Rs. In Lakhs
1	Opening Stock - Current Year	0.24	203.77	0.24	19.34		
	- Previous Year	0.32	160.41	0.27	16.85		
2	Purchase - Current Year	307.58	1,10,390.91	41.96	6,339.46		-
	- Previous Year	245.02	74,073.19	38.47	5,545.75		-
3	Sale - Current Year	307.60	1,10,375.59	41.91	6,572.84		-
	- Previous Year	245.11	74,044.30	38.50	5,811.98		-
4	Closing Stock - Current Year	0.22	235.47	0.29	22.58		
	- Previous Year	0.24	203.77	0.24	19.34		

C) Value of Import on CIF basis in respect of (i) Dyes & chemicals is Rs. Nil (Previous year Rs.Nil) and in respect of (ii) Raw Material (iii) Components & spare parts (iv) Capital goods is Rs. Nil (Previous year – Rs. Nil).

D) Earnings in Foreign Currency – Rs. Nil (Previous Year- Rs.Nil).

E) Expenditure incurred in foreign Currency - NIL (Previous year - Rs. Nil).

F) Value of imported raw material, spare parts and components consumed - Rs. Nil (Previous year - Rs. Nil).

3 लेखा मापदंड–17 की आवश्यकताओं के अनुसार, अर्थात आईसीएआई द्वारा जारी किए गए सेगमेंट रिपोर्टिंग, यार्न, रंग एवं रसायन और फैब्रिक से युक्त रिपोर्टिंग सेगमेंट के रूप में गतिविधिवार वित्तीय जानकारी निम्नानुसार है:–

(राशि लाख में)

	विवरण	यार्न	रंग एवं रसायन	फैब्रिक्स	कुल
क)	**प्राथमिक सूचना**				
1	खंड–वार राजस्व	1,10,375.59	6,572.84	-	1,16,948.44
2	खंड–वार परिणाम	900.22	191.65	-	1,091.86
3	अनाबंटित ओवरहेड	-	-	-	1,463.10
4	बैंक एवं अन्य से ब्याज	-	-	-	717.90
5	अन्य आय	-	-	-	303.94
6	अवधि पूर्व समायोजन	-	-	-	-
7	सीएसआर व्यय				-
8	कर पूर्व लाभ	-	-	-	650.60
9	पिछले वर्ष के समायोजन सहित कर का प्रावधान	-	-	-	-105.76
10	आस्थगित कर	-	-	-	-23.35
11	कर पश्चात लाभ	-	-	-	521.49
12	खंड–वार परिसंपत्तियां	37,760.21	267.77	143.44	38,171.41
13	गैर–आवंटित नैगमिक परिसंपत्तियां (वित्तीय परिसंपत्ति सहित)।	-	-	-	25,145.43
14	कुल परिसंपत्तियां				63,316.84
15	खंड–वार देनदारियों में बैंक से उधार लेना शामिल है	37,733.73	263.58	174.11	38,171.42
16	गैर–आवंटित नैगमिक देनदारियां (बैंक उधार सहित)	-	-	-	25,145.43
17	कुल देनदारियां				63,316.84
18	खंड–वार अवमूल्यन	22.66	0.01	-	51.06

टिप्पणी:– i. खंड–वार राजस्व में कोई अंतर सेगमेंट लेनदेन नहीं है।

(राशि रु. में)

ख)	**द्वितीयक सूचना**	**क्षेत्र का नाम**	**सेगमेंट राजस्व**
1	उस खंड के लिए भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार खंड राजस्व जिसका राजस्व सभी भौगोलिक क्षेत्रों के कुल राजस्व का 10% या अधिक है।	क्षे. का. कोयंम्बटूर	41,031.76
		क्षे. का.हैदराबाद	16,928.95
		क्षे. का. बेंगलुरू	15,612.23
		क्षे. का. पानीपत	15,333.90
		क्षे. का. कोलकाता	12,066.45
		क्षेत्र का नाम	**संपत्ति**
2	उस खंड की संपत्ति की भौगोलिक स्थिति के आधार पर संपत्ति का सेगमेंट जिसकी संपत्ति सभी भौगोलिक क्षेत्रों की कुल संपत्ति का 10% या अधिक है।	क्षे. का. वाराणसी	26,248.18

3 In accordance with the requirements of AS-17, i.e. Segment Reporting as issued by ICAI, Activity wise financial information as reporting segments consisting of Yarn, Dyes & Chemicals and Fabric is as under:-

(Rs. In Lakhs)

	Particulars	Yarn	Dyes & Chemicals	Fabrics	Total
A)	**Primary information**				
1	Segment wise Revenue	1,10,375.59	6,572.84	-	1,16,948.44
2	Segment wise Results	900.22	191.65	-	1,091.86
3	Unallocated overheads	-	-	-	1,463.10
4	Interest from Bank & others	-	-	-	717.90
5	Other Income	-	-	-	303.94
6	Prior period adjustments	-	-	-	-
7	CSR Expenditure				-
8	Profit before tax	-	-	-	650.60
9	Provision for Tax including earlier year adjustments	-	-	-	-105.76
10	Deferred tax	-	-	-	-23.35
11	Profit after tax	-	-	-	521.49
12	Segment-wise assets	37,760.21	267.77	143.44	38,171.41
13	Unallocable Corporate Assets (Including Financial Assets).	-	-	-	25,145.43
14	Total Assets				63,316.84
15	Segment wise liabilities includes Bank Borrowing	37,733.73	263.58	174.11	38,171.42
16	Unallocable Corporate liabilities (Including Bank Borrowings)	-	-	-	25,145.43
17	Total liabilities				63,316.84
18	Depreciation segment-wise	22.66	0.01	-	51.06

Notes:- i. There is no inter segment transaction in segment-wise revenue.

(Rs. In Lakhs)

B)	**Secondary Information**	**Name of the Region**	**Segment Revenue**
1	Segment Revenue by geographical area for the segment whose revenue is 10% or more of total revenue of all geographical segments.	RO Coimbatore	41,031.76
		RO Hyedrabad	16,928.95
		RO Bengaluru	15,612.23
		RO Panipat	15,333.90
		RO Kolkata	12,066.45
		Name of the Region	**Assets**
2	Segment assets by geographical location of assets of the segment whose assets are 10% or more of total assets of all geographical segments.	RO Varanasi	26,248.18

		क्षेत्र का नाम	फिक्स संप्पत्ति में वृद्धि
3	उस खंड के लिए अचल संपत्तियों में वृद्धि जहां संपत्ति सभी भौगोलिक क्षेत्रों की कुल संपत्ति का 10% या अधिक है।	शून्य	शून्य

4 वर्तमान समीक्षावधि को समाप्त वर्ष के लिए नोट 1 से 35 और महत्वपूर्ण लेखा नीतियां तुलन–पत्र के अंत में जुड़ी है एवं लाभ और हानि विवरण, इक्विटी में परिवर्तन और नकदी प्रवाह का विवरण, उस वर्ष की अंतिम तिथि के खातों का एक अभिन्न अंग है।

5 पिछले वर्ष के आँकड़ों को वर्तमान वर्ष के आँकड़ों के साथ तुलनीय बनाने के लिए जहाँ कहीं आवश्यक हो, पुन–कास्ट/पुन–समूहित किया गया है।

6 आंकड़े को निकटतम रुपये में पूर्णांकित किया गया है।

पुनर्वर्गीकरण की प्रकृति	पुनर्वर्गीकृत प्रत्येक मद की मात्रा		पुनर्वर्गीकरण का कारण
	31.03.2023 के अनुसार	31.03.2022 के अनुसार	
अब तक, अन्य चालू वित्तीय देनदारियों में दीर्घकालिक ऋण की वर्तमान परिपक्वता को शामिल किया गया था। अनुसूची iii में संशोधनों के तहत आवश्यकता के अनुसार इसे 'अल्पकालिक उधारी' के तहत एक अलग लाइन के रूप में पेश किया गया है और पिछले वर्ष के आंकड़े को फिर से स्पष्ट किया गया है।	लागू नहीं	लागू नहीं	कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में संशोधनों द्वारा अपेक्षित
पहले लीज देनदारियां अन्य वित्तीय देनदारियों के हिस्से के रूप में प्रस्तुत की गई थीं, हालांकि अनुसूची पपप में संशोधनों के तहत आवश्यकता के अनुसार, इसे 'वित्तीय देनदारियों' के तहत बैलेंस शीट के चेहरे पर अलग–अलग लाइन आइटम के रूप में प्रस्तुत किया गया है और पिछले वर्ष के आंकड़े को तदनुसार संशोधित किया गया है।	लागू नहीं	लागू नहीं	कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में संशोधनों द्वारा अपेक्षित

निदेशक मंडल की ओर से

ह/–.
जितेंद्र वी. पुरोहित
उप महाप्रबंधक
(वित्त एवं लेखा/सी.एफ.ओ)

ह/–.
रीता प्रेम हेमराजानी
प्रबन्ध निदेशक
डीआईएन – 0009478824

ह/–
अमृत राज
अध्यक्ष
डीआईएन सं. 03149839

समसंख्यक तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते वेद एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 15.09.2023

ह/–
भागीदार : पूजा गोयल
स. नं. 098551
एफ.आर.नं. 012019N
यूडीआईएनः 23098551BGZKJR1639
दिनांकः 28.09.2023

		Name of the Region	Addition to Fixed Assets
3	Additions to fixed assets for the segment where assets are 10% or more of the total assets of all geographical segments.	NIL	NIL

4 Note 1 to 35 and significant Accounting Policies annexed to Balance sheet as at the end of current reporting period and Statement of Profit and Loss, Change in Equity and Cash Flow for the year ended on that date form an integral part of Accounts.

5 The figures of previous year have been re-casted/ re-grouped wherever necessary to render them comparable with the figures of current year.

6 Figures have been rounded off to the nearest rupees .

Nature of reclassification	Amount of each item reclassified		Reason for the reclassification
	As at March 31, 2023	As at March 31, 2022	
Hitherto, Current maturities of long rem borrowings was included in Other Current Financial Liabilities. As per the requirement under amendments to Schedule III, the same has been presented under “Short Term Borrowings” as a separate line and previous year figure has been reclassified.	NA	NA	As required by Amendments to Schedule III to the Companies Act, 2013
Earlier Lease Liabilities were presented as part of Other Financial Liabilities, however as per the requirement under amendments to Schedule III, the same has been presented as separate line item on the face of Balance Sheet under the hear “Financial Liabilities” after Borrowings and previous year figure has been reclassified accordingly.	NA	NA	As required by Amendments to Schedule III to the Companies Act, 2013

On behalf of Board of Directors

Sd/-
Jitendra V Purohit
DGM(F&A)/CFO

Sd/-
Rita Prem Hemrajani
Managing Director
DIN No. – 0009478824

Sd/-
Amrit Raj
Chairman
DIN No. - 03149839

As per our Report of even date
For Ved and Company
Chartered Accountants

Place: New Delhi
Date: 15.09.2023

Sd/-
Partner : Pooja Goel
M.No. : 098551
F.R.No. : 012019N
UDIN: 23098551BGZKJR1639
Date : 28.09.2023

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड,
31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

(क) इक्विटी शेयर पूंजी (राशि रु. में)

रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में शेष राशि	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष राशि
190000000	-	190000000

(ख) अन्य इक्विटी (रुपये लाख में)

	लंबित आवंटन में शेयर आवेदन की धनराशि	मिश्रित वित्तीय साधनों का इक्विटी घटक	रिजर्व और शेष				अन्य व्यापक आय के माध्यम से ऋण साधन	कैश फ्लो हेजेज पर प्रभावी भाग	पुनर्मूल्यांकन अधिशेष	विदेशी परिचालन के वित्तीय विवरणों का परिवर्तित करने पर विनिमय मतभेद	अन्य व्यापक आय की अन्य मदें (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	शेयर वारंट के विरुद्ध प्राप्त धन	कुल
			पूंजी रिजर्व	प्रतिभूति प्रीमियम रिजर्व	विकास क्रियाकलाप और चिकित्सा कार्पस के लिए अन्य रिजर्व (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	प्रतिधारित आय							
रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में शेष राशि					54.78	5,721.38							
पूर्व अवधि की त्रुटियों की लेखा नीति में परिवर्तन					-	-							
रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में पुनर्निर्धारित शेष राशि					-	-							
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय					-	-							
लाभांश						-							
प्रतिधारित आय में स्थानांतरण					50.01	521.49							
कोई अन्य परिवर्तन (निर्दिष्ट किया जाना है)					34.94	50.01							
रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष राशि					69.85	6,192.86							

निदेशक मंडल की ओर से

ह/–.
जितेंद्र वी. पुरोहित
उप महाप्रबंधक
(वित्त एवं लेखा/सी.एफ.ओ)

ह/–.
रीता प्रेम हेमराजानी
प्रबन्ध निदेशक
डीआईएन – 0009478824

ह/–
अमृत राज
अध्यक्ष
डीआईएन सं. 03149839

समसंख्यक तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते वेद एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स

ह/–
भागीदार : पूजा गोयल
स. नं. 098551
एफ.आर.नं. 012019N
यूडीआईएन: 23098551BGZKJR1639
दिनांक: 28.09.2023

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 15.09.2023

NATIONAL HANDLOOM DEVELOPMENT CORPORATION LTD,
STATEMENT OF CHANGE IN EQUITY FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2023

(A) Equity Share Capital

(Amount in Rs.)

Balance at the beginning of the reporting period	Changes in equity share capital during the year	Balance at the end of the reporting period
190000000	-	190000000

(B) Other Equity

(Rs. in Lakh)

	Share application money pending allotment	Equity component of compound financial instruments	Reserves and Surplus				Debt instruments through other Comprehensive income	Effective portion on Cash Flow Hedges	Revaluation Surplus	Exchange differences on translating the financial statements of a foreign operation	Other items of other comprehensive Income (specify nature)	Money received against share warrants	Total
			Capital Reserve	Securities Premium Reserve	Other Reserves (specify nature) Reserve for Development Activity and Medical Corpus	Retained earnings							
Balance at the beginning of the reporting period					54.78	5,721.38							
Changes in accounting policy of prior period errors					-	-							
Restated balance at the beginning of the reporting period					-	-							
Total Comprehensive Income for the year					-	-							
Dividends						-							
Transfer to retained earnings					50.01	521.49							
Any other change (to be specified)					34.94	50.01							
Balance at the end of the reporting period					69.85	6,192.86							

On behalf of Board of Directors

Sd/-
Jitendra V Purohit
DGM(F&A)/CFO

Sd/-
Rita Prem Hemrajani
Managing Director
DIN No. – 0009478824

Sd/-
Amrit Raj
Chairman
DIN No. - 03149839

As per our Report of even date
For Ved and Company
Chartered Accountants

Place: New Delhi
Date: 15.09.2023

Sd/-
Partner : Pooja Goel
M.No. : 098551
F.R.No. : 012019N
UDIN: 23098551BGZKJR1639
Date : 28.09.2023

i) अनुदान का विवरण

वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के लिए सरकारी अनुदान और प्रतिभागियों के पैसे का विवरण

(राशि लाख में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2022 को शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त		कुल	वर्ष के दौरान लेनदेन			कुल	31.03.2023 को शेष
			सरकार से	प्रतिभागियों / अन्य से		व्यय	रिटर्न अंतरण	समायोजन अंतरण		
1	2	3	4	5	6 (3-4-5)	7	8	9	10 (7+8)	11 (6+9)
(क)	**विपणन प्रदर्शनी व्यय**									
	सिल्क फैब बड़ौदा 2017–18	6.63	-	-	6.63	-	-	6.63	(6.63)	-
	सिल्क फैब प्रदर्शनी गंगटोक 2017–2018	8.89	-	-	8.89	-	-	8.89	(8.89)	-
	सिल्क फैब प्रदर्शनी गुवाहाटी 2017–2018	9.07	-	-	9.07	-	-	9.07	(9.07)	-
	रेशम फैब प्रदर्शनी इंदौर 2017–2018	6.05	-	-	6.05	-	-	6.05	(6.05)	(0.00)
	रेशम फैब प्रदर्शनी ईटानगर 2017–2018	9.27	-	-	9.27	-	-	9.27	(9.27)	-
	सिल्क फैब वाराणसी (एनएचई) 2017–2018	1.80	-	-	1.80	-	-	1.80	(1.80)	-
	वूल फैब प्रदर्शनी वाराणसी 2017–2018	1.47	-	-	1.47	-	-	1.47	(1.47)	-
	नेशनल हैंडलूम एक्सपो नागपुर 2018–2019	0.51	-	-	0.51	-	-	0.51	(0.51)	-
	नेशनल हैंडलूम एक्सपो– इंदौर (2018–19)	7.64	-	-	7.64	-	-	-	-	7.64
	सिल्क फैब चेन्नई (2018–19)	9.43	-	-	9.43	-	-	-	-	9.43
	नेशनल हैंडलूम एक्सपो– पटना (2018–19)	6.82	-	-	6.82	-	-	-	-	6.82
	सिल्क फैब रायपुर 2018–2019	2.88	-	-	2.88	-	-	-	-	2.88
	सिल्क फैब, चेन्नई 2019–20	23.84	-	-	23.84	-	-	-	-	23.84
	सिल्क फैब, एर्नाकुलम 2019–20	23.96	-	-	23.96	-	-	-	-	23.96
	सिल्क फैब, मुंबई 2019–20	14.87	-	-	14.87	-	-	-	-	14.87
	नेशनल हैंडलूम एक्सपो दिल्ली हाट (2019–2020)	28.77	-	-	28.77	-	-	-	-	28.77
	नेशनल हैंडलूम एक्सपो नई दिल्ली (2019–2020)	6.40	-	-	6.40	-	-	0.02	(0.02)	6.38
	नेशनल हैंडलूम एक्सपो, इंदौर 2019–20	29.29	-	-	29.29	5.96	-	1.33	4.63	33.92
	नेशनल हैंडलूम एक्सपो, लखनऊ 2019–20	(14.00)	-	-	(14.00)	-	(14.00)	-	14.00	-
	एनएलएसएचई आगरा (2019–2020)	9.42	-	-	9.42	-	-	-	-	9.42
	एनएलएसएचई जबलपुर (2019–2020)	7.81	-	-	7.81	-	-	-	-	7.81
	एनएलएसएचई जमशेदपुर (2019–2020)	2.21	-	-	2.21	-	-	-	-	2.21
	एसएचई (हैंडलूम ऑफ इंडिया), ग्रेटर नोएडा 2019–20	21.80	-	-	21.80	-	-	-	-	21.80
	एसएचई (भारत का हथकरघा), वाराणसी 2019–20	16.19	-	-	16.19	-	-	-	-	16.19
	एसएचई (सिल्क फैब), अमृतसर 2019–20	9.24	-	-	9.24	-	-	-	-	9.24
	एसएचई (सिल्क फैब), बेंगलुरु 2019–20	9.97	-	-	9.97	-	-	-	-	9.97
	एसएचई (सिल्क फैब), भोपाल 2019–20	16.02	-	-	16.02	-	-	-	-	16.02
	एसएचई (सिल्क फैब), भुवनेश्वर 2019–20	23.82	-	-	23.82	-	-	-	-	23.82
	एसएचई (सिल्क फैब), चंडीगढ़ 2019–20	17.17	-	-	17.17	-	-	-	-	17.17
	एसएचई (सिल्क फैब), कोयम्बटूर 2019–20	9.01	-	-	9.01	-	-	-	-	9.01

i) Grant Statement

DETAILS OF GOVERNMENT GRANTS & PARTICIPANTS MONEY FOR THE CURRENT REPORTING PERIOD

(Rs. In Lakhs)

Sl. No.	Particulars	Balance As On 31.03.2022	Received During The Year		Total	Transactions During The Year			Total	Balance As On 31.03.2023
			From Govt.	From Participants/ Others		Expenses	Refund Transfer	Adjustment Transfer		
1	2	3	4	5	6 (3-4-5)	7	8	9	10 (7+8+9)	11 (6+10)
(A)	MARKETING EXHIBITION EXPENSES									
	Silk Fab Baroda 2017-18	6.63	-	-	6.63	-	-	6.63	(6.63)	-
	SILK FAB EXHIBITION GANGTOK 2017-2018	8.89	-	-	8.89	-	-	8.89	(8.89)	-
	SILK FAB EXHIBITION GUWAHATI 2017-2018	9.07	-	-	9.07	-	-	9.07	(9.07)	-
	SILK FAB EXHIBITION INDORE 2017-2018	6.05	-	-	6.05	-	-	6.05	(6.05)	(0.00)
	SILK FAB EXHIBITION ITANAGAR 2017-2018	9.27	-	-	9.27	-	-	9.27	(9.27)	-
	SILK FAB VARANASI (NHE) 2017-2018	1.80	-	-	1.80	-	-	1.80	(1.80)	-
	WOOL FAB EXHIBITION VARANASI 2017-2018	1.47	-	-	1.47	-	-	1.47	(1.47)	-
	NATIONAL HANDLOOM EXPO NAGPUR 2018-2019	0.51	-	-	0.51	-	-	0.51	(0.51)	-
	NATIONAL HANDLOOM EXPO-Indore(2018-19)	7.64	-	-	7.64	-	-	-	-	7.64
	Silk Fab Chennai (2018-19)	9.43	-	-	9.43	-	-	-	-	9.43
	NATIONAL HANDLOOM EXPO-Patna(2018-19)	6.82	-	-	6.82	-	-	-	-	6.82
	SILK FAB RAIPUR 2018-2019	2.88	-	-	2.88	-	-	-	-	2.88
	SILK FAB , CHENNAI 2019-20	23.84	-	-	23.84	-	-	-	-	23.84
	SILK FAB , ERNAKULAM 2019-20	23.96	-	-	23.96	-	-	-	-	23.96
	SILK FAB , MUMBAI 2019-20	14.87	-	-	14.87	-	-	-	-	14.87
	National Handloom Expo New Delhi (2019-2020)	28.77	-	-	28.77	-	-	-	-	28.77
	National Handloom Expo, Indore 2019-20	6.40	-	-	6.40	-	-	0.02	(0.02)	6.38
	National Handloom Expo, Lucknow 2019-20	29.29	-	-	29.29	5.96	-	1.33	4.63	33.92
	NLSHE AGRA (2019-2020)	(14.00)	-	-	(14.00)	-	(14.00)	-	14.00	-
	NLSHE JABALPUR (2019-2020)	9.42	-	-	9.42	-	-	-	-	9.42
	NLSHE JAMSHEDPUR (2019-2020)	7.81	-	-	7.81	-	-	-	-	7.81
	NLSHE JODHPUR (2019-2020)	2.21	-	-	2.21	-	-	-	-	2.21
	SHE (Handloom of India), Greater Noida 2019-20	21.80	-	-	21.80	-	-	-	-	21.80
	SHE (Handloom of India), Varanasi 2019-20	16.19	-	-	16.19	-	-	-	-	16.19
	SHE (Silk Fab), Amritsar 2019-20	9.24	-	-	9.24	-	-	-	-	9.24
	SHE (Silk Fab), Bengaluru 2019-20	9.97	-	-	9.97	-	-	-	-	9.97
	SHE (Silk Fab), Bhopal 2019-20	16.02	-	-	16.02	-	-	-	-	16.02
	SHE (Silk Fab), Bhubaneswar 2019-20	23.82	-	-	23.82	-	-	-	-	23.82
	SHE (Silk Fab), Chandigarh 2019-20	17.17	-	-	17.17	-	-	-	-	17.17
	SHE (Silk Fab), Coimbatore 2019-20	9.01	-	-	9.01	-	-	-	-	9.01

क्रम सं.	विवरण	31.03.2022 को शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त		कुल	वर्ष के दौरान लेनदेन			कुल	31.03.2023 को शेष
			सरकार से	प्रतिभागियों/अन्य से		व्यय	रिटर्न अंतरण	समायोजन अंतरण		
1	2	3	4	5	6 (3-4-5)	7	8	9	10 (7+8)	11 (6+9)
	एसएचई (सिल्क फैब), देहरादून 2019–20	23.15	-	-	23.15	-	-	-	-	23.15
	एसएचई (सिल्क फैब), दिल्ली 2019–20	20.41	-	-	20.41	-	-	-	-	20.41
	एसएचई (सिल्क फैब), गुवाहाटी 2019–20	6.74	-	-	6.74	-	-	-	-	6.74
	एसएचई (सिल्क फैब), हैदराबाद 2019–20	(14.00)	-	-	(14.00)	-	(14.00)	-	14.00	-
	एसएचई (सिल्क फैब), जम्मू 2019–20	23.83	-	-	23.83	-	-	-	-	23.83
	एसएचई (सिल्क फैब), नागपुर 2019–20	19.82	-	-	19.82	-	-	-	-	19.82
	एसएचई (सिल्क फैब), पटना 2019–20	6.40	-	-	6.40	-	-	-	-	6.40
	एसएचई (सिल्क फैब), पुणे 2019–20	22.60	-	-	22.60	-	-	-	-	22.60
	एसएचई (सिल्क फैब), रायपुर 2019–20	5.36	-	-	5.36	-	-	-	-	5.36
	एसएचई (सिल्क फैब), विशाखापत्तनम 2019–20	9.26	-	-	9.26	-	-	-	-	9.26
	एसएचई (ऊन फैब), भोपाल 2019–20	11.88	-	-	11.88	-	-	2.05	(2.05)	9.83
	एसएचई (ऊन फैब), लखनऊ 2019–20	8.29	-	-	8.29	-	-	-	-	8.29
	सिल्क फैब अहमदाबाद 2019–2020	15.83	-	-	15.83	-	-	-	-	15.83
	सिल्क फैब प्रदर्शनी 2019–2020 जबलपुर	7.05	-	-	7.05	-	-	-	-	7.05
	सिल्क फैब प्रदर्शनी 2019–2020 लेह–लद्दाख	19.43	4.93	-	14.50	-	-	-	-	14.50
	हैंडलूम मार्क के तहत विशेष हैंडलूम एक्सपो (एसएचई)	2.55	4.14	-	(1.59)	1.77	-	0.18	1.59	-
	ज्वाइंट एक्सपो इलाहाबाद 2019–2020	7.29	-	-	7.29	1.05	-	0.31	0.74	8.02
	स्वदेशी जागरण मंच, लखनऊ	4.00	4.00	-	-	-	-	-	-	-
	जिला हथकरघा एक्सपो इम्फाल 2021–22	6.00	-	-	6.00	-	-	-	-	6.00
	7वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2021–22	152.68	-	-	152.68	-	-	6.78	(6.78)	145.90
	सिल्क फैब प्रदर्शनी लखनऊ 2020–21	23.72	23.72	-	0.00	-	-	0.00	(0.00)	0.00
	सीएचडी–वाराणसी मेगा क्लस्टर 4 नंबर एक्सटेंशन काउंटर	(2.87)	-	-	(2.87)	-	-	-	-	(2.87)
	क्लस्टर विकास कार्यक्रम (बर्दवान)	(1.20)	-	-	(1.20)	-	-	-	-	(1.20)
	डिजाइन विकास और पैटर्न बनाना–वाराणसी	(0.18)	-	-	(0.18)	-	-	-	-	(0.18)
	ब्लिलस के जिले के लिए प्रशासन के लिए अनुदान लागत	(2.57)	-	-	(2.57)	-	-	-	-	(2.57)
	2000 बैटरी से जुड़े निवेश के वितरण के लिए अनुदान	(56.33)	-	-	(56.33)	-	-	-	-	(56.33)
	ब्लिलस के लिए संविदात्मक स्टाफ की भर्ती के लिए अनुदान,	(4.67)	-	-	(4.67)	-	-	-	-	(4.67)
	हथकरघा हेल्पलाइन केंद्र (एमएसडी)	4.74	17.64	-	(12.90)	48.92	-	-	48.92	36.02
	इंडिया हैंडलूम ब्रांड	53.12	-	-	53.12	-	-	-	-	53.12
	एनएचडीपी का विपणन सहायता घटक	(2.90)	-	-	(2.90)	-	-	-	-	(2.90)
	सिल्क फैब देहरादून 2020–21	9.24	9.24	-	-	-	-	-	-	-

Sl. No.	Particulars	Balance As On 31.03.2022	Received During The Year		Total	Transactions During The Year			Total	Balance As On 31.03.2023
			From Govt.	From Participants/ Others		Expenses	Refund Transfer	Adjustment Transfer		
1	2	3	4	5	6 (3-4-5)	7	8	9	10 (7+8+9)	11 (6+10)
	SHE (Silk Fab), Dehradun 2019-20	23.15	-	-	23.15	-	-	-	-	23.15
	SHE (Silk Fab), Delhi 2019-20	20.41	-	-	20.41	-	-	-	-	20.41
	SHE (Silk Fab), Guwahati 2019-20	6.74	-	-	6.74	-	-	-	-	6.74
	SHE (Silk Fab), Hyderabad 2019-20	(14.00)	-	-	(14.00)	-	(14.00)	-	14.00	-
	SHE (Silk Fab), Jammu 2019-20	23.83	-	-	23.83	-	-	-	-	23.83
	SHE (Silk Fab), Nagpur 2019-20	19.82	-	-	19.82	-	-	-	-	19.82
	SHE (Silk Fab), Patna 2019-20	6.40	-	-	6.40	-	-	-	-	6.40
	SHE (Silk Fab), Pune 2019-20	22.60	-	-	22.60	-	-	-	-	22.60
	SHE (Silk Fab), Raipur 2019-20	5.36	-	-	5.36	-	-	-	-	5.36
	SHE (Silk Fab), Vishakhapatnam 2019-20	9.26	-	-	9.26	-	-	-	-	9.26
	SHE (Wool Fab), Bhopal 2019-20	11.88	-	-	11.88	-	-	2.05	(2.05)	9.83
	SHE (Wool Fab), Lucknow 2019-20	8.29	-	-	8.29	-	-	-	-	8.29
	SILK FAB AHEMADABAD 2019-2020	15.83	-	-	15.83	-	-	-	-	15.83
	SILK FAB EXHIBITION 2019-2020 JABALPUR	7.05	-	-	7.05	-	-	-	-	7.05
	SILK FAB EXHIBITION 2019-2020 LEH-LADDAKH	19.43	4.93	-	14.50	-	-	-	-	14.50
	SPECIAL HANDLOOM EXPO (SHE) UNDER HANDLOOM MARKETING ASSISTANCE (AGA KHAN CENTRE)	2.55	4.14	-	(1.59)	1.77	-	0.18	1.59	-
	JOINT EXPO ALLAHABAD 2019-2020	7.29	-	-	7.29	1.05	-	0.31	0.74	8.02
	Swadeshi Jagran Manch,Lucknow	4.00	4.00	-	-	-	-	-	-	-
	District Handloom Expo Imphal 2021-22	6.00	-	-	6.00	-	-	-	-	6.00
	7th National Handloom Day 2021-22	152.68	-	-	152.68	-	-	6.78	(6.78)	145.90
	Silk Fab Exhibition Lucknow 2020-21	23.72	23.72	-	0.00	-	-	0.00	(0.00)	0.00
	Chds-Varanasi Mega Cluster 4 No.Extension Counter	(2.87)	-	-	(2.87)	-	-	-	-	(2.87)
	CLUSTER DEV. PROGRAMME (BURDWAN)	(1.20)	-	-	(1.20)	-	-	-	-	(1.20)
	DESIGNS DEV AND PATTERN MAKING-VARANASI	(0.18)	-	-	(0.18)	-	-	-	-	(0.18)
	GRANT FOR ADMN. COST FOR DIST. OF BLILUS	(2.57)	-	-	(2.57)	-	-	-	-	(2.57)
	GRANT FOR DISTRIBUTION OF 2000 BATTERY LINKED INVERTER LIGHTING UNITS	(56.33)	-	-	(56.33)	-	-	-	-	(56.33)
	GRANT FOR HIRING CONTRANCTUAL STAFF FOR BLILUS, WSC VARANASI	(4.67)	-	-	(4.67)	-	-	-	-	(4.67)
	HANDLOOM HELPLINE CENTRE (MSD)	4.74	17.64	-	(12.90)	48.92	-	-	48.92	36.02
	INDIA HAND LOOM BRAND	53.12	-	-	53.12	-	-	-	-	53.12
	MARKETING ASSISTANCE COMPONENT OF NHDC	(2.90)	-	-	(2.90)	-	-	-	-	(2.90)
	Silk Fab Dehradun 2020-21	9.24	9.24	-	-	-	-	-	-	-

क्रम सं.	विवरण	31.03.2022 को शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त		कुल	वर्ष के दौरान लेनदेन			कुल	31.03.2023 को शेष
			सरकार से	प्रतिभागियों/ अन्य से		व्यय	रिटर्न अंतरण	समायोजन अंतरण		
1	2	3	4	5	6 (3-4-5)	7	8	9	10 (7+8)	11 (6+9)
	सिल्क फैब पुणे 2020–21	(22.40)	-	-	(22.40)	-	(22.40)	-	22.40	-
	सिल्क फैब एर्नाकुलम 2020–21	(14.00)	-	-	(14.00)	-	(14.00)	-	14.00	-
	सिल्क फैब जम्मू 2020–21	6.35	-	-	6.35	-	-	-	-	6.35
	सिल्क फैब गुवाहाटी 2020–21	5.38	-	-	5.38	-	-	-	-	5.38
	सिल्क फैब रायपुर 2020–21	7.75	7.75	-	-	-	-	-	-	-
	सिल्क फैब सूरत 2020–21	(7.41)	-	-	(7.41)	-	-	-	-	(7.41)
	सिल्क फैब हैदराबाद 2020–21	0.47	-	-	0.47	-	-	-	-	0.47
	सिल्क फैब पटना 2020–21	6.15	-	-	6.15	-	-	-	-	6.15
	विषयगत प्रदर्शनी 2020–21 का आयोजन	(66.15)	-	-	(66.15)	-	-	-	-	(66.15)
	सिल्क फैब अहमदाबाद 2020–21	36.37	24.00	-	12.37	-	-	12.37	(12.37)	-
	डिजाइन संसाधन केंद्र 2020–21	4.23	4.23	-	0.00	-	-	0.00	(0.00)	(0.00)
	मेरा हथकरघा मेरी शान प्रदर्शनी दिल्ली हाट 2021–22	45.72	-	-	45.72	14.68	-	-	14.68	60.41
	आजादी का अमृत महोत्सव, धलाई जिला, त्रिपुरा	2.00	2.00	-	-	-	-	-	-	-
	एक्सक्लूसिव हैंडलूम एक्सपो वित्त वर्ष 2021–22 दिल्ली	(12.93)	-	-	(12.93)	12.93	-	-	12.93	-
	एनएचडीसी लिमिटेड वित्त वर्ष 2021–22 का 39वां स्थापना दिवस	(0.13)	-	-	(0.13)	20.36	-	-	20.36	20.24
	झरोखा–भारत के शिल्प का उत्सव अजमेर वित्तीय वर्ष 2021–22	2.85	-	-	2.85	-	-	9.50	(9.50)	(6.65)
	एक्सक्लूसिव हैंडलूम एक्सपो कांस्टीट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया दिल्ली 2021–22	(0.68)	-	-	(0.68)	5.37	-	-	5.37	4.69
	योजना 2021–22 के प्रसार पर संगोष्ठी	4.93	-	-	4.93	-	-	-	-	4.93
	सिल्क फैब जमशेदपुर 2021–22	(21.00)	-	-	(21.00)	-	-	-	-	(21.00)
	सिल्क फैब लखनऊ 2021–22	(21.00)	-	-	(21.00)	-	-	-	-	(21.00)
	सिल्क फैब भोपाल 2021–22	(21.00)	-	-	(21.00)	-	-	-	-	(21.00)
	सिल्क फैब चंडीगढ़ 2021–22	(21.00)	-	-	(21.00)	-	(21.00)	-	21.00	-
	सिल्क फैब पटना 2021–22	(21.00)	-	-	(21.00)	-	-	-	-	(21.00)
	सिल्क फैब देहरादून 2021–22	(21.00)	-	-	(21.00)	-	-	-	-	(21.00)
	सिल्क फैब सूरत 2021–22	(21.00)	-	-	(21.00)	-	-	-	-	(21.00)
	सिल्क फैब पुणे 2021–22	(21.00)	-	-	(21.00)	-	(21.00)	-	21.00	-
	सिल्क फैब भुवनेश्वर 2021–22	(21.00)	-	-	(21.00)	-	(21.00)	-	21.00	-
	सिल्क फैब जबलपुर 2021–22	(2.77)	-	-	(2.77)	7.21	-	-	7.21	4.44
	सिल्क फैब हैदराबाद 2021–22	(12.46)	-	-	(12.46)	20.70	-	-	20.70	8.24
	सिल्क फैब गुवाहाटी 2021–22	(21.00)	-	-	(21.00)	-	-	-	-	(21.00)
	वूल फैब लखनऊ 2021–22	(21.00)	-	-	(21.00)	-	(21.00)	-	21.00	-
	वूल फैब भोपाल 2021–22	(21.00)	-	-	(21.00)	-	(21.00)	-	21.00	-
	वूल फैब प्रागराज 2021–22	(21.00)	-	-	(21.00)	-	(21.00)	-	21.00	-
	सिल्क फैब अहमदाबाद 2021–22	(8.13)	-	-	(8.13)	16.90	-	-	16.90	8.77

Sl. No.	Particulars	Balance As On 31.03.2022	Received During The Year		Total	Transactions During The Year			Total	Balance As On 31.03.2023
			From Govt.	From Participants/ Others		Expenses	Refund Transfer	Adjustment Transfer		
1	2	3	4	5	6 (3-4-5)	7	8	9	10 (7+8+9)	11 (6+10)
	Silk Fab Pune 2020-21	(22.40)	-	-	(22.40)	-	(22.40)	-	22.40	-
	Silk Fab Ernakulam 2020-21	(14.00)	-	-	(14.00)	-	(14.00)	-	14.00	-
	Silk Fab Jammu 2020-21	6.35	-	-	6.35	-	-	-	-	6.35
	Silk Fab Guwahati 2020-21	5.38	-	-	5.38	-	-	-	-	5.38
	Silk Fab Raipur 2020-21	7.75	7.75	-	-	-	-	-	-	-
	Silk Fab Surat 2020-21	(7.41)	-	-	(7.41)	-	-	-	-	(7.41)
	Silk Fab Hyderabad 2020-21	0.47	-	-	0.47	-	-	-	-	0.47
	Silk Fab Patna 2020-21	6.15	-	-	6.15	-	-	-	-	6.15
	Organizing Thematic Exhibition 2020-21	(66.15)	-	-	(66.15)	-	-	-	-	(66.15)
	Silk Fab Ahmedabad 2020-21	36.37	24.00	-	12.37	-	-	12.37	(12.37)	-
	Design Resource Centre 2020-21	4.23	4.23	-	0.00	-	-	0.00	(0.00)	(0.00)
	My Handloom My Pride Exhibition Dilli Haat 2021-22	45.72	-	-	45.72	14.68	-	-	14.68	60.41
	Aazadi ka Amrit Mahotsav,Dhalai District,Tripura	2.00	2.00	-	-	-	-	-	-	-
	Exclusive Handloom Expo FY 2021-22 Delhi	(12.93)	-	-	(12.93)	12.93	-	-	12.93	-
	39th Foundation Day of NHDC LTD FY 2021-22	(0.13)	-	-	(0.13)	20.36	-	-	20.36	20.24
	Jharokha- Celebrating Crafts of India Ajmer FY 2021-22	2.85	-	-	2.85	-	-	9.50	(9.50)	(6.65)
	Exclusive Handloom Expo Constitution Club of India Delhi 2021-22	(0.68)	-	-	(0.68)	5.37	-	-	5.37	4.69
	Seminar on Dissemination of Scheme 2021-22	4.93	-	-	4.93	-	-	-	-	4.93
	Silk Fab Jamshedpur 2021-22	(21.00)	-	-	(21.00)	-	-	-	-	(21.00)
	Silk Fab Lucknow 2021-22	(21.00)	-	-	(21.00)	-	-	-	-	(21.00)
	Silk Fab Bhopal 2021-22	(21.00)	-	-	(21.00)	-	-	-	-	(21.00)
	Silk Fab Chandigarh 2021-22	(21.00)	-	-	(21.00)	-	(21.00)	-	21.00	-
	Silk Fab Patna 2021-22	(21.00)	-	-	(21.00)	-	-	-	-	(21.00)
	Silk Fab Dehradun 2021-22	(21.00)	-	-	(21.00)	-	-	-	-	(21.00)
	Silk Fab Surat 2021-22	(21.00)	-	-	(21.00)	-	-	-	-	(21.00)
	Silk Fab Pune 2021-22	(21.00)	-	-	(21.00)	-	(21.00)	-	21.00	-
	Silk Fab Bhubaneshwar 2021-22	(21.00)	-	-	(21.00)	-	(21.00)	-	21.00	-
	Silk Fab Jabalpur 2021-22	(2.77)	-	-	(2.77)	7.21	-	-	7.21	4.44
	Silk Fab Hyderabad 2021-22	(12.46)	-	-	(12.46)	20.70	-	-	20.70	8.24
	Silk Fab Guwahati 2021-22	(21.00)	-	-	(21.00)	-	-	-	-	(21.00)
	Wool Fab Lucknow 2021-22	(21.00)	-	-	(21.00)	-	(21.00)	-	21.00	-
	Wool Fab Bhopal 2021-22	(21.00)	-	-	(21.00)	-	(21.00)	-	21.00	-
	Wool Fab Pragagraj 2021-22	(21.00)	-	-	(21.00)	-	(21.00)	-	21.00	-
	Silk Fab Ahmedabad 2021-22	(8.13)	-	-	(8.13)	16.90	-	-	16.90	8.77

क्रम सं.	विवरण	31.03.2022 को शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त		कुल	वर्ष के दौरान लेनदेन			कुल	31.03.2023 को शेष
			सरकार से	प्रतिभागियों / अन्य से		व्यय	रिटर्न अंतरण	समायोजन अंतरण		
1	2	3	4	5	6 (3-4-5)	7	8	9	10 (7+8)	11 (6+9)
	सिल्क फैब इंदौर 2021–22	(21.00)	-	-	(21.00)	-	(21.00)	-	21.00	-
	सिल्क फैब जोधपुर 2021–22	(21.00)	-	-	(21.00)	-	(21.00)	-	21.00	-
	सिल्क फैब वाराणसी 2021–22	(21.00)	-	-	(21.00)	-	(15.01)	-	15.01	(5.99)
	सिल्क फैब रांची 2021–22	(21.00)	-	-	(21.00)	-	(21.00)	-	21.00	-
	सिल्क फैब रायपुर 2021–22	(21.00)	-	-	(21.00)	-	(21.00)	-	21.00	-
	अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस	-	-	-	-	1.39	-	-	1.39	1.39
	निर्माता कंपनी का गठन	-	-	-	-	0.55	-	-	0.55	0.55
	जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन, हथकरघा बुनाई का लाइव प्रदर्शन	-	-	-	-	8.60	-	-	8.60	8.60
	पूर्वोत्तर महोत्सव 2022–23 का उत्सव	-	4.20	-	(4.20)	4.26	-	-	4.26	0.06
	राष्ट्रीय जी.आई. शिल्प संग्रहालय में गैलरी, दीनदयाल हस्तकला संकुल, वाराणसी वित्तीय वर्ष 2022–23	-	-	-	-	10.83	-	-	10.83	10.83
	17वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (एमआईएफएफ) 2022–23	-	12.60	-	(12.60)	10.19	-	-	10.19	(2.41)
	8वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2022–23	-	-	-	-	549.89	-	-	549.89	549.89
	एचजीएच इंडिया 12–15 जुलाई, 2022 इंडिया एक्सपो सेंटर, ग्रेटर नोएडा में	-	-	-	-	8.70	-	-	8.70	8.70
	7वां भारत औद्योगिक मेला (उद्यम–2022) और उद्यम सम्मेलन, गुवाहाटी	-	-	-	-	6.61	-	-	6.61	6.61
	वित्तीय वर्ष 2022–23, दिल्ली हाट, जनकपुरी में विशेष हथकरघा एक्सपो	-	-	-	-	21.61	-	-	21.61	21.61
	सिल्क फैब अहमदाबाद 2022–23	-	19.18	-	(19.18)	29.88	-	-	29.88	10.70
	सिल्क फैब जबलपुर 2022–23	-	19.18	-	(19.18)	27.25	-	-	27.25	8.07
	सिल्क फैब कोलकाता 2022–23	-	19.18	-	(19.18)	29.21	-	-	29.21	10.03
	सिल्क फैब सूरत 2022–23	-	19.18	-	(19.18)	25.93	-	-	25.93	6.75
	सिल्क फैब जमशेदपुर 2022–23	-	19.18	-	(19.18)	27.23	-	-	27.23	8.05
	सिल्क फैब जम्मू 2022–23	-	19.18	-	(19.18)	26.17	-	-	26.17	6.99
	सिल्क फैब दिल्ली 2022–23	-	19.18	-	(19.18)	30.13	-	-	30.13	10.95
	सिल्क फैब चेन्नई 2022–23	-	19.18	-	(19.18)	14.29	-	-	14.29	(4.89)
	एक्सक्लूसिव हैंडलूम एक्सपो देहरादून 2022–23	-	9.77	-	(9.77)	18.39	-	-	18.39	8.62
	सिल्क फैब शिमला 2022–23	-	-	-	-	0.03	-	-	0.03	0.03
	हैंडलूम हाट, जनपथ में एक्सक्लूसिव हैंडलूम एक्सपो 2022–23	-	20.60	-	(20.60)	20.06	-	-	20.06	(0.54)
	झरोखा– भारत का शिल्प उत्सव कोयंबटूर 2021–22	-	-	-	-	10.91	-	-	10.91	10.91
	थीम पवेलियन, इम्फाल, मणिपुर में MANITEX 2022–23	-	-	-	-	1.55	-	-	1.55	1.55
	एक्सक्लूसिव हैंडलूम एक्सपो, जम्मू 2022–23	-	9.77	-	(9.77)	15.18	-	-	15.18	5.41

Sl. No.	Particulars	Balance As On 31.03.2022	Received During The Year		Total	Transactions During The Year			Total	Balance As On 31.03.2023
			From Govt.	From Participants/ Others		Expenses	Refund Transfer	Adjustment Transfer		
1	2	3	4	5	6 (3-4-5)	7	8	9	10 (7+8+9)	11 (6+10)
	Silk Fab Indore 2021-22	(21.00)	-	-	(21.00)	-	(21.00)	-	21.00	-
	Silk Fab Jodhpur 2021-22	(21.00)	-	-	(21.00)	-	(21.00)	-	21.00	-
	Silk Fab Varanasi 2021-22	(21.00)	-	-	(21.00)	-	(15.01)	-	15.01	(5.99)
	Silk Fab Ranchi 2021-22	(21.00)	-	-	(21.00)	-	(21.00)	-	21.00	-
	Silk Fab Raipur 2021-22	(21.00)	-	-	(21.00)	-	(21.00)	-	21.00	-
	INTERNATIONAL WOMENS DAY	-	-	-	-	1.39	-	-	1.39	1.39
	Formation of Producer Company	-	-	-	-	0.55	-	-	0.55	0.55
	Organization of Awareness Prog Live Demonstration of Handloom Weaving	-	-	-	-	8.60	-	-	8.60	8.60
	Celebration of North East Festival 2022-23	-	4.20	-	(4.20)	4.26	-	-	4.26	0.06
	National G.I. Gallery in the Craft Museum, Deendayal Hastkala Sankul, Varanasi FY 2022-23	-	-	-	-	10.83	-	-	10.83	10.83
	17th Mumbai International Film Festival (MIFF) 2022-23	-	12.60	-	(12.60)	10.19	-	-	10.19	(2.41)
	8th National Handloom Day 2022-23	-	-	-	-	549.89	-	-	549.89	549.89
	HGH India 12-15 July, 2022 at India Expo Center, Greater Noida	-	-	-	-	8.70	-	-	8.70	8.70
	7th India Industrial Fair (Udyam-2022) & Udyamee Samellan, Guwahati	-	-	-	-	6.61	-	-	6.61	6.61
	Exclusive Handloom Expo at Dilli Haat, Janakpuri FY 2022-23	-	-	-	-	21.61	-	-	21.61	21.61
	Silk Fab Ahmedabad FY 2022-23	-	19.18	-	(19.18)	29.88	-	-	29.88	10.70
	Silk Fab Jabalpur FY 2022-23	-	19.18	-	(19.18)	27.25	-	-	27.25	8.07
	Silk Fab Kolkata FY 2022-23	-	19.18	-	(19.18)	29.21	-	-	29.21	10.03
	Silk Fab Surat FY 2022-23	-	19.18	-	(19.18)	25.93	-	-	25.93	6.75
	Silk Fab Jamshedpur FY 2022-23	-	19.18	-	(19.18)	27.23	-	-	27.23	8.05
	Silk Fab Jammu FY 2022-23	-	19.18	-	(19.18)	26.17	-	-	26.17	6.99
	Silk Fab Delhi FY 2022-23	-	19.18	-	(19.18)	30.13	-	-	30.13	10.95
	Silk Fab Chennai FY 2022-23	-	19.18	-	(19.18)	14.29	-	-	14.29	(4.89)
	Exclusive Handloom Expo Dehradun FY 2022-23	-	9.77	-	(9.77)	18.39	-	-	18.39	8.62
	Silk Fab Shimla FY 2022-23	-	-	-	-	0.03	-	-	0.03	0.03
	Exclusive Handloom Expo at Handloom Haat, Janpath FY 2022-23	-	20.60	-	(20.60)	20.06	-	-	20.06	(0.54)
	Jharokha- Celebrating Crafts of India Coimbatore FY 2021-22	-	-	-	-	10.91	-	-	10.91	10.91
	Theme Pavilion in MANITEX at Imphal, Manipur FY 2022-23	-	-	-	-	1.55	-	-	1.55	1.55
	EXCLUSIVE HANDLOOM EXPO, JAMMU FY 2022-23	-	9.77	-	(9.77)	15.18	-	-	15.18	5.41

क्रम सं.	विवरण	31.03.2022 को शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त		कुल	वर्ष के दौरान लेनदेन			कुल	31.03.2023 को शेष
			सरकार से	प्रतिभागियों / अन्य से		व्यय	रिटर्न अंतरण	समायोजन अंतरण		
1	2	3	4	5	6 (3-4-5)	7	8	9	10 (7+8)	11 (6+9)
	जागरूकता शिविर– सह– बैठक का आयोजन, पश्चिम बंगाल 2022–23	-	-	-	-	2.00	-	-	2.00	2.00
	विशेष हथकरघा और हस्तशिल्प एक्सपो,काली बाड़ी, नई दिल्ली 2022–23	-	-	-	-	2.46	-	-	2.46	2.46
	22/11/2022 को संसदीय सलाहकार बैठक आयोजित की गई –2022–23	-	-	-	-	0.85	-	-	0.85	0.85
	असम के मुगा सिल्क के लिए लघु फिल्म	-	-	-	-	3.66	-	-	3.66	3.66
	होटल विलो बैंक्स, शिमला में एक्सक्लूसिव हैंडलूम एक्सपो 2022–23	-	9.77	-	(9.77)	16.26	-	-	16.26	6.49
	विरासत, साड़ी महोत्सव – 2022–23, जनपथ, दिल्ली	-	89.46	-	(89.46)	32.85	-	-	32.85	(56.61)
	टेक्सटाइल कॉन्क्लेव 2022–23 – दीनदयाल हस्तकला संकुल, वाराणसी में	-	-	-	-	1.12	-	-	1.12	1.12
	जनजातीय गौरव दिवस, जनपथ दिल्ली – 2022–23	-	-	-	-	17.59	-	-	17.59	17.59
	41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, दिल्ली 2022–23	-	152.48	-	(152.48)	258.11	-	-	258.11	105.63
	वूल फैब, जयपुर 2022–23	-	19.18	-	(19.18)	23.45	-	-	23.45	4.27
	इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, दिल्ली 2022–23	-	11.00	-	(11.00)	12.69	-	-	12.69	1.69
	सिल्क फैब, भोपाल 2022–23	-	19.18	-	(19.18)	27.18	-	-	27.18	8.00
	आईएएसओडब्ल्यूए कार्निवल, चाणक्यपुरी 2022–23	-	-	-	-	0.61	-	-	0.61	0.61
	सिल्क फैब, नागपुर 2022–23	-	19.18	-	(19.18)	26.26	-	-	26.26	7.08
	सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला, फरीदाबाद 2022–23	-	10.45	-	(10.45)	24.92	-	-	24.92	14.47
	राज्य मंत्री, भुवनेश्वर –पारस्परिक विचार विमर्श बैठक वित्त वर्ष 2022–23	-	-	-	-	1.00	-	-	1.00	1.00
	सिल्क फैब, हैदराबाद 2022–23	-	21.00	-	(21.00)	29.68	-	-	29.68	8.68
	सिल्क फैब प्रदर्शनी, गांधी धाम (कांडला), 2022–23	-	19.18	-	(19.18)	26.84	-	-	26.84	7.66
	सिल्क फैब प्रदर्शनी, रायपुर, 2022–23	-	19.18	-	(19.18)	34.47	-	-	34.47	15.29
	झरोखा– भारत शिल्प उत्सव, डोंबिवली 2022–23	-	-	-	-	15.72	-	-	15.72	15.72
	एचजीएच इंडिया स्पेशल हैंडलूम एक्सपो, गोरेगांव, मुंबई 2022–23	-	19.70	-	(19.70)	24.04	-	-	24.04	4.34
	सिल्क फैब, बैंगलोर 2022–23	-	21.00	-	(21.00)	35.63	-	-	35.63	14.63
	25वीं राष्ट्रीय वस्त्र प्रदर्शनी, कोलकाता 2022–23	-	-	-	-	1.03	-	-	1.03	1.03
	जिला हथकरघा एक्सपो असम, नलबाड़ी और मंगलदोई 2022–23	-	8.00	-	(8.00)	11.40	-	-	11.40	3.40
	अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 2022–23	-	-	-	-	8.77	-	-	8.77	8.77
	सिल्क फैब, इंदौर 2022–23	-	19.18	-	(19.18)	26.26	-	-	26.26	7.08
	सिल्क फैब, पटना 2022–23	-	19.18	-	(19.18)	27.85	-	-	27.85	8.67

Sl. No.	Particulars	Balance As On 31.03.2022	Received During The Year		Total	Transactions During The Year			Total	Balance As On 31.03.2023
			From Govt.	From Participants/ Others		Expenses	Refund Transfer	Adjustment Transfer		
1	2	3	4	5	6 (3-4-5)	7	8	9	10 (7+8+9)	11 (6+10)
	Organization of Awareness Camp cum Meeting in West Bengal FY 2022-23	-	-	-	-	2.00	-	-	2.00	2.00
	Special Handloom & Handicraft Expo at Kali Bari, New Delhi FY 2022-23	-	-	-	-	2.46	-	-	2.46	2.46
	Parliamentary Consultative Meeting held on 22/11/2022 FY 2022-23	-	-	-	-	0.85	-	-	0.85	0.85
	Short Film for Muga Silk of Assam	-	-	-	-	3.66	-	-	3.66	3.66
	Exclusive Handloom Expo at Hotel Willow Banks, Shimla FY 2022-23	-	9.77	-	(9.77)	16.26	-	-	16.26	6.49
	VIRAASAT, Saree Festival at Janpath, Delhi FY 2022-23	-	89.46	-	(89.46)	32.85	-	-	32.85	(56.61)
	Textile Conclave at Deendayal Hastkala Sankul, Varanasi FY 2022-23	-	-	-	-	1.12	-	-	1.12	1.12
	Janjatiya Gaurav Diwas, Janpath Delhi FY 2022-23	-	-	-	-	17.59	-	-	17.59	17.59
	41st India International Trade Fair, Delhi FY 2022-23	-	152.48	-	(152.48)	258.11	-	-	258.11	105.63
	Wool Fab, Jaipur FY 2022-23	-	19.18	-	(19.18)	23.45	-	-	23.45	4.27
	India International Centre, Delhi FY 2022-23	-	11.00	-	(11.00)	12.69	-	-	12.69	1.69
	Silk Fab, Bhopal FY 2022-23	-	19.18	-	(19.18)	27.18	-	-	27.18	8.00
	IASOWA Carnival, Chanakyapuri FY 2022-23	-	-	-	-	0.61	-	-	0.61	0.61
	Silk Fab, Nagpur FY 2022-23	-	19.18	-	(19.18)	26.26	-	-	26.26	7.08
	Surajkund International Crafts Mela, Faridabad FY 2022-23	-	10.45	-	(10.45)	24.92	-	-	24.92	14.47
	Interaction Meeting of MOS, Bhubaneswar FY 2022-23	-	-	-	-	1.00	-	-	1.00	1.00
	Silk Fab Hyderabad, FY 2022-23	-	21.00	-	(21.00)	29.68	-	-	29.68	8.68
	Silk Fab Exhibition, Gandhi Dham (Kandla), FY 2022-23	-	19.18	-	(19.18)	26.84	-	-	26.84	7.66
	Silk Fab Exhibition, Raipur, FY 2022-23	-	19.18	-	(19.18)	34.47	-	-	34.47	15.29
	Jharokha- Celebrating Craft of India in Dombivili, FY 2022-23	-	-	-	-	15.72	-	-	15.72	15.72
	HGH India Special handloom Expo at Goregaon, Mumbai, FY 2022-23	-	19.70	-	(19.70)	24.04	-	-	24.04	4.34
	Silk Fab, Bangalore FY 2022-23	-	21.00	-	(21.00)	35.63	-	-	35.63	14.63
	25th National Textile Exhibition, Kolkata FY 2022-23	-	-	-	-	1.03	-	-	1.03	1.03
	District Handloom Expo Assam, at Nalbari & Mangaldoi FY 2022-23	-	8.00	-	(8.00)	11.40	-	-	11.40	3.40
	International Women's Day, FY 2022-23	-	-	-	-	8.77	-	-	8.77	8.77
	Silk Fab, Indore. FY 2022-23	-	19.18	-	(19.18)	26.26	-	-	26.26	7.08
	Silk Fab, Patna. FY 2022-23	-	19.18	-	(19.18)	27.85	-	-	27.85	8.67

क्रम सं.	विवरण	31.03.2022 को शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त		कुल	वर्ष के दौरान लेनदेन			कुल	31.03.2023 को शेष
			सरकार से	प्रतिभागियों / अन्य से		व्यय	रिटर्न अंतरण	समायोजन अंतरण		
1	2	3	4	5	6 (3-4-5)	7	8	9	10 (7+8)	11 (6+9)
	सिल्क फैब, गुवाहाटी 2022–23	-	19.18	-	(19.18)	45.49	-	-	45.49	26.31
	काशी तमिल संगम (केटीएस), वाराणसी वित्तीय वर्ष 2022–23	-	15.31	-	(15.31)	16.89	-	-	16.89	1.58
	हैंडलूम ऑफ इंडिया, लखनऊ 2022–23	-	19.18	-	(19.18)	6.22	-	-	6.22	(12.96)
	विजन राजस्थान – सिरोही, राजस्थान 2022–23	-	-	-	-	1.20	-	-	1.20	1.20
	एनएचडीपी 2022–23 के तहत राज्य मंत्री का जयपुर दौरा	-	-	-	-	1.27	-	-	1.27	1.27
	13वां एग्रोविजन समिट नागपुर 2022–23	-	-	-	-	2.07	-	-	2.07	2.07
	होम डेकोर प्रदर्शनी, जनपथ दिल्ली 2022–23	-	-	-	-	4.92	-	-	4.92	4.92
	उत्थान – उत्तर प्रदेश गाजियाबाद 2022–23	-	-	-	-	1.04	-	-	1.04	1.04
	भारत पर्व, दिल्ली लाल किला 2022–23	-	-	-	-	3.92	-	-	3.92	3.92
	नेशनल हैंडलूम एक्सपो, जनपथ 2022–23	-	-	-	-	10.42	-	-	10.42	10.42
	वूल फैब, दिल्ली 2022–23	-	21.00	-	(21.00)	32.65	-	-	32.65	11.65
	डिजाइन संसाधन केंद्र 2021–22	-	-	-	-	6.09	-	-	6.09	6.09
	जागरूकता कार्यक्रम, हथकरघा बुनाई का लाइव प्रदर्शन और हथकरघा उत्पाद का प्रदर्शन, गांधी नगर 2022–23	-	-	-	-	4.87	-	-	4.87	4.87
	हथकरघा प्रदर्शनी, फैशन शो, रोंगाली 2022–23	-	-	-	-	3.00	-	-	3.00	3.00
	सिल्क फैब, वाराणसी 2022–23	-	19.18	-	(19.18)	7.11	-	-	7.11	(12.07)
	क्रेता–विक्रेता बैठक, तमिलनाडु, सेलम 2022–23	-	2.87	-	(2.87)	4.10	-	-	4.10	1.23
	क्रेता–विक्रेता बैठक, तमिलनाडु, काचीपुरम 2022–23	-	2.77	-	(2.77)	3.95	-	-	3.95	1.19
	क्रेता–विक्रेता बैठक, मध्य प्रदेश, महेश्वर 2022–23	-	2.42	-	(2.42)	3.42	-	-	3.42	1.01
	क्रेता–विक्रेता बैठक, छत्तीसगढ़, रायपुर 2022–23	-	2.42	-	(2.42)	3.42	-	-	3.42	1.00
	क्रेता–विक्रेता बैठक, आंध्र प्रदेश, काकीनाडा 2022–23	-	1.96	-	(1.96)	2.80	-	-	2.80	0.84
	क्रेता–विक्रेता बैठक, तेलंगाना, करीमनगर 2022–23	-	1.96	-	(1.96)	2.80	-	-	2.80	0.84
	क्रेता–विक्रेता बैठक, ओडिशा, बरगढ़ 2022–23	-	2.10	-	(2.10)	2.91	-	-	2.91	0.81
	क्रेता–विक्रेता बैठक, पश्चिम बंगाल, कृष्णानगर 2022–23	-	2.10	-	(2.10)	2.89	-	-	2.89	0.79
	क्रेता–विक्रेता बैठक, जम्मू और कश्मीर, श्रीनगर 2022–23	-	1.96	-	(1.96)	2.80	-	-	2.80	0.84
	क्रेता–विक्रेता बैठक,हरियाणा,पानीपत 2022–23	-	1.96	-	(1.96)	2.80	-	-	2.80	0.84
	क्रेता–विक्रेता बैठक, कर्नाटक, बैंगलोर 2022–23	-	1.75	-	(1.75)	1.98	-	-	1.98	0.23
	क्रेता–विक्रेता बैठक, गुजरात, सुरेंद्रनगर 2022–23	-	1.75	-	(1.75)	2.50	-	-	2.50	0.75
	प्रचार–प्रसार योजना 2022–23 पर संगोष्ठी	-	21.64	-	(21.64)	27.80	-	-	27.80	6.16

Sl. No.	Particulars	Balance As On 31.03.2022	Received During The Year		Total	Transactions During The Year			Total	Balance As On 31.03.2023
			From Govt.	From Participants/ Others		Expenses	Refund Transfer	Adjustment Transfer		
1	2	3	4	5	6 (3-4-5)	7	8	9	10 (7+8+9)	11 (6+10)
	Silk Fab, Guwahati. FY 2022-23	-	19.18	-	(19.18)	45.49	-	-	45.49	26.31
	Kashi Tamil Samagam (KTS), Varanasi FY 2022-23	-	15.31	-	(15.31)	16.89	-	-	16.89	1.58
	Handloom of India, Lucknow FY 2022-23	-	19.18	-	(19.18)	6.22	-	-	6.22	(12.96)
	Vision Rajasthan at Sirohi, Rajasthan FY 2022-23	-	-	-	-	1.20	-	-	1.20	1.20
	Visit of Minister of State to Jaipur under NHDP FY 2022-23	-	-	-	-	1.27	-	-	1.27	1.27
	13th Agrovision Summit Nagpur 2022-23	-	-	-	-	2.07	-	-	2.07	2.07
	Exhibition for Home Decor, Janpath Delhi FY 2022-23	-	-	-	-	4.92	-	-	4.92	4.92
	Rise in Uttar Pradesh Ghaziabad 2022-23	-	-	-	-	1.04	-	-	1.04	1.04
	Bharat Parv, Delhi Red Fort FY 2022-23	-	-	-	-	3.92	-	-	3.92	3.92
	National Handloom Expo at Janpath, FY 2022-23	-	-	-	-	10.42	-	-	10.42	10.42
	Wool Fab Delhi 2022-23	-	21.00	-	(21.00)	32.65	-	-	32.65	11.65
	Design Resource Centre 2021-22	-	-	-	-	6.09	-	-	6.09	6.09
	Awareness Prog,Live Demonstration of Handloom Weaving&Display of Handloom Product,Gandhi Nagar 22-23	-	-	-	-	4.87	-	-	4.87	4.87
	Exhibition of Handloom, Fashion Show at Rongali, FY 2022-23	-	-	-	-	3.00	-	-	3.00	3.00
	Silk Fab Varanasi 2022-23	-	19.18	-	(19.18)	7.11	-	-	7.11	(12.07)
	Buyer Seller Meet,Tamil Nadu, Salem 2022-23	-	2.87	-	(2.87)	4.10	-	-	4.10	1.23
	Buyer Seller Meet,Tamil Nadu, Kacheepuram 2022-23	-	2.77	-	(2.77)	3.95	-	-	3.95	1.19
	Buyer Seller Meet,Madhya Pradesh, Maheshwar 2022-23	-	2.42	-	(2.42)	3.42	-	-	3.42	1.01
	Buyer Seller Meet,Chattisgarh, Raipur 2022-23	-	2.42	-	(2.42)	3.42	-	-	3.42	1.00
	Buyer Seller Meet,Andhra Pradesh, Kakinada 2022-23	-	1.96	-	(1.96)	2.80	-	-	2.80	0.84
	Buyer Seller Meet,Telengana, Karimnagar 2022-23	-	1.96	-	(1.96)	2.80	-	-	2.80	0.84
	Buyer Seller Meet, Odisha, Bargarh 2022-23	-	2.10	-	(2.10)	2.91	-	-	2.91	0.81
	Buyer Seller Meet,West Bengal, Krishnanagar 2022-23	-	2.10	-	(2.10)	2.89	-	-	2.89	0.79
	Buyer Seller Meet, Jammu & Kashmir, Srinagar 2022-23	-	1.96	-	(1.96)	2.80	-	-	2.80	0.84
	Buyer Seller Meet, Haryana, Panipat 2022-23	-	1.96	-	(1.96)	2.80	-	-	2.80	0.84
	Buyer Seller Meet, Karnataka, Bangalore 2022-23	-	1.75	-	(1.75)	1.98	-	-	1.98	0.23
	Buyer Seller Meet, Gujrat, Surendarnagar 2022-23	-	1.75	-	(1.75)	2.50	-	-	2.50	0.75
	Seminar on Dissemination of Scheme 2022-23	-	21.64	-	(21.64)	27.80	-	-	27.80	6.16

क्रम सं.	विवरण	31.03.2022 को शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त		कुल	वर्ष के दौरान लेनदेन			कुल	31.03.2023 को शेष
			सरकार से	प्रतिभागियों / अन्य से		व्यय	रिटर्न अंतरण	समायोजन अंतरण		
1	2	3	4	5	6 (3-4-5)	7	8	9	10 (7+8)	11 (6+9)
	क्रेता–विक्रेता बैठक, बिहार, भागलपुर 2022–23	-	-	-	-	3.00	-	-	3.00	3.00
	झरोखा– भारत शिल्प उत्सव, अहमदाबाद 2021–22	-	-	-	-	3.03	-	-	3.03	3.03
	प्रचार गतिविधियों का आयोजन 7 डीआरसी 2021–22	(8.67)	-	-	(8.67)	-	-	-	-	(8.67)
	जिला हथकरघा एक्सपो वाराणसी 2021–22	5.58	-	-	5.58	-	-	-	-	5.58
	8वीं भारतीय राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह–मेला कोलकाता 2021 का आयोजन	(1.44)	-	-	(1.44)	-	-	-	-	(1.44)
	10 डीएचई 2021–22 का आयोजन	(16.65)	-	-	(16.65)	21.33	-	-	21.33	4.68
	गुवाहाटी में क्रेता–विक्रेता बैठक (बीएसएम) 2021–22	0.41	-	-	0.41	-	-	-	-	0.41
	25वां बंग संस्कृति उत्सव वित्त वर्ष 2022	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
	झरोखा– भारत शिल्प उत्सव दीमापुर वित्त वर्ष 2021–22	2.68	-	-	2.68	0.30	-	-	0.30	2.99
	विविध अनुदान खाता (प्रदर्शनी)	20.97	-	-	20.97	-	-	19.97	(19.97)	1.00
(ख)	**अन्य अनुदान**									
	जीआई पंजीकृत हथकरघाध्हस्तशिल्प उत्पाद पर 12 फिल्में (2018–2019)	1.40	-	-	1.40	-	-	-	-	1.40
	सीएफसी वाराणसी मेगा हैंडलूम क्लस्टर में 15 बंकरचौपाल	(0.03)	-	-	(0.03)	-	-	-	-	(0.03)
	गुवाहाटी में 7 अगस्त 2017 को तीसरा राष्ट्रीय हथकरघा दिवस	54.14	-	-	54.14	-	-	-	-	54.14
	राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2020–21	0.16	-	-	0.16	-	-	0.16	(0.16)	-
	लखनऊ में एचएसएफ 2018 का चौथा संस्करण 05. 10.2018 से 08.10.2018	1.66	-	-	1.66	-	-	-	-	1.66
	5वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस (2019–2020)	0.92	-	-	0.92	-	-	0.92	(0.92)	-
	6ठा राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2020–2021 वि.आ. हस्तशिल्प	(32.51)	-	-	(32.51)	16.05	-	-	16.05	(16.47)
	अबहोनी –2019 (महात्मा गांधी) का सहयोग और प्रायोजन	1.50	-	-	1.50	-	-	-	-	1.50
	8 मार्च 2017 अंतर्राष्ट्रीय महि दिवस के तहत जीआई पंजीकृत हथकरघा हस्तशिल्प उत्पाद पर फिल्म	0.38	-	-	0.38	-	-	0.38	(0.38)	-
	6 आईआईएचटीएस को ईनामध्पुरस्कार वितरण के लिए अनुदान	(6.78)	-	-	(6.78)	-	-	-	-	(6.78)
	सीएफसी वाराणसी के लिए अनुदान	28.04	-	-	28.04	-	-	-	-	28.04
	सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) वाराणसी के लिए अनुदान	(10.82)	-	-	(10.82)	-	-	-	-	(10.82)
	7 सीएफसी के निर्माण के लिए अनुदान	124.96	-	-	124.96	-	-	-	-	124.96
	मल्टीपल बूटी मशीन की प्रस्तावना पर व्यय हेतु अनुदान	(0.05)	-	-	(0.05)	-	-	-	-	(0.05)
	डब्ल्यूएससी वाराणसी को चार पहिया किराए पर लेने और विविध व्यय के लिए अनुदान	(0.96)	-	-	(0.96)	-	-	-	-	(0.96)
	सूचना शिक्षा एवं संचार हेतु अनुदान	(48.05)	-	-	(48.05)	-	-	-	-	(48.05)

Sl. No.	Particulars	Balance As On 31.03.2022	Received During The Year		Total	Transactions During The Year			Total	Balance As On 31.03.2023
			From Govt.	From Participants/ Others		Expenses	Refund Transfer	Adjustment Transfer		
1	2	3	4	5	6 (3-4-5)	7	8	9	10 (7+8+9)	11 (6+10)
	Buyer Seller Meet, Bihar, Bhagalpur 2022-23	-	-	-	-	3.00	-	-	3.00	3.00
	Jharokha- Celebrating Crafts of India Ahemdabad FY 2021-22	-	-	-	-	3.03	-	-	3.03	3.03
	Organizing promotional activities 7 DRC 2021-22	(8.67)	-	-	(8.67)	-	-	-	-	(8.67)
	District Handloom Expo Varanasi 2021-22	5.58	-	-	5.58	-	-	-	-	5.58
	Organizing 8th Indian National Exhibition Cum-Fair Kolkata 2021-22	(1.44)	-	-	(1.44)	-	-	-	-	(1.44)
	Organization of 10 DHE 2021-22	(16.65)	-	-	(16.65)	21.33	-	-	21.33	4.68
	Buyers Sellers Meet (BSM) at Guwahati 2021-22	0.41	-	-	0.41	-	-	-	-	0.41
	25th Banga Sanskriti Utsav FY 2022	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
	Jharokha- Celebrating Crafts of India Dimpur FY 2021-22	2.68	-	-	2.68	0.30	-	-	0.30	2.99
	MISCELLANEOUS GRANT ACCOUNT (EXHIBITION)	20.97	-	-	20.97	-	-	19.97	(19.97)	1.00
(B)	**OTHERS GRANTS**									
	12 FLIMS ON GI REGISTERED HANDLOOM / HANDICRAFT PRODUCT (2018-2019)	1.40	-	-	1.40	-	-	-	-	1.40
	15 BUNKAR CHOUPALS IN CFC VARANASI MEGA HANDLOOM CLUSTER	(0.03)	-	-	(0.03)	-	-	-	-	(0.03)
	3RD NATIONAL HANDLOOM DAY ON 7TH AUGUST 2017 AT GUWAHATI	54.14	-	-	54.14	-	-	-	-	54.14
	National Handloom Day 2020-21	0.16	-	-	0.16	-	-	0.16	(0.16)	-
	4TH EDITION OF HSF 2018 AT LUCKNOW FROM 05.10.2018 TO 08.10.2018	1.66	-	-	1.66	-	-	-	-	1.66
	5th NATIONAL HANDLOOM DAY (2019-2020)	0.92	-	-	0.92	-	-	0.92	(0.92)	-
	6th National Handloom Day 2020-2021 DC Handicraft	(32.51)	-	-	(32.51)	16.05	-	-	16.05	(16.47)
	COLLABORATION AND SPONSORSHIP OF ABAHONI -2019 (MAHATMA GANDHI)	1.50	-	-	1.50	-	-	-	-	1.50
	FILM ON GI REGISTERED HANDLOOM HANDICRAFT PRODUCT 8TH MARCH 2017 UNDER INTERNATIONAL WOMEN DAY	0.38	-	-	0.38	-	-	0.38	(0.38)	-
	GRANT FOR AWARD/ PRIZE DISTRIBUTION TO 6 IIHTS	(6.78)	-	-	(6.78)	-	-	-	-	(6.78)
	GRANT FOR CFC VARANASI	28.04	-	-	28.04	-	-	-	-	28.04
	GRANT FOR COMMON SERVICE CENTRES (CSC), VARANASI	(10.82)	-	-	(10.82)	-	-	-	-	(10.82)
	GRANT FOR CONSTRUCTION OF 7 CFCs	124.96	-	-	124.96	-	-	-	-	124.96
	GRANT FOR EXP. INTRODUCTION OF MULTIPLE BUTI MACHINE	(0.05)	-	-	(0.05)	-	-	-	-	(0.05)
	GRANT FOR HIRING FOUR WHEELER AND MISC EXP. WSC VARANASI	(0.96)	-	-	(0.96)	-	-	-	-	(0.96)
	GRANT FOR INFORMATION EDUCATION & COMMUNICATION	(48.05)	-	-	(48.05)	-	-	-	-	(48.05)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2022 को शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त		कुल	वर्ष के दौरान लेनदेन			कुल	31.03.2023 को शेष
			सरकार से	प्रतिभागियों/ अन्य से		व्यय	रिटर्न अंतरण	समायोजन अंतरण		
1	2	3	4	5	6 (3-4-5)	7	8	9	10 (7+8)	11 (6+9)
	6 डब्ल्यूएससी के लिए डेस्कटॉप की आपूर्ति के लिए अनुदान	(0.30)	-	-	(0.30)	-	-	-	-	(0.30)
	हैंडलूम पार्टुस की आपूर्ति के लिए अनुदान	(9.17)	-	-	(9.17)	-	-	-	-	(9.17)
	हस्तकला सहयोग शिविर (चरण 1)	37.65	-	-	37.65	-	-	-	-	37.65
	हस्तकला सहयोग शिविर (चरण 2)	10.68	-	-	10.68	-	-	-	-	10.68
	31 जुलाई से 2 अगस्त 2017 तक अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय वस्त्र मेला	60.33	-	-	60.33	-	-	-	-	60.33
	कौशाम्बी महोत्सव 2018 (4 अप्रैल 2018 से 5 अप्रैल 2018)	0.99	-	-	0.99	-	-	-	-	0.99
	शिल्प संग्रहालय नई दिल्ली 01 अगस्त 2017 में डिजाइनर्स चौपाल का आयोजन	2.64	-	-	2.64	-	-	-	-	2.64
	हथकरघा (एनजेबी कोलकाता) 7–01–2019 से 13–01– 2019 तक	2.10	-	-	2.10	-	-	2.73	(2.73)	(0.63)
	एमएसएमई का आउटरीच कार्यक्रम (डब्ल्यूएससी जनवरी 2019 से फरवरी 2019)	13.69	-	-	13.69	-	-	-	-	13.69
	श्रम संबंधी संसदीय स्थायी समिति	1.14	-	-	1.14	-	-	-	-	1.14
	विशिष्ट हथकरघा उत्पादों के खुदरा आउटलेट (फ्लैगशिप स्टोर्स)	34.76	-	-	34.76	30.82	-	-	30.82	65.58
	स्वदेशी मेला चंडीगढ़ 2017–2018	5.00	-	-	5.00	-	-	-	-	5.00
	जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित करने के लिए (एनएचडीपी के तहत)	14.05	-	-	14.05	-	-	-	-	14.05
	क्लस्टर कारीगरों का मानचित्रण	(45.00)	-	-	(45.00)	-	-	-	-	(45.00)
	चयनित क्लस्टर क्षेत्रों के कुशल शिल्प कौशल को प्रदर्शित करने वाली वीडियो फिल्म	(3.34)	-	-	(3.34)	-	-	-	-	(3.34)
	जीईएम समन्वयक का टीएध्डीए	0.10	-	-	0.10	-	-	0.10	(0.10)	-
	डिजाइन और तकनीकी विकास कार्यशाला 2020–21	(40.48)	-	-	(40.48)	-	-	-	-	(40.48)
	कलात्मक जनजातीय वस्त्र कढ़ाई शिल्प पर पोशाक सामग्री के अनुसूचित जनजाति कारीगर	(132.00)	-	-	(132.00)	-	-	-	-	(132.00)
	2021–22 डब्ल्यूएससी में डिजाइन रिसोर्स सेंटर का उद्घाटन	(4.23)	-	-	(4.23)	-	-	(4.23)	4.23	-
	बुनकर जागरूकता शिविर	(7.60)	-	-	(7.60)	-	-	-	-	(7.60)
	पीएमटीए (टीएफसी) जेएलएल	1.22	-	-	1.22	-	-	-	-	1.22
	22.09.2017 को उद्घाटन कार्यक्रम टीएफसी और सीएम	2.41	-	-	2.41	-	-	-	-	2.41
	टीएफसी का उद्घाटन समारोह (22.12.16 वाराणसी)	30.96	-	-	30.96	-	-	-	-	30.96
	दीन दयाल हस्तकला संकुल व्यापार संग्रहालय केंद्र (टीएफसी) भुगतान	29.65	-	-	29.65	-	-	-	-	29.65
	12/03/2018 को फ्रांस के राष्ट्रपति की टीएफसी यात्रा	8.97	-	-	8.97	-	-	-	-	8.97
	कुल	**434.11**	**930.62**	**-**	**(496.51)**	**2,033.25**	**(289.41)**	**96.25**	**2,226.41**	**1,729.90**
	कुल डेबिट (प्राप्तियों में अंतरण)	**1,425.96**	**930.62**		**(496.51)**	**2,033.25**	**(289.41)**	**96.25**	**2,226.41**	**2,455.08**
	कुल क्रेडिट (अनुदान खाते में स्थानांतरण)	**(991.85)**							**-**	**(725.18)**
	कुल योग	**434.11**		**-**				**-**		**1,729.90**

Sl. No.	Particulars	Balance As On 31.03.2022	Received During The Year		Total	Transactions During The Year			Total	Balance As On 31.03.2023
			From Govt.	From Participants/ Others		Expenses	Refund Transfer	Adjustment Transfer		
1	2	3	4	5	6 (3-4-5)	7	8	9	10 (7+8+9)	11 (6+10)
	GRANT FOR SUPPLY OF DESKTOP FOR 6 WSCs	(0.30)	-	-	(0.30)	-	-	-	-	(0.30)
	GRANT FOR SUPPLY OF H/L PARTS	(9.17)	-	-	(9.17)	-	-	-	-	(9.17)
	HASTKALA SAHYOG SHIVIR (PHASE 1)	37.65	-	-	37.65	-	-	-	-	37.65
	HASTKALA SAHYOG SHIVIR (PHASE 2)	10.68	-	-	10.68	-	-	-	-	10.68
	INTERNATIONAL TEXTILE FARE AT AHEMDABAD FROM 31ST JULY TO 2ND AUG. 2017	60.33	-	-	60.33	-	-	-	-	60.33
	KAUSHAMBI MAHOTSAV 2018 (4TH APRIL 2018 TO 5TH APRIL 2018)	0.99	-	-	0.99	-	-	-	-	0.99
	ORGANIZE DESIGENERS CHAUPAL AT CRAFT MUSEUM NEW DELHI IST AUG.2017	2.64	-	-	2.64	-	-	-	-	2.64
	OUTREACH PROGRAMME FOR PROMOTION OF HANDLOOMS (NJB KOLKOTTA) FROM 7-01-2019 TO 13-01-2019	2.10	-	-	2.10	-	-	2.73	(2.73)	(0.63)
	OUTREACH PROGRAMME OF MSME (WSC JAN 2019 TO FEB.2019)	13.69	-	-	13.69	-	-	-	-	13.69
	PARLIAMENTARY STANDING COMMITTEE ON LABOUR	1.14	-	-	1.14	-	-	-	-	1.14
	RETAIL OUTLET OF EXCLUSIVE HANDLOOM PRODUCTS (FLAGSHIP STORES)	34.76	-	-	34.76	30.82	-	-	30.82	65.58
	SWADESHI MELA CHANDHIGARH 2017-2018	5.00	-	-	5.00	-	-	-	-	5.00
	TO ORGANISE DISTRICT LEVEL EVENTS (UNDER NHDP)	14.05	-	-	14.05	-	-	-	-	14.05
	Mapping of Cluster Artisans	(45.00)	-	-	(45.00)	-	-	-	-	(45.00)
	Video film showcasing the skilful craftsmanship of chosen cluster areas	(3.34)	-	-	(3.34)	-	-	-	-	(3.34)
	TA/DA of GeM Co-ordinator	0.10	-	-	0.10	-	-	0.10	(0.10)	-
	Design and Technical Development Workshop 2020-21	(40.48)	-	-	(40.48)	-	-	-	-	(40.48)
	ST Artisans of Dress Material on Artistic Tribal Textile Embroidery Crafts	(132.00)	-	-	(132.00)	-	-	-	-	(132.00)
	Inauguration of Design Resource Centre at WSC 2021-22	(4.23)	-	-	(4.23)	-	-	(4.23)	4.23	-
	WEAVERS AWARENESS CAMP	(7.60)	-	-	(7.60)	-	-	-	-	(7.60)
	PMTA (TFC) JLL	1.22	-	-	1.22	-	-	-	-	1.22
	INAUGURATION PROGRAMME ON 22.09.2017 TFC AND CM	2.41	-	-	2.41	-	-	-	-	2.41
	INAUGRAL FUNCTION OF TFC (22.12.16 VARANASI)	30.96	-	-	30.96	-	-	-	-	30.96
	DIN DYAL HASTKALA SANKUL TRADE MUSEUM CENTRE (TFC) PAYMENT	29.65	-	-	29.65	-	-	-	-	29.65
	VISIT OF FRENCH PRESIDENT TO T F C ON 12/03/2018	8.97	-	-	8.97	-	-	-	-	8.97
	TOTAL	**434.11**	**930.62**	**-**	**(496.51)**	**2,033.25**	**(289.41)**	**96.25**	**2,226.41**	**1,729.90**
	TOTAL DEBIT (TRANSFER TO RECEIVABLES)	**1,425.96**	**930.62**		**(496.51)**	**2,033.25**	**(289.41)**	**96.25**	**2,226.41**	**2,455.08**
	TOTAL CREDIT (TRANSFER TO GRANT ACCOUNT)	**(991.85)**							**-**	**(725.18)**
	GRAND TOTAL	**434.11**		**-**				**-**		**1,729.90**

वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के लिए सरकारी अनुदान और प्रतिभागियों के पैसे का विवरण

(राशि लाख में)

क्र. सं.	विवरण	1.4.2021 को आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त		कुल	वर्ष के दौरान प्राप्त		कुल	31.03.2022 को शेष
			सरकार से	प्रतिभागियों / अन्य से		सरकार से	प्रतिभागियों / अन्य से		
1	2	3	4	5	6 (3-4-5)	7	8	9 (7+8)	10(6+9)
	यार्न आपूर्ति योजन सब्सिडी								
1	10% हैंक यार्न सब्सिडी	26.77	9,587.46		(9,560.69)	11,512.29	-	11,512.29	1,951.61
2	वाईएसएस दावे (एमजीपीएस)	163.79	3,382.54		(3,218.75)	4,220.42		4,220.42	1,001.67
	कुल	**190.56**	**12,970.00**	**-**	**(12,779.44)**	**15,732.71**	**-**	**15,732.71**	**2,953.27**
	कुल अनुदान	**1,616.52**	**13,900.62**		**(12,284.09)**	**17,765.96**	**(73.51)**	**17,692.45**	**5,408.35**

DETAILS OF GOVERNMENT GRANTS & PARTICIPANTS MONEY FOR THE CURRENT REPORTING PERIOD

(Rs. In Lakhs)

Sl. No.	PARTICULARS	OPENING BALANCE 1.4.2022	RECEIVED DURING THE YEAR		TOTAL	TRANSACTIONS DURING THE YEAR		TOTAL	BALANCE AS ON 31.03.2023
			FROM GOVT.	FROM PARTICIPANTS/ OTHERS		EXPENSES	REFUND/ ADJUSTMENT/ TRANSFER		
1	2	3	4	5	6 (3-4-5)	7	8	9 (7+8)	10(6+9)
	YARN SUPPLY SUBSIDY SCHEME								
1	10% HANK YARN SUBSIDY	26.77	9,587.46		(9,560.69)	11,512.29	-	11,512.29	1,951.61
2	YSS CLAIMS (MGPS)	163.79	3,382.54		(3,218.75)	4,220.42		4,220.42	1,001.67
	TOTAL	**190.56**	**12,970.00**	**-**	**(12,779.44)**	**15,732.71**	**-**	**15,732.71**	**2,953.27**
	TOTAL GRANTS	**1,616.52**	**13,900.62**		**(12,284.09)**	**17,765.96**	**(73.51)**	**17,692.45**	**5,408.35**

Notes

रा ह वि नि
NHDC

40TH ANNUAL GENERAL MEETING FOR THE YEAR 2023

Physical Presence

व्यक्तिगत रूप से उपस्थित (बाएं से दाएं): श्री जितेंद्र पुरोहित, उप महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) और मुख्य वित्तीय अधिकारी, श्री के सी शाकद्वीपी, महाप्रबंधक–एनएचडीसी, श्री के चंद्रशेखर, संयुक्त विकास आयुक्त (हथकरघा), डॉ. एम.बीना, अध्यक्ष एवम् विकास आयुक्त (हथकरघा), श्री धीरेंद्र कुमार, निदेशक (आईएफडब्ल्यू) और श्री (सीएस) राजवीर सिंह

Physically present (from left to right): Shri Jitendra Purohit, DGM (F&A) & CFO, Shri K C Shakdwipee, GM-NHDC, Shri K Chandra Sekar JDC (Handlooms), Smt. (Dr.) Beena Mahadevan, Chairperson and DC (Handlooms), Shri Dhirenda Kumar, Director (IFW) and Mr. CS Rajveer Singh

Virtual Presence

वीसी के माध्यम से उपस्थिति: चित्र 1– श्रीमती रीता प्रेम हेमराजानी, प्रबंध निदेशक–एनएचडीसी, चित्र 2– श्रीमती पूजा गोयल, वैधानिक लेखा परीक्षक और श्री संदीप गोयल, चित्र–3 श्री नवनीत अरोड़ा, सचिवीय लेखा परीक्षक

Present through VC: Pic 1- Smt. Rita Prem Hemrajani, MD-NHDC; Pic 2- Smt Pooja Goel, Statutory Auditors and Shri Sandeep Goel; Pic-3 Shri Navneet Arora, Secretarial Auditor

G20 भारत 2023 INDIA

रा ह वि नि
NHDC

Azadi Ka Amrit Mahotsav

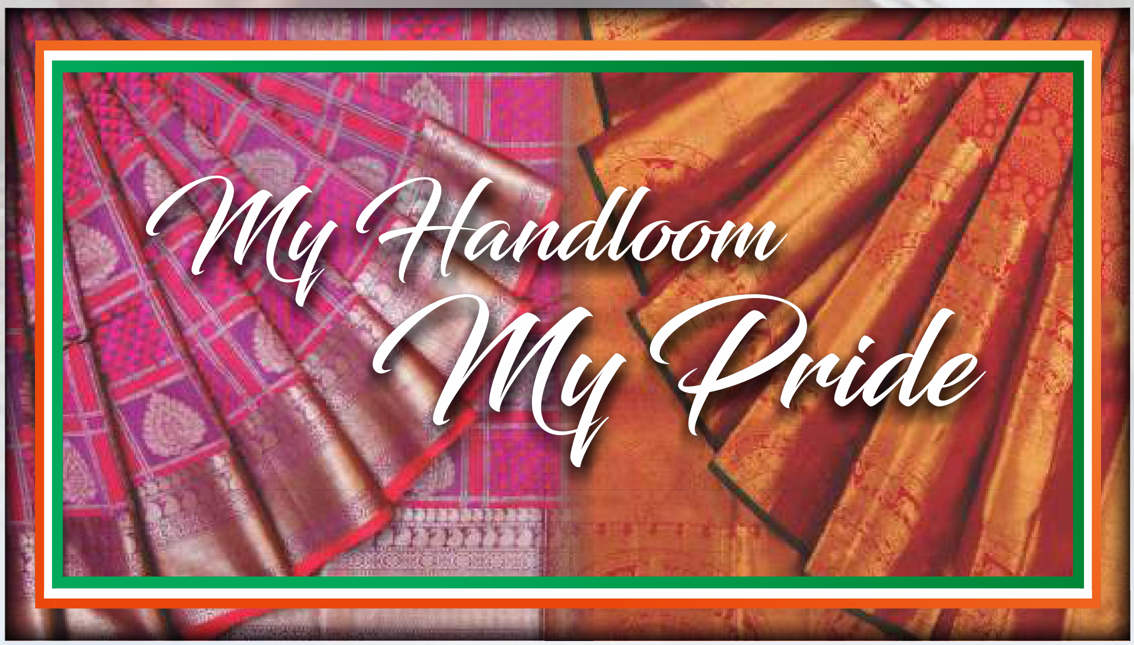

पंजीकृत कार्यालय

चौथी मंजिल, वेगमेन्स बिजनेस पार्क, टावर 1,
प्लॉट नं. III, सेक्टर नॉलेज पार्क–तृतीय,
सूरजपुर–कासना मेन रोड़, ग्रेटर नोएडा
गौतमबुद्ध नगर
उत्तर प्रदेश – 201306
फोन नं. 0120–2329600
ईमेल conhdc@nhdc.org.in

Registered Office

4th Floor, Wegmans Business Park, Tower-1,
Plot No. 03, Sector Knowledge Park - III,
Surajpur - Kasna Main Road, Greater Noida,
Gautam Buddh Nagar
Uttar Pradesh - 201306
Phone : 0120-2329600
E-mail : conhdc@nhdc.org.in

Design & Printed at Viba Press Pvt. Ltd., 9810049515

www.nhdc.org.in